खण्ड-468, अंक-1
गुरुवार, 9 फाल्गुन, शक संवत् 1929
(28 फरवरी, 2008 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 468 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	क-ठ
उपस्थित सदस्य	ड-द
प्रश्नोत्तर	1-71
अमर शहीद श्री चन्द्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दिये जाने का प्रकरण उठाने का प्रयास	71
सत्रकाल के समय जनपदों की समितियों की बैठकें न बुलाये जाने के शासनादेश के बावजूद कुशीनगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा शादियों हेतु अनुदान वितरित करने के सम्बन्ध में एक बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	72
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	73-74
जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में स्मैक का धन्धा बड़े पैमाने पर संचालित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74-75
जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा) में सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75
जनपद बांदा के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75-76
मण्डी परिषद् द्वारा बनाई गई सड़कों को ठीक कराने तथा जिलाधिकारी खीरी द्वारा जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	76
जनपद महामायानगर के ग्राम बसई निवासी भूदेव पुत्र खचरे सिंह को तहसील के कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने से उसकी मृत्यु के फलस्वरूप प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76-77
आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के विकास खण्ड शमशाबाद में आगरा शमशाबाद रोड से पावसर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद एटा के परियोजना निदेशक द्वारा विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों में जानबूझकर किये गये विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77-78
वाराणसी कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत रोहनिया बाजार की विद्युत व्यवस्था ग्रामीण के स्थान पर नगरीय कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	78-79
जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा और सोहरतगढ़ के बीच स्थाई सीमांकन करवाकर पत्थर लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद से होकर बहने वाली करबन नदी की सफाई कराने एवं किनारे पर सघन वृक्षारोपण कराकर चैकडैम बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79-80
जनपद सहारनपुर में पिलखनी डिस्टलरी के द्वारा क्षेत्र के 30 ग्रामों का पानी प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
राज्य सम्पत्ति विभाग में विगत 20 वर्षों से तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	80-81
जनपद कुशीनगर के सेवरही नगर पंचायत में 16-18 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	81
जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत कप्तानगंज नवनिर्मित तहसील बनने सम्बन्धी पड़े अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	81-82
प्रहेज उत्पीड़न के अन्तर्गत अनेक निर्दोष महिलाओं एवं बच्चियों के जेल में निरुद्ध होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	82-84
वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के वंशजों को अपेक्षित सम्मान न देकर उनकी उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	84
श्री लाल बहादुर शास्त्री शताब्दी समारोह योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	84-86
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	86
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	86-108

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग (स्वीकृत) ...	108-167
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-45 पर्यावरण (जारी)	167-171
प्राविधिक शिक्षा विभाग का बजट साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने पर आपत्ति	171
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग (स्वीकृत) ...	172-173
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग (स्वीकृत) ...	173
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) (स्वीकृत)	173
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत) ...	174
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) ...	174
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	174-175
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत)	175
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	175-176
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) (स्वीकृत) ...	176
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) ...	176-177

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	177
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत)	177-178
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	178
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग (स्वीकृत) ...	178-179
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग (स्वीकृत) ...	179
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग (स्वीकृत)	179
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ...	180
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग (स्वीकृत) ...	180
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	180-193
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	193-202
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत)	202
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	203

विषय				पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजाकर) (स्वीकृत)	...	...	...	203
चा0 सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा उनको अतिरिक्त सुरक्षा दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की सूचना।	...	...	...	204
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	204-205
नत्थियां	...	...	...	206-211

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1.	अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
2.	अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
3.	अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
4.	अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
5.	अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
6.	अजय तोमर, डा0	बागपत
7.	अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
8.	अजय यादव, श्री	एटा
9.	अजय राय, श्री	वाराणसी
10.	अजय सिंह, श्री	जालौन
11.	अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
12.	अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
13.	अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
14.	अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
15.	अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
16.	अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
17.	अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
18.	अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
19.	अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
20.	अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
21.	अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
22.	अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
23.	अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
24.	अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
25.	अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
26.	अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
27.	अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
28.	अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज
29.	अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
30.	अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
31.	अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
32.	अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
33.	अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
34.	अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
35.	अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
36.	अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
37.	अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
38.	अरशद खान, श्री	पीलीभीत
39.	अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
40.	अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
41.	अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदासनगर (भदोही)
42.	अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
43.	अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
44.	अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
45.	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
46.	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
47.	अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
48.	अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
49.	अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
50.	अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
51.	अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
52.	अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
53.	अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर

54.	अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
55.	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
56.	आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
57.	आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
58.	आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
59.	आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
60.	आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
61.	आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
62.	आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
63.	आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
64.	आसिफ, श्री	हरदोई
65.	इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
66.	इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
67.	इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
68.	इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
69.	ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
70.	उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
71.	उदयराज, श्री	उन्नाव
72.	उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
73.	उमलेश यादव, श्रीमती	बदायूँ
74.	उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
75.	उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
76.	ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
77.	ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
78.	ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
79.	कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
80.	काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
81.	कादिर राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
82.	कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
83.	कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
84.	काशीराम, श्री	रामपुर
85.	कुवेर सिंह, श्री	एटा
86.	कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
87.	कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
88.	कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
89.	कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
90.	कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
91.	कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
92.	कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
93.	के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
94.	केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
95.	कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
96.	कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
97.	कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
98.	कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
99.	कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
100.	गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
101.	गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
102.	गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
103.	गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
104.	गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
105.	गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
106.	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
107.	घूराराम, श्री	बलिया
108.	चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ
109.	चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
110.	चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
111.	चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
112.	चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
113.	छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
114.	छोटे सिंह, श्री	जालौन
115.	जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर

116. जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
117. जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
118. जगपाल, श्री — सहारनपुर
119. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — महराजगंज
120. जमीरउल्ला, श्री — अलीगढ़
121. जमुना निषाद, श्री — गोरखपुर
122. जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
123. जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
124. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री — कुशीनगर
125. जावेद अंसारी, श्री — जौनपुर
126. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री — चन्दौली
127. जितेन्द्र कुमार, श्री — बस्ती
128. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री — फैजाबाद
129. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री — आगरा
130. जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
131. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 — वाराणसी
132. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री — फर्रूखाबाद
133. तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
134. त्रिभुवन दत्त, श्री — अम्बेडकरनगर
135. ददन मिश्रा, श्री — श्रावस्ती
136. ददू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
137. दयाराम, श्री — कौशाम्बी
138. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
139. दाउद अहमद, श्री — हरदोई
140. दिनेश प्रसाद, श्री — चित्रकूट
141. दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
142. दीननाथ पाण्डेय, श्री — वाराणसी
143. दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
144. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री — झाँसी
145. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
146. दूधराम, श्री — बस्ती
147. धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
148. धनीराम वर्मा, श्री — औरैया
149. धर्मपाल, श्री — गाजियाबाद
150. धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री — बदायूँ
151. धर्मपाल सिंह, डा0 — आगरा
152. धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
153. धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
154. धर्मी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
155. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
156. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बलरामपुर
157. धू राम लोधी, चौधरी, श्री — हमीरपुर
158. नकुल दूबे, श्री — लखनऊ
159. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री — इलाहाबाद
160. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
161. नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
162. नरेन्द्र सिंह, श्री — फर्रूखाबाद
163. नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
164. नसीरुद्दीन, श्री — फिरोजाबाद
165. नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री — ललितपुर
166. नारायण सिंह, श्री — आगरा
167. निर्मल वर्मा, श्री — सीतापुर
168. नीरज कुशवाहा, श्री — शाहजहाँपुर
169. पंकज कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
170. पशुपति, श्री — गाजीपुर
171. पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
172. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री — बाँदा
173. पूजा पाल, श्रीमती — इलाहाबाद
174. पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
175. प्रजापालन, श्री — एटा
176. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
177. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री — बदायूं
178. प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री — झाँसी
179. प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
180. प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़

181. प्रमोद सिंह, श्री — देवरिया
182. प्रवीण पटेल, श्री — इलाहाबाद
183. प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
184. प्रेमलता देवी, श्रीमती — अलीगढ़
185. फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
186. फरहत हसन, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
187. फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
188. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती — देवरिया
189. फागू, श्री — मऊ
190. बजरंग बहादुर सिंह, श्री — महराजगंज
191. बलबीर, श्री — मुजफ्फरनगर
192. बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
193. बिमलेश सिंह, श्रीमती — अलीगढ़
194. बिरजू राम, श्री — जौनपुर
195. बृजेश सौरभ, श्री — प्रतापगढ़
196. बैजनाथ दूबे, श्री — गोण्डा
197. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
198. भगवत शरण गंगवार, श्री — बरेली
199. भगवती प्रसाद सागर, श्री — झाँसी
200. भगवान दास, श्री — सन्तकबीरनगर
201. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
202. भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
203. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री — इटावा
204. भोला, श्री — आजमगढ़
205 मंजू, श्रीमती — बलिया
206. मदन भैया, श्री — बागपत
207. मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
208. मधुसूदन शर्मा, श्री — आगरा
209. मनोज चौधरी, श्री — सहारनपुर
210. ममतेश शाक्य, श्री — एटा
211. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
212. महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
213. महिपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
214. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
215. महेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
216. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
217. महेश चन्द्र, श्री — कानपुर देहात
218. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री — बदायूँ
219. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
220. माधव पासवान, श्री — गोरखपुर
221. मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहाँपुर
222. मिथलेश कटियार, श्रीमती — कानपुर देहात
223. मीता गौतम, कु0 — बाराबंकी
224. मुख्तार अंसारी, श्री — मऊ
225. मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
226. मुलायम सिंह यादव, श्री — इटावा
227. मुस्लिम खाँ, श्री — बदायूँ
228. मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
229. मोहम्मद इकबाल, श्री — बिजनौर
230. मोहम्मद इरशाद खान, श्री — लखनऊ
231. मोहम्मद गाजी, श्री — बिजनौर
232. मोहम्मद जलील खान, श्री — गोण्डा
233. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री — सीतापुर
234. मोहम्मद ताबीश खां, श्री — सन्तकबीरनगर
235. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
236. यशपाल सिंह, श्री — बिजनौर
237. यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
238. यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
239. यसपाल सिंह रावत, श्री — गोरखपुर
240. याकूब हाजी, श्री — मेरठ
241. योगराज सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
242. योगेन्द्र सागर, श्री — बदायूँ
243. योगेश वर्मा, श्री — मेरठ
244. रंगनाथ मिश्र, श्री — सन्तरविदासनगर(भदोही)
245. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 — कानपुर देहात
246. रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुँवर श्री — प्रतापगढ़

247. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री — फतेहपुर
248. रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुँवर — कुशीनगर
249. रतनलाल अहिरवार, श्री — झाँसी
250. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
251. रमेश गौतम, श्री — गोण्डा
252. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 — मिर्जापुर
253. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — जौनपुर
254. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री — सहारनपुर
255. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री — महोबा
256. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 — इलाहाबाद
257. राकेश बाबू, श्री — फिरोजाबाद
258. राघव लखन पाल, श्री — सहारनपुर
259. राजकिशोर सिंह, श्री — बस्ती
260. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 — गाजीपुर
261. राजकुमार रावत, श्री — मथुरा
262. राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
263. राजपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
264. राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
265. राजाराम त्यागी, श्री — रायबरेली
266. राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
267. राजीव चन्ना, श्री — मुरादाबाद
268. राजेन्द्र कुमार, श्री — मऊ
269. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
270. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
271. राजेन्द्र सिंह, डा0 — आगरा
272. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री — गोरखपुर
273. राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
274. राजेश कुमार, श्री — लखीमपुर खीरी
275. राजेश त्रिपाठी, श्री — गोरखपुर
276. राजेश यादव, श्री — शाहजहाँपुर
277. राजेश्वरी, श्रीमती — हरदोई
278. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
279. राधे लाल रावत, श्री — उन्नाव
280. राधे श्याम गुप्ता, श्री — फतेहपुर
281. राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
282. राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकरनगर
283. राम किशुन, श्री — चन्दौली
284. राम कुमार तिवारी, पण्डित — ललितपुर
285. रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
286. रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
287. राम प्रकाश कुशवाहा, श्री — कानपुर नगर
288. राम प्रकाश यादव, श्री — फिरोजाबाद
289. राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
290. राम प्रसाद जायसवाल, श्री — देवरिया
291. राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
292. रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
293. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
294. राम सागर अकेला, श्री — श्रावस्ती
295. राम सिंह, डा0 — अलीगढ़
296. रामसेवक, श्री — सुल्तानपुर
297. राम सेवक सिंह पटेल, श्री — बदायूँ
298. रामस्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
299. रामहेत भारती, श्री — सीतापुर
300. रिजवान अहमद खाँ, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
301. रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
302. रोशन लाल वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
303. लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
304. लखीराम नागर, श्री — मेरठ
305. लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
306. लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
307. लालजी यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
308. लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
309. वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच

310. वाचस्पति, श्री — कौशाम्बी
311. वारिस अली, श्री — बहराइच
312. वासुदेव सिंह "बाबा", श्री — बुलन्दशहर
313. विजय कुमार, श्री — गाजीपुर
314. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री — मुरादाबाद
315. विजय कुमार मिश्र, श्री — सन्त रविदासनगर (भदोही)
316. विजय पाल सिंह, श्री — बरेली
317. विजय बहादुर यादव, श्री — गोरखपुर
318. विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
319. विद्यासागर गुप्त, श्री — लखनऊ
320. विनोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
321. विनोद सिंह, श्री — सुल्तानपुर
322. विनोद कुमार हरित, श्री — मेरठ
323. विनोद चतुर्वेदी, श्री — जालौन
324. विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
325. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
326. विशम्भर सिंह यादव, श्री — बांदा
327. विश्वनाथ, श्री — कुशीनगर
328. वीरेन्द्र कुमार, श्री — हरदोई
329. वीरेन्द्र सिंह, श्री — बरेली
330. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
331. वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
332. शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
333. शम्भू चौधरी, श्री — कुशीनगर
334. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
335. शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
336. शहनवाज, श्री — बिजनौर
337. शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
338. शिव गणेश, श्री — रायबरेली
339. शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
340. शिवबालक पासी, श्री — रायबरेली
341. शिवशंकर, श्री — बलिया
342. शीशराम, श्री — बिजनौर
343. शेखर तिवारी, श्री — औरैया
344. शेरबहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
345. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री — जौनपुर
346. श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा) — वाराणसी
347. श्याम नरायण यादव, श्री — आजमगढ़
348. श्याम लाल, श्री — बलरामपुर
349. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
350. श्रीपति आजाद, श्री — महराजगंज
351. श्रीभगवान पाठक, श्री — बलिया
352. श्री भगवान शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
353. संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
354. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री — प्रतापगढ़
355. संजय कपूर, श्री — रामपुर
356. संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर
357. संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
358. संध्या, कुमारी — मैनपुरी
359. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
360. सत्य नारायण जैसल, श्री — सोनभद्र
361. सत्यपाल सिंह, चौ0 — अलीगढ़
362. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
363. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री — गौतमबुद्धनगर
364. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 — बागपत
365. सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
366. सनातन पाण्डेय, श्री — बलिया
367. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री — आजमगढ़
368. सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
369. सिनोद कुमार शाक्य, श्री — बदायूं
370. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री — गाजीपुर
371. सी0 एम0 प्रसाद, श्री — सोनभद्र
372. सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर

373.	सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	389.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
374.	सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	390.	सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
375.	सुखलाल, श्री	पीलीभीत	391.	सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
376.	सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	392.	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
377.	सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद	393.	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
378.	सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	394.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
379.	सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	395.	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
380.	सुभाष, श्री	बलिया	396.	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
381.	सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर	397.	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
382.	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़	398.	हरिओम, श्री	जालौन
383.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	399.	हसरत उल्ला, श्री	एटा
384.	सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	400.	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
385.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	401.	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
386.	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	402.	रिक्त	मनोनीत
387.	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	*403.	रिक्त	हरदोई
388.	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	*404.	रिक्त	गोण्डा

*दिनांक 20 अक्टूबर, 2007 को श्री उपेन्द्र तिवारी (हरदोई) की मृत्यु के फलस्वरूप।

**श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2008 के अपराह्न से त्याग-पत्र के फलस्वरूप रिक्त।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महामहिम राज्यपाल

श्री टी0 वी0 राजेस्वर

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	कुमारी मायावती मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, न्याय, विधायी, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, राजनैतिक पेंशन, भाषा, सूचना, वास्य सहायतित परियोजना, नागरिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, कृषि शिक्षा, धर्मार्थ कार्य, मुस्लिम वक्फ, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, परिवार कल्याण, अवस्थापना विकास, महिला कल्याण तथा कारागार प्रशासन एवं सुधार।
2	श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी	आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई (बाढ़ नियंत्रण को छोड़कर), आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
3	श्री रामवीर उपाध्याय	ऊर्जा
4	श्री लालजी वर्मा	संसदीय कार्य एवं वित्त
5	श्री इन्द्रजीत सरोज	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन
6	श्री ठाकुर जयवीर सिंह	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात
7	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	सहकारिता
8	श्री वेद राम भाटी	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल
9	श्री लक्ष्मी नारायण	कृषि (कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात तथा कृषि विपणन को छोड़कर)

1	2	3
10	श्री राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा
11	श्री बाबू सिंह कुशवाहा	भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज
12	श्री जगदीश नारायण राय	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग
13	श्री फागू चौहान	राजस्व
14	श्री नकुल दुबे	नगर विकास (नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को छोड़कर), पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन (संस्थागत वित्त, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क को छोड़कर)
15	श्री दद्दू प्रसाद	ग्राम्य विकास
16	श्री नरायन सिंह	उद्यान
17	श्री राम प्रसाद चौधरी	खाद्य एवं रसद
18	डा0 धर्म सिंह सैनी	बेसिक शिक्षा
19	श्री राम अचल राजभर	परिवहन
20	श्री बादशाह सिंह	श्रम
21	श्री रंगनाथ मिश्र	माध्यमिक शिक्षा
22	श्री अनन्त कुमार मिश्रा	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
23	श्री अब्दुल मन्नान	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
24	श्री नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी"	संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क
25	श्री कमला कान्त गौतम	कृषि शिक्षा
26	श्री चन्द्रदेव राम यादव	लघु उद्योग
27	श्री अशोक कुमार	भूमि विकास एवं जल संसाधन

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1	श्री अनीस अहमद खाँ	अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज
2	श्री अयोध्या प्रसाद पाल	खेलकूद एवं युवा कल्याण
3	जमुना प्रसाद निषाद	मत्स्य एवं सैनिक कल्याण

प्रश्नोत्तर

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो बैठे भी नहीं, व्यवस्था कहां से आ गयी ?

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सब्जियों को रंगकर बेचने एवं अधिक उपज हेतु हारमोंस की सुई के रोकथाम के उपाय

**1-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सब्जियों को रंगकर बेचने तथा इनकी उपज अधिक व शीघ्र तैयार करने हेतु हारमोंस की सुई लगाने का कारोबार खेत से लेकर सब्जी मण्डियों तक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ? क्या उक्त प्रयोग हानिकारक है जिससे अनेक गम्भीर बीमारियां हो रही हैं ? यदि हां, तो इनके रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

प्रदेश में कहीं-कहीं पर चोरी से कुछ सब्जी विक्रेताओं द्वारा सब्जी को रंगने के प्रकरण ज्ञात हुये हैं। सब्जियों की अधिक उपज व शीघ्र तैयार करने हेतु हारमोन्स के प्रयोग की सूचना प्राप्त नहीं है।

सब्जियों में रंगों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है।

फलों एवं सब्जियों में कार्बाइड एवं रंगों के प्रयोग को रोकने के लिये शासनादेश संख्या-2044/पांच-8-2006-21 रिट/06 दिनांक 17 अगस्त, 2006 जारी किया गया है।

ऐसी सब्जियों को नष्ट करने तथा लगातार निरीक्षण कर नमूना संग्रह करने के निर्देश खाद्य निरीक्षकों को दिये गये हैं। नमूनों की जांच में रंग पाये जाने पर सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर विक्रेता को दण्डित करने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा सवाल है जो हर व्यक्ति से सीधे जुड़ा है और हर व्यक्ति सुबह-शाम सब्जी खाने का काम करता है। कई जगह मान्यवर, देखा गया है कि आक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर सब्जियों की 24 से 48 घन्टे के अन्दर दुगुनी और तिगुनी उपज लेने का काम किया जा रहा है। क्या इसकी जानकारी सरकार को है कि आक्सीटोसिन इंजेक्शन पूर्णतः प्रतिबंधित है, उसको लगाने का काम किया जा रहा है इसकी अगर

जानकारी है तो उसके लिये क्या किया गया है ? दूसरा प्रश्न कि सब्जियों को रंगने के लिये, उसमें चमक लाने के लिये कुछ ऐसे केमिकल या रसायन मिलाये गये हों, उनकी जांच करने के लिये क्या प्रदेश में प्रयोगशालायें हैं तो कितनी हैं और वर्ष 2007-2008 में कितने नमूने लिये गये और उन नमूनों में कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, वर्ष 2007 में सब्जियों के कुल 83 नमूने लिये गये और उनमें से 82 की जांच की गयी और उसमें से 81 को विशुद्ध पाया गया, एक नमूने में करेले पर रंग पाया गया। इसी तरह फल के कुल 38 नमूने लिये गये और इन सभी की जांच की गयी और सभी 38 विशुद्ध पाये गये।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा था कि क्या प्रदेश में इस तरह की प्रयोगशालायें हैं, तो वह कहां-कहां हैं और इन प्रयोगशालाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है, किस लेविल पर यह चल रही हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसकी जांच के लिये प्रदेश में इस समय केवल लखनऊ में प्रयोगशाला है, जहां इसकी जांच होती है।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आक्सीटोसिन इंजेक्शन के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेष रूप से सब्जी का नाम बता दूं। लौकी और तरोई, यह दो सब्जियां हैं, जो आमतौर से स्वास्थ्य के लिये अच्छी कही जाती हैं और डाक्टरों द्वारा भी बुजुर्गों को इनके प्रयोग के लिये कहा जाता है, इन्हें हल्की सब्जी मानकर खाया जाता है, लेकिन इन पर इस आक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिये क्या किया गया है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, शासनादेश दिनांक 7-12-2005 के द्वारा आक्सीटोसिन इंजेक्शन की अवैध बिक्री एवं अनुचित प्रयोग पर रोकथाम हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में निर्देश है कि किसी तरह से इसका अवैध प्रयोग न होने पावे।

(डा0 अजय तोमर के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आपके काफी अनुपूरक हो गये हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(डा0 अनिल चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी आपको अनुमति नहीं है। आप बैठें। मैंने डा0 राजेन्द्र सिंह जी का नाम पुकारा है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने की जो रिपोर्टस आ रही है, इसकी खास बात होती है कि जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो यह पानी को अंदर की तरफ खींचता है और एक-दो दिन में कोई भी सब्जी फूलकर काफी बड़ी हो जाती है, इसकी जांच करने का क्या इंतजाम है, कि इसमें आक्सीटोसिन लगा था कि नहीं लगा था, इसकी जांच करने की क्या प्रक्रिया है ? तरबूज तो इसकी वजह से काफी बड़े हो जाते हैं, बहुत सी सब्जियों में लेड, कार्बाइड, नाइट्रोसिन यह सारी चीजें मिल रही हैं सिर्फ एक लखनऊ में प्रयोगशाला होने से तो काम चलेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष-

उसी का तो जवाब मा0 मंत्री जी ने दिया है, आप जो बड़े तरबूज हैं, उन्हीं की जांच चाहते हैं ना।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, तीन गुना, चार गुना हो जाता है, इससे पेड़ पानी को अन्दर खींच लेते हैं, जिससे उसका फल फूल जाता है और जब आदमी उसे खरीदता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है बस वह पानी खरीद लेता है। इससे आदमी को जो खाने से पौष्टिक तत्व मिलने चाहिये वह उसे नहीं मिल पाते हैं, इसके बारे में सरकार थोड़ा ध्यान दे कि आक्सीटोसिन के इंजेक्शन कहां लग रहे हैं और इनको जांच करने का कोई इन्तजाम है या नहीं है। इसे एकदम से खत्म तो नहीं कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पशुओं में ही इसके प्रयोग को खत्म कर सकते हैं नहीं तो आक्सीटोसिन एक ऐसा हारमोन है जिसका उपयोग तो औरतों में भी किया जाता है। कम से कम इतना तो सरकार से जवाब दिलवा दें कि आक्सीटोसिन को जांच करने का कोई इन्तजाम है या नहीं है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब इंजेक्शन लगा देने से सब्जियां फूलकर बड़ी हो जाती हैं तो सरकार इस खराबी को दूर करने के लिये क्या पहल कर रही है ? क्या सरकार कोई स्पष्ट आदेश जारी करेगी कि यह बुराई दूर हो और शुद्ध सब्जी उत्तर प्रदेश के लोगों को खाने को मिले और ऐसा करने वालों को सजा दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

हाशमी साहब, शासनादेश का उल्लेख मा0 मंत्री जी ने किया तो है।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से सीधा प्रश्न करना चाहता हूं कि बहराइच जनपद में रिसियामौल एक जगह है, वहां नदी के किनारे सब्जी पैदा की जाती है और मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि वहां पर इंजेक्शन लगाया जाता है। ऐसे ही सरयू, घाघरा और नालों के किनारे जो सब्जी पैदा की जाती है लौकी, तरोई, खरबूजा, तरबूज सभी में इंजेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। क्या इन जगहों पर जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, खाद्य निरीक्षकों को इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। इसमें मिलावट को या रंगने या कार्बाइड या इस तरह के जो मिश्रणयुक्त चीजें हैं, इनका वह नमूना लेते हैं और उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। मा0 सुरेश्वर सिंह जी ने एक स्पेसिफिक क्षेत्र का जिक्र किया है उसको भी दिखवा लेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में औद्योगिक वातावरण एवं पूंजीनिवेश बढ़ाने हेतु कार्ययोजना

*1-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनाने एवं पूंजी निवेश बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

विवरण निम्नवत् है :-

अवस्थापना परियोजनाओं के त्वरित औद्योगिकीकरण की दृष्टि से मूलभूत सुविधाओं को प्रदान किये जाने, वृहद परियोज़नाओं को बढ़ावा देने एवं इनके समुचित अनुश्रवण हेतु राज्य सरकार द्वारा एक पृथक विभाग-"अवस्थापना विकास विभाग" का गठन किया गया है साथ ही अवस्थापना के विकास के लिये पांच अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राथमिकतायें भी निर्धारित की हैं यथा कृषकों का सशक्तीकरण, ऊर्जा क्षेत्र का विकास, नगरीय पुनरुत्थान, उत्कृष्ट परिवहन व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क अवस्थापना है।

प्रदेश में अवस्थापना परियोजनाओं हेतु पारदर्शी चयन, निजी सहभागितायुक्त परियोजनाओं हेतु विकासकर्ता चयन तथा विनिवेश प्रक्रिया हेतु निजी निवेशकों के चयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण शासनादेश दिनांक 29 जून, 07 द्वारा जारी किया गया है।

ग्रेटर नोयडा से आगरा तक का ताज एक्सप्रेस-वे का प्लान बनाया गया है।

ग्रेटर नोयडा से बलिया तक 08 लेन की गंगा एक्सप्रेस-वे की परियोजना बनायी गयी है। गंगा एक्सप्रेस-वे ग्रेटर नोयडा से शुरू होकर बुलन्दशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, इलाहाबाद एवं वाराणसी होते हुये बलिया तक बनाया जाएगा। इन विश्वस्तरीय सड़कों से राज्य में उद्योगों एवं व्यापार की उन्नति के लिये सुदृढ़ अवस्थापना तैयार होगी। इसके लिये टेण्डर को अंतिम रूप देकर डेवलपर का चयन कर परियोजना की स्थापना की नींव रख दी गयी है। इस प्रकार निजी निवेशकों की अधिकाधिक सहायता लेकर अवस्थापना विकास हेतु स्पष्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीति के अन्तर्गत परियोजना का शुभारम्भ किया गया है।

प्रदेश में विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में दिनांक 18-08-2007 को उ0 प्र0 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (संशोधित) नीति-2007 जारी की गयी है। औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन भैया-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से 4 प्रश्नों का जवाब चाहता हूं। पहला, क्या किसानों को बाजार भाव पर मुआवजा दिया जा रहा है ? दूसरा, क्या अवस्थापना विकास विभाग द्वारा प्रभावित गांवों का सम्पूर्ण विकास कराया जायेगा, यथा-ऊर्जा, सीवर, नाली, खण्ड़जा आदि ? तीसरे क्या गंगा एक्सप्रेस-वे का भी बाजार भाव पर मुआवजा दिया जा रहा है तथा क्या गंगा एक्सप्रेस-वे में प्रभावित हो रही उपजाऊ जमीन को छोड़ा जा रहा है ? और चौथा व अंतिम प्रश्न है कि क्या नोयडा की तर्ज पर जनपद बागपत का भी विकास कराया जायेगा क्योंकि नोयडा सेचुरेटेड हो चुका है ? वहां जमीनें नहीं बची हैं। मान्यवर, मेरे चार प्रश्नों का उत्तर दिलवा दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, किसानों को मुआवजे के लिये और उनके पुनः स्थापना के लिये उनकी एक अलग नीति बनायी गयी है। जहां तक मूल्य निर्धारण का सवाल है, यथासंभव बाजार मूल्य और सर्किल रेट के साथ यथासंभव करार नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री मदन भैया-

मान्यवर, हमने सर्किल रेट के बारे में नहीं पूछा है। माननीय मंत्री जी, हां या ना में जवाब दें कि बाजार भाव से मूल्य दिया जा रहा है या नहीं ?

श्री लालजी वर्मा-

करार नियमावली में किसान के साथ निगोसियेशन किया जाता है और सलाह मशविरा किया जा रहा है।

श्री मदन भैया-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ पा रहा है। मान्यवर, जवाब नहीं दिलवा पा रहे हैं। दो शब्दों में मंत्री जी स्पष्ट बतायें कि हां या नहीं। मैंने यह भी पूछा था कि गंगा एक्सप्रेस-वे का मुआवजा बाजार भाव पर दिया जा रहा है या नहीं ?

आबकारी, लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

करार नियमावली में जो प्राविधान है उसके तहत किसानों से या सम्बन्धित बाडी है उससे बैठ करके बात की जाती है। जब दोनों सहमत हो जाते हैं तब कोई मूल्य तय किया जाता है, वह बाजार भाव से ज्यादा भी हो सकती है। करार नियमावली में है कि सम्बन्धित पार्टी से एग्रीमेण्ट हो जाय और जो भी तय होता है दोनों की सहमति से होता है।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा गंगा एक्सप्रेस-वे के मुआवजे की बात कही जा रही है। ग्रेटर नोयडा-आगरा ताज एक्सप्रेस-हाईवे बन रहा है। यह करार वर्ष 2003 में किया था। गंगा एक्सप्रेस-वे का पैकेज बनाया है, ताज एक्सप्रेस-वे का पैकेज बनाया है उन दोनों में असमानता है और सैकड़ों किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या ताज एक्सप्रेस-वे का मुआवजा गंगा एक्सप्रेस-वे के आधार पर देने की व्यवस्था करेंगे ? मान्यवर, दोनों चीजें एक ही हैं। ताज एक्सप्रेस-वे में किसान हड़ताल पर बैठे हुये हैं। ग्रेटर नोयडा-ताज एक्सप्रेस-वे का लैण्ड एक्वीजीशन सर्किल रेट पर किया जा रहा है, गरीब किसानों की पूरी की पूरी जमीन जा रही है और लोगों को बहुत नार्मिनल धनराशि मुआवजे के रूप में मिल रही है। कई-कई महीने हो गये हैं वहां पर किसान हड़ताल पर बैठे हुये हैं, धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की मंशा किसान के विरोध की नहीं है और ग्रेटर नोयडा ताज-एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे दोनों एक दूसरे के भाई-बहिन की तरह हैं मान्यवर, बड़ा गम्भीर प्रश्न है, मैं इस पर सरकार का जवाब चाहूंगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यहां पर प्रश्न दूसरा है प्रश्न है कि प्रदेश में औद्योगिकी वातावरण बनाने एवं पूंजी निवेश बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है। इसका स्पष्ट उत्तर दे दिया जहां तक मुआवजे की बात है वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है जो नियमावली है और जो भूमि अर्जन से सम्बन्धित कानून है उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्न से ही यह बात आई बाजार भाव और करार नियमावली मान्यवर, मंत्री जी से मैं बताना चाहूंगा कि आज गंगा एक्सप्रेस-वे में बाजार भाव क्या है और करार नियमावली के अनुसार भाव क्या है और दोनों के बीच कितना अन्तर है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अलग-अलग इलाके का बाजार भाव अलग-अलग है। गंगा एक्सप्रेस-वे में बलिया से नोयडा तक जमीनें ली जा रही हैं और नोयडा और बलिया के बीच बाजार भाव में काफी अन्तर है इसलिये सब जगह के बाजार भाव बताना सम्भव नहीं है।

श्री मदन चौहान-

बाजार भाव नोयडा और ग्रेटर नोयडा में कितना है ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं मूल प्रश्न है कि प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनाने एवं पूंजी निवेश बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है ? मंत्री जी ने बताया कि जून 2007 में ही उन्होंने जी0 ओ0 जारी किया गया कि प्रदेश में पूंजीनिवेश पर सरकार सुविधा देगी आपने बताया कि अवस्थापना विभाग आपने अलग से बनाया है मैं जानना चाहता हूं कि आपके जी0 ओ0 जारी करने के बाद से अब तक जो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या डायरेक्ट प्राइवेट लोगों में कितने लोगों ने उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये शासन को प्रस्ताव दिये उसमें कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुये और कितना पूंजीनिवेश इस प्रदेश में हुआ ?

श्री लालजी वर्मा-

सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस-वे का है जिसमें 40 हजार करोड़ रुपए का निवेश होना है इसमें और डिटेल की जानकारी करके सदस्य को बाद में बता देंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

प्रश्न औद्योगिक वातावरणे के सम्बन्ध में है। गंगा एक्सप्रेस-वे औद्योगिक वातावरण से सम्बन्धित नहीं है। औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए आपने अवस्थापना विभाग बनाया वह उद्योग स्थापित करने के लिए बनाया गया उसमें उद्योगों को छूट देने की बात करी होगी पिछली सरकार में 200 करोड़ रुपए से ऊपर पूंजीनिवेश करने पर 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक छूट देने की व्यवस्था थी हमारा प्रश्न यह है कि अभी तक कितने उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में

प्रस्ताव दिए हैं और उन प्रस्तावों में कितने प्रस्ताव स्वीकार हुए हैं कितने अस्वीकार हुए और कितने पेंडिंग हैं उससे कितना पूंजीनिवेश होगा ? गंगा एक्सप्रेस-वे की आपने बात करी यह तो इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं मैं औद्योगिक वातावरण की बात कर रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

कितने का प्रस्ताव मिला है इसकी सूचना अलग से दे देंगे।

(श्री मोहम्मद आज़म खां व माननीय संसदीय कार्य मंत्री के एक साथ खड़े होने पर।)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, आपने मेरा नाम बुलाया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इन्हें ही कहने दें।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है, आप लोगों ने खुद फैसला कर लिया।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के कुछ सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन्स थे और आपने उन्हें इजाजत दी थी प्रश्न पूछने की और जब इजाजत दे दी आपने क्वेश्चन पूछने की तो उस पर मेरे ख्याल से माननीय संसदीय कार्य मंत्री को ऐतराज नहीं होना चाहिए कि यह क्वेश्चन पूछे जाने का है कि नहीं। सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन का मतलब यह होता है कि नहीं तो प्रश्न बहुत लम्बा हो जायेगा। मान्यवर, गंगा एक्सप्रेस हाई वे, जाहिर है कि यह आसमान जमीन के बीच में नहीं बनेगा। यह जमीन पर बनेगा और उसका कोई मालिक होगा। अब उस जमीन का मालिक गरीब किसान है। मान्यवर, मकान या जमीन से किसी का भी जज्बाती रिश्ता होता है। कहते हैं कि कुत्ता भी जहां रहता है यदि उसकी जगह बदल दी जाय तो वह पलट-पलट कर अपनी पुरानी जगह को देखता है। मान्यवर, जब किसी व्यक्ति का मकान या झोपड़ी खाली करवाई जायेगी तो उससे उसका जज्बाती रिश्ता होता है। कई वाकये ऐसे होते हैं कि बहुत बड़ी रकम मिलने के बाद भी कोई गरीब आदमी जमीन नहीं देना चाहता। मान्यवर, टाटा साहब जो कि इतने बड़े आदमी हैं कहा जाता है कि उन्होंने भी वह हुण्डी वापस नहीं करी जिसको रखकर वे इतने बड़े आदमी बने। मान्यवर, किसी गरीब की जमीन ले रहे हैं तो इस हिसाब से लें कि वह खुले मन से उसको देने को तैयार हो जाय। मान्यवर, जो लोग धरने पर बैठें हैं जाहिर है कि उनको उनकी जमीन का सही हिसाब से अगर मूल्य मिल जाय तो वे धरने पर न बैठें। यहां पर नियम बता दिये गये कि नियम हैं। दूसरे मंत्री जी ने भी बता दिया कि किताब में ऐसा लिखा है। आज किसान जो धरना दे रहे हैं वे इसीलिये दे रहे हैं क्योंकि उनको अपनी जमीन का सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। मैं आपको पीछे ले चलता हूं जब हम उधर बैठते थे और आप इधर बैठते थे दादरी प्रोजेक्ट में

किसानों को जमीन का मुआवजा देने की बात थी, किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल रहा था। किसानों को उनकी मर्जी के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। आज उसी तरह का प्रश्न हम कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या किसानों को ऐसा मुआवजा दिया जायेगा जिससे किसान खुश होकर अपनी जमीन देने के लिये तैयार हो जाय और वह खुशी से धरने से उठने के लिये तैयार हो जाय ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, किसानों के हितों की पूर्णतया रक्षा की जायेगी। इसके साथ ही साथ मान्यवर, किसानों का जो हित है उसको सुरक्षित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

चलिये अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब आया नहीं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने एक जवाब तो दे दिया था। दूसरा बताना चाहता हूं कि शासन के अधीन अवस्थापना विकास विभाग का गठन किया गया है। इसका कार्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय/विचार करते हुए विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लक्ष्य एवं रोड मैप तैयार करना तथा अवस्थापना सुविधाओं का चिन्हीकरण करना। निर्धारित लागत सीमा से अधिक की चिन्हित अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु उनके सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र अथवा सहभागिता के आधार पर क्रियान्वयन हेतु निर्धारण करना। निजी क्षेत्र में अथवा निजी क्षेत्र की सहभागिता के आधार पर क्रियान्वयन किये जाने की स्थिति में उस अवस्थापना कार्य के लिये कार्यदायी विभाग/कार्यदायी संस्था का निर्धारण करना। भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फण्डिंग योजना सम्बन्धी प्रस्तावों हेतु नोडल विभाग का कार्य करना। निजी क्षेत्र में अथवा निजी क्षेत्र की सहभागिता के आधार पर लिये जाने वाले अवस्थापना कार्यों के लिए आवश्यक फीजीबिलिटी अध्ययन डी0पी0आर0 हेतु अध्ययन आदि की व्यवस्था करना। (शोर) अवस्थापना परियोजनाओं को निजी क्षेत्र की सहभागिता से क्रियान्वित कराने के लिए मानक-बिड डाक्यूमेंट तथा मानक संविदाएं तैयार कराना। चिन्हित अवस्थापना परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के आधार पर विकासकर्ता का चयन करना। परियोजना के क्रियान्वयन के समय कार्यदायी विभाग/संस्था के साथ प्रगति का अनुश्रवण करना। अवस्थापना विकास एवं कोष। उद्योग एवं अवस्थापना विकास विभाग की योजनाओं हेतु आवश्यकतानुसार भूमि की व्यवस्था (भू-अर्जन सहित) विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय तथा शासकीय सहायता प्राप्त निगमों संस्थाओं के निजीकरण को पारदर्शी आधार पर सम्पन्न कराने हेतु अवस्थापना विकास विभाग द्वारा नोडल विभाग का कार्य किया जाना। (शोर)

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में जो उद्योग का वातावरण बनाने हेतु सहारनपुर, मिर्जापुर, भदोही आदि जनपदों में आगरा में कच्ची लकड़ी का उद्योग है।

(शोर)

और भी उद्योग हैं इनको विशेष आर्थिक सुविधा देने का काम करेंगे ताकि पूंजी निवेश को बढ़ाया जा सके।

श्री लालजी वर्मा-

जो प्रस्ताव आएगा वह प्रदेश के हित में होगा। जो किया जाएगा प्रदेश के हित में किया जाएगा।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, ऐसे जिले जहां दस्तकारी का काम होता है जैसे मुरादाबाद में पीतल का काम मशहूर है। बनारस की साड़ियां मशहूर हैं आगरा, सहारनपुर में लकड़ी का काम होता है क्या यहां के लिए कोई प्रस्ताव आए हैं तो उसकी सूची आपके पास होगी अगर नहीं है तो बता दें कि सूची नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

इस समय मेरे पास सूची उपलब्ध नहीं है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, प्रश्न को स्थापित कर दीजिए। अगर किसी प्रश्न का जबाव नहीं है किसी की सूची नहीं है तो स्थगित कर दीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इस बात की तैयारी की जाती है कि इस अनुपूरक प्रश्न से सम्बन्धित क्या अनुपूरक प्रश्न आ सकते हैं ? अभी माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने पूंजी निवेश के बारे में प्रश्न किया, माननीय मंत्री जी ने कहा दे देंगे। अगर पूंजी निवेश की बात हो रही है नीतिगत बात हो रही है तो यह प्रश्न हम खड़ा करेंगे ही, कितना पूंजी निवेश हुआ। मंत्री जी को तैयारी करके आना चाहिए था तो प्रश्न यह उठता है कि पिछले कार्यकाल में एक साल में इस प्रदेश में वस्तुतः बाहर से आकर के, प्रदेश के उद्योगपतियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बाहर से आकर के प्रदेश के बाहर के देश के नागरिक, या इस देश के उद्योगपति जो इस देश के बाहर गये हैं, प्रवासी नागरिक के रूप में इस प्रदेश के बाहर रहते हैं उनकी पूंजी हमारे प्रदेश में निवेशित हो सके इसके लिए सरकार ने क्या कोई नीति बनाई है, क्या योजना बनाई है और कितना पूंजी निवेश इस उत्तर प्रदेश में इन प्रवासी उ0प्र0 के नागरिकों के नाते या अन्य विदेशी नागरिकों के नाते हुआ है ? इसके बाद मैं दूसरा प्रश्न करूंगा।

श्री लालजी वर्मा-

पूछ लीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं प्रश्न दोहरा देता हूं मान्यवर अगर प्रदेश में 100 उद्योगपति हैं तो 49 उत्तर प्रदेश के हैं 26 दिल्ली के हैं 14 हरियाना के हैं यह जो 11 हैं यह प्रदेश के बाहर और दूर-दूर से हैं बेस प्रश्न यह है कि प्रदेश के बाहर के उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करने के लिए क्योंकि देश के प्रदेश इस बात का प्रयास करते हैं कि उनके यहां उद्योगपति उद्योग लगाएं। इन उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित करने के लिए जैसा कि कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु की सरकार सुविधायें देती हैं उस तुलनात्मक दृष्टि से हमारा प्रदेश उद्योगपतियों को क्या छूट देता है ? दूसरा उस छूट के नाते कितने उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क किया ? कितनों ने बातचीत करके निपटारा किया। कितना पूंजी निवेश हुआ ? यह तो एक सवाल है प्रदेश के उद्योगपतियों का दूसरा सवाल है विदेशी उद्योगपतियों का क्योंकि आज हमें इतनी स्वायत्ता मिली है कि अगर चन्द्रबाबू नायडू जाकर विदेशी पूंजी मांग सकते हैं अगर कर्नाटक की सरकार मांग सकती है, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्य मंत्री जाकर विदेश से उद्योगपति को भारत ला सकते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि हम सरकार ने विदेश में बैठे ढेर सारे उद्योगपति जो, सुन लीजिए थोड़ा सा ध्यान इस तरफ दे दीजिए। मान्यवर, मंत्री जी, लोक निर्माण मंत्री से राय ले रहे हैं, उद्योग मंत्री से राय लेते तो भी कोई बात होती, कैसे काम चलेगा ? मान्यवर, तो मैं कहना चाहता हूं कि उन विदेशी व्यक्तियों को भारत में निवेश करने के लिये और जो उत्तर प्रदेश से निकल कर दुनिया के बाहर गये हैं और वहां सफल हैं, वह लोग उत्तर प्रदेश में भी पूंजी निवेश करें इसके लिये सरकार ने क्या योजना बनायी है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने मूल प्रश्न में ही इसका उत्तर दिया है कि प्रदेश में अवस्थापना परियोजनाओं हेतु पारदर्शी चयन, निजी सहभागितायुक्त परियोजनाओं हेतु विकासकर्ता चयन तथा विनिवेश प्रक्रिया हेतु निजी निवेशकों के चयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण शासनादेश दिनांक 29 जून, 07 द्वारा जारी किया गया है। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी स्वयं प्रयासरत हैं कि प्रदेश में पूंजी निवेश बढ़े, औद्योगिक उत्पादन बढ़े, औद्योगिक निवेश बढ़े और साथ ही साथ औद्योगिक विकास के लिये वातावरण बने। उसके लिये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, कानून-व्यवस्था, उसको भी बनाये रखने के लिये पूरी तरह से सरकार प्रयासरत है और उसके लिये प्रयास किया जा रहा जिससे प्रदेश का औद्योगिक विकास हो। मान्यवर, एस0ई0जेड0 के 26 प्रस्ताव भेजे गये थे जिसमें 23 अनुमोदित हुये हैं।

श्री अध्यक्ष-

टीक है। इमरान जी, अब आप बैठिये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जो पूंजी निवेश होता है वह अधिकांश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश जिले उद्योग शून्य हैं, जहां के लोग वहां से पलायन करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों में जाते हैं। महाराष्ट्र की आज जो स्थिति है, उसे आप देख ही रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं सरकार ने क्या कोई योजना इन जिलों के लिये बनायी है, जो उद्योग शून्य जिले हैं, इसके लिये कोई पैकेज देंगे, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी पूंजी निवेश हो सके ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पूरब से लेकर पश्चिम तक विकास हो और इसी बात के लिये गंगा एक्सप्रेस-वे लाया गया है और उसके निकट इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बनायी गयी है, दूसरे बनारस, उन्नाव, कानपुर आदि जो जिले हैं, उसमें भी हमारा प्रयास है कि विकास हो।

बुन्देलखण्ड में भूख से आत्महत्या करने वाले किसान एवं इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*2-श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार के गठन के उपरान्त बुन्देलखण्ड में अब तक कितने किसानों ने भूख के कारण आत्महत्यायें की हैं ? क्या इन आत्महत्याओं के लिये जिम्मेदारी तय की गयी है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

बुन्देलखण्ड में भूख के कारण किसी किसान द्वारा आत्महत्या की सूचना नहीं है।

भुखमरी के कारण आत्महत्या की घटनायें न घटित हों, इसकी रोकथाम हेतु शासनादेश संख्या-1219/1-11-2007-78(जी) 2006, दिनांक 16 मई, 2007 द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि किसी जनपद में इस प्रकार की घटना होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व उस जनपद के जिलाधिकारी का होगा।

चूंकि किसी किसान द्वारा भूख के कारण आत्महत्या नहीं की गयी है, अतएव किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन्, हमने तो बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछा था और इतना असत्य लिखकर भेजा गया है। मान्यवर, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी भी बुन्देलखण्ड गये थे और वहीं के रहने वाले हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी ने वहां जनसभा भी की थी और सदन में भी तमाम बार इस पर चिन्ता व्यक्त की गयी है कि भूख के कारण वहां लोग मर रहे हैं, आत्म हत्या कर रहे हैं। मान्यवर, अकेले महोबा में ही 100 से ज्यादा लोगों ने आत्म हत्या की है, कहें तो मैं लिस्ट दे दूं। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इन्होंने लिख दिया कि भूख के कारण किसी ने आत्म हत्या नहीं की है, लेकिन वहां किसानों ने आत्म हत्यायें की हैं, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में जो आत्म हत्यायें हुई हैं, वह किन कारणों से हुई हैं ? दूसरा प्रश्न है कि आपने जो शासनादेश जारी किया है, उसके मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या-क्या हैं ? और उन पर जो क्रियान्वयन हुआ उससे कितने लोगों को फायदा हुआ।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, जो शासनादेश है उसमें क्या-क्या है, उस निर्देश के तहत किन-किन प्रकरणों में कार्रवाई की है और उन्होंने कहा कि वह सूची दे रहे हैं कि इतनी मौतें हुयी हैं ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, भूख से किसी के मरने की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है तो किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन् दो चीजें स्पष्ट करा दें कि उन्होंने कहा कि भूख से मरने की कोई सूचना नहीं मिली है तो ऐसे क्या कारण हैं कि लोगों ने आत्महत्या की और शासनादेश में क्या था, उसमें क्या कार्रवाई हुयी ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, अखबारों के माध्यम से पूरे बुन्देलखण्ड में जो सूचना मिली है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह सरकार है। सरकार को नहीं मालूम कि आत्महत्या कैसे हुयीं, इसको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिये।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, पहले आप उन्हें तो सुन लें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जो मंत्री जी कह रहे थे पूरी बात आपने सुनी नहीं। उनका कहना था कि आप लोगों को जो सूचना मिली है वह अखबारों के माध्यम से मिली है। पूरी बात तो सुनिये। लेकिन आपने तो शोर मचाना शुरू कर दिया। आप अखबारों से क्यों चिढ़ते हैं ? पूरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी आप बतायें।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने पूछा कि कितने लोगों की सूचना प्राप्त हुयी है तो मैंने कहा कि सरकारी तौर पर किसी के भूख से मरने की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है। दूसरी बात उन्होंने पूछी कि जो सूचना मिली कैसे मिली तो मैंने कहा कि बुन्देलखण्ड में अखबारों के माध्यम से मिली। अस्वाभाविक मौत से 68 लोगों के मरने की सूचना मिली है। उसकी जांच करायी गयी तो उसमें कोई भी आदमी भूख से नहीं मरा है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, अग्रवाल साहब का दूसरा अनुपरक था कि जिस शासनादेश का उल्लेख आप कर रहे हैं उसके बिन्दु क्या-क्या हैं ? उन बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में क्या कार्रवाई कर रहे हैं ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, उसमें स्पष्ट है कि अगर कोई आदमी भूख से मरता है तो वहां के डी0 एम0 के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है अस्वाभाविक मौतें हुयी हैं। उन्होंने कहा कि 68 लोगों की अस्वाभाविक रूप से मृत्यु हुयी है। तो हमारा कहना है कि भूख से जो मरता है तो उसका आइडियल वजन 60 प्रतिशत रह जाता है, तो क्या मानक के अनुसार उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया ?

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा कि भूख से मरने की कोई सूचना नहीं तो परीक्षण कराने की कहां आवश्यकता पड़ गयी ?

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

चिकित्सीय मानक के अनुसार परीक्षण होना चाहिये। दो मानक हैं-एक तो चिकित्सीय मानक और एक सामाजिक मानक। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दोनों मानक क्या हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दिया है कि इसकी जांच करायी गयी और कोई भूख से नहीं मरा, इसके बाद क्या प्रश्न रह जाता है ?

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि आपसे विपक्ष को संरक्षण मिलता है और आपका दायित्व है कि आप पूरे सदन को, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, संरक्षण मिले। [XXX]

श्री अध्यक्ष-

मैं किसी को संरक्षण नहीं दे रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो आपके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप बहुत पुराने सदस्य हैं, राजस्व मंत्री जी भी पुराने सदस्य हैं, हमारे साथी हैं, हमारी पार्टी में रहे हैं। यह सही है कि सदन में समाचार-पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता है लेकिन इतनी संवेदनहीनता का परिचय दिया कि सरकार को नहीं सुनायी दी मौत की आवाज। अब सरकार गंगा एक्सप्रेस-वे से निपटे या इन भूखे नंगों से निपटे।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह संवेदनहीनता की इंतिहा है। इतने वरिष्ठ मंत्री यह कहें कि सरकार को सूचना नहीं मिली। लेकिन इतनी संख्या मरने वालों की बुंदेलखण्ड में है, यह समाचार-पत्र ने कहा है कि क्योंकि यह लोकतंत्र का मजबूत स्तम्भ है। यह सरकार विवश कर रही है गरीबों को आत्महत्या करने के लिये। इसलिये ऐसी संवेदनहीन सरकार के विरोध में मैं और मेरा दल इस सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री मोहम्मद आजम खां अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 68 लोगों की जांच करायी गयी थी और भूख से मरना प्रमाणित नहीं हुआ। हमारे पास इसकी पूरी लिस्ट है, आप यदि कहें तो पढ़ देता हूं। मैं

नोट :- [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

एक-एक नाम पढ़ देता हूं। इसमें एक देवी सिंह पुत्र गनपत सिंह निवासी महोबा, छत पर लगी कुंडी से लटककर आत्महत्या की।

मान्यवर, जरा यह जान तो लें, जिसको यह भूख से मरना कह रहे हैं उसके बारे में भी यह जरा जान लें और इसलिये भी कि यह जो अनर्गल बातें आ रही हैं उसको जानने का भी हक होना चाहिये सदन को। मान्यवर, देवी सिंह के बारे में कहा गया कि भूख से मरा। मान्यवर, उनका जांच किया गया, मृतक के पास 12 बीघा कृषि भूमि, इन्हें कृषि निवेश पर 2944 रुपये का चेक दिनांक 02-02-08 को प्राप्त कराया गया था जिसका एक सप्ताह में बैंक से भुगतान भी कर लिया जा चुका है। मृतक के पास मौजा फतेहपुर में 12 बीघा कृषि भूमि है, परन्तु किराये के घर पर भी निवास कर रहा था, परिवार में खेती के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। मान्यवर, इसमें इनको दो हजार रुपये का चेक दिलाया गया, 12 बीघा खेत भी हैं और लड़का अमित कुमार ब्रेड बेचता है, उसकी लगभग 40 से 50 रुपये प्रतिदिन आमदनी होती है। नागरिकों के द्वारा पूछताछ में बताया गया, मृतक देवी सिंह मानसिक रूप से विछिप्त था, इलाज ग्वालियर मध्य प्रदेश में चलता था। दिनांक 7-12-2008 दिन रविवार को ही एक कुन्तल अनाज खाने हेतु क्रय किया गया। जिसके घर में भोजन की कोई समस्या नहीं थी। बैंक द्वारा ढिलाई के बाद कोई नोटिस या तकादा नहीं किया गया। उपरोक्त के आलोक्य में स्पष्ट है कि श्री देवी सिंह की मृत्यु आत्महत्या, भुखमरी के दबाव में नहीं हुई, बल्कि कोई अन्य अज्ञात कारण है। मृतक का शव पंचनामा तथा पोस्टमार्टम कराया गया। मान्यवर, इसी तरह से 68 का जिक्र है और उसके बाद भी इनके पास और कुछ है नहीं, जब इसके अलावा कुछ है नहीं तो इस तरह की बातें उठा कर और पूरा उत्तर सुनने के बजाय केवल शोर मचाने के अलावा कुछ है ही नहीं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पुकार लिया था पर पता नहीं आपकी इतनी मोहब्बत उधर क्यों है कि फिर आप हमारा नाम ही भूल गये ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, चूंकि माननीय प्रमोद जी ने मोहब्बत पर कहा है इसलिये थोड़ा सा मैं भी दो लाइन कह दूं -

"रोते-रोते जब हम मुस्कुराने लगे,
दोस्तों के करम याद आने लगे,
एक लम्हें में ये रूठ कर चल दिये,
और मनाने में हमको, जमाने लगे।"

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को कि बहुत अच्छा शेर पढ़ने लगे कि,

"मोहब्बत करने के लिये कुछ खास दिल मखसूस होते हैं,

ये वो नगमा है, जो हर साज पर, गाया नहीं जाता।"

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हर साज पर गाया जाय या न गाया जाय, यह तो बाद में तय होगा। कम से कम एक साज तो पकड़ लें जिस पर गा दिया करें मान्यवर।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वह तो पकड़ लिया प्रमोद तिवारी जी ने।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अत्यन्त संवेदनशील मुद्दे पर प्रश्न का उत्तर आया था मान्यवर, उसी से सन्दर्भित मेरा प्रश्न है। जो शुद्ध रूप से तकनीकी प्रश्न है अगर उत्तर हो तो दे दें। मान्यवर, भूख से मृत्यु हुई या नहीं हुई, इसका र्णय कौन करेगा ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल एवींडेंस, यही तो करेंगी मान्यवर, हम कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा भूख से मौत हुई हैं, आप कहते हैं कि मौत नहीं हुई है। मैं फिर से स्पष्ट रूप से कह दूं, मान्यवर, शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ अगर कोई है तो सरकार का यह बयान है कि बुन्देलखण्ड में भूख से मौत नहीं हुई है, झूठ हटा लें, शताब्दी का मान्यवर, सबसे बड़ा सत्य से परे यह बयान है। मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भूख से मौत हुई इसके एक-दो टेक्निकल टेस्ट हैं क्या यह कराये गये ? एक तो बाडी का वेट जो है मान्यवर वह घट कर साठ प्रतिशत रह जाता है और दूसरा मान्यवर, बाडी मांस इन्डेक्स जो है वह 10.5 प्रतिशत से कम हो जाता है। क्या मान्यवर, यह दोनों टेस्ट कराये गये या नहीं कराये गये ? इसकी जानकारी मैं माननीय मंत्री जी से प्राप्त करना चाहता हूं। क्योंकि आज मृत्यु विवादास्पद है। हम कहते हैं आत्महत्या हुई, भूख से मौत हुई वह कहते हैं आत्महत्या नहीं की, भूख से मौत नहीं हुई। टेस्ट सिर्फ दो ही हैं और इन दोनों टेस्टों को कराया गया या नहीं कराया गया ? यह आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, एक तो यह कि व्यक्ति भूख से मरा या नहीं मरा, दूसरी बात जहां तक वेट का सवाल है मान्यवर, बहुत से लोग बहुत बीमार हो जाते हैं बहुत दिनों तक, अगर कोई असाध्य रोग पकड़ लेता है और जब उनकी मौत होती है तो भी उसका वेट बहुत घट जाता है। इस तरह से कोई व्यवस्था तो नहीं की गई है कि हर आदमी जो मर जाता है उसका वेट लिया ही जाये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अब समझ में आ गया कि बेगुनाहों की लाशों को भी यह सरकार अनदेखी कर रही है। भूख से लोग मर रहे हैं। यह दोनों टेस्ट आप करा नहीं रहे हैं। आज सरकार कठघरे में खड़ी है। शताब्दी का भयानक, घिनौना झूठ बोल लिया है। सरकार के निर्णय के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु तकनीकी विशेषज्ञों की राय सम्बन्धी विवरण की जानकारी

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गंगा-एक्सप्रेस-वे परियोजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों व पर्यावरण विदों से कोई राय ली गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना की संकल्पना अध्ययन लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है तथा मार्जिनल इम्पैकमेंट के निर्माण हेतु तकनीकी अध्ययन सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है, जिसमें परियोजना के विभिन्न तकनीकी बिन्दुओं पर विवेचना की गयी है।

राज्य स्तरीय इनवायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथारिटी के पत्र दिनांक 23-08-2007 एवं 30-08-2007 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ प्राथमिक अनापत्ति जारी की गयी है।

परियोजना हेतु मार्जिनल इम्बैक्टमेंट के निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 26-06-2007 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ प्राथमिक अनापत्ति प्रदान की जा चुकी है।

पर्यावरण एवं बाढ़ की सुरक्षा की दृष्टि से परियोजना द्वारा सम्बन्धित विभागों जैसे गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना के सुझाव पर दिनांक 23-08-2007 प्राप्त हो चुका है।

उपर्युक्त प्राथमिक अनापत्तियों व सुझावों में इंगित शर्तों का अनुपालन विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान बिडिंग डाक्सूमेंट में ही रखा गया है।

परियोजना के क्रियान्वयन के पूर्व समस्त आवश्यक अनापत्तियां अनिवार्य रूप से विकासकर्ता द्वारा प्राप्त की जाएगी तथा परियोजना हेतु वांछित समस्त अनापत्तियों की प्राप्तियों के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की शर्त बिडिंग डाक्यूमेंट में रखी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, यह वर्तमान सरकार की दृष्टि से एक महत्वाकांक्षी योजना है। और इस योजना के सम्बन्ध में बाकी सभी राजनीतिक दल और इससे प्रभावित होने वाली जो विशाल जनता है उनमें चिंता व्याप्त है। आज सरकार ने अपने उत्तर में जो कुछ बताया, मेरी जानकारी करने की यह इच्छा थी कि जो कुछ शंकायें प्रकट की जा रही हैं एक तो यह कि इस योजना के लागू होने के बाद बाढ़ की विभिषिका बढ़ेगी और उसमें जो तकनीकी कारण हैं उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं और जो बहुत विशाल क्षेत्र होगा। मान्यवर, बहुत सी उपजाऊ जमीन जो अच्छी फसल देती है वह इसके अन्तर्गत चली जायेगी आदि-आदि। अध्यक्ष महोदय मेरे पास जो मैंने पूछा था कि क्या विशेषज्ञों की राय ली गयी है, गंगा रिसर्च सेन्टर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस पर काफी अध्ययन किया है वे जाने माने पर्यावरणविद् हैं उनकी भी राय इसमें प्रतिकूल है। इसमें आपने राज्य स्तरीय इनवायरन्मेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथारिटी के पत्र का उल्लेख किया है और कहा है कि कतिपय शर्तों के साथ प्राथमिक अनापत्ति जारी की गयी है। इसी तरह से दूसरे पैरा में आपने कहा है कि 26-6-07 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ प्राथमिक अनापत्ति प्रदान की जा चुकी है। इसी प्रकार से तृतीय पैरा में आपने 23-8-07 की तिथि का उल्लेख किया है कि सुझाव प्राप्त हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह संभावनायें व्यक्त की जा रही हैं कि बहुत बड़ी उपजाऊ जमीन इसकी भेंट चढ़ जायेगी। गंगा का जो पानी है उसमें बीओडी की मात्रा बढ़ जायेगी। वह हानिकारक होगा। इसमें अन्यान्य कारण दिये गये हैं। जो सुझाव की बात का जिक्र है वह सुझाव क्या है ? जो कतिपय शर्तों के साथ अनापत्ति प्राप्त हुई है वह शर्तें क्या हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो भी शर्तें उन्होंने निर्धारित किया उन्होंने कहा कि प्रदूषण बोर्ड से लेने का, उन्होंने सुझाव दिया कि इसकी परिवहन मंत्रालय भारत सरकार से भी राय प्राप्त कर ली जाय। इस तरह के जो भी सुझाव हैं उनके उसको एक्सेप्ट करते हुए और जितनी भी अन्य आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जायेगा। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि बड़ी उपजाऊ जमीन का, इस निर्माण से इस एक्सप्रेस हाइवे के बनने से लगभग 3.40 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्लावन से बचाई जा सकेगी और इस तरह से कृषि का उत्पादन भी इससे बढ़ेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि गंगा बेसिन में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं दिल्ली से ले करके या नोएडा से ले करके बलिया तक और विशेष रूप से आगे कलकत्ता तक एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारतवर्ष के वैज्ञानिक, जापान के वैज्ञानिक, उन्होंने सर्वेक्षण किया दो साल तक और सर्वेक्षण के बाद में उनकी रिपोर्ट आई कि इतना जहर जा चुका

है जमीन के अन्दर भी सीपेज हो हो करके गाल ब्लेडर में कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में पाई गयी है, विश्व में सबसे ज्यादा और अब यह एक्सप्रेस-वे बन जायेगा, आबादी और बढ़ेगी वहां पर, प्रदूषण और बढ़ेगा तो इस तरह से जो सबसे पवित्र नदी विश्व की मानी जाती थी गंगा, उसकी स्थिति यह होने जा रही है कि वहां पर शायद लोग छोड़-छोड़ करके भाग जायेंगे जो अभी स्थिति है। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं संयुक्त टीम थी जापान की और भारतवर्ष की उसकी रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं तो इन सारी बातों को देखते हुए आप इस सारी योजना पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं सभी, जहां से यह प्रदूषण पे भी है क्या उनका सुझाव है मेरे पास वह भी है उनका और जो उन्होंने जिस आधार पर अन्यपत्ति दी है उसको भी हमने पूरी तरह से पालन किया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरह से न तो प्रदूषण होने पाये और न तो इस तरह की, बल्कि जैसा कि मैंने पहले कहा माननीय हुकुम सिंह जी जिस बात से चिन्तित हैं उस बात से मैंने कहा कि जब बाढ़ प्लावन रोका जायेगा तो निश्चित रूप से इससे 3.40 लाख हेक्टेयर जमीन बचाई जायेगी और इससे जो उनकी समस्या है सीपेज वाली वह तो अपने आप दूर हो रही है। इसलिए उनकी ही बातों के अनुसार यह पूरी तरह से सुनिश्चित है कि इससे प्रदेश का हित सुनिश्चित है और किसी तरह से कोई अवैज्ञानिक कार्य नहीं है और किसी तरह से किसी तरह की हानि नहीं पहुंचने दी जायेगी। इस तरह से इसमें पूरी तरह से सावधानी बरती गयी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, कल मेरा प्रश्न इसी सम्बन्ध में था एजेन्डे में लेकिन उसको तीसरे गुरुवार को 13वें प्रश्न में स्थानान्तरित कर दिया गया। चूंकि आपके कार्यालय की व्यवस्था थी मैंने समझा आपकी व्यवस्था है इसलिए मैंने उस पर आपत्ति नहीं की। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा छोटा सा सवाल है। इस सड़क के बनने से आर्गेनाइजेशन होगा और पूरे 1050 किलोमीटर में जो आर्गेनाइजेशन होगा उसके कारण प्रदूषण होगा नम्बर एक, और नम्बर 2 लगभग अभी तक सर्वे के अनुसार यह सरकारी आंकड़ा है 21 लाख पेड़ कटेंगे। 1050 किमी0 में सड़क के किनारे जो वर्तमान में पेड़ लगे हैं उसमें 21 लाख पेड़ काटे जायेंगे इस सड़क के बनने से, तो यह दोहरा प्रदूषण होगा इसकी भरपाई सरकार ने किस योजना से करने का विचार बनाया है या प्लान बनाया है, इसका उत्तर दिलवा दें ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने जिस स्तर पर एक तो बहुत कम इसमें जंगल का भाग आ रहा है। माननीय सदस्य को जो जानकारी है उनको मुझे लगता है कि कहीं से गलत सूचना प्राप्त हुई है

और जो भी आवश्यकता है मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि पूरी तरह से हर स्तर पर परमीशन लेकर जहां भी आवश्यकता है उनसे अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही इसका कार्य शुरू किया जायेगा।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, मेरा प्रश्न इसी से सम्बन्धित था कि यह जो 21 लाख वृक्षों के कटान की रिपोर्ट आई है जिसका उल्लेख माननीय खन्ना जी ने किया।

इन वृक्षों के कटान से गम्भीर परिस्थिति की असंतुलन की स्थिति पैदा होगी और वृक्षों का कोई विकल्प भी नहीं है। अगर सरकार यह भी कहे कि हम उसके स्थान पर नया वृक्षारोपण करा देंगे तो इन वृक्षों को विकसित होते-होते कई वर्ष लग जायेंगे तो उस परिस्थिति में जो पर्यावरण असंतुलन की और परिस्थिति की असंतुलन की स्थिति पैदा होगी, उससे कैसे सरकार निपटेगी, यह हम जानना चाहते हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें तो और अधिक पेड़ लगाये जायेंगे जब सड़क बनेगी तो उसके किनारे हरा-भरा रखने के लिये पेड़ लगाने का प्राविधान है। तो यह तो और अधिक पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं और न तो कोई माननीय सदस्य हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में जो विशेषज्ञ हैं, उनका मैंने नाम भी लिया है और पदनाम भी लिया है, उनका कहना यह है, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके अनुसार छोटी नदियों तथा नालों के माध्यम से बाढ़ तीव्रता के साथ शहर में आयेगी। दूसरा इतना बालू का जमाव तीव्रतर हो जायेगा जो बाढ़ की विभीषिका का कारण बनेगी। अगल-बगल की विशाल उपजाऊ भूमि जल जमाव से प्रभावित होगी। फिर उन्होंने कहा, कि एक्सप्रेस-वे के बनने से बालू जमाव, मृदाक्षरण से गंगा का बेसिन नहीं रहकर उसका बाढ़ क्षेत्र हो जायेगा और भी कुछ उन्होंने कहा है तो जो सरकार ने अपना उत्तर दिया है, उसमें सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि जो सरकारी विभाग हैं उन्होंने भी आंख मूंदकर इसको अनापत्ति नहीं दी है और कतिपय शर्तों के साथ उन्होंने कहा है कि अगर ये-ये चीजें दुरुस्त कर लें तो इसको अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय और जो सरकारी विभाग हैं, उनकी राय में बहुत फर्क नहीं है तो यह जो तीन चीजों का सरकार ने उल्लेख किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो कतिपय शर्तों के साथ अनापत्ति दी है, वह कतिपय शर्त तीन विभागों की क्या हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य ने प्रो0 चौधरी का जिक्र किया है उनकी जितनी भी शंकायें हैं, उन पर भी राय प्राप्त की गयी, वह निराधार हैं। मान्यवर, प्रदूषण बोर्ड ने जो सुझाव दिये हैं राज्य बोर्ड की कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं मार्जिनल इम्बैक्टमेंट के निर्माण के दौरान फ्लाई ऐश अधिसूचना के प्राविधानों के अनुसार फ्लाई ऐश का उपयोग यथासंभव निर्माण हेतु किया जाये तथा इस हेतु प्रयोगार्थ फ्लाई ऐश से भरे हुये ट्रक को ऊपर से तारकोलीन आदि से ढकने के उपरान्त ही स्थान पर लाया जाय जिससे फ्लाई ऐश के उड़ने से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो सके। दूसरा, मार्जिनल इम्बैक्टमेंट के निर्माण हेतु पर संकटमय अपशिष्ट तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रयोग न किया जाय। मार्जिनल इम्बैक्टमेंट के निर्माण के दौरान स्थल के आसपास के क्षेत्र में धूल, जल, वायु नियंत्रण तथा अन्य सुरक्षा उपाय इस प्रकार सुनिश्चित किये जायें कि आसपास के क्षेत्र में जल, वायु एवं मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो। मार्जिनल इम्बैक्टमेंट के निर्माण के दौरान यदि वृक्ष आदि कटने की स्थिति उत्पन्न हो तो वन विभाग द्वारा सम्बन्धित विभाग से आवश्यक निर्देश प्राप्त किये जायें तथा नियमानुसार पुनः वृक्षारोपण किया जाय। मार्जिनल इम्बैक्टमेंट के निर्माण के दौरान नदियों का नेचुरल फोर्स बाधित न किया जाय और न ही नदी की जलगुणता किसी प्रकार प्रभावित हो। तटबन्ध की नदी से दूरी का निर्धारण केन्द्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों/अनुमति के अनुसार रखा जाय। मार्जिनल इम्बैक्टमेंट के निर्माण के दौरान ऐतिहासिक इमारतें, संरक्षित वन क्षेत्र तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्र आने पर सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाय। भविष्य में यदि आप द्वारा 8 लेन का हाई-वे बनाया जाता है तो भारत सरकार की अधिसूचना सं0-एस0ओ0-1533 दिनांक 14-09-2006 के अनुसार ई0 आई0 ए0 करवाकर उसकी प्रति के साथ पर्यावरण क्लियरेंश हेतु सम्बन्धित अथारिटी को आवेदन कर क्लियरेंश प्राप्त किया जाय। जो उन्होंने मान्यवर, सुझाव दिया उसका अक्षरशः पालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो बातें कहीं, उसकी भी परमीशन ले करके कार्यवाही की जा रही है ? और मान्यवर, विभिन्न अवसरों पर काफी इस पर चर्चा भी हुई है, किसी भी स्तर पर मान्यवर, सरकार की यह चाहत है कि प्रदेश के हित के लिये जो परियोजना है वह प्रदेश के लिये किसी प्रकार से हानिकारक न साबित हो इसके लिये जो भी आवश्यक जरुरत होगी, उसे पूरी तरह से पूरा किया जायेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने यह बता दिया कि जो किसान प्रभावित होंगे उन विस्थापित किसानों की भूमि का मूल्य दिया जायेगा, नौकरी दी जायेगी तथा जो आवासीय योजनायें बनेंगी उनमें उन्हें प्लाट या जमीन दी जायेगी। यह सब अपनी जगह है, हम लोगों की जानकारी होती है कि जब किसी किसान की बहुत बड़ी जमीन होती है, तो या तो वह उसको बटाईदारी पर दे देता

है या फिर बहुत सारे मजदूरों के द्वारा वह उसमें खेती कराता है। आपने यह तो कह दिया कि जिसकी जमीनें होंगी हम उस जमीन का मूल्य अदा कर देंगे। सवाल यह है कि इतनी लम्बी तकरीबन चालीस हजार एकड़ जमीन आप बता रहे हैं, इस पर जब कृषि कार्य बन्द होगा तो इस पर जो बटाईदार या मजदूर काम किया करते थे, इन सारे लोगों को नियोजित करने के लिये सरकार ने क्या कोई मूल्यांकन कराया है, क्या कोई आंकलन किया है कि ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी रोजी-रोटी का अधिकार छीना जायेगा और इनके लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

बटाईदारी तो कोई दो महीने, कोई छः महीने और कोई साल भर के लिये लेता है इसका कैसे एसेसमेंट कराया जायेगा ?

श्रीमती कृष्णाराज-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी इस सड़क के बनने से जो पर्यावरण प्रदूषण होगा, इसी सन्दर्भ में मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो यह 6 लेन की सड़क बना रहे हैं नोएडा से बलिया तक, इन सड़कों पर जो वाहन दौड़ेंगे, उनका जो प्रदूषण होगा, कार्बन डाई आक्साइड, मोनो आक्साइड जो निकलेगा, जल का जो वाष्पन होगा, उसका जो दबाव पड़ेगा, उससे निपटने के लिये मा0 मंत्री जी क्या करेंगे ? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह बता तो आ चुकी थी, आप शायद लेट आयी हैं।

श्रीमती कृष्णाराज-

फिर भी एक बार मैं मा0 मंत्री जी से जवाब जानना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष-

जवाब आ चुका है, फिर भी आपका सुझाव भी इसमें सम्मिलित हो गया है।

श्री सुन्दर लाल लोधी-

मान्यवर, एक जिज्ञासा हुई कि मा0 मंत्री जी ने अभी ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बताया कि ऐतिहासिक इमारतों के लिये कोई योजना है। लेकिन हमारा उन्नाव इस सड़क से इस एक्सप्रेस-वे से सबसे ज्यादा प्रभावित है। मेरी समझ से उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा भूमि सबसे ज्यादा वृक्ष इसी में आ रहे हैं तो उन्होंने ऐतिहासिक इमारतों के बारे में क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया परन्तु जो निवासीय, आवासीय भवन हैं, जैसे कि एक हमारा पूरा शुक्लागंज है उसके 1300 मकान चिन्हित कर लिये गये हैं। 1300 मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को कहां

स्थानान्तरित करके ले जायेंगे। इसी तरह से हमारे जनपद उन्नाव का मैक्सिमम एरिया इसमें आ रहा है, वृक्षों के बारे में जो उन्होंने बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह तो समय ही बतायेगा, सिर्फ मेरी यही जिज्ञासा है कि जो आवासीय भवन हैं उनके लिये क्या योजना बनायेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पूरा उत्तर दे दिया और जो इससे सम्बन्धित है, चूंकि जो मा0 सदस्य ने सवाल किया था उसमें यह पूछा गया था कि क्या पूर्व से वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों व पर्यावरणविदों से कोई राय ली गई है, इसका मैंने जवाब दिया। अब वहां जमीन की कीमत या अन्य चीजें इससे सम्बन्धित नहीं हैं। यह केवल जिस स्थिति में था उसका जवाब हमने दे दिया। मान्यवर, इस विभाग का बजट भी आज आयेगा, उस समय जमीन के बारे में या कुछ और जो पूछेंगे, उसका मैं उत्तर दे दूंगा, यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

प्रदेश में 2007 फाइनेन्सियल वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश एवं स्थापित उद्योग सम्बन्धी जानकारी

*1-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वर्ष मार्च, 2004 से मार्च, 2007 तक औद्योगिक क्षेत्र में कितना पूंजी निवेश हुआ तथा इस काल में मुख्य रूप से कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये गये ?

श्री लालजी वर्मा-

मार्च, 2004 से मार्च, 2007 तक प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में वृहद एवं मध्य इकाइयों के अन्तर्गत कुल रु0 5555.30 करोड़ की पूंजी का निवेश हुआ है। उक्त अवधि के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित उद्योगों में चीनी उद्योग, इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, मिल्क प्रोडक्ट्स, रसायन उद्योग, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक उद्योग, खाद्य तेल, पेपर प्रोडक्ट, फ्लोर मिल तथा प्लास्टिक उद्योग आदि प्रमुख हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, छोटे-छोटे दो तीन प्रश्न करना चाहूंगा लेकिन करूंगा एक-एक करके ही। बहुत ही निराशाजनक स्थिति है, हमसे एक तिहाई, एक चौथाई प्रदेश हैं उनमें प्रतिवर्ष 10 से 15 हजार करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश हो रहा है और यहां 3 साल की फीगर आ रही है कि रु0 5555.30 करोड़ की। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पूंजी निवेश में कितना निवेश विदेशी है ? दूसरे, नोयडा, ग्रेटर नोयडा और गाजियाबाद को छोड़ करके बाकी उत्तर प्रदेश में कितना निवेश हुआ है ? मान्यवर, पहले यही बता दे कि जो आंकड़ा पूंजी निवेश का बताया है, उसमें विदेशी निवेश कितना शामिल हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सूचना कदाचित मेरे पास नहीं है लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 347 वृहद एवं मध्यम इकाईयां स्थापित हुई हैं जिसमें मैंने बताया कि इतने करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश हुआ है।

श्री हुकुम सिंह-

इसमें अनूपुरक तो होना ही था और आपने सुना दो लाइन लिख दिया कि 5555.30 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, इससे काम चलने वाला नहीं है तो क्या मेरी जिज्ञासा यह जानने की रह गयी है। मेरी जिज्ञासा यह है कि निवेश करने वाले कौन हैं ? वह आप नहीं बता पा रहे हैं। केवल 3 स्थान उत्तर प्रदेश में रह गये हैं जहां लोग आ रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, चलिये आगे बताइये कि औद्योगिक सेवा निवेश नीति, 2004 में बनी इसका आशय बनने का यह था कि जो प्रदेश के पिछड़े हुये क्षेत्र पूर्वान्चल और बुन्देलखण्ड हैं उन क्षेत्रों में प्रोत्साहन दे करके निवेश करने की बात थी। इस नीति के अन्तर्गत बता दीजिये कि जो समय है मैंने कार्यकाल भी स्पैसिफिक दिया, 2004 में नीति बनी इसलिये बनायी गयी कि हम पूंजीनिवेश को आकर्षित कर सकें और आकर्षित उनमें कर सकें जो पिछड़े हुये क्षेत्र हैं, पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड। इस नीति के अन्तर्गत इन दोनों क्षेत्रों में कितना पूंजीनिवेश हुआ है ?

श्री लालजी वर्मा-

मैंने तो बता दिया कि कितना पूंजीनिवेश हुआ है। इसीलिये सरकार ने निर्णय लिया कि 29 जून, 2007 को पुनः संशोधित करके पूंजीनिवेश के लिये और प्रोत्साहन योजनायें शुरू की जाय और इसलिये 2000 की नीति थी उसको संशोधित किया गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, मा0 हुकुम सिंह जी यह पूछ रहे हैं कि जो पूंजीनिवेश हुआ है, अगर आपके पास ब्रेक-अप हो बुन्देलखण्ड और पूर्वान्चल में पूंजीनिवेश हुई हो तो उसको तो बता दें ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस तरह का ब्रेकअप हमारे पास नहीं है। मैं हुकुम सिंह जी को सूचना दे दूंगा।

श्री हुकुम सिंह-

इनके पास कोई सूचना ही नहीं है, इतनी सहूलियत दी गयी कि स्टाम्प शुल्क में भी 50 प्रतिशत की छूट दी गयी और बाकी छूट तो अलग-अलग हैं ही। अगर छूट देने के बाद भी पूंजीनिवेश के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि मेरे प्रश्न को स्थगित

कर देंगे और मंत्री जी जानकारी करके आयेंगे और हमें पूछने का अवसर देंगे। दो सवाल मैंने किये अगर वह अनुपूरक के काबिल न हो तो आप उनको निरस्त कर दें, लेकिन अगर हैं, उस परिधि में आते हैं तो मुझको संरक्षण दें। पूंजीनिवेश के बारे में आपने बताया कि कुल 5555.30 करोड़ रुपया हुआ। मान्यवर, मेरी चिन्ता यह है कि छोटे-छोटे प्रदेशों में प्रतिवर्ष 10 से 15 हजार करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश हो रहा है। हमारे प्रदेश में तीन साल में केवल पांच हजार 555 करोड़ का निवेश हुआ है मैं यह जानकारी चाह रहा था कि इस निवेश में कितना निवेश बाहर का है। इसमें कितना पूंजी निवेश बुन्देलखण्ड में हुआ कितना पूर्वांचल में हुआ एक नीति बनी उसमें व्यक्तिगत छूट दी गई उसके बाद कितना पूंजीनिवेश हुआ यह जानकारी नहीं है ? जिन उद्योगों का इसमें आपने वर्णन किया है उन उद्योगों में चीनी उद्योग को छोड़कर चीनी उद्योग को विशेष रियायत सरकार ने दी थी इससे उसमें कुछ निवेश हुआ उसमें छूट किसने दी और आनन्द कोई और ले रहा है वह लेने वाले जाने। यहां लाने में चीनी नीति का ही बहुत योगदान है आप उसकी मलाई खाइये मैं जानकारी चाह रहा था कि चीनी उद्योग को छोड़कर बाकी जो आपने उद्योग बताये वह भी इस प्रोत्साहन नीति में शामिल थे उसमें कितना-कितना निवेश हुआ और किन-किन पर हुआ ?

श्री लालजी वर्मा-

मैं सदस्य को इसकी सूचना दे दूंगा इस समय मेरे पास सूचना नहीं है। जो सूचना है उसके आधार पर चीनी उद्योग को या अन्य उद्योग को इसमें लघु उद्योग की अपनी भूमिका है। लेकिन चीनी उद्योग में कितना और अन्य उद्योग में कितना है यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

आप उत्तर पढ़ लें इसमें लघु उद्योग नहीं है केवल मध्यम और वृहद उद्योग की मैं बात कर रहा हूं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है उसमें 10 प्रतिशत वृद्धि दर की बात कही है। 10 प्रतिशत वृद्धि दर के लिये सरकार ने अपने बजट में घोषणा की और कहा कि पांच लाख 17 हजार करोड़ का पूंजीनिवेश पांच वर्षों में किया जायेगा अभी तीन वर्षों के आंकड़े आपने दिये उसमें कुल मिलाकर पांच हजार करोड़ का पूंजीनिवेश हुआ लेकिन सरकार ने इसी सदन में वायदा किया है कि पांच वर्षों में पांच लाख 17 हजार करोड़ का निवेश कराया जायेगा यानी तीन साल में जितना हुआ है पांच साल में उसका 100 गुना पूंजीनिवेश कराया जायेगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतने बड़े पूंजीनिवेश के लिये कोई विशेष योजना बना ली गई होगी इतने बड़े पूंजीनिवेश के लिए वह कौन सी विशेष योजना बनाई गई है या सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिये आंकड़े दिये हैं इससे आपने जो आम जनता से वायदे किये हैं वह पूरे नहीं होंगे।

श्री लालजी वर्मा-

वर्तमान में सरकार पूंजीनिवेश के लिए पूरी तरह से जागरुक है और हमने जो पहले उत्तर दिया था उस सम्बन्ध में कहना है कि पूंजीनिवेश केवल प्रोत्साहन से नहीं बल्कि वातावरण से होता है। पिछले तीन वर्षों में जो प्रदेश का वातावरण था वह इस लायक नहीं था कि यहां पूंजीनिवेश होता इसलिए हमारी सरकार ने सबसे प्रमुखता से इस बात को सुनिश्चित किया है कि प्रदेश का वातावरण पूंजीनिवेश के लायक बने और कोई भी व्यक्ति पूंजीनिवेश तभी करेगा जब अपने को सुरक्षित महसूस करेगा इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नीति में संशोधन करने का भी काम किया है और अवस्थापना विभाग के नाम से अलग विभाग का गठन करने का काम किया है और साथ ही साथ प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण के लिए जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है वह अपराध नियंत्रण की है अगर लोग अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। तब ही वह पूंजीनिवेश करेंगे। इसलिये इस दिशा में भी सरकार पूरी तरह से सचेत है और उसके लिये कार्यवाही की जा रही है और इसमें कहीं से भी माननीय अग्रवाल जी को चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। जितना हमने संकल्प लिया है उससे ज्यादा प्रदेश में पूंजी का निवेश होगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाये जाने की कथित योजना की जानकारी

*2-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

कृषि विभाग में कृषि को उद्योग का दर्जा देने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनेकों जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने सम्बन्धी केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने सम्बन्धी जानकारी

*3-डा0 अजय तोमर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कश्यप, निषाद, बिन्द, चौहान, प्रजापति, नाई आदि जातियां जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक रूप से अत्यन्त पिछड़ी हैं, को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने हेतु क्या सरकार प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार के पत्र संख्या-2189/26-3-07-3(37)/90-टी0सी0, दिनांक 6-6-2007 द्वारा निषाद, मछुआ, केवट, मल्लाह, बिन्द, धीवर, धीमर, कश्यप, तुरहा, गौड़, माझी, गोडिया तथा नाई जाति एवं पत्र संख्या-2186/26-3-2007-3(10)/04-टी0 सी0-1, दिनांक 6-6-2007 द्वारा कुम्हार (प्रजापति) जाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने की संस्तुति निरस्त कर पूर्व की स्थिति कायम रखने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया। भारत सरकार के पत्र दिनांक 25-9-2007 द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार निरस्त कर दिया गया है।

नाई जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु कराये गये सर्वेक्षण अध्ययन में परम्परागत अस्पृश्यता न पाये जाने के कारण निर्धारित मान के पूर्ण नहीं पाया गया तथा चौहान जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

प्रदेश में पूंजी निवेश बढ़ाने हेतु शासन की नीति

*4-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूंजी निवेश बढ़ाने हेतु शासन ने क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं , तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कु0 मायावती)-

जी हां।

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 वर्तमान में लागू है, जिसके मुख्य लक्षित बिन्दु इस प्रकार है-

निवेशकर्ताओं के लिये प्रदेश को आकर्षक गन्तव्य राज्य बनाना।

राज्य के समस्त क्षेत्रों में पूंजी निवेश का लाभ पहुंचाना।

अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।

औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन।

सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन।

औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल कर व्यवस्था।

हस्तशिल्प क्षेत्र का समग्र विकास।

निर्यात को प्रोत्साहन।

पूंजी निवेश हेतु अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन।

औद्योगिक विकास के प्रति संवेदनशील प्रशासनिक तंत्र का निर्माण।

अवस्थापना परियोजनाओं के त्वरित औद्योगीकरण की दृष्टि से मूलभूत सुविधाओं को प्रदान किए जाने, वृहद परियोजनाओं को बढ़ावा देने एवं उनके समुचित अनुश्रवण हेतु राज्य सरकार द्वारा एक पृथक विभाग-''अवस्थापना विकास विभाग'' का गठन किया गया है साथ ही अवस्थापना के विकास के लिए पांच अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं भी निर्धारित की गई है यथा-कृषकों का सशक्तीकरण, ऊर्जा क्षेत्र का विकास, नगरीय पुनरूत्थान, उत्कृष्ट परिवहन व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क अवस्थापना है।

ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का ताज एक्सप्रेस-वे का प्लान बनाया गया है।

ग्रेटर नोएडा से बलिया तक गंगा एक्सप्रेस-वे का प्लान बनाया गया है।

नई दिल्ली को उ0 प्र0 के गाजियाबाद नगर से सीधे जोड़े जाने हेतु मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति दी गई है।

उ0 प्र0 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यातायात को आगरा (ताजमहल) से जोड़े जाने के उद्देश्य से ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रस्ताव तैयार किया गया।

इन्दिरा गांधी हवाई अड्डे से 72 कि0मी0 दूर जेवर को ताज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं एवियेशन हब परियोजना के लिए प्रस्तावित स्थल के रूप में तकनीकी दृष्टि से नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ठंड से मरने वालों की संख्या एवं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग

*5-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष ठंड के कारण प्रदेश में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुयी ? क्या सरकार मृतक आश्रितों को सरकारी सहायता प्रदान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रदेश में ठंड के कारण 07 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है।

जी हां।

शासनादेश संख्या-जी0 आई0-134/1-11-2007-46/97 दिनांक 31-07-2007 में दी गयी व्यवस्थानुसार ठंड से मृतक सभी 07 व्यक्तियों के वारिसों को एक-एक लाख रुपये की सहायता अनुग्रह अनुदान के रूप में प्रदान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

डी0 ए0 पी0 खाद से भूमि की उर्वरकता प्रभावित होने के कारण उसके स्थान पर जिप्सम खाद उपलब्ध कराने की मांग

*6-डा0 अनिल चौधरी-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि डी0 ए0 पी0 उर्वरक के अति प्रयोग से कृषि भूमि की उर्वरकता प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को डी0 ए0 पी0 के स्थान पर जिप्सम खाद उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायन-

जी हां। डी0ए0पी0 (ड्राई अमोनियम फास्फेट) अकार्बनिक रसायन है। रासायनिक उर्वरकों के अविवेकशील एवं अंधाधुंध असन्तुलित प्रयोग से कृषि भूमि की उर्वरता कुप्रभावित हो रही है। डी0ए0पी0 के अधिकाधिक प्रयोग को रोकने के लिए एवं संतुलित उर्वरक प्रयोग हेतु एन0पी0के0 मिश्रणों के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रयास जारी है।

डी0ए0पी0 उर्वरक का स्थानापन्न जिप्सम नहीं है और न ही जिप्सम खाद है अपितु जिप्सम एक मृदा सुधारक है। जिप्सम से मात्र द्वितीयक पोषक तत्व कैल्सियम तथा सल्फर की आपूर्ति फसलों को होती है जबकि डी0ए0पी0 से प्रमुख पोषक तत्वों नत्रजन एवं फासफोरस की आपूर्ति फसलों को होती है। अतः जिप्सम डी0ए0पी0 के स्थान पर प्रयुक्त किया जाना पौधों की वृद्धि के लिए उचित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना

*7-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य की ऊसर जमीन जो कृषि योग्य नहीं है, को जेट्रोफा के उत्पादन के योग्य बनाने हेतु कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है और क्या इससे राज्य के समस्त ऊसर बन्जर जमीनों को उपजाऊ बनाने एवं ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने में मदद मिलेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

उद्यान मंत्री (श्री नारायण सिंह)-

जी नहीं।

नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन गठित बायो इनर्जी मिशन सेल द्वारा इस सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है।

प्रकरण विचाराधीन होने के कारण सम्प्रति कोई विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का प्रकरण

*8-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

*9-श्री मदन भैया-

[दूसरे शुक्रवार के तारां0 प्र0सं0-18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया में पशुओं में फैल रही अनेकों बीमारियों की रोकथाम के उपाय

*10-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया में वर्तमान में खुरपका, मुँहपका बीमारियाँ व्यापक रूप से फैल रही हैं ? क्या यह सही है कि जिला स्तर पर दवाओं का काफी अभाव है तथा चिकित्सालयों में दवायें व टीकाकरण की कमी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पशु चिकित्सालयों में पशुओं के इलाज हेतु समुचित मात्रा में दवाओं आदि की व्यवस्था करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (श्री अवध पाल सिंह यादव)-

जी नहीं।

जी नहीं।

आय-व्ययक के प्राविधानों के सापेक्ष दवाओं एवं टीकों (वैक्सीन) की पर्याप्त व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीब एवं दलित वर्ग की पुत्रियों की शादी हेतु दी जाने वाली राशि बढ़ाये जाने की मांग

*11-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 के गरीब एवं दलित वर्ग की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान राशि बढ़ाने तथा पात्र लाभार्थियों को शादी अनुदान देने की कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

शादी से सम्बन्धित कन्या आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

विधवा/विकलांगों की पुत्रियों के विवाह हेतु साहयता राशि स्वीकृत किये जाने में प्राथमिकता दिये जाने की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीने में अप्रैल से सितम्बर तक कुल आवंटन का 60 प्रतिशत तथा अक्टूबर से मार्च की अवधि में 40 प्रतिशत धनराशि व्यय किये जाने की व्यवस्था है।

सहायता की स्वीकृति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा की जाती है जिसमें मुख्य विकास अधिकारी-उपाध्यक्ष, जनपद के समस्त मा0 सांसदगण अथवा उनके नामित प्रतिनिधि एवं समस्त मा0 विधायकगण अथवा उनके नामति प्रतिनिधि सदस्य तथा सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी-सदस्य सचिव होते हैं। उक्त समिति अपनी कार्य प्रणाली तय करने के लिये सक्षम हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत गरीब अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु प्रदान की जाने वाली रु0 10,000/- की आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना में प्रथमतः समस्त पात्र व्यक्तियों को आच्छादित किये जाने की नीति है। अभी मात्र बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये अनुदान राशि बढ़ाकर रु0 20,000/- किये जाने की घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी है। योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने की योजना निम्नवत् लागू है :-

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के व्यक्ति जिनकी वार्षिक आये ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19,884/- तथा शहरी क्षेत्र में 25,546/- प्रति वर्ष तक है, को पुत्रियों की शादी हेतु निर्धारित पात्रतानुसार रु0 10,000/- की सहायता अनुमन्य है।

प्रदेश के सभी वर्गों के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान की योजना एवं गत वर्ष इसमें आवंटित धनराशि का विवरण

*12-श्री जोखू लाल यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी वर्गों के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक अनुदान दिये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विगत वित्तीय वर्ष 2007-2008 में पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु कितनी धनराशि प्रदेश में आवंटित की गयी थी ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2008-2009 के बजट में उक्त धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग/पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की पुत्रियों की शादी के लिये जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19,884/- तथा शहरी क्षेत्र में रु0 25,546/- प्रति वर्ष तक है, को पुत्रियों की शादी हेतु निर्धारित पात्रतानुसार रु0 10,000/- की सहायता अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु रुपये 10.00 करोड़ का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रु0 5.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से रु0 4.75 करोड़ प्रदेश के सभी जनपदों को आवंटित किया जा चुका है।

वर्ष 2008-09 में पिछड़ी जाति के लिये उक्त योजना के अन्तर्गत रु0 20.00 करोड़ का आय व्ययक प्राविधान प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में गेहूं एवं धान की पैदावार बढ़ाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन मूल्य देने की कार्य योजना

*13-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गेहूँ व धान की पैदावार एवं बुआई में हो रही निरन्तर कमी को देखते हुये क्या सरकार कृषकों को धान के उत्पादन के लिये प्रोत्साहन एवं उचित मूल्य देने हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश में गेहूं एवं धान का उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्र पुरोनिधानित मैक्रो मैनेजमेंट आफ एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत धान फसल उत्पादन बढ़ाने की योजना वर्ष 2000-01 से लागू है। रबी 2007 में धान, गेहूं और दलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिये प्रदेश के कतिपय जनपदों में केन्द्र पुरोनिधानित फूड सिक्योरिटी मिशन योजना शुरू की गयी है।

प्रदेश में गेहूं व धान की पैदावार एवं बुवाई में निरन्तर कमी नहीं हो रही है। हां, किसी कृषि वर्ष विशेष में प्रदेश में मौसम के प्रतिकूल होने पर फसलों की पैदावार एवं बुआई प्रभावित होती है।

प्रदेश के कृषकों को फसल धान व गेहूं के साथ-साथ खरीफ व रबी मौसम के अन्य प्रमुख फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा गठित मूल्य परामर्शदात्री परिषद् द्वारा भारत सरकार को फसलों के सहायय मूल्य संस्तुत की जाती है ताकि भारत सरकार फसलों

के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते समय राज्य सरकार की संस्तुतियों को संज्ञान में लेते हुये फसलों के समर्थन मूल्यों की घोषणा करें।

प्रश्न नहीं उठता।

*14-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[3सरे शुक्र0 के ता0प्र0 सं0-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में उन्नत किस्म के गोवंश बढ़ाने की कार्य योजना

*15-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उन्नत किस्म के गोवंश बढ़ाने हेतु कोई कार्य योजना बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध पाल सिंह यादव-

जी हां।

विभाग द्वारा उन्नत किस्म के गोवंश बढ़ाने हेतु अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है।

वर्ष 2008-09 में नैसर्गिक अभिजनन के अन्तर्गत उत्तम नस्ल के गोवंश सांड़ों को भी पशुपालकों को निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

*16-श्री राजाराम त्यागी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में गोवंश हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध की मांग

*17-श्री सुनील शर्मा-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में गोवंश हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू है ? क्या यह सत्य है कि इसके बावजूद बड़ी संख्या में गोवंश हत्या हो रही है ? यदि हां, तो सरकार की गोवंश बचाने की क्या कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध पाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा गोवंश हत्या पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कश्यप, बिन्द व राजभर जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में समायोजित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को भेजे गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी

*18-श्री लालजी यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सरकार द्वारा कश्यप, बिन्द, राजभर आदि पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई दिशा-निर्देश प्राप्त हुये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से पुनः अनुरोध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 19-9-05 द्वारा प्रदेश सरकार को यह अवगत कराया गया कि रजिस्ट्रार जनरल आफ इण्डिया द्वारा प्रस्ताव को माना नहीं गया। अतः औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। प्रदेश सरकार के पत्र दिनांक 6-6-2007 द्वारा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने की संस्तुति/प्रस्ताव को निरस्त कर पूर्व की स्थिति कायम रखने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया। भारत सरकार के पत्र दिनांक 25-9-2007 द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी व फर्रुखाबाद में आलू पर आधारित उद्योग लगाने की मांग

*19-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मैनपुरी व फर्रुखाबाद में भारी मात्रा में आलू की पैदावार होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपदों में आलू पर आधारित उद्योग लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विभाग द्वारा स्वयं आलू पर आधारित कोई प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की योजना नहीं है। विभाग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों/निवेशकों को इकाई/उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

बुन्देलखण्ड में किसानों के कर्जों पर ब्याज माफी का निर्णय

*20-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में सूखे से पीड़ित किसानों द्वारा लिये गये कर्जों को चुकाने में असमर्थ होने के कारण उनके द्वारा लिये गये कर्ज तथा उस पर ब्याज को माफ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

बुन्देलखण्ड के किसानों द्वारा लिये गये ऋण एवं ऋणों पर ब्याज की माफी तथा भविष्य में लिये जाने वाले कृषि ऋण के ब्याज पर 04 प्रतिशत कर दर से सब्सिडी एवं नाबार्ड सहायतित स्कीमों में सुनिश्चित सब्सिडी आदि हेतु रुपये 2797 करोड़ का एक ऋण राहत पैकेज भारत सरकार को भेजा गया है।

बुन्देलखण्ड के सभी सातों जनपदों में सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के रुपये 50 हजार से कम के सभी ऋण पर बकाया ब्याज की धनराशि को माफ करने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत हरनाटायर में गत वर्षों में किये गये पट्टों पर दबंगों के कब्जे पर कार्यवाही की मांग

1-श्री राम बिशुन आजाद

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरनाटायर में वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में कितने पट्टे (कृषि, आवासीय, वृक्षारोपण) पट्टेदारों को किये गये ? क्या यह सही है कि पट्टेदारों की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरनाटायर में वर्ष 2005-06 में कृषि हेतु कुल 66 व्यक्तियों को 10.497 हे0 भूमि का पट्टा किया गया। इस अवधि में आवास एवं वृक्षारोपण हेतु पट्टा नहीं हुआ।

वर्ष 2006-07 में कृषि हेतु कुल 22 आवंटियों को 4.588 हे0 आवास हेतु कुल 35 आवंटियों को 0.392 हे0 भूमि का पट्टा किया गया। इस अवधि में वृक्षारोपण हेतु पट्टा नहीं हुआ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम अतरसण्ड में मत्स्य पालन हेतु स्वीकृत पट्टे के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

2-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में ग्राम अतरसण्ड में दिनांक 16-7-05 से 3-8-07 के मध्य कृषि भूमि वृक्षारोपण, मछली पालन, आवासीय प्रयोजन हेतु पट्टा कुल कितने बीघे का स्वीकृत किया गया है ? क्या स्वीकृत पट्टे के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या क-1/233584, दिनांक 21-8-07 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम अतरसण्ड में दिनांक 16-7-05 से 3-8-07 के मध्यम कृषि आवंटन में 19.172 हे0 (75-15-12 बीघा), मत्स्य पालन आवंटन 5.783 हे0 (22-17-0 बीघा) का पट्टा ग्राम सभा के प्रस्ताव पर स्वीकृत किया गया है। वृक्षारोपण एवं आवासीय प्रयोजन हेतु उक्त अवधि में कोई आवंटन स्वीकृत नहीं हुआ है।

जी हां।

प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र संख्या-क-1/233584, दिनांक 21-8-07 में उल्लिखित किया गया है कि क्रमांक 45, 60, 61, 62, 69, 82, 90, 92, 95, 96, 98, 100, 107, 108, 112, 114, 119, 122, 125 से 129, 131 से 141 तक कुल 34 व्यक्तियों को अलग रखा गया है। ग्राम अतरसण्ड की उक्त कृषि आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपर्युक्त 34 व्यक्ति अपात्र पाये गये थे, जिन्हें स्वीकृति दिनांक 27-07-07 के अन्तर्गत पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नायब तहसीलदार उन्नाव के न्यायालय में राम नाथ कपूर बनाम सरकार में पारित आदेश के सम्बन्ध में जानकारी

3-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालय सर्वे नायब तहसीलदार, उन्नाव के न्यायालय में वाद सं0-21 धारा कागजात दुरुस्ती मौजा वाजिदपुर उर्फ जाजमऊ, परगना व तहसील

व जनपद कानपुर नगर, राम नाथ कपूर बनाम सरकार में कोई आदेश दिनांक 13-7-90 को पारित किया गया और पत्रावली कानपुर नगर अभिलेखागार में 17 वर्ष बाद दिनांक 9-8-07 को दाखिल की गयी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ए0आर0ओ0 कार्यालय, उन्नाव के कर्मचारियों ने फर्जी आदेश लिखकर पत्रावली कानपुर अभिलेखागार में दाखिल की है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी नहीं। आदेश दिनांक 13-7-90 तत्कालीन सर्वे नायब तहसीलदार क्षेत्र कानपुर द्वारा पारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर के श्री राजनाथ सिंह द्वारा भूमि तालाब के खाते में दर्ज करने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

4-श्री लालजी यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजनाथ सिंह निवासी ग्राम व पो0 मेवपुर बरचौली, परगना अल्देमऊ, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-1-2007 को जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को दिया गया था जिसमें एस0डी0एम0, कादीपुर को ग्राम की गाटा संख्या 383 को निरस्त कर तालाब के खाते में दर्ज करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं। दिनांक 23-01-2007 को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में श्री राजनाथ सिंह द्वारा दिनांक 20-3-2007 को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सुल्तानपुर के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित है। इस प्रार्थना-पत्र पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 02-03-2007 को उप जिलाधिकारी कादीपुर को नियमानुसार तत्काल परीक्षण कर आख्या देने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण की जांच करके उप जिलाधिकारी कादीपुर द्वारा जिलाधिकारी सुल्तानपुर को आख्या दिनांकित 14-2-2008 प्रेषित की गयी है। जांच आख्या में यह पाया गया है कि तालाब पुरानी गाटा संख्या-1737 जिसकी नई गाटा संख्या-383 है, को दौरान चकबंदी आधार वर्ष खतौनी में जोखई आदि के नाम उक्त भूखण्ड संख्या-1737 में दर्ज क्षेत्रफल 0-3-0 विस्वा के स्थान पर 3-0-0 बीघा कर दिया गया है और तालाब के खाते में गाटा

संख्या-1737 से बने किसी नये नम्बर का अंकन अभिलेखों में नहीं किया गया है। गलत इन्द्राज को निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

काशी विश्वनाथ मन्दिर न्यास परिषद् के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति की मांग

5-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार के संज्ञान में है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद् के अध्यक्ष का पद तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद विगत कई वर्षों से रिक्त है जिससे व्यवस्था के सुचारु संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है ? क्या सरकार न्यास परिषद् में अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2003 को त्यागपत्र देने के कारण तथा दिनांक 27 जून, 2005 को मुख्य कार्यपालक का स्थानान्तरण हो जाने के कारण पद रिक्त है। शासन के आदेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2003 द्वारा आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी, पदेन सदस्य न्यास परिषद्, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को अग्रेतर व्यवस्था तक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद् के अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन करने हेतु अधिकृत किया गया है। आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को वर्तमान में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद का कार्य सम्पादित करने के आदेश दिये गए हैं, जिससे मन्दिर की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो रही है।

जी हां।

कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ व तहसील के प्राथमिक विद्यालय में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों में फर्जी नियुक्ति विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

6-श्री उदय भान करवरिया-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कला विकास खण्ड शंकरगढ़ व तहसील के प्राथमिक विद्यालय टिकरोही ग्राम सभा टिकरोही (इलाहाबाद) में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों में फर्जी नियुक्ति विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र एवं जिलाधिकारी के पत्र सं0 784/शि0लि0/आर0 सन्दर्भ/दिनांक 18-8-2007 की जांच हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी आई0सी0डी0एस0 इलाहाबाद के पृष्टांकन संख्या-2581-85, दिनांक 23-8-2007 द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी शंकरगढ़ को प्रकरण की जांच दो दिनों के अन्दर करके जांच आख्या

प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

शिकायतकर्ता के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, इलाहाबाद से आख्या प्राप्त हुयी है। जिलाधिकारी से भी आख्या प्राप्त की जा रही है। उनकी आख्या प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में गत वर्ष बाढ़ से प्रभावित पीड़ितों को इन्दिरा आवास योजना का लाभ

7-डा0 पी0 के0 राय-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तमकुही राज जनपद कुशीनगर में अगस्त, 2007 में आयी बाढ़ के प्रभाव से नागरिकों के घर गिर गये तथा धान, गन्ना की फसल बर्बाद हो गयी ? क्या बाढ़ पीड़ितों को महामाया आवास/इन्दिरा आवास आवंटन में प्राथमिकता के आधार पर देने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

तहसील तमकुही में विकास खण्ड सेवरही के बाढ़ से प्रभावित 09 ग्राम पंचायतों के कुल 354 लाभार्थियों को तथा विकास खण्ड दुदही के 03 ग्राम पंचायतों में कुल 179 लाभार्थियों को इन्दिरा आवास/महामाया आवास योजना के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर लाभान्वित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में गत वर्ष बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाये जाने की मांग

8-डा0 पी0 के0 राय-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तमकुही राज जनपद कुशीनगर में अगस्त, 2007 में आयी बाढ़ से प्रभावित लोगों को शासनादेशानुसार अहेतुक सहायता, घर गिराई, फसल मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कितनों को और वंचितों को कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

जी हां, बाढ़ से प्रभावित लोगों को अहेतुक मद में रुपये-91,75,000.00 गृह अनुदान मद में रु0 29,06,000.00 तथा कृषि निवेश मद में रुपये-98,94,000.00 की राहत सहायता वितरित की जा चुकी है।

बाढ़ से प्रभावित 9175 परिवारों को सहायता वितरित की जा चुकी है। सहायता पाने से अब कोई पात्र व्यक्ति वंचित नहीं है।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मया, पूरा में गत वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत के सम्बन्ध में जानकारी

9-श्री लल्लू सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अयोध्या, जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मया, पूरा में वर्ष 2005 से फरवरी, 2008 तक कितने लोगों की वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गयी तथा कितने लोगों ने आवेदन किया ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जनपद फैजाबाद में विधान सभा क्षेत्र अयोध्या के विकास खण्ड मया में वर्ष 2005 से फरवरी, 2008 तक 887 लोगों को एवं विकास खण्ड पूरा में वर्ष 2005 से फरवरी, 2008 तक 717 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई।

उक्त अवधि मे विकास खण्ड मया में 1071 लोगों ने एवं विकास खण्ड पूरा में 1038 लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन किया।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत अम्बरपुर की सीलिंग की भूमि पात्र व्यक्तियों को आवंटित कर कब्जा दिलाये जाने की मांग

10-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अम्बरपुर की कितने एकड़ भूमि 30-3-1995 को सीलिंग के खाते में अंकित की गयी थी तथा उसमें से कितने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को एवं पात्र व्यक्तियों को कृषि पट्टा किया गया था ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त जमीन पर अवैध कब्जे कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम पंचायत अम्बरपुर के राजस्व ग्राम अम्बरपुर में 146.62 एकड़ भूमि सीलिंग के खाते में 30-3-1995 को अंकित हुई है। इसका कुल 194 भूमिहीन खेतिहर मजदूरों एवं पात्र व्यक्तियों को कृषि पट्टा किया गया।

उक्त भूमि पर कुल 156 आवंटियों को 113.75 एकड़ भूमि पर कब्जा दिलाया गया, शेष 38 आवंटियों को 24.95 एकड़ भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या-1241/एम0एस0/98 नाथूराम आदि प्रति उ0 प्र0 सरकार में स्थगनादेश दिनांक 16-4-1999 के फलस्वरूप कब्जा नहीं दिलाया जा सका, जिस पर आवंटन के पूर्व काबिज व्यक्तियों का कब्जा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व परिषद् द्वारा गतवर्ष तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति के पश्चात तैनाती के आदेश

11-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि राजस्व परिषद् द्वारा वर्ष 2007-08 हेतु तहसीलदार पद की अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष नायब तहसीलदार एवं सहायक भूलेखा अधिकारी संवर्ग से माह जुलाई/अगस्त, 2007 में विभागीय अभ्यर्थियों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो इनकी तहसीलदार पद पर प्रोन्नति/नियुक्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

राजस्व परिषद के आदेश संख्या-11594/3-त0ना0त0-241/2007-08 दिनांक 03-12-2007 द्वारा अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत नायब तहसीलदार संवर्ग से 01 तथा सहायक भूलेख अधिकारी संवर्ग से 02 चयनित अभ्यर्थियों की तहसीलदार पद पर प्रोन्नति के उपरान्त तैनाती के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ के उप निदेशक श्री सैय्यद जरगाम हैदर जैदी के विरुद्ध गतवर्ष डुप्लीकेट मतपत्रों के मुद्रण में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

12-श्री राजेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ के उप निदेशक, श्री सैय्यद जरगाम हैदर जैदी को उ0 प्र0 नगर निकाय निर्वाचन वर्ष 2007 में डुप्लीकेट मतपत्रों के मुद्रण हेतु निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 द्वारा उत्तरदायी ठहराया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय निर्वाचन मतपत्र वर्ष 2007 में मुद्रित नहीं हुई थी बल्कि वर्ष 2006 में मुद्रित की गयी थी। डुप्लीकेट मतपत्रों के मुद्रण के सम्बन्ध में जांच करायी

गयी। श्री कृष्ण प्रसाद, उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रामपुर से प्राप्त प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में श्री सैय्यद जरगाम हैदर जैदी को दोषी नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के भूलेख कार्यालय कलेक्ट्रेट हरदोई में डी0 आर0 सी0 के पद पर तैनात कर्मियों को मूल विभाग भेजने विषयक अध्यक्ष, बार एसोसियेशन हरदोई के पत्र पर कार्यवाही की मांग

13-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, हरदोई का पत्र दिनांक 18-09-07 जो भूलेख कार्यालय कलेक्ट्रेट, हरदोई में अनियमित रूप से डी0 आर0 सी0 के पद पर 15 वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मियों को उनके मूल विभाग में वापस किये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 18-9-07 प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद-हरदोई में डी0 आर0 सी0 का पद स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के मेजर ध्यान चन्द्र स्टेडियम के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

14-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर मुख्यालय पर नवनिर्मित मेजर ध्यान चन्द्र स्टेडियम के अधूरे कार्य को पेड़ों की कटाई व विद्युत लाइन के कारण पूर्ण नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने पेड़ों की कटाई शेष है और विद्युत लाइन हटाने के लिये सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जनपद-सीतापुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पेड़ों की कटाई के कारण मात्र समतलीकरण एवं विद्युत लाइन हटाने का कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है।

स्टेडियम की भूमि में पड़ने वाले वृक्ष जिनको खेल हित में कटवाया जाना आवश्यक है, उन्हीं वृक्षों को नियमानुसार कटवाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। मात्र कटे पेड़ों की जड़ों को हटाये जाने का कार्य अवशेष था जिसे पूर्ण करा लिया गया है। खेल मैदान के ऊपर विद्युत लाइन हटाया जाना शेष है जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत को निदेशित कर दिया गया है।

प्रदेश में अप्रवासी भारतीय के निवेश हेतु प्राविधान

15-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के निवेश हेतु कोई कार्य योजना बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं, क्योंकि इस सम्बन्ध में पूर्व से ही औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 में प्राविधान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा अप्रवासी भारतीयों के निवेश हेतु पूर्व से ही औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 में अप्रवासी भारतीयों हेतु निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं :-

अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रदेश में पूंजी निवेश की असीम सम्भानाएं हैं। अपने उद्यमिता कौशल तथा योग्यताओं के कारण, उत्तर प्रदेश मूल के भारतीयों ने विश्व भर में ख्याति अर्जित की है, इन अनिवासी भारतीयों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु आकर्षक वातावरण सृजित किया जायेगा। उनके द्वारा निवेश को सरल बनाने के लिये व्यवस्थाओं तथा प्रक्रियाओं में यथावश्यक परिवर्तन किये जायेंगे।

ऊर्जा, सड़क, सेतु, अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास जैसे क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार सीधे पूंजी निवेश को बड़े पैमाने पर आकर्षित करेगी तथा ऐसी परिस्थितियां सृजित करेगी ताकि उत्तर प्रदेश, भारत का श्रेष्ठ निवेश-गन्तव्य बन सके।

उत्तर प्रदेश मूल के अनिवासी भारतीयों को प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करने के लिए आकर्षित किया जाएगा। यह निवेश भूमि विकास, अवस्थापना, खनन एवं सेवा क्षेत्र में आमंत्रित किया जायेगा। अनिवासी भारतीयों के प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जायेगा। इन समस्त प्रस्तावों को स्वीकृतियां प्रदान करने का कार्य "राज्य स्तरीय उद्योग बंधु" द्वारा किया जायेगा। अनिवासी भारतीयों को प्रदेश में निवेश की सम्भावनाओं तथा उपलब्ध परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के लिए "इन्टरनेट" पर उद्योगबंधु द्वारा एकीकृत "वेब साइट" स्थापित की गई है।

सूचनाएं तथा 'एस्कार्ट सेवाएं' उपलब्ध कराने के लिए एन0 आर0 आई0 आयुक्त

4.1-अनिवासी भारतीयों को प्रथम चरण की सूचनाएं उपलब्ध कराने, समन्वय प्रदान करने तथा एस्कार्ट सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य उत्तर प्रदेश निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा किया

जा रहा है। नई व्यवस्था के अन्तर्गत इस कार्यालय के प्रमुख को एन0 आर0 आई0 कमिश्नर नामित किया गया है।

4.2-इस सम्पूर्ण कार्य को सम्पन्न करने के लिए अनिवासी भारतीयों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा एवं उनसे सक्रियता से सम्पर्क करके प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अनिवासी भारतीयों के देश प्रेम की भावना को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें अपने गांव, कस्बे अथवा शहर की स्थानीय सामाजिक अवस्थापना के उच्चीकरण अथवा अन्य समाज-सेवा के कार्यों में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सीधे विदेशी पूंजी-निवेश

5.1-भारत में उत्तर प्रदेश को सीधे विदेशी पूंजी-निवेश का मुख्य गन्तव्य बनाया जाएगा। अन्य प्रचलित सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों के साथ ही बड़ी कम्पनियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अवस्थापना सुविधाएं विकसित कर सकें।

उपरोक्त के अतिरिक्त अप्रवासी भारतीयों से सम्बन्धित समस्त मामलों को व्यवहृत करने तथा व्यापार एवं निवेश में सकारात्मक भूमिका के निर्वहन हेतु अधिशासी निदेशक, उद्योगबंधु को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

उद्योगबन्धु द्वारा शासन की ओर से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में प्रति भाग करके एवं समस्त प्रवासी भारतीयों को प्रदेश में निवेश से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आयोजित प्रदर्शनी में स्टॉल लगाकर सूचना उपलब्ध करायी जाती है।

अप्रवासी भारतीयों द्वारा समय-समय पर चाही गई जानकारियों को भी उद्योगबन्धु द्वारा उपलब्ध कराया जाता है एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभाग से अनुश्रवण किया जाता है।

जनपद बांदा की तहसील बबेरू के ग्राम दफ्तरा में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा मुक्त कराने की मांग

16-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दफ्तरा, विकास खण्ड विसण्डा, तहसील बबेरू, जिला-बांदा के श्री रामशरन पटेल, ग्राम प्रधान द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना- पत्र दि0 26-05-07/28-5-07/1-06-07/14-06-07, 5-8-07 जो दबंगों द्वारा चकमार्ग/ग्राम सभा की आरक्षित भूमि, नाली आदि पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा चक मार्ग ग्राम सभा की आरक्षित भूमि/नालियों आदि को दबंगों से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बांदा की तहसील बबेरू, विकास खण्ड बिसण्डा के ग्राम दफ्तरा के श्री राम शरन पटेल, ग्राम प्रधान द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-5-07/28-5-07/ 1-6-07/14-6-07 तथा 5-8-07 बाबत सी0सी0 रोड निर्माण में अराजकतत्वों द्वारा अवरोध उत्पन्न करने सम्बन्धी प्राप्त हुआ है।

प्रकरण की जांच राजस्व निरीक्षक स्तर से करायी गयी। चकमार्ग भूमि एवं नाली का सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु टीम गठित की गयी। टीम द्वारा पुलिस बल व ग्राम प्रधान (शिकायती-पत्र) व अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में चकमार्ग सं0 100 एवं सामान्य आबादी की भूमि सं0 253 का सीमांकन कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

वर्तमान में चकमार्ग, नाली ग्राम समाज की आरक्षित भूमियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

जनपद बलिया में पशु चिकित्सालय की संख्या एवं स्टाफ की कमी को दूर करने के उपाय

17-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में कितने पशु चिकित्सालय वर्तमान समय में संचालित हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पशु चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों व अन्य स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कमी को पूरा करने हेतु कायवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद बलिया में वर्तमान में 50 पशु चिकित्सालय संचालित हैं।

पशु चिकित्साधिकारियों के केवल 25 पद रिक्त हैं तथा अन्य स्टाफ के 75 पद रिक्त हैं।

जी हां।

पशु चिकित्साधिकारी का पद लोक सेवा आयोग की परिधि का है। प्रदेश में वर्तमान में पशु चिकित्साधिकारियों के कुल 661 पद रिक्त हैं, जिनके सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद से 241 पशु चिकित्सा अधिकारियों के चयन की संस्तुतियां प्राप्त हो गई हैं। उक्त संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति से पूर्व चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण से सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रदेश में रिक्त पदों को दृष्टिगत अनुपातिक रूप से बलिया जनपद में पशु चिकित्सकों की तैनाती कर दी जायेगी। अन्य स्टाफ के रिक्त पदों पर कर्मियों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए यथासमय तैनाती की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के पशु चिकित्सालय में मानक के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती

18-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों व पशुधन अधिकारियों तथा स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त चिकित्सालयों में मानक के अनुसार चिकित्सकों तथा स्टाफ की तैनाती की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

पशु चिकित्साधिकारी का पद लोक सेवा आयोग की परिधि का है। प्रदेश में वर्तमान में पशु चिकित्साधिकारियों के कुल 661 पद रिक्त हैं, जिनके सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 इलाहाबाद से 241 पशु चिकित्सा अधिकारियों के चयन की संस्तुतियां प्राप्त हो गई हैं। उक्त संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति से पूर्व चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण से सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर अनुपातिक रूप से बलिया जनपद में पशुचिकित्सकों की तैनाती कर दी जायेगी। गैर चिकित्सक के रिक्त पदों पर कर्मियों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए यथासमय तैनाती की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में पिकप द्वारा उद्योग लगाने हेतु दिये गये ऋण एवं उसकी वसूली की कार्यवाही

19-श्री इमरान मसूद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 में जनपद बस्ती में पिकप द्वारा उद्योग लगाने हेतु किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना ऋण स्वीकार कर प्रदान किया गया ? उसमें से कितने व्यक्तियों द्वारा अभी तक ऋण वापस नहीं किया गया है ? ऐसे ऋणदाताओं से शासकीय धन की वसूली हेतु शासन द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

पिकप द्वारा जनपद बस्ती में वर्ष 1985 में केवल 1 इकाई मै0 लक्ष्मी पालीमर्स प्रा0 लि0 को रु0 45.00 लाख का सावधिक ऋण स्वीकृत किया गया था और इस ऋण के सापेक्ष रु0 44.60 लाख का ऋण वितरित किया गया। कम्पनी द्वारा पिकप के देयों के विरुद्ध डिफाल्ट किया गया तत्पश्चात् पिकप द्वारा इकाई की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण एस0एफ0सी0 ऐक्ट की धारा-29 के अन्तर्गत कर विक्रय किया जा चुका है। कम्पनी के गारण्टर्स के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 15-10-01 को जारी किया गया था एवं जिला प्रशासन, बस्ती को विगत में समय-समय पर गारन्टर्स की व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों से वसूली करने हेतु अनुरोध किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में गोड़ जति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने सम्बन्धी जानकारी

20-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोड़ जाति के लोगों को अनु0 जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण के आदेश संख्या-

330-सी0एम0/26-3-06-3/28/78, दिनांक 3-1-07 का अनुपालन जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में किया जा रहा है ? यदि हां, तो तहसील पट्टी के कितने लोगों को दिनांक 3-1-07 से अब तक गोड़ जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र ग-3/568205, दिनांक 8-8-07 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

दिनांक 3-1-07 से दिनांक 16-11-2007 तक एक अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र श्री शिवराम सुत राम दयाल ग्राम बरहूपुर पट्टी प्रतापगढ़ जाति गोंड क्रमांक-107 दिनांक 05-06-07 पर दर्ज रजिस्टर होकर निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से आख्या मांगी गयी है। आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में पट्टेदारों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित विवरण एवं स्थलीय सत्यापन कराये जाने की मांग

21-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 16-7-05 से 24-5-06 एवं 19-7-06 से 3-8-07 के मध्य पट्टेदारों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नक्शे, जो राजस्व परिषद् सहित अन्य अपेक्षित स्तरों पर भेजे गये हैं, उसके कागजी आंकड़ों का स्थलीय सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में दिनांक 16-7-05 से 24-5-06 एवं 19-7-06 से 3-8-07 के मध्य पट्टेदारों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित विवरण स्थलीय सत्यापन के उपरान्त ही प्रेषित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र सेवरही में ए0पी0 तटबन्ध टूटने से बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा उपलब्ध कराये जाने की मांग

22-डा0 पी0 के0 राय-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र-सेवरही, जनपद-कुशीनगर में ए0 पी0 तटबन्ध टूटने की वजह से अगस्त, 07 में कितने लोग, कितने दिन तक बाढ़ से प्रभावित रहे ? प्रभावित लोगों को क्या राहत प्रदान की गयी ? क्या मुआवजा सभी पात्रों को

उपलब्ध करा दिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

विधान सभा क्षेत्र सेवरही जनपद-कुशीनगर में ए0पी0 तटबन्ध टूटने की वजह से 35 ग्रामों में निवास करने वाले 9175 परिवारों के लोग प्रभावित हुए। बाढ़ लगभग 01 माह 15 दिन तक रही जिससे लोग प्रभावित रहे।

प्रभावित लोगों का राहत मद में अहेतुक सहायता के रूप में रुपये 91,75,000.00 गृह अनुदान मद में रु0 29,06,000.00 तथा कृषि निवेश मद में रुपये 98,94,000.00 की राहत सहायता प्रदान की गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तहसील दिवसों में सांसद/विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार एवं सौजन्यता बरतने का निर्देश

23-श्री उदयराज यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जन समस्याओं के निराकरण हेतु चलाये जा रहे तहसील दिवसों में सांसद/विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों के सम्मिलित होने पर क्या शासन द्वारा रोक लगायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या तहसील दिवस में भाग लेने पर सांसद/विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों के बैठने हेतु क्या कोई व्यवस्था की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

शासनादेश सं0-821/1-4-07-54बी-4/98, टीसी-11, दिनांक 20 मई, 2007 का उद्देश्य अधिकारियों द्वारा तहसील में जाकर जन समस्याओं का निस्तारण करना है। अतः उक्त शासनादेश के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक तथा तहसील स्तरीय अन्य विभागों के समस्त अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गयी है।

शासन द्वारा सार्वजनिक एवं अन्य अवसरों पर मा0 सांसद/विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार एवं सौजन्यता बरतने का निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछड़ी जातियों की गरीब कन्याओं के विवाह अनुदान अन्तर्गत गत वर्ष व्यय धनराशि का विवरण

24-श्री उदयराज यादव-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछड़ी जाति की गरीब लड़कियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने की योजना क्या समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 में पिछड़ी

जाति की गरीब लड़कियों की शादी हेतु अनुदान के रूप में कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अवधेश कुमार वर्मा-

जी नहीं।

पिछड़ी जाति के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने की योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में इस योजना के अन्तर्गत रु0 500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रदेश में आंगन बाड़ी कार्यकत्री पद से मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नति/चयन की कार्यवाही की मांग

25-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंगन बाड़ी कार्यकत्री पद से मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नति/चयन की कार्यवाही वर्ष 2006 से लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल चयनित अभ्यर्थियों की सूची निर्गत कर तैनाती कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी हां।

अभिलेखों का सत्यापन कराया जा रहा हैं एक माह में सूची निर्गत कर तैनाती कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड चिलकहर ग्राम अमताहापुर के सरल व मोती लाल का घर जलने से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता

26-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड चिलकहर अन्तर्गत ग्राम अमताहापुर, पो0 कुरेजी निवासी सरल व मोती लाल पुत्र सहतू के घर दिनांक 8-2-2007 की रात में आग लगने से जल कर राख हो गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों पीड़ित परिवार को एक-एक आवास व आर्थिक सहायता दिये जाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बलिया के विकास खण्ड चिलकहर अन्तर्गत ग्राम अमताहापुर, पो0 कुरेजी में दिनांक 8-2-2007 को नहीं, बल्कि दिनांक 19 जनवरी, 2007 को आग लगी जिसमें श्री सरल व श्री मोतीलाल पुत्र श्री सहतू का छप्पर जल गया था।

दोनों पीड़ित परिवार को अनुमन्य गृह अनुदान सहायता के रूप में प्रति पीड़ित को रु0 800.00-800.00 सहायता दिनांक 21 जनवरी, 2007 को उपलब्ध करायी गयी है तथा पात्रता के आधार पर इन्हें इंदिरा आवास भी उपलब्ध करा दिया गया है।

नियमानुसार सहायता उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा अतरसण्ड में कृषि योग्य भूमि के आवंटित पट्टों का सत्यापन कराये जाने की मांग

27-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में ग्राम सभा अतरसण्ड में 46 हे0 कृषि योग्य भूमि के पट्टे उप जिलाधिकारी द्वारा जनवरी, 2007 से 3 अगस्त, 2007 तक स्वीकृत किये गये हैं ? क्या स्वविवेक से भी कुछ पट्टे स्वीकृत हुए हैं ? यदि हां, तो क्या कुल लाभार्थियों की संख्या एवं पट्टा धारकों की पात्रता का सत्यापन कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में ग्राम सभा अतरसण्ड में जनवरी, 2007 से 3 अगस्त, 2007 तक कुल 19.172 हे0 भूमि का कृषि आवंटन उप जिलाधिकारी द्वारा किया गया है।

उक्त अवधि में स्वविवेक/स्वप्रेरणा से कोई कृषि भूमि का पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा मदाफरपुर एवं बेलसंडी में रिजर्व लैण्ड की भूमि का पट्टा स्वीकृत करने पर कार्यवाही की मांग

28-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा मदाफरपुर एवं बेलसंडी में कौन-कौन भूखण्ड रिजर्व लैण्ड के रूप में अभिलेखों में अंकित हैं ? उपरोक्त में किन-किन भूखण्डों का पट्टा 19-7-06 से 3-8-07 के मध्य कब स्वीकृत किया गया तथा उस पर कौन लोग काबिज हैं और क्यों ? क्या रिजर्व लैण्ड का भी पट्टा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम मदाफरपुर में रिजर्व लैण्ड के रूप में 81 गाटे अभिलेख में अंकित हैं जिसमें गाटा सं0 175, 184, 186, 218, 234, 309 ख,

311क, 370, 501च, 525, 408, 506, कुल 12 गाटे तालाब के रूप में तथा गाटा सं0 236, 238, 243, 448, 388 501 कुल 6 गाटे चारागाह के खाते में एवं नाली के खाते में 2 गाटे, रास्ते के खाते में 15, सड़क के खाते में 3 चकमार्ग के खाते मैं 28, स्कूल के खाते में 4, पंचायत घर के खाते में 1, खलिहान के खाते 1, धोबी घाट के खाते में 1, खाद गड्ढे के खाते में 6 व मरघट व मुर्दा मवेशी के खाते में 1-1 गाटा अभिलेखों में अंकित है।

ग्राम बेलसंडी में रिजर्व लैण्ड के रूप में कुल 75 गाटे अभिलेखों में अंकित हैं जिसमें अग्निशमन में 1 गाटा, नाला में 10, नाली में 8 चकमार्ग में 36, रास्ता में 3, भीटा में 3, खाद गड्ढ़ा में 3, कब्रिस्तान में 5, हड़ावर में 3 तथा मरघट के खाते में 3 गाटे अंकित हैं।

उपरोक्त दोनों ग्राम सभाओं में दिनांक 19-7-06 से 3-8-07 के मध्य किसी प्रकार का कोई आवंटन नहीं हुआ हैं उक्त अवधि के मध्य आवंटन न होने के कारण कब्जे का प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्त दोनों ग्राम सभाओं में उक्त अवधि में रिजर्व लैण्ड का कोई भी पट्टा स्वीकृत नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में धर्मार्थ बोर्ड के गठन की मांग

29-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में धर्मार्थ बोर्ड का गठन कर दिया गया है ? यदि हां, तो बोर्ड के सदस्य सन्तों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने निर्णय दिनांक 30-08-2007 में अन्य संस्तुतियों के अतिरिक्त धर्मार्थ बोर्ड के गठन का आदेश दिया था जिसके विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर हुई थी जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार करते हुए दिनांक 03 जनवरी, 2008 को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

30-श्री अनूप सण्डा-

[4थे बुधवार के अता0प्र0सं0-34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर कर्ण के ग्राम अचलगंज में कार्यरत कृषि रक्षा इकाई के प्रभारी के स्थानान्तरण की मांग

31-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर कर्ण के ग्राम अचलगंज में कार्यरत कृषि रक्षा इकाई केन्द्र के प्रभारी श्री डी0पी0 सिंह विगत 16 वर्षों से

एक ही जगह पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज बिछिया व सिकन्दरपुर कर्ण की ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने की मांग

32-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में ब्लाक नवाबगंज बिछिया व सिकन्दरपुर कर्ण में कितने हेक्टेयर ऊसर भूमि है ? क्या सरकार इस ऊसर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने हेतु ऊसर सुधार कार्यक्रम को गति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज में 527 हेक्टेयर, बिछिया में 1132 हेक्टेयर एवं सिकन्दरपुर करन में 1364 हेक्टेयर ऊसर भूमि है।

जी हां। वर्ष 2007-08 में किसान हित योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के लिए 100.00 हेक्टेयर ऊसर क्षेत्र के सुधार का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत 65.00 हेक्टेयर ऊसर क्षेत्र के सुधार का कार्यक्रम लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा में मण्डी समिति द्वारा गत वर्ष डामरीकरण हेतु प्रस्तावित सड़कों का निर्माण

33-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र हड़हा में मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2007 व 2008 में कौन-कौन सी सड़कें डामरीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी हैं ? क्या उक्त के सम्बन्ध में कोई सुझाव क्षेत्रीय विधायक से लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मण्डी समिति उन्नाव द्वारा लखनऊ कानपुर मार्ग से मास्टर होटल होते हुए ग्राम मलांव के मंदिर तक लम्बाई 1.45 किमी0 तथा चमरौली बिछिया मार्ग पर झुरिया खेड़ा होते हुए ग्राम मलांव तक लम्बाई 2.40 किमी0 लेपन स्तर तक निर्मित कराने का प्रस्ताव है।

जी नहीं।

मा0 जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्र/संस्तुतियां जिलाधिकारी के विचारार्थ भेज दी जाती हैं।

प्रदेश में चटरी/केसारी की बिक्री पर लगे प्रतिबन्ध को हटाये जाने की मांग

34-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि क्या चटरी (केसारी) फसल को उत्तर प्रदेश में प्रतिबन्धित कर दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि अन्य प्रदेशों में इसकी उपज/बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार बुन्देलखण्ड में 80 प्रतिशत चटरी की कृषि उपज एवं बिक्री कर से होने वाली राजस्व वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए चटरी को जिन्स घोषित कर उस पर लगाया प्रतिबन्ध हटाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

अन्य प्रदेशों में इसकी उपज/बिक्री के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चटरी/केसारी के उपयोग से जनसाधारण के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण लगाया गया प्रतिबन्ध हटाया जाना उचित नहीं है।

जनपद बदायूं में चल रही चकबन्दी प्रक्रिया एवं ग्राम समाज की खाली पड़ी भूमि के उपयोग सम्बन्धी जानकारी

35-श्री धर्मपाल यादव (डी0 पी0 यादव)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में चल रहा चकबन्दी का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा की खाली पड़ी भूमि का उपयोग किस रूप में किया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बदायूं में चल रही चकबन्दी का कार्य ग्रामवार तैयार की गयी कार्य योजना के अनुसार दिसम्बर, 2012 तक पूरा करने की कार्य योजना है।

चकबन्दी प्रक्रिया में सार्वजनिक उपयोग हेत सिद्धान्तों (यथा खलिहान, पशुचर आदि) में आरक्षित भूमि का उपयोग उसी मद में तथा चकबन्दी प्रक्रिया के उपरान्त ग्रामसभा की खाली पड़ी भूमि (नवीन परती) का उपयोग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत एवं गरीब व निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के हितार्थ जिलाधिकारी/तहसील स्तर से भूमि आवंटन (पट्टा) के रूप में किये जाने का प्राविधान है।

जनपद प्रतापगढ़ के उप जिलाधिकारी पट्टी द्वारा रिजर्व लैण्ड को खाता बना दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

36-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी पट्टी द्वारा दिनांक 16-7-05 से 3-8-07 के मध्य कितने तालाब, रिजर्व लैण्ड तथा ग्राम सभा की भूमि पर राजस्व अधिनियम की धारा 33/34 के अन्तर्गत किन व्यक्तियों के पक्ष में खाता बना दिया गया है ? क्या

यह कार्यवाही नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो क्या इसके दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में दिनांक 16-7-05 से 3-8-07 के मध्य तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा तालाब, रिजर्व लैण्ड तथा ग्राम सभा की भूमि पर किसी व्यक्ति के पक्ष में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33/34 के अन्तर्गत कोई खाता नहीं बनाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्र एवं उनमें मिलने वाली सामग्री के सम्बन्ध में जानकारी

37-श्री लालजी यादव-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि उक्त केन्द्रों पर मिलने वाली सामग्री मानक के अनुसार नहीं मिल रही है ? क्या ग्राम सभा तरछापार, अखोफ, कुन्डैल बहोरवां आदि गांवों में भी सामग्री नहीं मिल रही है और न ही सही मात्रा में बच्चों को दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर इसके दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

बाल विकास परियोजना सीयर जनपद बलिया में कुल 204 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं जिसमें 119 आंगनबाड़ी केन्द्र, विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत एवं 85 आंगनबाड़ी केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित है। उक्त सभी केन्द्रों पर मिलने वाली सामग्री मानक के अनुरूप मिल रही है।

ग्राम सभा तरछापार, अखोफ, कुन्डैल, बहोरवा आदि गांवों में भी सामग्री मिल रही है तथा सही मात्रा में बच्चों को दी जा रही है।

ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों को सामग्री का नियमानुसार वितरण किया जा रहा है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील शोहरतगढ़ के ग्राम वजहा में एस0एस0वी0 द्वारा किये गये अवैध कब्जे को खाली कराये जाने की मांग

38-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील-शोहरतगढ़ के ग्राम-वजहा में गाटा संख्या-713 के रकबा 1.8090 एकड़ पर एस0एस0वी0 द्वारा कब्जा करके

अपना कार्यालय व आवास बनाये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस जमीन को एस0एस0वी0 से मुक्त कराने की कृपा करेगी, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

काश्तकार एवं एस0एस0वी0 के मध्य मौखिक समझौता के आधार पर गाटा संख्या-713 रकबा 1.809 हे0 के मात्र 1.25 एकड़ में एस0एस0वी0 द्वारा कार्यालय एवं आवास बनाकर कब्जा किया गया है।

जी नहीं।

एस0एस0वी0 द्वारा भू-अर्जन के लिये रु0 7,50,560/-(सात लाख पचास हजार पांच सौ साठ रुपये) मात्र भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सिद्धार्थनगर को जमा करा दिया गया है। भूमि अर्जन की कार्यवाही भूमि अध्याप्ति कार्यालय में विचाराधीन है।

39-श्री सुन्दर लाल लोधी-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद गाजियाबाद में हैसियत प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु एन0एस0सी0 खरीदने की शर्त को समाप्त करने की मांग

40-श्री सुनील शर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद में हैसियत प्रमाण-पत्र जारी कराने हेतु हैसियत का 1% की एन0एस0सी0 खरीदने की कोई शर्त लागू की गई है ? यदि नहीं, तो गाजियाबाद जिलाधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु एन0एस0सी0 मांगने का आधार क्या है ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

राष्ट्रीय योजना हित में जनपद के लिये निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत जो स्वेच्छा से एन0एस0सी0 क्रय करना चाहता है, उससे क्रय करायी जाती है।

प्रदेश में किसानों को गेहूं का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने की योजना

41-श्री जोखू लाल यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को गेहूं की फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश के कृषकों को फसल गेहूं के साथ-साथ खरीफ व रबी मौसम के अन्य प्रमुख फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा गठित मूल्य परामर्शदात्री परिषद् द्वारा

भारत सरकार को फसलों के सहायय मूल्य संस्तुति की जाती है ताकि भारत सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते समय राज्य सरकार की संस्तुतियों को संज्ञान ले लेते हुए फसलों के समर्थन मूल्यों की घोषणा करें।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के उप निदेशक कृषि कार्यालय में स्वीकृत पदों के अनुसार नियुक्ति की मांग

42-श्री राजाराम त्यागी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद में स्थित उप निदेशक कृषि के कार्यालय में कृषि के प्रचार-प्रसार हेतु ए0 डी0 ओ0 एजी0, एस0 डी0 ओ0 एजी0 एस0 एम0 एस0, ए0ई0ओ0 तथा शीत स्टोर इंचार्ज के जिले में कितने पद स्वीकृत हैं तथा इसके सापेक्ष कितने अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त हैं ? शेष की नियुक्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

रायबरेली जनपद में स्थित उप कृषि निदेशक के कार्यालय में कृषि प्रचार-प्रसार हेतु स्वीकृत एवं कार्यरत पदों/कार्मिकों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	ए0डी0ओ0ए0जी0	22	02
2	सी0डी0ओ0ए0जी0	06	--
3	एस0एम0एस0	05	01
4	ए0ई0ओ0	22	02
5	सीड स्टोर इंचार्ज	पद समाप्त कर दिया गया है।	

नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के सरजू प्रसाद कन्या इण्टर कालेज में स्वीकृत पदों के अनुसार कर्मचारियों को तैनात करने की मांग

43-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के सरजू प्रसाद कन्या इण्टर कालेज, गोण्डा में स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास में कितनी छात्रायें वर्तमान में रह रही हैं ? क्या सृजित पदों के अनुसार उक्त छात्रावास में कर्मचारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद गोण्डा के सरजू प्रसाद कन्या इण्टर कालेज, गोण्डा में स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास में कोई भी छात्रा वर्तमान में नहीं रह रही है।

छात्रावास में सृजित पदों के सापेक्ष वर्तमान में उक्त छात्रावास में एक अधीक्षिका एवं एक चौकीदार तैनात है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बदायूं के निर्वाचन क्षेत्र सहसवान के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों के अनुसार डाक्टरों की तैनाती की मांग

44-श्री धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के सहसवान निर्वाचन क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों के पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपदों में वरिष्ठतम् बाल विकास परियोजना अधिकारी को जिला कार्यक्रम अधिकारी के अतिरिक्त कार्य को सम्पादित कराने की भांति जनपद सिद्धार्थनगर में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की मांग

45-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-3446/60-2-06-2/ 1(39)/95, दि0 15 सितम्बर, 2006 द्वारा जनपदों में वरिष्ठतम बाल विकास परियोजना अधिकारी को ही अपने कार्यों के साथ-साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी का भी कार्य अतिरिक्त रूप से सम्पादित किये जाने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जनपद सिद्धार्थनगर में उक्त शासनादेश का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या माननीय मंत्री जी शासनादेश का पालन न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी का कार्यभार मुख्य विकास अधिकारी को दिया गया है। शासनादेश दिनांक 26-12-07, 15-1-08, 6-2-08 एवं 19-2-08

द्वारा जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को जनपद में तैनात वरिष्ठतम् बाल विकास परियोजना अधिकारी को जिला कार्यक्रम अधिकारी का प्रभार दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त, बस्ती को उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आख्या उपलब्ध कराने के निदेश शासन के पत्र दिनांक 26-02-08 द्वारा प्रदान कर दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रावास एवं उनमें मदवार आवंटित धनराशि के व्यय का विवरण

46-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में अनुसूचित जाति के छात्रों एवं छात्राओं के लिए कितने छात्रावास कहां-कहां पर स्थित हैं ? वर्ष 2005 से दिसम्बर, 2007 तक शासन द्वारा छात्रावास के रख-रखाव हेतु कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा उक्त धनराशि किन-किन छात्रावासों में किन-किन मदों में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त समस्त कार्य केवल कागजों पर दिखाये गये हैं तथा अभी छात्रावास जर्जर अवस्था में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त छात्रावासों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

राजकीय अनुसूचित जाति निर्मित छात्रावासों की स्थिति निम्नवत् है :-

1-राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पुराना जेल रोड, गोण्डा।

2-रा0अनु0 छात्रावास बालक, नवीन जेल रोड, गोण्डा।

3-रा0अनु0जा0 छात्रावास बालक पुराना आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय परिसर बभनान गोण्डा।

4-रा0अनु0जा0 छात्रावास बालक नवीन आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय परिसर बभनान गोण्डा।

5-रा0अनु0जा0 छात्रावास बालक एम0डी0 बी0 सिंह इण्टर कालेज परिसर बेलसर गोण्डा।

6-रा0अनु0जा0 छात्रावास बालिका सरजू कन्या इण्टर कालेज परिसर गोण्डा।

जनपद गोण्डा में संचालित छात्रावासों के रख-रखाव हेतु वर्ष 2005-06 में रु0 189900.00 का आवंटन किया गया था जिसके सापेक्ष रु0 145551.00 का व्यय किया गया एवं रु0 44349.00 विभाग को समर्पित किया गया है।

वर्ष 2006-07 में जनपद गोण्डा को छात्रावासों के रख-रखाव हेतु रुपया 71500.00 का आवंटन किया गया था जिसके सापेक्ष रु0 47120.00 का व्यय किया गया एवं रु0 24380.00 विभाग को समर्पित किया गया है।

वर्ष 2007-08 में जनपद गोण्डा को छात्रावासों के रख-रखाव हेतु माह दिसम्बर, 2007 तक रुपया 116000.00 का आवंटन किया गया है जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2007 तक रु0 66148.00 का व्यय किया गया है। शेष धनराशि जनपद स्तर पर व्यय हेतु अवशेष है। वर्षवार/मदवार छात्रावास व व्यय विवरण संलग्न है।

जी नहीं।

उक्त सभी कार्य उनके मानक मदों के अनुसार कराये गये हैं। जनपद मुख्यालय पर स्थित रा0अनु0 जाति छा0 बालक एवं रा0अनु0जा0 छात्रावास बालिका सरजू प्रसाद कन्या इण्टर कालेज परिसर गोण्डा का भवन मरम्मत योग्य है।

मरम्मत कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 206-208 पर)

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा मदाफरपुर, अतरसण्ड में आरक्षित भूमि का विवरण

47-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा मदाफरपुर, अतरसण्ड में कुल आरक्षित भूमि, तालाब, चारागाह का विवरण क्या है ? वर्तमान में उक्त क्षेत्र में कितने पट्टों पर अवैध रूप से लोग काबिज हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अवैध कब्जे के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में ग्राम सभा मदाफरपुर में कुल 81 गाटे आरक्षित भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है जिनमें से 12 गाटे 3.1190 हे0 तालाब व 06 गाटे 4.5590 हे0 चारागाह के हैं। इसी प्रकार ग्राम अतरसण्ड में आरक्षित भूमि के रूप में कुल 413 गाटे राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं जिनमें से तालाब के 160 गाटे 57.3170 हे0 व चारागाह के 03 गाटे 1.1690 हे0 अंकित हैं।

उक्त ग्रामों में कोई व्यक्ति अवैध रूप से काबिज नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के कलेक्ट्रेट में रिक्त पद एवं उनको भरने के सम्बन्ध में जानकारी

48-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के कलेक्ट्रेट में वर्तमान में लिपिक व चतुर्थ श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मैनपुरी की कलेक्ट्रेट में वर्तमान में लिपिक के 06 पद व चतुर्थ श्रेणी के 34 पद रिक्त हैं।

वर्तमान में सामान्य श्रेणी के पदों पर भर्ती पर प्रतिबन्ध है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुदान योजनाओं में गत वर्ष आवंटित धनराशि एवं प्राप्त आवेदन-पत्रों के निस्तारण की जानकारी

49-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुदान योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है ? क्या अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

वित्तीय वर्ष 2007-08 में जनपद जालौन में समाज कल्याण विभाग द्वारा शादी/बीमारी, पारिवारिक लाभ अनुदान योजना, प्राइमरी पाठशालायें, प्राविधिक सिलाई कढ़ाई संस्थायें आदि योजनाओं में कुल रु0 266.61 लाख तथा स्वतः रोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना तथा शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना में कुल रु0 72.36 लाख अनुदान मद में आवंटित किया गया है।

उक्त योजनाओं में अनुदान हेतु प्राप्त कुल 4021 आवेदन पत्रों के सापेक्ष 2318 आवेदन-पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है। अवशेष आवेदन-पत्रों का निस्तारण की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में खेलकूद के प्रोत्साहन की योजना अन्तर्गत तहसील स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाये जाने की मांग

50-श्री जोखू लाल यादव-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल के युवाओं को खेलकूद में प्रोत्साहन हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि तहसील स्तर पर मिनी स्टेडियम/व्यायाम शाला खोले जाने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी हां।

प्रदेश के समस्त जनपदों में विकास खण्ड स्तर, मण्डल स्तर एवं प्रदेश स्तर पर 16 वर्ष से कम आयु के बालक-बालिकाओं की निर्धारित 10 खेलों यथा-आर्चरी कबड्डी, खो-खो, फुटबाल (केवल बालक), वालीबाल, वेटलिफ्टिंग, रस्साकसी (केवल बालक) एथलेटिक्स, हाकी, कुश्ती (केवल बालक) की 03 भागों में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न कराकर प्रदेश की टीम की राष्ट्रीय खेलों में सहभागिता सुनिश्चित कराई जाती है। इसके अतिरिक्त पुरुषों की निर्धारित खेलों यथा-एथलेटिक्स, कबड्डी, वालीबाल, भारोत्तोलन, कुश्ती, जिम्नास्टिक, शारीरिक सौष्ठव एवं विशिष्ट प्रदर्शन खुली खेलकूद, प्रतियोगिता विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर, मण्डल स्तर एवं प्रदेश स्तर पर कराई जाती है।

जी नहीं। सम्प्रति तहसील स्तर पर मिनी स्टेडियम/व्यायामशाला खोले जाने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव

51-श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के छात्र/छात्राओं हेतु स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक स्टेडियम बनवा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव/अनुरोध शासन को प्राप्त हुए हैं।

नये स्टेडियम के निर्माण हेतु विभाग के बजट में प्राविधान न होने के कारण सम्प्रति निर्माण सम्भव नहीं है।

प्रदेश में दुग्ध योजना के तहत दुधारू पशुओं के क्रय हेतु आसान ऋण की उपलब्धता पर विचार

52-श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के खेतिहर मजदूर व छोटे किसानों को श्वेत-क्रांति (दुग्ध योजना) के तहत को-आपरेटिव स्तर पर दूध देने वाले पशुओं के क्रय हेतु क्या सरकार आसान ऋण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त ऋण सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

श्वेत क्रान्ति (दुग्ध योजना) के नाम से कोई योजना अभी तक स्वीकृत नहीं है। डा0 अम्बेडकर दुग्ध स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दुधारू पशु क्रय कराये जाने की योजना विचाराधीन है।

परियोजना की स्वीकृति तथा बजट की उपलब्धता के पश्चात् परियोजना का क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में किशोरी योजना के अन्तर्गत दिये गये प्रशिक्षण का सत्यापन कराये जाने के आदेश

53-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष अप्रैल, 2005 से 31 दिसम्बर, 2007 तक किशोरी योजना के अन्तर्गत किन-किन विकास खण्डों में कितनी किशोरियों को किन-किन व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया गया ? क्या सरकार अभिलेखों में दर्ज प्रशिक्षित किशोरियों का सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां प्रशिक्षण कराया गया।

प्रशिक्षण अवधि कब से कब तक	चयनित वि0खं0 की संख्या	प्रशिक्षण हेतु चयनित व्यवसाय	लाभान्वित किशोरियों की संख्या
अप्रैल, 05 से मार्च, 06 तक	जनपद के समस्त विकास खण्ड	सिलाई कढ़ाई आदि	60 किशोरी x 16 ब्लाक = 960 किशोरियों को
अप्रैल, 06 से मार्च, 07 तक	तदैव	तदैव	30 किशोरी x 16 ब्लाक = 480 किशोरियों को

प्रशिक्षण अवधि कब से कब तक	चयनित वि0खं0 की संख्या	प्रशिक्षण हेतु चयनित व्यवसाय	लाभान्वित किशोरियों की संख्या
अप्रैल, 07 से 31 दिसम्बर 07 तक	तदैव	तदैव	60 किशोरी x 16 ब्लाक = 960 किशोरियों को

सत्यापन के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मुस्लिम समाज की कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के सम्बन्ध में जानकारी

54-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 में मुस्लिम समाज के धोबी, बेहना, नउदाफ, कबड़िया आदि जाति के लोगों का कार्य व स्तर अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0 द्वारा इन जातियों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण अध्ययन नहीं किया गया है। अतः यह कहना कि उनका कार्य व स्तर अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में तालाबों को पूर्ववत् बहाल किये जाने के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन सम्बन्धी जानकारी

55-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तालाबों को पूर्ववत् बहाल किये जाने हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के उप जिलाधिकारी द्वारा वर्ष जुलाई, 2005 से 3 अगस्त, 2007 तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में वर्ष जुलाई, 2005 से 3 अगस्त, 2007 तक की अवधि में तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तालाब कुल 4062/1757.163 हे0 में से 215/57.051 हे0 में अवैध कब्जा पाया गया था, जिसमें से 127/39.948 हे0 से अवैध कब्जा हटवाया गया है। शेष 87/17 103 हे0 में स्थायी निर्माण (आबादी) है। स्थायी निर्माण वाले अवैध कब्जों को हटवाने के सम्बन्ध में कार्यवाही टीम बनाकर निरन्तर की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

56-डा0 अनिल चौधरी-

[2सरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर में तहसील भवन के निर्माण में गत वर्ष स्वीकृत व्यय धनराशि का विवरण

57-श्री जोखू लाल यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के फूलपुर तहसील में तहसील भवन निर्माणाधीन है ? उक्त तहसील भवन के निर्माण हेतु शासन से वर्ष 2007-08 तक कितनी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? उसमें से अब तक कितनी धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ? उक्त कार्य किस कार्यदायी संस्था से कराया जा रहा है ? उक्त भवन का सम्पूर्ण निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

शासनादेश संख्या-10/1-5-2007-39/2006, दिनांक 10 जनवरी, 2007 के द्वारा प्रश्नगत तहसील भवन के निर्माण हेतु रुपये 25.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

रुपये 25.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

उक्त कार्य उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 से कराया जा रहा है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय स्थलों को उप मण्डी घोषित करने की मांग

58-श्री जोखू लाल यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद-इलाहाबाद के मियां का पुरा, जंघई, सैदाबाद, सोरांव, शिवगढ़ आदि को मण्डी अथवा उप मण्डी घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं, क्योंकि मियां का पुरा उपमण्डी हण्डिया, जंघई, सैदाबाद उप मण्डी फूलपुर, सोरांव व शिवगढ़ उपमण्डी सेवइत के अन्तर्गत है। अतः इन्हें पृथक से उपमण्डी घोषित करने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में बरना नदी के जल भराव से प्रभावित कृषकों की कृषि योग्य भूमि के सुधार करने की मांग

59-श्री जोखू लाल यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत स्थानीय बरना नदी के जल भराव के कारण प्रभावित क्षेत्रों की हजारों एकड़ भूमि कृषि योग्य नहीं रह गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार की उक्त प्रभावित भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब से लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में जानकारी

60-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि गोड़, धुरिया, नायक जाति के लोगों को तहसील-पट्टी प्रतापगढ़ में अनु0 जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार तहसीलदार तथा अन्य के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में अनेकों खेलों में युवाओं की रुचि पैदा करने हेतु सरकारी योजना की जानकारी

61-श्री जोखू लाल यादव-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कबड्डी, लम्बी दौड़, ऊंची कूद, कुश्ती, फुटबाल, वालीबाल आदि खेलों में युवाओं की रुचि पैदा करने के लिए क्या सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी हां।

प्रदेश में विभिन्न खेलों तथा खिलाड़ियों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु कबड्डी, एथलेटिक्स जिसमें कूद-दौड़ भी सम्मिलित है, कुश्ती, फुटबाल, वालीबाल आदि खेलों के लिए विभाग के 118 नियमित एवं आवश्यकतानुसार मानदेय प्रशिक्षकों द्वारा जनपद में स्थित क्रीड़ा केन्द्रों पर प्रशिक्षण शिविर संचालित किये जाते हैं। वर्ष 2007-08 में 206 अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षण शिविर संचालित किये जा रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सम्भावनाशील प्रतिभाओं को चिन्हित कर विभाग के आवासीय छात्रावासों एवं 02 स्पोर्ट्स कालेज में रखकर निःशुल्क आवास शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा चिन्हित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। साथ ही इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग हेतु तैयारी के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है और खिलाड़ियों को आने-जाने का किराया किट एवं शिविर के दौरान आवास भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को निरन्तर उत्कृष्ट श्रेणी की उपलब्धियों के आधार पर महिला एवं पुरुष वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई/लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

खेलों में युवाओं की रुचि पैदा करने के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर, मण्डल स्तर एवं प्रदेश स्तर पर 16 वर्ष से कम आयु के बालक-बालिकाओं की निर्धारित 10 खेलों यथा-आचेरी, कबड्डी, खो-खो, फुटबाल, (केवल बालक), वालीबाल, वेटलिफ्टिंग, रस्साकसी, (केवल बालक), एथलेटिक्स (लम्बी दौड़ एवं ऊंची कूद आदि) हॉकी, कुश्ती (केवल बालक) की 03 भागों में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न कराकर प्रदेश की टीम की राष्ट्रीय खेलों में सहभागिता सुनिश्चित कराई जाती है। इसके अतिरिक्त पुरुषों की निर्धारित खेलों यथा-एथलेटिक्स, कबड्डी, वालीबाल, भारोत्तोलन, कुश्ती, जिम्नास्टिक, शारीरिक सौष्टव एवं विशिष्ट प्रदर्शन खुली खेलकूद प्रतियोगिता विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर, मण्डल स्तर एवं प्रदेश स्तर पर कराई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की तहसील सिकन्दराराऊ के तहसीलदार विजय कुमार छत्रपति के विरुद्ध जमीनों की हेरा-फेरी की जांच

62-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर में तैनात तत्कालीन तहसीलदार विजय कुमार छत्रपति के खिलाफ जमीनों की हेराफेरी भ्रष्टाचार की जांच कब तक पूर्ण कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील-सिकन्दरारऊ जनपद-महामायानगर में तैनात तत्कालीन तहसीलदार श्री विजय कुमार छत्रपति के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच दिनांक 12 जुलाई, 2007 को पूर्ण कराई जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

63-श्री यशपाल सिंह चौहान-

[2सरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-131 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

64-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[4थे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर की के0एन0आई0टी0 में कैम्पस वाइड नेट वर्किंग के टेण्डर में कतिपय अनियमितताओं की जांच पूर्ण करने सम्बन्धी जानकारी

65-श्री सुखलाल-

विधान सभा के तृतीय सत्र 2007 के प्रथम गुरुवार को श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर के संदर्भ में क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त प्रकरण की जांच पूर्ण करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सदल प्रसाद)-

जी नहीं।

जांच कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद बागपत की तहसील बड़ौत के ब्लाक बागपत में यमुना नदी से भूमि के कटान का मुआवजा दिलाये जाने का कथित प्रकरण

66-डा0 अजय तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत की तहसील बड़ौत के ब्लाक छपरौली तथा तहसील बागपत के ब्लाक बागपत में पिछले तीन वर्षों में यमुना नदी से जिन किसानों की भूमि का कटान हो गया है, क्या सरकार उन्हें मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बागपत की तहसील बड़ौत के ब्लाक छपरौली तथा तहसील बागपत के ब्लाक बागपत के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में यमुना नदी से किसी भी किसान की भूमि का कटान नहीं हुआ है। चूंकि भूमि का कटान नहीं हुआ है, अतएव मुआवजा दिये जाने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुयी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के ब्लाक छपरौली व बागपत में यमुना नदी की बाढ़ से हुये नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

67-डा0 अजय तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ब्लाक छपरौली व बागपत में यमुना नदी में वर्ष 2007 में बाढ़ आने से फसलों का नुकसान हुआ है ? क्या सरकार यमुना नदी की बाढ़ से हुई फसलों के नुकसान का मुआवजा किसानों को देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बागपत में वर्ष 2007 में कोई बाढ़ नहीं आने के कारण फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

चूंकि फसलों की कोई क्षति नहीं हुयी है, अतएव मुआवजा दिये जाने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुयी।

प्रश्न नहीं उठता।

वन क्षेत्रों में पुश्त दर पुश्त रहने वाली जातियों को वन विभाग द्वारा मिलकर कार्य किये जाने के अधिकार

68-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 में वन क्षेत्र में पुश्त दर पुश्त रहने वाले जनजातियों, अनु0 जातियों, पिछड़े तथा सामान्य वर्ग के भूमिहीनों को क्या वन सम्पदा, वन उत्पादन व भूमि में कोई अधिकार दिये गये हैं ? यदि हां, तो वह उ0 प्र0 में कब तक प्रदान किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अध्याय-3 में वन क्षेत्र में पुश्त दर पुश्त निवासरत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन क्षेत्रों की भूमि पर वन सम्पदा, वन उत्पादन, वन विभाग तथा उक्त समुदायों द्वारा मिलकर कार्य करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। उक्त समुदायों को वन विभाग की भूमि पर कार्य करने के फलस्वरूप इन्हें भूमि स्वामित्व के रूप में अधिकृत नहीं किया गया है बल्कि इन्हें "निस्तार" नाम से जाना जाता है।

वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 तथा भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 31-12-2007 के अनुसार अधिसूचना की तिथि से प्रदत्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के उप जिलाधिकारी, पट्टी द्वारा भ्रमण, रात्रि विश्राम एवं फसली पड़ताल का विवरण उपलब्ध कराये जाने की मांग

69-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी, पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 16-7-05 से 3-8-07 तक ग्रामों में कब-कब शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन भ्रमण एवं रात्रि विश्राम किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में किये गये प्रत्येक ग्राम के फसली पड़ताल का विवरण क्या है ?

श्री फागू चौहान-

उप जिलाधिकारी पट्टी द्वारा प्रश्नगत अवधि में विभिन्न तिथियों में शीतकालीन भ्रमण/रात्रि विश्राम किये गये कुल 49 ग्रामों का विस्तृत विवरण संलग्न है। (ग्रीष्म कालीन भ्रमण किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।)

भ्रमण के दौरान शासन के निदेशानुसार पड़ताल कार्य एवं अन्य बिन्दुओं पर कार्यवाही सम्पादित कराई गई। तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा किये गये भ्रमण की कोई निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध न होने के कारण ग्रामवार फसली पड़ताल का विवरण उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 209-211 पर।)

जनपद इलाहाबाद में भयंकर भूमि घोटालों के कारण जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनीवल मिशन के अन्तर्गत गरीबों की भवन निर्माण योजना असफल होने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

70-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का इलाहाबाद जनपद में हो रहे भयंकर भूमि घोटालों के कारण जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनीबल मिशन के अन्तर्गत गरीबों का भवन निर्माण योजना असफल होने सम्बन्धी मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम/166920/2007 दिनांकित 4-8-2007 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित भूमि घोटाले प्रविष्टियों से सम्बन्धित है। भूमि राजकीय आस्थान की है या नजूल की, इस पर शीघ्र निर्णय होने के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर में गत वर्ष आई0टी0आई0 में प्रवेश दिये गये लोगों एवं उनकी योग्यताओं के विवरण की जांच

71-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08 में शाहजहांपुर में आई0टी0आई0 में कितने लोगों को प्रवेश दिया गया, इसमें से कितने ऐसे हैं जो बिना प्रवेश परीक्षा पास किये हुये भर्ती किये गये ? क्या सरकार उनके नाम बतायेगी ? क्या सरकार को जानकारी है कि जो लोग बिना प्रवेश परीक्षा पास किये प्रवेश पाये हैं उनकी योग्यता क्या है तथा इनको किस आधार पर अयोग्य होने के बाद प्रवेश दिया गया ? क्या जनहित में इस प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शाहजहांपुर में वर्ष 2007-08 में 299 लोगों को प्रवेश दिया गया।

प्रवेश परीक्षा परिणाम योग्यता क्रम में होते है इसलिए फेल एवं पास होने के आधार पर प्रवेश नहीं होते हैं।

उपरोक्त 'ख' में स्पष्ट है।

संस्थान में बिना प्रवेश परीक्षा सम्मिलित हुए प्रवेश नहीं पाये। अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये व्यवसाय विकल्पों के आधार पर एवं व्यवसाय में वांछित योग्यता शैक्षिक योग्यता के आधार पर यदि स्थान रिक्त हुए तो प्रवेश दिये गये। किसी भी अयोग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया।

इस पर उक्त स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। अतः जांच/कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अमर शहीद श्री चन्द्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दिये जाने का प्रकरण उठाने का प्रयास

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री राम विशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, जिन क्रांतिकारियों की शहादत के बदौलत हम लोग आज विधान सभा में बैठे हैं। मान्यवर, उनमें से महान क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद का कल बलिदान दिवस था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे महान सपूतों के लिये सरकार ने श्रद्धा भी अर्पित नहीं की। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार उनका सम्मान करने के लिये जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिये शहादत दी है जिसमें चन्द्र शेखर आजाद जी थे, कम से कम उनके प्रति श्रद्धा सुमन तो अर्पित करा दिये जायं।

सत्रकाल के समय जनपदों की समितियों की बैठकें न बुलाये जाने के शासनादेश के बावजूद कुशीनगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा शादियों हेतु अनुदान वितरित करने के सम्बन्ध में बैठक बुलाये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

(डा0 पी0के0 राय के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

राय साहब आपकी क्या व्यवस्था है ?

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, यहां बार-बार चर्चा होती है जब सदन चल रहा हो तो उन समितियों की बैठक न हो जिसमें विधायक उसके सदस्य हैं। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज जनपद कुशीनगर में समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक बैठक आहूत की गई है जिसमें शादियों के अनुदान के सम्बन्ध में बैठक बुलाई गई है। मान्यवर, जब कि यह जानकारी में है कि आजकल विधान सभा का सत्र चल रहा है। मान्यवर, बार-बार निर्देश देने के बाद भी उनका अनुपालन नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

वह बैठक निरस्त करा दी गई है।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, आपसे निवेदन है कि बार-बार लिखकर देना पड़ता है तो कहीं न कहीं ऐसे अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप दिखवा लें वैसे तो बैठक निरस्त कर दी गई है लेकिन भविष्य में इस तरह से न हो।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैंने कल ही कह दिया कि जहां भी इस तरह की बैठक होगी पूरे प्रदेश में जिसमें माननीय विधायक सदस्य हों उन सारी बैठकों को निरस्त कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आज बैठक थी, आज ही निरस्त करवाई है।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, कह तो दिया जाता है लेकिन होता नहीं है। इस ओर ध्यान आकृष्ट कराने की बात है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 फरवरी, 2008 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं :--

1	डा0 रघुनाथ प्रसाद शंखवार	की	जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में स्मैक का धन्धा बड़े पैमाने पर संचालित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2	श्री आरिफ अनवर हाशमी	की	जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा) में सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में।
3	श्री विशनपर प्रसाद निषाद	की	जनपद बांदा के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में।
4	श्री अवस्थी बाला प्रसाद	की	मण्डी परिषद् द्वारा बनाई गई सड़कों को ठीक कराने तथा जिलाधिकारी खीरी द्वारा जांच कराने के सम्बन्ध में।
5	श्री यशपाल सिंह चौहान	की	जनपद महामायानगर के ग्राम बसई निवासी भूदेव पुत्र खवरे सिंह को तहसील के कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने से उसकी मृत्यु के फलस्वरूप प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में।
6	डा0 राजेन्द्र सिंह	की	आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के विकास खण्ड शमशाबाद में आगरा-शमशाबाद रोड से पावसर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री सूरज सिंह शाक्य	की	जनपद एटा के परियोजना निदेशक द्वारा विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों में जानबूझ कर की गई विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8	श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव	की	वाराणसी कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत रोहनियां बाजार की विद्युत व्यवस्था ग्रामीण के स्थान पर नगरीय कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	की	जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा और सोहरतगढ़ के बीच स्थाई सीमांकन करवाकर पत्थर लगवाये जाने के सम्बन्ध में।
10	डा0 अनिल चौधरी	की	जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद से होकर बहने वाली करबन नदी की सफाई कराने एवं किनारे पर सघन वृक्षारोपण कराकर चेकडैम बनवाने के सम्बन्ध में।
11	श्री इमरान मसूद	की	जनपद सहारनपुर में पिलखनी डिस्टलरी के द्वारा क्षेत्र के 30 ग्रामों का पानी प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
12	श्री आलोक कुमार शाक्य	की	राज्य सम्पत्ति विभाग में विगत 20 वर्षों से तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में।
13	डा0 पी0 के0 राय	की	जनपद कुशीनगर के सेवरही नगर पंचायत में 16-18 घण्टे विद्युत की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में तथा
14	श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह	की	जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत कप्तानगंज नवनिर्मित तहसील बनने सम्बन्धी पड़े अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

1-श्री जोखू लाल यादव तथा श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह की सूचना अस्वीकार की गई है।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में स्मैक का धन्धा बड़े पैमाने पर संचालित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रघुनाथ प्रसाद शंखवार-

[आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र भोगनीपुर के अन्तर्गत कस्बा अमरौधा व ग्राम उदईपुर आदि ग्रामों में बड़े पैमाने पर स्मैक का धंधा संचालित हो

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहा है। इससे पुखरायां कस्बा और ग्राम परेहरापुर, अहरौली आदि अनेक ग्रामों में युवा पीढ़ी शिकार हो चुकी है। कई बार शिकायत पर भी इन अड्डों या कारोबारियों की रोकथाम की जांच व कार्यवाही नहीं हुई है। अतः जांच तथा इन अड्डों पर कारोबार में लिप्त व्यक्तियों पर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा) में सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति गम्भीर एवं लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा) के अन्तर्गत आये सरकारी धन लगभग 25 लाख रुपये सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख तथा अन्य कई लोगों ने मिलीभगत करके उक्त धन को गौरा चौकी बाजार में गड्ढा खोदकर घटिया किस्म की ह्यूम पाइप गड्ढे में डालकर बाहरी ठेकेदार के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग कर लिया गया है। जब कोई नाला या सीवर बनाया जाता है तो उसमें पानी का आना व दूसरे तरफ से निकलना प्रस्तावित होता है। यह कार्य मात्र सरकारी धन को हड़प करने के लिये और नरेगा के नियमों का उल्लंघन करके जाबकार्ड स्थानीय मजदूरों का नहीं भरा गया और न ही उनको रोजगार दिया गया है। नियमानुसार ग्राम के मजदूरों को निर्धारित मजदूरी देकर जनहित में कार्य कराने का प्रावधान है उसे करना चाहिए किन्तु नियमों की अनदेखी कर सिर्फ सरकारी धन हड़पने के लिये उक्त कार्य किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जिलाधिकारी, गोण्डा को लिखित शिकायत दिनांक 9-1-2008 को करने के बावजूद भी इस सम्बन्ध में आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी जिससे स्थानीय जनता में भारी रोष व्याप्त है, यह एक लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद बांदा के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[महोदय, मैं लोक महत्व के विषय से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद बांदा में आजादी के 60 वर्ष बीतने के बाद बिजली की व्यवस्था नहीं है, जो लोग गांवों एवं

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मजरों, पुरवों में रहते हैं दीपक के सहारे तथा चांदनी रात के सहारे रात काटते हैं। ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी के ग्राम बरेहटा के मजरा शिवरामपुर, दिघाडेरा तथा अन्य मजरे एवं ग्राम अमारा के मजरा बनवारी डेरा, घीहा डेरा, मटेहना डेरा तथा मरोहला डेरा एवं ग्राम नांदादेव के मजरा शंकर पुरवा मथुरापुरी एवं सवादा ग्राम के मजरा दीन दयाल डेरा, रामलाल डेरा तथा रामपुर के उजगरा डेरा तथा ग्राम गडरिया के महरा पडचनिया डेरा, नकटी पोखरी, नरायन डेरा, बड़ाखोड़ एवं ग्राम पैलानी के गौशाला बस्ती में तथा ग्राम खप्टिहाकला के मजरा शिवपाल डेरा, कछार डेरा, छनिहन डेरा एवं वेन्दा तथा जौहरपुर के सभी मजरों में तथा ब्लाक बड़ोखर खुर्द के ग्राम दुरेड़ी के बजवा डेरा, काशीपुर तथा दौलतपुर तथा मटौन्ध ग्रामीण के मजरों में विद्युतीकरण कराने की आवश्यकता है। तिन्दवारी, जसपुरा, बड़ोखर खुर्द सभी ग्रामों के खराब बिजली के तार बदले जायं।

अतः उपरोक्त लोक महत्व के विषय पर सभी ग्रामों में मजरों का विद्युतीकरण कराने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का कष्ट करें।]

मण्डी परिषद् द्वारा बनाई गई सड़कों को ठीक कराने तथा जिलाधिकारी खीरी द्वारा जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र जनपद खीरी में मण्डी परिषद् के द्वारा पूर्व में लेपन स्तर की कई सड़कों का निर्माण किया गया था। गुणवत्ता के मानक के विपरीत निर्माण हुआ। अतः पूर्ण रूप से प्रति वर्ष बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी है। लाखों किसानों को अपना गन्ना शुगर मिल तक पहुंचाने में बेहद कठिनाई होती है। मेरे द्वारा शासन स्तर पर पुनः मरम्मत व नव निर्माण की मांग के परिपेक्ष मण्डी परिषद् द्वारा जिला अधिकारी, खीरी को जांच व संस्तुति आख्या मांगे जाने का मुझे पत्र मिला परन्तु अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी। लाखों किसान परेशान हैं अतः जांच कराकर निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद महामायानगर के ग्राम बसई निवासी भूदेव पुत्र खचरे सिंह को तहसील के कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने से उसकी मृत्यु के फलस्वरूप प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यशपाल सिंह चौहान-

महोदय,

[विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर के ग्राम बसई का निवासी भूदेव पुत्र खचरे सिंह जो कि अनुसूचित जाति का था, जिसे तहसील सिकन्दराराऊ के नायब

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो द्वारा जमीन नापने के लिए 20,000/-रुपये की मांग की गयी जिसे न दे पाने के कारण उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि दिनांक 20-12-2007 को उसकी मृत्यु हो गयी है। पीड़ित परिवार के लोग इस घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए कोतवाली सिकन्दराराऊ में बैठे रहे परन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और उन्हें कोतवाली से भगा दिया गया। इस घटना से क्षेत्र के नागरिकों में आक्रोश व्याप्त हो गया और दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया गया, घण्टों मार्ग जाम रहे। जनमानस के आक्रोश को देखते हुए किसी प्रकार घटना की जांच जिला स्तर से कराने का निर्णय लिया गया। जिला स्तर से जांच कराये जाने के कारण वहीं पर कार्यरत रहते हुए दोषी तहसील के कर्मचारी दबाव बनाकर जांच को प्रभावित कर रहे हैं, इस प्रकार की कार्यवाही से जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रकरण जांच एस0टी0एफ0 अथवा अन्य किसी सक्षम एजेन्सी से कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के विकास खण्ड शमशाबाद में आगरा शमशाबाद रोड से पावसर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राजेन्द्र सिंह-

[महोदय, आगरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के विकास खण्ड शमशाबाद में आगरा शमशाबाद रोड से पावसर तक ईनायतपुर तक सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। जिसके कारण आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण अक्सर दुर्घटनायें भी होती रहती हैं। इसकी तुरन्त मरम्मत तथा सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद एटा के परियोजना निदेशक द्वारा विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों में जानबूझकर किये गये विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूरज सिंह शाक्य-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद एटा के परियोजना निदेशक द्वारा विधायक निधि में कराये जाने वाले कार्यों में जानबूझ कर विलम्ब स्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूं। विधायक निधि योजना के मार्ग दर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर-3.2 में प्राविधान है कि विधायकों के प्रस्ताव प्राप्त होने के पैंतालिस दिनों के अन्दर ही स्वीकृति प्रदान की जाय। साथ ही

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासनादेश दिनांक 25-1-2000 में प्रावधान है कि विद्यालयों के भवन निर्माण, ग्राम पंचायतों के कार्य हेतु स्वीकृति ग्राम्य विकास अभिकरण स्तर से ही दी जाय परन्तु सारे शासनादेश व प्राविधान का उक्त जिले के अधिकारी द्वारा खुला उल्लंघन किया जा रहा है और जानबूझ कर विधायकों द्वारा चिन्हित कार्यों में विलम्ब किया जाता है। हम विधायकों द्वारा दिये जाने वाले प्रस्तावों पर उक्त अधिकारी द्वारा कभी आर0ई0एस0 जांच करायी जाती है तो कभी पी0डब्लू0डी0 के माध्यम से जांच कराई जाती है। जांच होने के बाद भी पुनः प्रकरण को टालने के लिए इन विभागों के अभियन्ताओं को भेज करके प्रकरण को लम्बित रखा जाता है तथा पुनः तकनीकी स्वीकृति हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से भी जांच कराने का कार्य किया जाता है इससे कई-कई महीनों तक हम लोगों के प्रस्ताव सरकारी फाइलों में ही घूमते रहते हैं और कार्य बाधित होता है। उक्त अधिकारी की मंशा प्रकरण को लम्बित रखकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। यह एक बहुत ही गम्भीर एवं हम मा0 विधायकों के प्रस्तावों, अधिकारों से जुड़ा हुआ प्रकरण है और जनहित और लोकमहत्व का है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान तत्काल आकृष्ट करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

वाराणसी कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत रोहनिया बाजार की विद्युत व्यवस्था ग्रामीण के स्थान पर नगरीय कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

महोदय,

[वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लाक के अन्तर्गत रोहनिया बाजार एक प्रमुख बाजार है। यह गंगापुर विधान सभा तथा कैण्ट विधान सभा का बार्डर है जो एक तरफ गंगापुर बाजार तथा अदलहाट जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख मण्डी, दूसरी तरफ लहरतारा, महेशपुर के ट्रांसपोर्ट एरिया, चांदपुर के औद्योगिक क्षेत्र के बीच का सम्पर्क मार्ग है। इस बाजार के चारों ओर मुड़ैला, हरिहरपुर, लखनपुर, गोविन्दपुर, केशरीपुर जैसे गांवों के कृषि प्रधान तथा कुटीर उद्योगों का क्षेत्र है। रोहनियां क्षेत्र के लोगों द्वारा पिछले कई साल से शहरी बिजली की मांग की जा रही है और उनके द्वारा लिखित व मौखिक प्रतिवेदन स्थानीय तथा प्रान्तीय अधिकारियों को दी गई है लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है। पर्याप्त बिजली के अभाव में शाम को बाजार बन्द होने लगता है, जबकि उस बाजार से होकर हजारों साइकिल सवार तथा मोटर साइकिल सवार इस पार से उस पार आते-जाते हैं। यह ग्रैन्ड ट्रंक रोड का हिस्सा होने के कारण इस सड़क से बड़ी संख्या में लगातार ट्रकों का आवागमन होता है जो पर्याप्त बिजली के अभाव में दुर्घटनाओं को जन्म देती है। शहरी बिजली के अभाव में यहां के कुटीर उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूं कि इस अति अविलम्बनीय विषय पर तुरन्त ध्यान देकर रोहनिया बाजार व क्षेत्र को शहरी बिजली देने की व्यवस्था करें तथा शाम को बिजली कटौती बन्द किया जाय।]

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा और सोहरतगढ़ के बीच स्थाई सीमांकन करवाकर पत्थर लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

महोदय,

[तहसील इटवा और सोहरतगढ़ के बीच बूढ़ी राप्ती नदी बहती है जिससे दोनों तहसीलों का बटवारा होता है। परन्तु तहसील इटवा के दो गांव मदवापुर कला व सोनौली गांव के रकबे के बीव से यह नदी निकलती है इसलिए नदी के उस पार इन दोनों गांवों की भूमि पड़ती है। सोनौली के उस पार बैजरथा गांव है जहां के लोग जब कभी कई बार कभी-कभी सोनौली गांव के रकबे में घुस आते हैं जिससे इस पर विवाद उत्पन्न होता है। वर्ष 1983-84 में इसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ था तब तत्कालीन तहसील डुमरियागंज व तहसील नौगढ़ क्यों कि यह दोनों तहसीलें उसी से बनी हैं। उक्त दोनों तहसीलों के राजस्व अधिकारियों ने मिलकर सीमांकन करने का प्रयास किया था। परन्तु नक्शे की ओवर राइटिंग के नाते नौगढ़ अब सोहरतगढ़ तहसील की भूमि उधर से जब नापी जाती है तो सोनौली के अन्दर आ जाती है और सोनौली की भूमि नापी जाती है तो वह सोहरतगढ़ में चली जाती है जिससे विवाद होता रहता है जिसके कारण पुलिस के लोग नदी की बालू को निकालने को लेकर मनमाने ढंग से कार्यवाही करते हैं जब उनकी इच्छा होती है तो उस जमीन का सोहरतगढ़ में दिखाकर फर्जी मुकदमा लिखते हैं और कभी उसे इटवा तहसील में दिखाकर फर्जी मुकदमा लिख देते हैं क्योंकि यह दोनों तहसीलों का हिस्सा मिश्रौलिया थाने में पड़ता है इसलिए मिश्रौलिया की पुलिस मनमाने ढंग से सीमांकन न होने का लाभ उठाती है। इससे जनता में रोष है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसका स्थायी सीमांकन करवा कर पत्थर लगवाकर विवाद को समाप्त करें। ,

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद से होकर बहने वाली करबन नदी की सफाई कराने एवं किनारे पर सघन वृक्षारोपण कराकर चैकडैम बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनिल चौधरी-

महोदय,

[जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद से होकर बहने वाली करबन नदी क्षेत्र के किसानों के पशुपालकों के लिये जीवन रेखा का कार्य करती है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विगत 4-5 वर्ष से यह नदी गन्दे नाले में तब्दील हो चुकी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अथवा किसी अन्य योजना से इस नदी की सफाई, गहरी खुदाई करा इसके किनारों पर सघन वृक्षारोपण कराने से तथा 4-6 नये चैकडैम बन जाने पर यह नदी सदानीरा वर्ष भर पानी उपलब्ध कराने वाली नदी बन सकती है।

इस नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 93 में कस्बा सादाबाद में 100 वर्ष पुराना पुल जर्जर अवस्था में है, शासन द्वारा मेरे प्रश्न के उत्तर में इसको स्वीकार भी किया गया है। इस पुल का नये सिरे से निर्माण भी अत्यन्त आवश्यक है।

नगर पंचायत सादाबाद क्षेत्र में इस नदी के किनारे पर पशुओं के लिये घाट व धोबी घाट व धोबी सेड का निर्माण भी आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व व जनहित के इस आवश्यक कार्य को कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर में बिलखनी डिस्टलरी के द्वारा क्षेत्र के 30 ग्रामों का पानी प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इमरान मसूद-

[महोदय, जनपद सहारनपुर में पिलखनी डिस्टलरी के द्वारा क्षेत्र के लगभग 30 ग्रामों का पानी प्रदूषित हो गया है। जिससे जनता को पीने के योग्य पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर के द्वारा पानी की जांच करायी थी जांच में भी पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। जिससे क्षेत्र में भयंकर बीमारी फैलने का अन्देशा है। इस पूरे प्रकरण की शिकायत पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से की गयी थी जिस पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत सरकार ने जांच के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को पिलखनी डिस्टलरी को बन्द कराने व विद्युत कनेक्शन काटने के निर्देश दिये थे। लेकिन स्थानीय जिला स्तर पर अधिकारियों ने प्रदूषण फैला रही औद्योगिक इकाई से सांठ-गांठ करके केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का भी पालन नहीं किया और 30 ग्रामों की जनता के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। जनपद के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी को पूर्व में स्थानीय सांसद द्वारा लिखा गया है। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही क्षेत्र के 30 ग्रामों में पेयजल की कोई नई योजना स्वीकृत की गयी। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।]

राज्य सम्पत्ति विभाग में विगत 20 वर्षों से तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलोक कुमार शाक्य-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि राज्य सम्पत्ति विभाग में विगत 20 वर्षों से तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विनियमित नहीं किया जा रहा है। जबकि इनको पूरा वेतन मिल

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहा है। इनको विनियमित करने से सरकार पर कोई अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ेगा। जिससे इन कर्मचारियों तथा इनके परिवार वालों में भी भारी आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं इस लोकहित अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार से उत्तर देने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के सेवरही नगर पंचायत में 16-18 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 पी0 के0 राय-

[महोदय, सेवरही विधान सभा क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा बिहार सीमावर्ती क्षेत्र है। सेवरही नगर पंचायत ग्राम-सभा काशी राम विकास समग्र योजना में चयनित है। प्रदेश में दूसरे नम्बर का गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं शोध संस्थान स्थित है। जिसके द्वारा गन्ना किसानों को उन्नत प्रजाति के बीज उत्पादित करने का कार्य किया जाता है। परन्तु इस क्षेत्र में 6-8 घण्टे ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है जबकि विगत वर्ष तक 16-18 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति होती रही है।

इस अत्यन्त लोक महत्व और अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सेवरही में पूर्व की भांति 16-18 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की जाय।]

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत कप्तानगंज नवनिर्मित तहसील बनने सम्बन्धी पड़े अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 179 रामकोला जिला कुशीनगर के अन्तर्गत आने वाले नगर पंचायत कप्तानगंज को पूर्व में माननीय मुख्य मंत्री जी के शासन काल में कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने की घोषणा हुई थी जिस आधार पर कप्तानगंज को तहसील बनाने की कार्यवाही लगभग पूर्ण की जा चुकी है परन्तु सरकार बदलने पर कार्यवाही रुक गयी। कप्तानगंज को तहसील बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त तहसील न बनने के कारण जनमानस को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और काफी परेशानियों के बाद जनमानस को तहसील मुख्यालय हाटा जाना पड़ता है जनता की भावनाओं को देखते हुए कप्तानगंज को तहसील बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उत्तर की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 फरवरी, 2008 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन सूचनाएं प्राप्त हुईं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पहली सूचना, श्री प्रमोद तिवारी की है। इन्होंने दहेज उत्पीड़न के अन्तर्गत अनेक निर्दोष महिलाएं एवं बच्चियां जेल में निरुद्ध होने के सम्बन्ध में सूचना दी है। दूसरी सूचना, श्री प्रदीप जैन अदित्य की है। इन्होंने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के वंशजों को अपेक्षित सम्मान न देकर उनकी उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। तीसरी सूचना, श्री राम किशुन की है। इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री शताब्दी समारोह योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अध्यक्ष पीठ द्वारा कृत कार्यवाही से मा0 सदस्य को अवगत न कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

दहेज उत्पीड़न के अन्तर्गत अनेक निर्दोष महिलाओं एवं बच्चियों के जेल में निरुद्ध होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परन्तु इसके कुप्रभाव से प्रदेश की लाखों महिलायें जो जेल के सींखचों के अन्दर बन्द हैं इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, दहेज उत्पीड़न के अन्तर्गत यह एक आम बात है, जब कभी मान्यवर, कहीं दहेज उत्पीड़न का प्रश्न उठता है तो जो दोषी है या नहीं है उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई जाती है। उसी के साथ-साथ मां जो सास होती है, मां, नन्दें, जिठानियां, नानी, दादी सबके नाम डाल दिए जाते हैं। एक आंगणन हुआ एक चौकाने वाला तथ्य सामने आया है। आधे से अधिक मुकदमों के दौरान जब तफ्तीश पूरी होती है तो यह पता चलता है कि जिन्हें दोषी ठहराया गया है वह दोषी नहीं हैं उनके पक्ष में फाइनल रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। 100 प्रकरण में से 90 प्रकरण में लम्बी अवधि तक यातनापूर्ण जिन्दगी महिलाओं को जेल के सींखचों के पीछे गुजारनी पड़ती हैं। यह महिलायें कौन हैं इसी लखनऊ जेल में 70 से 80 साल तक की दादी, नानी हैं। जो अशक्त हैं, जो चल-फिर नहीं सकती हैं, जिनको कोई खाना दे तो वह खाना खायेंगी, कोई उठाये तो उठेंगी, कोई बैठाये तो बैठेंगी, उनकी स्थिति यह है और पूरे परिवार को ससुराल पक्ष के लोग फंसा देते हैं और 498 में मजबूरी में उन्हें जेल जाना पड़ता है। इनमें वह महिलायें भी हैं जिनके पास छोटे-छोटे बच्चे हैं, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल के बच्चे हैं। मान्यवर, उस 6 महीने के बच्चे का क्या दोष है, उस 1 साल, 2 साल, 5 साल के बच्चे का क्या दोष है ? वह जेल की यातना सह रहा है। मान्यवर, इसी तरह आप देखें, एक बात स्पष्ट है कि 90 प्रतिशत से ज्यादा ऐसे मुकदमों में जो नामजदगी हो रही है, वह गलत हो रही है। मान्यवर, मेरा सिर्फ एक सुझाव है कि मुकदमा कायम हो, सी0आर0पी0सी0 के तहत भारतीय दण्ड संहिता के तहत जो दफा लगती हो, वह लगे, लेकिन पहले उसकी विवेचना हो और विवेचना के उपरान्त जब यह साबित हो जाए कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, तब उन महिलाओं की गिरफ्तारी की जाए। मेरा सिर्फ औचित्य के

माध्यम से इस मामले को उठाने का यही उद्देश्य है। इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं। मान्यवर, यह सदन अपने आप में सक्षम है, जो ऐसा संशोधन सी0आर0पी0सी0 में ला सकता है और ऐसा प्रस्ताव इस सन्दर्भ में लाया जा सकता है। मैं नहीं कहता हूं कि जो दोषी हैं, उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। मुकदमा न चलाया जाए लेकिन जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक जो 60 साल, 70 साल, 80 साल की महिलाएं हैं, उनको जेल में निरुद्ध न किया जाए। 1 साल, 2 साल के बच्चे को जेल न भेजा जाए। किसी एक की गलती की सजा, पूरे परिवार को मिले, यह उचित नहीं है। मान्यवर, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक सुविचारित निर्णय है कि ऐसी महिलाओं की जल्दी जमानत हो जानी चाहिए। मान्यवर, एक मानवीय त्रासदी को मैंने देखा है और मैं इसे सही नहीं मानता हूं कि 1 साल, 2 साल के बच्चे को जेल हो या 70 साल, 80 साल की महिलाओं को जेल हो और बाद में वह निर्दोष सिद्ध हों लेकिन जितने समय वह जेल में रहीं, 1 साल, 2 साल वह जेल में रहीं तो यह स्थिति बड़ी ही पीड़ादायक है। मान्यवर, मैं ऐसी अशक्त महिलाओं के सम्बन्ध में इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। पहले विवेचना हो जाए, साक्ष्य मिल जायें, चार्जसीट दाखिल हो जाए, तभी इन महिलाओं को गिरफ्तार किया जाए, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

अध्यक्ष जी, जैसा प्रमोद तिवारी जी ने उल्लेख किया, आपने भी इस प्रश्न को व्यक्तिगत रूप से उठाया था और संवेदनशील रूप से हम लोगों के समक्ष रखा गया था और तब यह तय हुआ था कि नेताओं की आपस में एक बैठक होगी, आपको स्मरण होगा और अध्यक्ष जी के चैम्बर में, तत्कालीन मुख्य मंत्री जी भी थे, टण्डन जी भी थे, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाया था और आपने स्वयं कहा था कि इस जेल में 400 के करीब बच्चे बन्द हैं, उनका क्या दोष है ? उस समय यह वार्ता हुई थी और कहा गया था कि यह एक्ट तो भारत सरकार का है उसमें हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं लेकिन इतना तो हो सकता है, जैसे गिरफ्तारी के मामले में या विवेचना के मामले में राज्य सरकार को अधिकार है तो उसमें कुछ छूट देने की बात हुई थी लेकिन कोई फाइनल बात नहीं बन सकी थी, इसलिए कि चुनाव आ गये थे और चुनाव के बाद सरकार गयी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह प्रश्न आपने ही रखा था, यह किसी के माध्यम से नहीं हुआ था और आपके कहने पर ही बैठक बुलाई गयी थी। इसलिए इस पर आप नेताओं की बैठक करके इस संवेदनशील मामले पर निर्णय ले लें और एक्ट तो है, क्रिमिनल एक्ट है लेकिन विवेचना सरकार के हाथ में है, इसलिए जो दोषी हों, उन्हीं को गिरफ्तार किया जाए। मैं समझता हूं कि आप इस मामले पर सभी नेताओं की बैठक बुला लेंगे। मान्यवर, और आवश्यक हो तो माननीया मुख्य मंत्री जी को भी बुला लें। इस पर विचार कर लें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जैसा माननीय तिवारी जी और पाण्डेय जी ने भी कहा कि एक्ट में है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मान्यवर, हर मुकदमें की विवेचना होती है और विवेचना के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें क्या स्थिति बनती है। अगर इसका कोई हल हो सकता है तो अगर आप बैठक बुलाना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप बैठक बुला लें, अगर कोई व्यवस्था हो सकती है तो उस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, सभी दलीय नेताओं की बैठक बुला ली जाये उसमें विचार-विमर्श करके कोई रास्ता अगर निकलता है तो उस पर विचार किया जाये। मैंने श्री प्रमोद तिवारी, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-300 में नहीं आता है अतः इसको अग्राह्य किया जाता है।

वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के वंशजों को अपेक्षित सम्मान न देकर उनकी उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

नहीं आपकी सूचना अग्राह्य कर दी गयी है। आपको नहीं सुना जाएगा।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न लाना चाहता हूं। मान्यवर, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के वंशजों को अपेक्षित सम्मान न देकर उनकी उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में है। मान्यवर, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पुस्तक सरकार ने प्रतिबंधित की मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है। आप और किसी दिन दूसरे नियम में इसको दे दीजिए। लेकिन आज नियम 300 में नहीं सुनेंगे।

श्री लाल बहादुर शास्त्री शताब्दी समारोह योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

श्री राम किशुन जी आपने कहा है कि दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अध्यक्ष पीठ द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट किया। मैंने इसको दिखवाया है, दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को इस विषय पर नियम-56 के अन्तर्गत आपकी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है। आप नियम 300 के अलावा किसी और नियम में दे दीजिए।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, मेरे पास कापी है। मैं आपके पास भिजवा देता हूं। आप इसको देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

देखें।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, श्री लाल बहादुर शास्त्री शताब्दी समारोह योजना के बारे में मैंने लगाया था। इसमें स्पष्ट तारीख पड़ी है। लेकिन मुझे जो सूचना मिली है वह 6-12-07 को दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 की हमारे यहां कोई सूचना नहीं है।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

पहली बात यह कि मैं इसको नियम-300 में अग्राह्य कर चुका हूं। मेरा निर्णय इसी पर हुआ कि मैंने नियम-56 में सूचनाओं में जांच करायी उनमें आपकी सूचना नहीं थी। आप बोलना चाहते हैं ठीक है। आप कल दे दीजिएगा।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, केवल 2 मिनट सुन लें। मान्यवर, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से 25 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया। उसमें विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत काम चलाये जाने थे। रामनगर में पक्का घाट का निर्माण, कटरिया गांव तक सड़क के बारे में, पच्चीस करोड़ रुपये समग्र विकास का था। उसमें बहुत से कार्य हुए, बहुत से कार्य अधूरे पड़े हैं। इस पर सरकार का कोई उत्तर नहीं आया है। जितने अधूरे कार्य थे वह बंद कर दिये गये। हमने त्रुटिवश 6/12 न देकर 4/12 दे दिया है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। आप हमारे संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप चाहते क्या हैं ?

श्री राम किशुन-

इस पर जो पच्चीस करोड़ का प्राविधान किया गया था वह पूरा-पूरा पैसा लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति में जो योजनाएं हैं, उनके पैतृक आवास, जन्मस्थली के लिए जो व्यवस्था की गयी थी, उसको सरकार लागू करे इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। लालबहादुर शास्त्री जी के नाम की परियोजनाएं बंद कर दी जायें यह दुःखद और दुभाग्यपूर्ण स्थिति है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात आ गयी है, अब आप बैठ जायें। मंत्री जी इन्होंने 6 दिसम्बर के स्थान पर चार दिसम्बर लिख दिया है। ध्यानाकर्षण का था।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, उसकी एक प्रक्रिया है। उसमें अगर आपने ध्यानाकर्षण किया है तो कार्यवाही हो रही होगी, जवाब जायेगा। यह नियम-300 में कहां से आ जायेगा। अगर जितने भी ध्यानाकर्षण हैं वह नियम-300 में देने लगेंगे तो यह कैसे हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह इन्होंने नियम-56 की सूचना दी थी इस पर ध्यानाकर्षण किया गया था। इसलिए इन्होंने इसमें औचित्य का प्रश्न लगाया। कोई जानकारी नहीं हुई, कार्यवाही नहीं हुई तो उसकी सूचना मिलनी चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, निश्चित रूप से दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 15 फरवरी, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 फरवरी, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4, 5, 6 व 7 में कुछ नहीं है, अब मैं मद संख्या-8 ले रहा हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 फरवरी, 2008 को नियम-311 में प्राप्त 1 सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना, डा0 अजय तोमर, श्री हुकुम सिंह तथा श्री मदन चौहान की जनपद बागपत, मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद के विद्युत उपभोक्ताओं एवं किसानों का उत्पीड़न तथा नलकूप के विद्युत संयोजन हेतु विलम्ब से कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

दूसरी सूचना, डॉ0 धर्मपाल सिंह की आगरा जनपद में ताज एक्सप्रेस-वे के लिए किसानों से जबरन ली जा रही कृषि भूमि के विरोध में किसानों पर हुए लाटीचार्ज की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना, श्री राम बिशुन आजाद की लखनऊ, कानपुर एवं अन्य शहरों में प्रदूषित जलापूर्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौथी सूचना, श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी नगर में चोरी एवं आपराधिक घटनाओं के बढ़ने एवं उन्हें रोक पाने में पुलिस की नाकामी के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा के अन्तर्गत वन विभाग व पुलिस की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर हो रहे हरे पेड़ों की कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, छठी सूचना, श्री मुख्तार अंसारी की लखनऊ जिला जेल से विधान सभा लाते, ले जाते समय मा0 विधायक (स्वयं) को पर्याप्त सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं, अतः अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री प्रमोद तिवारी आदि

2-श्री इमरान मसूद

3-श्री अब्दुल वारिस खां

4-श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह

5-श्री हाजी अब्दुल समद अन्सारी

6-श्री जोखू लाल यादव

7-श्री राम किशुन

8-श्री अनिल कुमार सिंह यादव

(श्री हुकुम सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उदयराज-

माननीय अध्यक्ष जी, दूषित जल वाले मामले में मैंने भी एक सूचना दिया था।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, सबसे ऊपर मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष-

बोलना आप ही लोगों को है, अब मैंने माननीय हुकुम सिंह जी का नाम पुकार दिया है तो इन्हें ही पहले अपनी बात कह लेने दें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना मैंने दी है, यदि स्थानीय स्तर के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, जो कठिनाई स्थानीय स्तर पर है उसका निवारण किया होता तो सम्भवतः

अगर माननीय मंत्री जी उसको मान जायें। यह तो मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कह रहा हूं अनेकों लोग ऐसे हैं जिनको आपके बिजली के संयोजन मिले ही नहीं, सामान मिला ही नहीं, यह भी रिपोर्ट आ गई कि मौके पर न तो खम्भा है, न तार है, मोटर होने का तो कोई सवाल ही नहीं है और बिजली के बिल उनके खिलाफ जारी है। क्या यह संभव है आपके लिए कि यहां से निर्देश कर दें कि हर जिले में प्रेस विज्ञप्ति विभाग की तरफ से जारी की जाये और इस आशय के साथ जारी की जाये कि जिन लोगों के गलत बिल आये हैं, वह निश्चित अवधि के अन्दर अपना आवेदन-पत्र दे दें और मान्यवर, उसकी जांच हो जाये। मैं बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहा हूं लेकिन इसमें विज्ञप्ति विभाग की तरफ से आनी चाहिए कि आप विज्ञापन के माध्यम से दें या सामान्य विज्ञप्ति जारी कर दें कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कोई भी पीड़ित आदमी है, कोई भी प्रभावित व्यक्ति है वह आकर के फला समय से लेकर के फला समय तक आवेदन-पत्र दे दे और एक निश्चित अवधि के अन्दर उसका निस्तारण किया जायेगा और जब तक निस्तारण न हो, कोई उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो जारी हुए बिल हैं उनको वापस ले लिया जायेगा। फिर इन्क्वायरी के बाद जो परिणाम आयें उसके आधार पर आप कार्यवाही करा लें। इसके अलावा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने इस तरह के फर्जी बिल जारी किये हैं निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करें। मान्यवर, ऐसा लगे कि यहां पर जनता के चुने हुए जन प्रतिनिधि बैठते हैं सरकार बैठी हुई है और इस सरकार के सामने जो प्रकरण आते हैं उन पर कार्यवाही होती है। एक यह सतत् प्रक्रिया चल रही है मान्यवर। इसको रोकने के लिए निश्चित रूप से दोषियों को दण्ड भी मिलना चाहिए। मान्यवर, ट्रांसफार्मर की समस्या बहुत विकट है बस झेलना मुश्किल हो गया है। तीन-तीन महीने से लोग चक्कर काट रहे हैं। मान्यवर, मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां नहर प्रणाली ध्वस्त हो गयी है जमुना में पानी नहीं है। इन्द्र देवता रुष्ट हो गये हैं। सर्दी का मौसम गुजर गया एक बूंद बारिश नहीं हुई है। पाले का प्रकोप अलग हुआ है। गन्ना बर्बाद हो गया है। गेहूं बचा है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में जब बिजली का कनेक्शन है नहीं बारिश है नहीं, कहां से वह गेहूं पैदा कर लेंगे। फिर उसकी जीविका का साधन क्या रह जायेगा। इसलिए उनके मन में थोड़ा आक्रोश है। आपके मन में उनके प्रति वेदना का भाव होना चाहिए। मान्यवर, हजारों हजार कृषक ऐसे हैं जो इस समस्या से ग्रस्त हैं। उसके समाधान का कोई तो आधार होगा। मेरी पीड़ा जो है वह उन लाखों कृषकों की है लाखों उपभोक्ताओं की है। दर-दर की ठोकरें वह खा रहे हैं।

मान्यवर, मैंने दो सुझाव दिये हैं मेरा अनुरोध है कि इन सुझावों पर सकारात्मक रुख अपनायें।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, जनपद बागपत में आज बिजली की बहुत परेशानी है। वह पूर्णतया कृषि प्रधान जनपद है। वहां कोई रोजगार के दूसरे साधन फैक्ट्री आदि नहीं हैं। चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो किसी न किसी तरह से वह कृषि से जुड़ा हुआ है। वहां विद्युत उपकेन्द्रों बराल, छपरौली, बडावद, तितरौदा, सरूरपुर, जोनमाना, आदर्श, नंगला, किरठल, तुगाना, बिजरौल, जोहडी आदि यह 33/11 के उपकेन्द्र हैं। इन सभी उप केन्द्रों से आज जो किसानों को उनके नलकूपों के लिये बिजली की सप्लाई है उसके जो तार हैं वह 30-40 साल पुराने हैं। यह जर्जर तार हैं कहीं इंसुलेटर खराब हैं। बहुत जगह पर तार नीचे गिरे हैं किसानों की फसल, गन्ने की फसलों को सीधे-सीधे छूते हैं। जिससे हर वर्ष कई बीघा गन्ने की फसल खराब हो जाती है। बिजली विभाग द्वारा उसका मुआवजा दिया जा रहा है। उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज है। मान्यवर, वहां पर एक बड़े स्केल पर सर्वे का कार्य कराया जाय और इन जर्जर तारों की जांच करा ली जाये और जहां-जहां खराब हैं उनको बदलाया जाये। मान्यवर, एक अधिकारी बहुत ही भ्रष्ट था और निष्क्रिय था इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने उस अधीक्षण अभियन्ता को निलम्बित करने का काम किया है। उन्होंने वह काम कर दिया है जो पूरे प्रदेश में नहीं है। मान्यवर, बागपत जिला ऐसा है कि वहां के किसानों के नलकूपों के मीटरों की क्षमता बढ़ाकर न्यूनतम 12.5 और 10 करने का काम किया गया। जबकि वहां 6 में से 4 डार्क ब्लाक हैं। मान्यवर, इस क्षमता को कम से कम ढाई-ढाई सौ घटा दें और 7.5 और 10 कर दें जैसा यह पूरे प्रदेश में दिया गया है। मान्यवर, जो किसान अपना बिल, उपभोक्ता अपना बिल इस बढ़ी हुई भार क्षमता के साथ ले रहे हैं उन लोगों ने बिल जमा कर दिया। उन लोगों को उतनी भार क्षमता के ट्रांसफार्मर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। जब किसान बिल देने को तैयार हैं तो जब उन्होंने राजस्व देना शुरू कर दिया है तो उन्हें 15 दिन के अन्दर एक सप्ताह के अन्दर उस बढ़ी हुई क्षमता के ट्रांसफार्मर उन लोगों के नलकूपों पर लगाने की व्यवस्था करा दी जाय। जब भार क्षमता बढ़ गयी है ट्रांसफार्मर बढ़ गये हैं।

मान्यवर, वहां के सारे 33/11 के बिजलीघर भी अतिभारित हो गये हैं इन अतिभारित बिजली घरों की क्षमता वृद्धि करने का भी काम करें। कुछ फर्जी बिल हैं जो माननीय हुकुम सिंह जी ने बताया है। एक बात और जानना चाहूंगा कि क्या सम्पूर्ण जमा योजना जिसमें 15 प्रतिशत किसान जमा करके अपना सामान खरीदता था क्या वह बन्द कर दी गयी है कुछ अधिकारी कहते हैं कि बन्द हो गयी है कुछ कहते हैं कि खुल गयी है तो इसका प्रदेश स्तर पर एक शासनादेश जारी कर दें कि वह है या नहीं है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, नियम-56 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, विद्युत आपूर्ति आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो कोई भी हो लेकिन आज उस विद्युत आपूर्ति के बहाने से आज सरकार का राजस्व वसूली का जो इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है हर कर्मचारी यह कहता है कि मुझे तो राजस्व वसूली करना है ऊपर से प्रेसर है वह किन-किन माध्यम से हो रहा है यह मैं बताना चाहता हूं। परिवार के एक मुखिया के नाम कनेक्शन है लेकिन एफ0आई0आर0 हो रही है उसके पोते के नाम, उसके बच्चे के नाम। इस तरह के कई उदाहरण मेरे संज्ञान में आये हैं जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं एक अल्लाह बख्शपुर गांव है गढ़मुक्तेश्वर में उसमें छोटे के नाम कनेक्शन है और छिद्दा के नाम एफ0आई0आर0 हो रही है उसका लड़का है उसके नाम से एफ0आई0आर0 हो गयी है। इसी तरह से एक गांव है बागड़पुर वहां जसवन्त के नाम कनेक्शन है उसका पोता नाबालिग है उसके नाम से एफ0आई0आर0 हो गयी। अब जब एफ0आई0आर0 हो गयी तो या तो जेल जायेगा या फिर पुलिस को पैसे देकर जान बचायेगा। कुछ दिन के लिए। यह एक बहुत बड़ी समस्या हो गयी है। दूसरी बात कर्मचारियों के द्वारा बिल तो भेजा नहीं जाता है और रिकार्ड में काटा भी नहीं जाता कनेक्शन लेकिन वसूली की वजह से जब उसे याद आता है कि इनका एक साल से बिल नहीं गया तो तुरन्त जाकर उसकी रिपोर्ट लिखा देते हैं कि इसका कनेक्शन कटा हुआ था फला आदमी का और उसने जोड़ लिया तो उसके नाम एफ0आई0आर0 हो गयी और वह जेल जा रहा है इसी तरह का उदाहरण मैं बता रहा हूं। अली असगर जिसका एक किलोवाट का कनेक्शन है ग्राम बदरखा गढ़मुक्तेश्वर में एक आध बल्ब जलता होगा। विजेन्द्र पुत्र खजान बदरखा गांव, झब्बार पुत्र बिन्दु बदरखा गांव, हसीन पुत्र रियासत बदरखा गांव इन पर 4-4, 5-5 हजार के बिल होंगे मुश्किल से और इनके कनेक्शन काट दिये और इनके नाम एफ0आई0आर0 कर दिये और दिखाया यह गया कि कनेक्शन कटा हुआ था इनको जेल इसलिए भेजा जाय। अब वह पुलिस से बचें, इनके असिसमेन्ट से बचें यह एक बहुत बड़ी समस्या हो गयी। मान्यवर, किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है पहले 5 हार्सपावर का कनेक्शन मंजूर हुआ करता था और 7.5 एचपी का जो कनेक्शन लेना चाहे तो वह ले सकता था उसकी कीमत 5 एचपी की 9000 रुपये और साढ़े सात एचपी की हुआ करती थी 10 हजार। आज जो गरीब किसान है जिसको 4 घण्टे विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है और यह भी पता नहीं कि रात में आयेगी या दिन में आयेगी। आज वह साढ़े सात एचपी का कनेक्शन 43000 में स्वीकृत हो रहा है और 5 एचपी का कनेक्शन 37000 में स्वीकृत हो रहा है। आज उन किसानों की क्या हालत होगी। जिनको नहर का पानी नहीं मिल रहा है या कोई सिंचाई का साधन नहीं है उनके सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है। उनके सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गयी है। उसके लिए चारा

के लिए और गेहूं उत्पादन के लिए कोई साधन नहीं रह गया है और दूसरी बात यह है कि रसीद काट दी जाती है और बिजली का कनेक्शन होता नहीं है। 5-7 साल पहले कभी विभाग के द्वारा यह अभियान चलाया गया कि आप रसीद कटवा लीजिए और रसीद कटने के बाद आपके यहां लाइन जुड़ जायेगी। आज तक वहां लाइन लगी नहीं, उसके नाम आर0सी0 कटकर तहसील में चली गयी, 10 प्रतिशत के लिये अमीन भाग रहा है और उसको विभाग द्वारा वापस लेने के बाद भी तहसील वाले कहते हैं कि 10 प्रतिशत तो जमा ही करना पड़ेगा तो मान्यवर, कुछ कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर किसी का बिल 10 हजार का भेजा जायेगा, किसी का 20 हजार भेजा जायेगा, फिर संशोधन कराने के लिये वह जायेंगे, हम लोगों से कहेंगे, हम लोगों की भी वह इतनी बात नहीं मान रहे हैं और वह संशोधन के नाम पर अनधिकृत पैसा वसूलेंगे या उसका शोषण करेंगे। मेरे यहां इस तरह के कई अधिकारी पूर्व में सस्पेंड/टर्मिनेट भी किये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं ग्रास्यता पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है कि लगातार दो घण्टे ग्रात्यता पर बोलते चले जायें। मैं समय की पाबन्दी कर दूंगा। अभी और नियम-56 की सूचनायें लेनी हैं।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं तीन-चार बिन्दुओं की तरफ विभाग का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। विधान मण्डल विकास निधि के माध्यम से हम लोग अपना काम करा लेते हैं। पिछली योजना के अभी कितने ही ट्रांसफार्मर मेरी निधि के अभी नहीं लगे हैं। धीलपुर गांव में 160 एच0पी0 का स्वीकृत है, अभी नहीं लगा है। बक्सर गांव में 250 एच0पी0 का लगना था, वह भी नहीं लगा। इस्टीमेट बने एक साल हो गये, वह आज तक नहीं पहुंचे। मान्यवर, इस तरह की समस्यायें हैं और आज छात्र, किसान एवं मजदूर परेशान हैं, आम उपभोक्ता परेशान है अगर कर्मचारियों पर अंकुश लगाकर अनाधिकृत वसूली को न रोका गया तो यह आहि-आहि और असन्तोष की स्थिति है। मेरा अनुरोध है कि नियम-56 में इस विषय पर कार्य-स्थगन कर चर्चा कराने का काम करें तथा लोगों की मदद करने का काम करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यक्तिगत मामला है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में तो आपकी सूचना है नहीं। व्यक्तिगत क्या है।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

मेरा खुद का है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल जी का व्यक्तिगत मसला कोई है, विद्युत कनेक्शन से सम्बन्धित।

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

वह लिखकर दे दें, मैं करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

इनसे आज ही सम्पर्क करके, आज ही बैठकर के जो भी मसला हो, वह करा दें या यह खुद ही बैठ लें आपके साथ।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, यह लिखकर दे दें। मान्यवर, इन्होंने कोई मामला 2003 में उठाया था, उसके बाद साढ़े तीन साल आपकी सरकार रही, उसको यह अपनी सरकार में नहीं करा पाये, अब मुझको दे दें, मैं करा दूंगा। माननीय मुख्य मंत्री, बहन जी हमारी बैठी थीं, उनके सामने इन्होंने यह मसला उठाया था, उन्होंने भी निर्देश दिये थे हमें करने के लिये। लिखा भी था, लेकिन उस समय सरकार चली गयी थी। उसके बाद आपकी सरकार साढ़े तीन साल रही। लेकिन आज मुख्य बात है माननीय हुकुम सिंह जी की।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

मान्यवर, यह तो कोई बात नहीं हुयी।

श्री रामवीर उपाध्याय-

आप लिखकर दे दीजिये। मैं दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

हम कहे दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी से आप मिल लें, लिखकर भी दे दें, व्यक्तिगत तौर पर। मैं माननीय मंत्री जी से भी कह दे रहा हूं कि आप इनकी भी बात सुनकर मामला हल करा दें इनका व्यक्तिगत मसला है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मैं दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय हुकुम सिंह जी को बताना चाहता हूं। जो इन्होंने नियम-56 के अन्तर्गत सूचना दी है आपने कहा है कि मौके पर खम्भा नहीं है, तार नहीं है और बिल आ रहे हैं। हालांकि मैं कई बार मेरठ में गया हूं और 6-6 घण्टे बैठकर मण्डल के कार्यकर्ताओं की बात सुनी है उन्होंने नहीं बताया, जो समस्या उन्होंने बताई थी, उसका निस्तारण मैंने वहीं पर अधिकारियों के सामने किया। माननीय हुकुम सिंह जी ने जो समस्या बताई है उस पर मैंने कल ही विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश कर दिये हैं और अधिकारियों को नोट कराया है और उसके बावजूद भी मैंने आज भी सवेरे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जाकर के स्वयं देखें, कि अगर इस तरह की कहीं लापरवाही है और फर्जी बिल जारी कर दिये गये हैं तो माफ तो वह किये ही जायेंगे लेकिन जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने फर्जी बिल भेजने का काम किया है, उनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जाय, यह निर्देश दिये हैं। जहां तक ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने की बात है, सही बात यह है और कटु सत्य है, माननीय हुकुम सिंह जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं इस सदन के और माननीय ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं। जो ट्रांसफार्मर फुंकने की समस्या है पूरे प्रदेश में, वह इसलिये है कि जहां 5 हार्स पावर के कनेक्शन थे, उन्होंने साढ़े 7 हार्स पावर की मोटर लगा ली, जिनके साढ़े 7 हार्स पावर के कनेक्शन थे, उन्होंने 10 हार्स पावर की मोटर लगा ली, जिनके पास 10 हार्स पावर का कनेक्शन था, उन्होंने 15 हार्सपावर की मोटर लगा ली, मान्यवर, इसी कारण ओवरलोड होता है और ट्रांसफार्मर फूंके जाते हैं। इसके अलावा जो माननीय तोमर साहब और चौहान साहब समस्या बता रहे थे कि कम कर दिये जायें तो मैंने आपके बागपत जिले में भी निर्देश दिये हैं कि जांच कर ली जाय। टेस्ट किया जाये एक तरफ से और किसी के खिलाफ पांच का है या साढ़े सात का है तो उसी का बिल लिया जाय, यह हमने निर्देश दे दिये हैं और हमने व्यक्तिगत रूप से इसे दिखवा लिया है और मैं मा0 हुकुम सिंह जी से व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि अगर एक महीने में समस्या का समाधान न हो तो मुझे नोट कराना मैं स्वयं देखूंगा और इस तरह की लापरवाही अगर किसी अधिकारी की पायी गयी तो मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी। जहां तक बात तोमर साहब की है, आपने बताया कि 30, 35, 40 साल पुराने तार हैं और इस बीच में कनेक्शन भी कई गुने ज्यादा हो गये। ट्यूबवेल कनेक्शन भी ज्यादा हुए टी0वी0, कूलर, पंखे और अन्य बिजली के उपकरण भी ज्यादा लगे और बिजली के सब-स्टेशन 33/11 के वही हैं, 132 के वही हैं, 400 के वही हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि हमारा 220 के0वी0ए0 का लोनी में एक सब-स्टेशन बन रहा है, मैं समझता हूं कि तीन महीने के अन्दर बनकर तैयार हो जायेगा और जब वह तैयार हो जायेगा तो आपके बागपत की काफी समस्या का समाधान हो जायेगा। वहां पर सिंगावरी, केकड़ा, जौहरी, लंगड़ा एवं चकरौली को डबल कर दिया गया है, अगर

वहां कोई बात आती है तो उसे हम दिखवा लेंगे। 400 के0वी0ए0 का एक बागपत में सब-स्टेशन प्रस्तावित है लेकिन उसके लिए जगह नहीं मिल पा रही है। मैंने डी0एम0 को लिखा है आप भी सहयोग करें, अगर जगह मिल जाती है तो जल्दी से जल्दी वहां काम शुरू हो जायेगा। वहां पर छपरौली में 10 एम0वी0ए0 की जगह 20 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर प्रस्तावित है और तीन महीने के अन्दर उसको भी लगवा देंगे। इसी तरह से 33/11 इब्राहिमपुर का है, इसकी भी क्षमता हम तीन महीने के अन्दर बढ़ाने जा रहे हैं। कोई बिरौल गांव है बामरौली, वहां पर भी एक महीने के अन्दर समस्या का समाधान हो जायेगा। वहां पांच के दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसकी जगह एक 10 किया जा रहा है तो उसकी भी क्षमता बढ़ जायेगी। यह सब पहले से प्रस्तावित है, हमने नहीं प्रस्ताव किया है, यह समस्या 30-40 साल पुरानी है लेकिन इसके समाधान के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और दूसरा जो आपने बराल के लिए लिखा है, वहां पर पांच और तीन के थे, पांच की जगह हम 10 का और तीन की जगह 5 का करने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि समस्या है और पूरे प्रदेश में है केवल आपके बागपत और मुजफ्फरनगर की समस्या नहीं है। पिछले तीस साल से तार और खम्भे नहीं बदले गये, तमाम समस्यायें हैं। जब बजट भाषण होगा तो उस समय इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और उस समय आपका सहयोग भी चाहेंगे, जहां तक गाजियाबाद की बात है आपने कहा ठीक है, हालांकि पूरे प्रदेश में बिजली चोरी हो रही है, गाजियाबाद में कई चोरों को मैंने व्यक्तिगत रूप से पकड़ा है। मा0 अध्यक्ष जी, गाजियाबाद के बारे में हमारे मा0 चौहान साहब ने कुछ आरोप लगाये कि गलत एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। मान्यवर, इतने बड़े पैमाने पर वहां पर चोरी है, मैंने व्यक्तिगत रूप से कई जगह देखा, सीटी होती है, जो करेंट ट्रांसफर करती है, मान्यवर, वह फर्जी मिली। तो मान्यवर, चोरी करने की इजाजत किसी को नहीं दी जायेगी।

श्री मदन चौहान-

मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

हां, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कहां नहीं है चोरी, आप नहीं जानते क्या, इस सदन में कौन मा0 सदस्य नहीं जानता कि कहां चोरी है। 50 परसेन्ट बिजली का दुरुपयोग हो रहा है, इस बात को कौन नहीं जानता है, मा0 प्रमोद तिवारी जी मंत्री रहे हैं, मा0 हुकुम सिंह जी मंत्री रहे हैं, कौन नहीं जानता इस बात को। इस पर तो हम अंकुश लगायेंगे, चोरी करने वालों को बख्सेंगे नहीं। जहां तक बात है पांच हार्सपावर के कनेक्शन की तो मान्यवर, पूरे प्रदेश की हालत है लेकिन फिर भी यदि कोई आप व्यक्तिगत रूप से नोट करायेंगे तो मैं उनको चेक करा दूंगा उनको ठीक करा लूंगा यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं, माननीय मंत्री जी ने बताया है, एक समस्या वास्तव में है कि जहां साढ़े सात हार्स पावर के मोटर थे वहां 10 हार्स पावर के मोटर लग गये। अब स्थिति यह है कि आप बजट लायें इसमें विचार कर लें कि जहां बिल्कुल पानी नहीं रहा, पानी नीचे चला गया है, मान्यवर, वहां पर साढ़े सात और 10 हार्स पावर का मोटर फेल है। सबमर्सिवल पम्प लग गये हैं तो 15, 20, 25 हार्स पावर के मोटर लगाने पड़ रहे हैं। सिंचाई का दूसरा कोई साधन नहीं है तो अगर हम उन लोगों से 20-25 हार्स पावर का मोटर लगाने के बाद उसी के अनुरूप बिल लेंगे तो मेरे ख्याल से खेती छोड़ करके भाग जायेंगे। मैं यहां इसका निस्तारण नहीं चाहता, लेकिन यह नीतिगत बिन्दु है इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अपने अधिकारी से परामर्श कर लीजियेगा कि समस्या का समाधान कैसे हो। अगर किसानों को आप नोटिस देंगे, चेकिंग करायेंगे, एस0डी0ओ0 जा करके मोटी-मोटी रकम वसूल करेगा तो निश्चित रूप से कह रहा हूं कि 6 महीने के अंदर एक तिहाई किसान खेती छोड़कर भाग जायेगा। यह हाल उसकी हो रही है, इसलिए इस प्रश्न के ऊपर जहां डार्क ब्लाक घोषित है, सिंचाई का दूसरा साधन नहीं है तो वहां क्या बिजली की दरें हों और उन किसानों के साथ में क्या व्यवहार हो, यह तय करने की बात है। मंत्री जी, जब भी मौका मिले आप इस पर विचार कर लें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

हम इस पर विचार कर लेंगे।

श्री मदन चौहान-

माननीय मंत्री जी, अगर जे0ई0 ने किसी उपभोक्ता के खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखायी है तो क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। मेरा यह अनुरोध है कि जिनको पहले 5 एच0पी0 की कनेक्शन की मंजूरी हो चुकी अब वह फेज 1, 2 व फेज 3 इस तरह का चक्कर चलाकर उनको कैंसिल कर दिया, अखबार में दे दिया कि सारे कनेक्शन साढ़े सात एच0पी0 के माने जायेंगे। पूरे अखबारों में आया बड़े-बड़े विज्ञापन आये। इस भावना से कि उसने पैसे नहीं दिये या बराबर पड़ोस में कह दिया कि इसको आप लिखकर भेज दो, उसके खिलाफ रिपोर्ट हो गयी अब वह पुलिस में जाए और पैसे देकर छूट जाए। आप सम्मन भेज रहे हैं। अब तो सम्भवतः यह प्राविधान हो गया है कि मुकदमा दर्ज होगा, चाहे वह पैसा जमा कर दे या एक बल्ब जले या 10 बल्ब जले। अब हर आदमी तो चोरी नहीं करता है। चोरी तो बड़े-बड़े सरकारी विभाग, बड़े-बड़े फैक्ट्रियों में हो रही हैं बड़े-बड़े चिलिंग प्लाण्ट दूध के चल रहे हैं उनमें हो रही है, उन पर किसी प्रकार छापा नहीं मारा जा रहा है। एक बल्ब जलाने वाले के यहां छापा मारा जा रहा है। उस पर सरकार कहती है कि हम एक बल्ब जलाने वाले को मुफ्त में बिजली देंगे। आज स्थिति यह है कि लोगों को तहसीलों में बन्द किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि जो

कार्यवाही हो वह स्पष्ट तरीके से हो, नैतिक आधार पर हो। यह न हो कि आस-पास के कहने से रिपोर्ट लिखा दी। गरीब आदमी क्या करेगा, जो एक बल्ब जलाता है, वह 10 हजार रुपये कहां से लायेगा, वह 4 हजार रुपया पुलिस को कहां से देगा ? इस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

डा0 अजय तोमर-

माननीय मंत्री जी का प्रयास सराहनीय है, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि जो लोग अपनी भार क्षमता चेक कराना चाहते हैं अधिकारी लोग कहते हैं कि हमारा समय समाप्त हो गया है तो इसके लिए 15-20 दिन का समय और दे दिया जाए।

श्री रामवीर उपाध्याय-

चौहान साहब ने जहां तक गलत एफ0आई0आर0 की बात कही है।

चौधरी सत्यपाल सिंह-

मान्यवर, किसान के बिजली के मोटर की जब चेकिंग हो तो किसान की मौजूदगी रहनी चाहिए।

श्री रामवीर उपाध्याय-

हम कर देंगे। आपने कहा कि बड़े-बड़े चिलर नहीं चेक किया जा रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बड़े कनेक्शन हैं पहले उन्हीं को चेक करा रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि पिछले 50 सालों में जितनी एफ0आई0आर0 नहीं हुई होगी उतना हमने किया है, हमने रोका है, इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। हमने यह भी निर्देश दिये हैं कि जितने भी एक या दो हार्स पावर के कनेक्शन हैं उसको न चेक किया जाए उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 न लिखायी जाए, उनको हिदायत दे दी जाए कि आज से वह चोरी न करें। इसके बाद भी एक हार्स पावर का कनेक्शन है एक बल्ब या दो बल्ब है और चोरी करता है तो उसको व्यक्तिगत रूप से दिखवा लूंगा। यह कहना मा0 चौहान साहब कि बड़ों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है हम तो बड़ों पर ही कार्यवाही कर रहे हैं। हमने तो 13-13 करोड़ रुपये का असिस्मेंट किया है। हम लोग बड़ों को पकड़ रहे हैं, सैकड़ों जगह अधिकारी एक नहीं 5-5 हमारे अधिकारी भी सम्मिलित पाये गये। बिजनौर में गड़बड़ी पाए जाने पर पांच अधिकारियों को निलम्बित किया गया और 13 करौड़ का असिसमेंट किया गया। हमने डी0जी0एम0 बागपत को सस्पेंड करने जैसी कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं। बिगड़ी हुई व्यवस्था को बनाने में थोड़ा तो समय लगेगा ही।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने डा0 अजय तोमर, हुकुम सिंह, मदन चौहान और ऊर्जा मंत्री को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आगरा में ताज एक्सप्रेस-वे से प्रभावित किसान इसके विरोध में 18-2-08 को आयुक्त आगरा मण्डल के यहां अपनी बात कहने गये पहले तो उन्हें कार्यालय में घुसने नहीं दिया वहां से भगा दिया गया जब दुबारा किसान गये क्योंकि उनकी जो जमीन ली जा रही है उसके वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं तो दुबारा उनको लाठी चार्ज करके भगा दिया गया। अध्यक्ष जी ताज एक्सप्रेस-वे जो बन रही है उसमें जिन किसानों की जमीनें ली जा रही हैं वह किसान क्या करें आज 28 तारीख है सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि वहां आज से मुआवजा बंटेगा। मंत्री जी जब प्रश्नों का जवाब दे रहे थे तो उनके द्वारा कहा गया कि करार नियमावली के अनुसार कार्यवाही होगी। अध्यक्ष जी करार नियमावली में स्पष्ट है कि अगर वहां के जिलाधिकारी चाहें तो जो वर्तमान में वहां जो सर्किल रेट है उससे ज्यादा मुआवजा दिया जा सकता है। अध्यक्ष जी वहां पर न तो कोई अधिकारी पहुंचा न ही आज तक उन गांवों के किसानों को बुलाकर कहीं भी किसानों से वार्ता की गई जिन जमीनों की मौजूदा कीमत 35-40 लाख रुपये बीघा है उन्हें दो-तीन, तीन-चार लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो ताज एक्सप्रेस-वे बनेगा उस पर गरीब किसान नहीं चलेगा उसमें टोल टैक्स लगेगा वहां वह लोग चलेंगे जो टोल टैक्स देंगे। मेरी मांग है कि जैसे गंगा एक्सप्रेस-वे में जिन किसानों की जमीनें ली जा रही हैं उनको नौकरी दी जा रही है, उन्हें अन्य सुविधायें दी जा रही हैं वैसे ही ताज एक्सप्रेस-वे में किसानों को सुविधा मिले क्या यहां के किसान इस प्रदेश के निवासी नहीं है। मैं एक गांव में गया था तो मैंने सुना वहां किसान आपस में बात कर रहे थे कि आगरा जिले में पैदा होना अभिशाप है। चाहे ताज एक्सप्रेस-वे हो, आगरा विकास प्राधिकरण हो, आवास विकास परिषद् हो इन सबमें किसानों की कम से कम 10 हजार हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की गई। मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जब करार नियमावली में स्पष्ट है कि जिलाधिकारी चाहे तो। मेरा कहना है कि वहां सर्वे करा लिया जाय और जमीन का जो भाव वर्तमान में चल रहा है कम से कम उसी भाव पर किसानों को मुआवजा दिया जाय। यहां पर किसानों पर जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया वह परिवार अपने बच्चों के साथ वहां से निकलकर कमिश्नर को ज्ञापन देने जा रहे थे उन्हें जबरन रोका गया और लाठीचार्ज किया गया इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर मेरी मांग है कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा ली जाय।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जिला मजिस्ट्रेट, आगरा की सूचना के अनुसार दिनांक 18-2-2008 को आगरा में उर्स के स्थानीय अवकाश के दिन बिना किसी पूर्व सूचना के अखिल भारतीय यूनियन तथा राष्ट्रीय लोक दल के कुछ कार्यकर्ता जिनकी संख्या-80-90 के आस-पास होगी जबरदस्ती

कमिश्नर प्रांगण में पहुंच गये और सरकार के विरोध में नारेबाजी करने लगे। मान्यवर, घटना की सूचना मिलते ही उप जिला मजिस्ट्रेट सदर बल के साथ वहां पहुंच गये और बातचीत करके सद्भावपूर्ण वातावरण में उनका ज्ञापन लिया। मान्यवर, वहां पर किसी प्रकार का बल प्रयोग और लाठीचार्ज की बात नहीं हुयी। यह असत्य है। यह घटना नियम-56 में नहीं आती है। यह बल प्रयोग और लाठीचार्ज की घटना असत्य है, इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने धर्मपाल जी को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं। राम बिशुन आजाद जी, आपको आमंत्रित करने से पहले कहना चाहता हूं कि कृपया समय का ध्यान रखें।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, वहां पर किसानों पर लाठी चार्ज हुआ है। यह बिल्कुल गलत और भ्रामक रिपोर्ट भेजी है प्रशासन ने। आप इसकी जांच एजेन्सी से जांच करा लें।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, वहां किसानों पर लाठी चार्ज हुआ है।

राम विशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रदेश की ज्वलन्त समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नियम-56 के अन्तर्गत तात्कालिक अविलम्बनीय और लोक महत्व का इससे महत्वपूर्ण प्रश्न और कोई नहीं हो सकता है। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह कल्याणकारी सरकार जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है कि प्रदेश की जनता को यह प्रदूषित जल पीने पर मजबूर कर रही है। मान्यवर, प्रदूषित जल पीने से संक्रामक बीमारियों गैस्ट्रो, डायरिया आदि फैल रही है। मान्यवर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि लखनऊ के अन्तर्गत बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर बहुत ही पुरानी 60-70 साल पुरानी पाइप लाइनों से जलापूर्ति हो रही है जो कि जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है जिस कारण से लखनऊवासियों को प्रदूषित पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जलापूर्ति की लाइन के ऊपर से या अगल बगल से सीवर के पाइप गुजर रहे हैं और उनकी हालत भी बहुत जर्जर है उनका दूषित पानी इन पानी की पाइपों में जाता है और वह पानी प्रदूषित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो जल जनता को पीने को मिल रहा है वह प्रदूषित है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। प्रदेश के जितने भी नगर निगम हैं, कस्बे हैं, नगर पंचायतें हैं, नगर परिषद् हैं, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी जैसे महानगरों में जो जलापूर्ति हो रही है वह प्रदूषित है। जिसके चलते संक्रामक बीमारियां फैलने की समस्या बनी हुई है। मान्यवर, आने वाले समय में स्थिति और विस्फोटक हो जायेगी और वहां की जनता को संक्रामक रोगों का शिकार होना पड़ेगा। मान्यवर,

अगर यह सरकार जरा भी संवदेनशील है तो यह पाइप लाइनों को चेक कराये और सीवर लाइन को बदलवाने का काम करे ताकि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और इलाहाबाद जैसे महानगरों में लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिल सके।

(श्री उदय राज के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इसमें आप कहां हैं। ?

श्री उदय राज-

मान्यवर, आप नोटिस निकालकर देख लें।

श्री अध्यक्ष-

हां ठीक है।

श्री उदय राज-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक ऐसी समस्या पर जो पूरे प्रदेश के शहरों से जुड़ी हुई है, बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, निश्चित रूप से सारे सदन को अवगत है कि नगर निगम, नगर पालिकाओं में पीने के पानी की व्यवस्था जल संस्थान द्वारा करने का काम किया जा रहा है। हमेशा देखने को मिलता है कि जगह-जगह पर शहर के अन्दर पीने की पाइप लाइन के पड़ोस में सीवर लाइन डालने का काम किया है। पाइप लाइन लीक होने के कारण घरों में गन्दा पानी पीने को मिल रहा है जिससे तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आप राजधानी लखनऊ को देखें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जल संस्थान पीने का पानी देने में सक्षम नहीं है। पुराने लखनऊ में लगभग 70 किलोमीटर पीने की पाइप लाइन है जो पचास साल पुरानी है। उसको बदलने की योजना बनाई गई थी। विगत दो-चार वर्षों से सरकारी आंकड़ों से आप अंदाज लगा सकते हैं 70 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर लाइन बदलने का काम किया गया है। जितने पीने के पानी की आवश्यकता लखनऊ शहर को है उसकी पूर्ति करने में जल संस्थान सक्षम नहीं है। मान्यवर, राजधानी को 650 एम0एल0डी0 पानी की आवश्यकता है जबकि 400 एम0एल0डी0 पानी की सप्लाई होती है 250 एम0एल0डी0 पानी की सप्लाई कम की जा रही है। जो पानी की सप्लाई हो रही है उसमें भी लोग परेशान हैं पानी का लीकेज हो रहा है नालियां बंद हो रही हैं। अभी एक महीने बाद भयंकर गर्मी का मौसम होगा, गन्दे पानी की सप्लाई होगी उसका पानी पीना मजबूरी होगी तो निश्चित रूप से संक्रामक रोग फैलेंगे। बीमारियां फैलेंगी जिसका प्रभाव कुप्रभाव लोगों पर पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं यह लोकमहत्व का प्रश्न है सारे प्रदेश के लोगों के जीवन से जुड़ा प्रश्न है मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोककर इसमें चर्चा करायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सरकार प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल मिले इसकी सुनिश्चित व्यवस्था कर रही है। जहां तक इस विषय के कार्य-स्थगन का सवाल है एजेन्डा देखें मान्यवर आज नगर विकास विभाग का अनुदान आयेगा इसलिये कार्य-स्थगन के रूप में इसको स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं हैं न ही यह कार्य-स्थगन के लिये यह ग्राह्य होने योग्य है। इसलिए इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री उदयराज-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बैठे हैं मैंने अलग से एक समस्या को पूरे सदन के संज्ञान में लाने का काम किया है तो कुछ न कुछ तो समस्या के निराकरण के लिये मंत्री जी से जवाब दिलवा दें।

श्री राम विशुन आजाद-

भयंकर गर्मी मान्यवर, पड़ने वाली है अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो लखनऊ वासी संक्रमित बीमारियों की चपेट में आ जायेंगे। इन बीमारियों से निपटने के लिये मंत्री जी स्पष्ट रूप से जवाब दे दें। पानी की पाइप लाइन और सीवर लाइन को ठीक कराने का क्या यह सरकार काम करेगी।

श्री अध्यक्ष-

नगर विकास का बजट आज पेश होना है। उसमें है।

श्री राम विशुन आजाद-

बजट में कुछ नहीं लिखा है। मान्यवर, पाइप लाइन बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिये कोई बजट नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 सदस्य थोड़ा सा नियमावली पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष-

न भी पढ़ें तब भी काम चलेगा।

मैंने इस सूचना पर मा0 राम विशुन आजाद जी को सुना, मा0 उदय राज यादव को सुना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी जी की है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, नियम-56 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण सूचना की ग्राह्यता पर प्रकाश डालने के लिये आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसलिये मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, वाराणसी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से, व्यवसायिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर है। मैंने जो कार्य-स्थगन का प्रश्न उपस्थित किया है, उसमें एक निश्चित घटना का उल्लेख करते हुए और घटनाओं का भी उल्लेख किया है और इसमें कुल मिलाकर वाराणसी नगर की सिगरा, मंडुवाडीह, लंका, चौक, चेतगंज आदि थाना क्षेत्रों की सम्बन्धित घटनाओं का जिक्र किया है। मान्यवर, मैंने अपनी सूचना में कहा है कि दिनांक 26 फरवरी को सिगरा थाना के अन्तर्गत एक पौराणिक केन्द्र में रात को ताला तोड़ करके एक बड़ी चोरी की घटना को अन्जाम दिया गया जिसमें लगभग 7 लाख रुपये मूल्य की चोरी हुई है और उसके साथ-साथ मैंने 15-16 अन्य घटनाओं का तिथिवार भी उल्लेख किया है। मैं कहना चाहता हूं कि वाराणसी नगर एक संवेदनशील नगर भी है, महत्वपूर्ण नगर भी है और अच्छे अधिकारी भी वहां इस दृष्टि से भेजे जाते हैं। लेकिन इन घटनाओं से यह साबित होता है कि वर्तमान में वाराणसी नगर में जो अपराधी, अपराध में लिप्त हैं, उनके हवाले कर दिया गया है और मैं यह भी बताना चाहता हूं और सरकार यह कहती है कि जब से यह सरकार पदारूढ़ हुई है, तब से अपराध का ग्राफ घटा है लेकिन अध्यक्ष महोदय, धरती पर कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मान्यवर, लगातार अपराधिक घटनाएं घट रही हैं चाहे चोरी हो, हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे अपहरण हो, इन सारी घटनाओं का लगातार घटित होते रहना और इन घटनाओं को खोलने में पुलिस की विफलता यह साबित करती है कि अपराध और अपराधियों पर वाराणसी पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनका कोई अंकुश नहीं हैं, उनकी कोई हनक नहीं है और यही कारण है कि घटनाएं घटित होती जा रही हैं और अपराधियों का हौसला बढ़ता ही जा रहा है। मान्यवर, कार्य स्थगन की इस सूचना में मैंने एक घटना का उल्लेख किया है लेकिन इसके अतिरिक्त भी 14-15 घटनाओं का मैंने संक्षेप में तिथिवार उल्लेख किया है। यह सारी घटनाएं जो घटित हुई हैं, यह सभी विगत 1 महीने में घटित हुई हैं। और एक भी प्रकरण पुलिस खोल नहीं पायी है और न वास्तविक अपराधी को गिरफ्तार कर सकी है और जिनके यहां चोरी-डकैती हुई है, उन्हें भी पुलिस कोई राहत नहीं प्रदान कर पायी है। मान्यवर, यह जो मेरी सूचना है, वह चूंकि वाराणसी नगर के महत्वपूर्ण 7-8 थानों से सम्बन्धित है तो इसके कारण और कोई क्षेत्र बचत नहीं है। इसलिए यह अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है, एक निश्चित घटना के साथ अन्य घटनाएं भी हैं और सबसे बड़ी बात जो यह सरकार की जिम्मेदारी है, लोगों के जान-माल की हिफाजत करना। उनको सुरक्षा प्रदान करना। उनके मन में भयमुक्त जीवन जीने की जो कल्पना है उसको साकार करना। मान्यवर, यह अविलम्बनीय है, लोकमहत्व का है सुनिश्चित घटना है, जनजीवन से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपके

माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वाराणसी जैसे अतिमहत्वपूर्ण नगर की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर अधिकारियों का अंकुश नहीं रह गया है। उनकी हनक समाप्त हो गयी है तो इसकी रोकथाम की व्यवस्था करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अपराध नियंत्रण के लिए सरकार प्रभावी कार्यवाही कर रही है और इसका जीता-जागता उदाहरण है कि वर्ष 2007 में 13 मई से लेकर 31 जनवरी तक इस तरह की जो चोरी की घटनाएं हुई हैं इसमें लगभग 81-82 प्रतिशत माल बरामदगी की गयी है। इसके पहले जो घटनाएं होती थीं उसमें 30-34 प्रतिशत तक माल बरामदगी होती थी। इस सरकार के प्रबंधन का परिणाम है कि 82 प्रतिशत माल की बरामदगी हुई है। इसके साथ वाराणसी में चोरी की जो घटनाएं हुयीं उसमें सभी पर अभियोग पंजीकृत किया गया। 5 महत्वपूर्ण गिरोहों का भण्डाफोड़ करते हुए 11 घटनाओं का अनावरण करते हुए लगभग डेढ़ लाख की चोरी की गयी सम्पत्ति की बरामदगी की जा चुकी है शेष अभियोगों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा थाना-सारनाथ, थाना-सिगरा, थाना-गोलेबेलुपुर एवं थाना लंका में हुयी चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए माल बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दिनांक 21-02-08 की रात्रि पौराणिक ज्योतिष केंद्र, सिंगरा में चोरी की घटना का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं। नगर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं की रोकथाम की दिशा में रात्रिकालीन गश्त बढ़ा दी गयी है तथा भोर में विशेष गश्त लगायी जा रही है। दिन और रात में चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में विशेष सचल दस्ता भी गठित कर प्रतिदिन नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही हैं। मान्यवर, लगातार यह प्रयास हो रहे हैं और उसका नतीजा भी सामने आ रहा है विभिन्न अपराधों में जो महत्वपूर्ण अपराध हैं उसमें कमियां भी आयी हैं। और सरकार का यह पूरा प्रयास है कि अपराधशून्य प्रदेश हो। इसके लिए पूर्ण जिम्मेदारी के साथ सरकार काम कर रही है। जहां तक इस प्रश्न का प्रश्न है। यह एक स्थानीय प्रश्न है। कार्यस्थगन के रूप में ग्राह्य योग्य नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे अग्राह्य कर दीजिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इतना प्रतिशत घटा है अपराध और वाराणसी में भी इतने प्रतिशत अपराध खोलने में पुलिस सक्षम हुई है। जो घटित घटनाओं का मैंने अपनी सूचना में उल्लेख किया है वह 01 फरवरी, 2008 से लेकर 24 और 26 फरवरी, 2008 तक का मैंने उल्लेख किया है। माननीय मंत्री जी यह बताने में सक्षम नहीं है और न जिले से इनको सूचना प्राप्त हुई कि क्या इनमें से एक भी घटना पकड़ा गया, पुलिस खोलने में सक्षम हुई। यह दुःख का विषय है। इस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। इसलिए मैं

आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, जिम्मेदारी का सवाल है। आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के जानमाल की हिफाजत करें। उनको सुरक्षा प्रदान करें और वहां की पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, जो उसका परिणाम है उससे कहीं नहीं प्रमाणित हो रहा है कि वह अपनी संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि यह सरकार और सक्रिय हो, संवेदनशील हो, कोई प्रक्रिया अपनावे जिससे अपराधों पर अंकुश लग सके।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रस्तुत सूचना पर श्री श्यामदेव राय चौधरी व संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आती है इसलिए इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

इस पर आप शासन का ध्यान आकृष्ट करा दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें जांच के आदेश हो गये हैं। जांचोपरान्त जो भी आवश्यक होगा वह कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। एक व्यक्तिगत मामला श्री मुख्तार अंसारी जी का है।

श्री मुख्तार अंसारी-

मान्यवर, मैं इस सदन का तीन बार सदस्य जीतकर आया हूं। पहली बार 1996 में चुनाव जीता था और उसके बाद से लगातार तीन बार जीतकर आया हूं। मेरे ऊपर कई बार प्राणघातक हमले हो चुके हैं। मेरा गनर और मेरे भाई मारे जा चुके है। इधर मुझे पक्की जानकारी मिली है कि मेरे ऊपर फिर हमला करने की योजना बनायी गयी है। मैं 25 अक्टूबर, 2005 से जेल में निरूद्ध हूं। लगभग तीस महीने हो गये हैं और अदालत के आदेश से, अदालत की परमीशन लेकर सदन में आता हूं सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए। मान्यवर, जब मैं गाजियाबाद से लखनऊ जेल लाया जाता हूं तो मेरी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है और लखनऊ जेल से विधान सभा लाया जाता हूं तो मेरी सुरक्षा और शार्ट कर दी जाती है। दो तीन दिन पहले आपने सुना होगा, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब भी दिया था, मैं लखनऊ आ रहा था। मैं विधायक हूं मेरे कार्यकर्ता या समर्थक दो तीन गाड़ी में, जो जनता के काम होते हैं, उसके लिए आते हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे थे। हम तो बज्र वाहन में थे वह लोग अपनी गाड़ियों में थे।

उसमें एक श्री राधेश्याम मौर्य जी, जो कलेक्ट्रेट में अशोक स्तम्भ बन रहा है, उसके कार्यक्रम के लिए श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी से मिलने आ रहे थे तथा अन्य पांच लोग भी थे, उनके पास अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर थी, झूठा मुकदमा लगाकर बंद कर दिया। इसी तरह से एक गाड़ी और थी। मान्यवर, 21 लोगों को बंद किया गया। जिन 21 लोगों को बंद किया गया उसकी इन्होंने जांच करायी लेकिन उस 21 में से 20 लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं पाया गया, केवल एक लड़के पिन्टू राय के ऊपर मुकदमा था। एक आदमी की वजह से सभी पर मुकदमा लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन अदालत से उन्हें जमानत मिल गयी और वह रिहा हो गये। मैं आपसे चाहता हूं कि इन बेगुनाह लोगों के ऊपर जो झूठे मुकदमें लगाये जा रहे हैं वह सब समाप्त कर दिये जायें। मान्यवर, बहन मायावती जी ने एलान किया था कि किसी के ऊपर झूठा मुकदमा नहीं लगाया जायेगा। मैं भी सदन का सदस्य हूं इस नाते व्यवस्था चाहता हूं कि आप किसी भी दूसरे अधिकारी से इसकी जांच करा लें। अगर वह लोग निर्दोष हों, अपराधी न हों, सभी के असलहें लाइसेंसी और दूरूस्त हों तो उनके मुकदमें समाप्त करें। अगर यह मुकदमें समाप्त नहीं होंगे तो यह मुख्तार गिरोह के सदस्य हैं उनकी चार्जशीट खुल जायेगी और अपराधी घोषित कर दिया जायेगा। मेरा आपके ऊपर विश्वास है, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है मेरे साथ, मान्यवर, मेरे ऊपर कई बार आक्रमण हुए हैं। इस सदन में मैंनें कुछ महीना पहले एक प्रश्न उठाया था और हमने फरियाद की थी कि सदन में मेरी हत्या करने की योजना बनाई गई, मैं जेल से जब सदन में आता हूं तो लोगों ने मेरी बात को नहीं माना, लेकिन जब मैंनें बहुत जिद की तो आप बैठे हैं जो विधान सभा अध्यक्ष थे उस वक्त और माननीय मुलायम सिंह जी से जब हमने बहुत जोर दे कर इस बात को कहा तो उन्होंने वायदा किया कि ठीक है, सदन से, आपकी उस कुर्सी से बैठ कर अध्यक्ष जी ने भी यह ऐलान किया सदन में कि हां इसकी जांच एस0टी0एफ0 से कराई जायेगी। मान्यवर, मेरे पास एक सी0डी0 मौजूद है जिसमें अपराधी ने स्वीकार किया है कि मुख्तार अंसारी की हत्या सदन के दूसरे मंजिल पर जिसमें मुख्य मंत्री बैठते हैं वहां हम मारने गये थे। यह सी0डी0 आप देख लीजिए, क्या आज तक एस0टी0एफ0 ने उसकी जांच की। मुझे पक्की जानकारी है कि जांच शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता का फोन आया कि यह जांच नहीं होगी, बन्द कर दी जाये। मान्यवर, मैं हाथ जोड़ कर आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूं कि आप यह सी0डी0 देख लीजिए। इस सदन के सभी सदस्यों की जिन्दगी खतरे में है। आज मेरी हत्या पैसा ले करके की जा सकती है, तो कल किसी भी सदस्य की हत्या की जा सकती है। जब इस सदन में कोई विधायक सुरक्षित नहीं है तो हिन्दुस्तान में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा यह मेरी सी0डी0 दिखवा लीजिए, उस अपराधी ने स्वयं बयान पुलिस के सामने दिया है। क्या इस अपराधी को पकड़ लिया गया ? क्या इस अपराधी से कुछ पूछा गया ? इसने खुद बयान दिया है कि मैं

राज्यपाल के सुरक्षागार्ड का पास लगा कर पिस्टल और ए0के0-47 लेकर सदन में पहुंचा था हत्या करने के लिए लेकिन मुख्तार अंसारी किसी दूसरे रास्ते से भाग गया। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसकी आप जांच करा लें। एक वक्त था जब हमने मांग की थी और हमारी मांग को ठुकरा दिया गया और मैं चाहता हूं कि अगर आप समय से जांच करा लेंगें तो कोई भी दुर्घटना होने से बच सकती है, यही मेरी मांग है। मान्यवर और मेरी मांग है कि जब मुझे सदन लाया जाता है, या जब मुझे जेल ले जाया जाता है या जब मुझे अदालत में पेशी पर ले जाया जाता है, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि आप यहां के पुलिस के लोंगों को निर्देश दें कि हमारी सुरक्षा में पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाये क्योंकि जब मेरे आदमियों को साथ चलने नहीं देंगें, जिन पर कोई भी मुकदमा नहीं, गांव प्रधान, जिला पंचायत का सदस्य बी0डी0सी0 उनको भी चलने नहीं देंगें तो आखिर मैं अपनी जान कैसे बचाऊं ? यह आप ही से मैं फरियाद कर रहा हूं। इसलिए आप हमारे साथ इंसाफ करें। मान्यवर, आपसे एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारी दुश्मनी जो है, हमारे ऊपर कई बार आक्रमण हुए हैं और इस प्रदेश के पुलिस विभाग के मुखिया जो हैं डी0जी0पी0 महोदय वह अपराधियों, जो बृजेश सिंह हैं, त्रिभुवन सिंह हैं, उनसे उनके सगे सम्बन्ध और पुराने रिश्ते हैं और वह सब लोग मिल करके डी0जी0पी0 महोदय भी मिल करके सारे लोग चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी मार दिये जायें। इसलिए मैं चाहता था अध्यक्ष जी कि मेरी बात आज इस सदन में सभी सदस्य सुन लें ताकि अगर मेरी हत्या हो तो यह सदन यह गवाह रहे कि मुख्तार अंसारी ने अपनी सुरक्षा की फरियाद की थी, उसके बाद भी किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी और आक्रमण हुआ। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूं, नमस्ते।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह माननीय सदस्य जिला कारागार में निरुद्ध हैं और इनको ले आने, ले जाने की व्यवस्था जिला से पुलिस बल के साथ किया जाता है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, मय बज्र वाहन के, उससे लाया जाता है। मान्यवर, सरकार पूरी तरह से इनको ले आने, ले जाने में सुरक्षा का पूरा इन्तजाम करेगी। उसमें कहीं से भी कोई शिथिलिता नहीं बरती जायेगी। मान्यवर, दूसरी तरफ भी व्यक्ति, सरकार की मशीनरी का कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई अपराध कराने में या अपराध करने में उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता है। पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था चाहें वह सदन में लाने के समय हो, चाहे अस्पताल में ले जाने के समय हो, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी। हां माननीय आजम साहब आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह यह मामला जरा गम्भीर हो गया मामला कि इसी सदन के एक सदस्य ने एक सी0डी0 दिखाई है और उसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नाम ले कर उन्होंने एक आरोप लगाया है श्रीमन्।

मान्यवर, किसी सदस्य को भी यह शोभा नहीं देता कि वह इतने बड़े अधिकारी पर आरोप लगाये। उसी तरह इतने बड़े एक अधिकारी के खिलाफ ऐसा आरोप लगे यह भी शोभा नहीं देता। यह गम्भीर और संगीन मामला है। मान्यवर, यह स्थिति कई वजहों से पैदा हुई है। इसे अन्यथा न लें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। मेरे बारे में आप कोई राय रख सकते हैं। लेकिन मुझे आप आतंकवादी तो नहीं मानेंगे। 35 साल की मेहनत और तपस्या का रंग शायद बिगड़ गया जब मैं अपने बेटे के साथ अमीर आलम साहब सांसद के बेटे के वलीमे में शरीक होने के लिये जा रहा था। तब तक एक वायरलेस मैसेज थाना छाजलैट भेजा गया था कि काले रंग की एक संदिग्ध गाड़ी आ रही है इसमें आतंकवादी हो सकते हैं इसकी सघन चेकिंग की जाये। वहां पुलिस फोर्स ने बैरियर लगाकर राइफल्स आदि तान लीं। मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा था जो इलेवेंथ क्लास में पढ़ता है, मैं उसे बाहर पढ़ने के लिये भेजना चाहता हूं। वहां दरोगा के हाथ में नंगी रिवाल्वर थी। क्योंकि वायरलेस पर मैसेज था इसलिए वहां मेरे आने से पहले ही वे वहां आ गये थे। मान्यवर, अगर उस समय मेरी गाड़ी एक कदम भी और आगे बढ़ जाती बजाय रुकने के तो शायद गोलियों से भून दी जाती। फिर यही कहा जाता कि साहब मुझे मालूम नहीं था कि इसमें माननीय मोहम्मद आजम खां साहब थे फिर उन्हें माफ किया जाता। यह एफ0आई0आर0 जो मिली है वह मेरे पास है। वह वायरलेस मैसेज हुआ। मान्यवर, अब अगर मेरे जैसा व्यक्ति आतंकवादी हो सकता है, मेरा बेटा आतंकवादी हो सकता है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या हालत होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं ? मान्यवर, मेरे ऊपर सेवन क्रिमिनल ऐक्ट के मुकदमें चल रहे हैं। मेरा मासूम बच्चा भी अपराधी है केवल मेरे गनर को छोड़ दिया गया है क्योंकि वह पुलिस का आदमी है। मान्यवर, इस तरह से हालात बहुत खराब हो गये हैं बहुत ज्यादा बिगड़ गये हैं। आपने जो थाने खुलवाये और लोगों पर मुकदमें कायम करवा दिये हैं उनसे बहुत अच्छा संदेश नहीं गया है। शायद यही चाह जा रहा है कि इस तरह से राजनीति में काम करने वाले लोगों के प्रति नफरत घृणा पैदा कर दी जाये उन्हें मिटा दिया जाय उन्हें फना कर दो। मान्यवर, मैं अपने किये की सजा पा रहा हूं। लेकिन बहुत संख्या बल के आधार पर यह जो बातें हैं यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मेलजोल का माहौल बने।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह जो माहौल बना है क्या इस तरह से आप लोगों को मिटा देंगे। इस पर विचार कर लें। यह बहुत अच्छा हो इसके नतीजे अच्छे हों तो बात अलग है। लेकिन नतीजे बुरे हों तो फिर आपको इसी तरीके की बातें सुनने को मिलेंगी। उनका क्या इतिहास है, यह अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी हैं इसका फैसला करने के लिए तो न्यायालय है। वह मामला दूसरा है, आपको भी मालूम है कि एक गैंगवार है। एक फांसी का फंदा लटका हुआ है। एक सिर चाहिये। कितने सिर उसमें आ चुके हैं ? उसमें हर शख्स चाहेगा अपना सिर बचाना। मान्यवर, आपके पास उसकी सी0डी0 आ गयी है। एक बड़े अधिकारी पर इतना बड़ा इलजाम लगाना न उन्हें शोभा देता है न उस अधिकारी को शोभा देता है। सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मान्यवर, हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, माहौल बहुत अच्छा नहीं है। इस पर आप सोचें। मान्यवर, जब आप इस पर जवाब देंगे तो मुझे मालूम है कि आपकी मजबूरी है। मैं भी जब वहां पर था तो मेरी भी मजबूरी होती थी। यह रिफलेक्शन हो रहा है जिस कारण आज आप वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन हालात बहुत खराब हैं। लोगों के बीच इन सबका बहुत अच्छा संदेश नहीं है। लोग अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। यह मान लिया गया है कि मेरा जैसा व्यक्ति भी आतंकवादी हो सकता है, गद्दार हो सकता है, मेरा 11 वर्ष का बेटा भी गद्दार मान लिया गया है ? लोगों में शायद संदेश अच्छा नहीं है। यह मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्तार अंसारी जी को जेल से सदन तक जो व्यवस्था थी, जो व्यवस्था आपने बतायी है उस व्यवस्था के तहत उन्हें लाया जाय। उनकी सुरक्षा का ध्यान रहे। यह व्यवस्था सुदृढ़ कर लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ठीक है, जो आपके आदेश।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर श्री मुख्तार अंसारी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग

नगर विकास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,15,67,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं करोड़ों, करोड़ों कमजोरों, असहायों, दलितों एवं पिछड़ों के मसीहा परमपूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर, कांशीराम जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए यहां पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोग आज इस नगर विकास के बजट भाषण में सम्मिलित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की मूल आबादी का 20 प्रतिशत से अधिक लोग शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। आने वाले दिनों से शहर की ओर पलायन और तीव्र गति से बढ़ेगा। परिणामस्वरूप नगर विकास विभाग को स्वच्छ जलापूर्ति, स्वच्छता और अवशिष्ट कूड़ा प्रबन्धन, पर्यावरण सड़क परिवहन आदि में उपलब्ध सेवाओं के स्तर का सुधारने के लिए युद्धस्तर पर जुटना होगा। वर्तमान सरकार माननीय मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कटिबद्ध है। शुद्ध पेयजल, उपयुक्त सफाई व्यवस्था तथा सड़कें, समुचित यातायात, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सुविधायें प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराना इस सरकार की प्राथमिकताओं में से है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आभार प्रकट कर रहा हूं कि बहुमुखी सोच की धनी माननीया मुख्य मंत्री जी का इन्हें पूर्ण आभास है कि आने वाले समय में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का डटकर मुकाबला करना होगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने शासनकाल में नगर विकास विभाग एवं शहरी समग्र विकास विभाग दो स्वतंत्र मंत्रालयों की स्थापना ही नहीं की बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं को तत्काल प्रारम्भ करने के निर्देश भी दिये जिनकी जानकारी मैं इस सदन को समय-समय पर देता रहूंगा। इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों के संज्ञान में है कि वर्ष 2005 के लिए बजट की धनराशि लगभग साढ़े तीन अरब रुपये थी जब कि इस वर्ष यह धनराशि बढ़ाकर लगभग सात गुना कर दी गयी है जो इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाले समय में बिना किसी भेदभाव के सम्पूर्ण प्रदेश को ....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अपनी मदद के लिए है लेकिन आप सही कह रहे हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इधर देख लिया करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इनका चेहरा पसन्द आ जाये, उनका तो बिल्कुल नहीं पसन्द आयेगा। इधर देख लिया करें जिसका चेहरा अच्छा लगे थोड़ा बहुत।

श्री सतीश महाना-

इन्हीं का चेहरा देख लिया करो।

श्री प्रमोद तिवारी-

अच्छा मेरी तरफ देखकर बोल देना, कोई बात नहीं।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, बिना किसी भेदभाव के सम्पूर्ण प्रदेश को जमीनी सुविधाओं के साथ-साथ पूरी तरह से सजाना और सवारना चाहती है क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मातृभूमि को सजा हुआ और सवरा हुआ देखना चाहता है। भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश में आज 400 से अधिक माननीय सदस्यों की संख्या है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीया सुश्री मायावती जी के 2 संदेश इस सदन को देना चाहता हूं। पहला उनका संदेश है कि जरा सोचिये कि क्या हमारे साथ कुछ जायेगा, उत्तर आता है जी नहीं तो काहे की हाय तोबा। तो आइये हम सभी लोग मिलकरके इस सम्पूर्ण प्रदेश को स्वस्थ, आत्मनिर्भर, भेदभाव रहित एवं आदर्श प्रदेश बनाने की दिशा में अपना-अपना योगदान सुनिश्चित करें। दूसरा माननीया मुख्य मंत्री जी का यह भी कहना है कि हम सभी लोगों को फलदार वृक्ष की तरह आचरण करना चाहिए। हमारा यह आचरण ऐसा जो सामान्य जीवन शैली में स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित हो, दिखाई पड़ना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी का स्पष्ट आशय है, वह चाहती है जब आप सभी लोग जब आपके पास आज सब कुछ है।

(इस समय 2 बजे अधिष्ठाता डा0 पी0के0 राय पीठासीन हुए।)

माननीय अधिष्ठाता जी, तो आइये आने वाले समय में एक ऐसा अनूठा प्रयास करें जिससे उत्तर प्रदेश के एक-एक नागरिक के पास वह सारी सुविधायें मुहैया हों, वह सारी सुविधायें उपलब्ध हों जो एक नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने के लिये आवश्यक है। आज हमारे समक्ष सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है जो सम्पूर्ण समाज को खोखला करने के साथ एक ऐसे वातावरण को उत्पन्न कर रही है जिसमें मातृभूमि से प्रेम, सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास, भेदभाव का जड़ से सफाया आदि का कोई स्थान नहीं रह जाता। अतः मैं आप सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आने वाले वर्षों में हम सिर्फ दूसरों के लिये जियें और उनकी समस्याओं का समाधान करें और अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिये कृतसंकल्प हों और ऊंच-नीच और भेदभाव को आमूल नष्ट कर दें तभी प्रदेश का समग्र विकास सम्भव है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के 60 साल बीत जाने के

बाद भी हम अपने अन्नदाताओं से मुंह छिपाये बैठे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज 21 प्रतिशत के अलावा लगभग 80 प्रतिशत आबादी हमारे गांवों में निवास कर रही है, न तो इनके पास दोनों वक्त की रोटी है, न उनके पास कपड़ा है, न उनके पास जीने के साधन हैं और जो मात्र 20 प्रतिशत लोग हैं, वह अपने लिये सारी सुविधओं को सजाने संवारने में लगे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा कि आज 21 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही है। जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में पलायन, नगरीय यातायात में दिन-प्रतिदिन हो रही वृद्धि आदि कारणों से शहरों की अवस्थापना सुविधाओं पर गम्भीर दबाव आ गया है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है स्वच्छ जलापूर्ति की व्यवस्था होना। अभी एक माननीय सदस्य महोदय यहां चर्चा कर रहे थे कि 70 किमी0 की लाइन पूरे लखनऊ जनपद में खराब हो चुकी है इससे पेयजल दूषित है। मैंने लखनऊ जनपद का पिछले 10 महीने में कई बार भ्रमण किया है और मैंने जाकर देखा है कि पूरे का पूरा क्षेत्र आज ऐसा है कि जहां पर उन्होंने अपने लिये ही एक पूरा जल संस्थान खोल रखा है और वह घरों-घरों में पाइपों के माध्यम से पानी पहुंचाते हैं और जब वहां पर किसी तरह की बीमारी आदि फैलने लगती है तो उसका सारा का सारा ठीकरा शासन के ऊपर मढ़ने का काम करते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में 628 नगर निकाय हैं। जिनमें 12 नगर निगम, 194 नगरपालिका, 422 नगर पंचायतें हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि इन 628 नगर निकायों में से 625 नगर निकायों में आज शासन के द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि अभी समस्त घरों में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था एवं स्वच्छता की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं और नगरीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा मलिन बस्तियों में निवास करता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सीवर व्यवस्था राज्य के 15 प्रथम श्रेणी के शहरों में उपलब्ध है और वह भी मात्र आंशिक रूप से। नगरों में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट कूड़े का अभी शत-प्रतिशत प्रबन्धन एवं निस्तारण नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार इन चुनौतियों का सामना करने के लिये कटिबद्ध है। शुद्ध पेयजल, उपयुक्त स्वच्छता व्यवस्था, सुदृढ़ सड़कें, समुचित यातायात, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सुविधायें प्रदेश के सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिये इन सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार नगरों हेतु अपने विकास की दृष्टि को सफल बनाने के लिये तथा नगरीय क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिये नगरों के एकीकृत तथा समग्र तथा संतुलित विकास के लिये प्रतिबद्ध है। इसी परिप्रेक्ष्य में पहली बार शहरी अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु राज्य स्तर पर पहल करते हुए **"मा0 श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना"** प्रदेश में लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत

प्रदेश के नगरों के सुनियोजित एवं चरणबद्ध ढंग से समग्र विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमों आदि से संतृप्त किया जाना है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में **रु0 500.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है। इसी क्रम में अपने उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए एवं शहरों के समग्र, संतुलित एवं सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिये हमारी सरकार द्वारा अलग से **शहरी समग्र विकास विभाग** का गठन किया गया है। इस विभाग के माध्यम से नगरीय सेवायें सुलभ कराने में जुड़े सभी विभागों के मध्य समुचित समन्वय सम्भव होगा। हमारी सरकार का उद्देश्य शहरों का समग्र एवं संतुलित विकास करना है, ताकि कोई भी नगरीय निकाय विकास की मुख्य धारा से अलग न होने पाये। इस हेतु प्रदेश के कम जनसंख्या वाली ऐसी छोटी नगरीय निकायें जो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना से आच्छादित नहीं हो पाये हैं, में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु **आदर्श नगर योजना** लागू की गयी है, जो हमारी सरकार का एक अभिनव प्रयास है। इस योजना का वित्त पोषण 90:10 के अनुपात में किया जाना है अर्थात् 90 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार तथा 10 प्रतिशत धनराशि नगरीय निकाय द्वारा वहन की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2007-08 में इस योजना हेतु रु0 30.00 करोड़ की व्यवस्था की गयी थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2008-09 में **रु0 100.00 करोड़** की बजट व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश सरकार नगर निकायों की स्थिति को सुदृढ़ करने एवं विकेन्द्रीकरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की दिशा में सतत् प्रत्यनशील है। इसका मुख्य ध्येय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से नागर निकायों को स्वायत्ता प्रदान करना है, ताकि संविधान के 74वें संशोधन की मूल भावना को पूर्णरूपेण लागू किया जा सके। 74वें संविधान संशोधन के प्रभावी होने के फलस्वरूप प्रदेश के नागर निकायों द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था अपने स्रोतों से करनी है। अधिकांश निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण वे अपनी निजी स्रोतों से अवस्थापना सम्बन्धी कार्य कराने में सक्षम नहीं हो पा रही है। अतः नागर निकायों में जनहित से जुड़े तात्कालिक महत्व के अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार एवं विकास कार्यों हेतु नागर निकायों के प्रस्ताव पर उन्हें ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु **'मा0 कांशीराम जी नगर विकास योजना'** प्रारम्भ की गयी है। इसके लिये वित्तीय वर्ष 2007-2008 में रु0 200.00 करोड़ की बजट व्यवस्था थी तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 में भी **रु0 200.00** करोड़ का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

जल ही जीवन है। नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को शुद्ध **पेयजलापूर्ति** सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इस हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत अधूरी पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु0 21.00 करोड़ की बजट व्यवस्था थी। योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिये वित्तीय वर्ष 2008-09 में **रु0 14.00 करोड़** का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त पेयजलापूर्ति हेतु **जिला योजना** के

अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2007-08 में रु0 50.00 करोड़** की बजट व्यवस्था की गयी थी, जबकि वित्तीय वर्ष **2008-09 में रु0 60.00 करोड़** का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

नगरीय सीवरेज कार्यक्रम की चालू अधूरी योजनाओं को पूर्ण करने हेतु **नगरीय सीवरेज कार्यक्रम** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2007-08** में रु0 15.00 करोड़ की बजट व्यवस्था कराई गई थी। अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिये वित्तीय वर्ष **2008-09 में रु0 12.50 करोड़** का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है। आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वाराणसी नगर तथा इलाहाबाद नगर में जे0बी0आई0सी0 की सहायता से गंगा कार्य योजनान्तर्गत सम्पूर्ण शहर की सीवरेज योजना की वर्ष 2030 तक की आवश्यकता हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रस्तावित सीवरेज कार्यों के लिये **वाराणसी नगर में भूमि अधिग्रहण हेतु रु0 7.72 करोड़** तथा **इलाहाबाद नगर में भूमि अधिग्रहण हेतु रु0 3.75 करोड़** आय-व्ययक में प्राविधान किया गया था। इन परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु0 एक हजार का प्रतीक प्राविधान किया गया है ताकि भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर तत्समय पुनर्विनियोग कर धनराशि स्वीकृत की जा सके।

आगरा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शहर है, परन्तु आगरा नगर की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उचित गुणवत्ता का कच्चा जल उपलब्ध नहीं है। इस समस्या के दीर्घकालीन निदान हेतु अपर गंगा कैनाल के पलरा-हेडवर्क्स (बुलन्दशहर) से गंगा जल को आगरा नगर तक लाये जाने हेतु वाह्य सहायतित **आगरा पेयजलापूर्ति योजना** बनाई गई है। योजनान्तर्गत टिहरी डैम से 150 क्यूसेक कच्चा जल लाया जायेगा, जिसमें से 140 क्यूसेक आगरा के लिये तथा 10 क्यूसेक मथुरा के लिये होगा। योजना की अनुमानित लागत रु0 1176.98 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में इस योजना हेतु रु0 7.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु0 90.00 करोड़ का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त आगरा, मथुरा एवं वृन्दावन नगरों की पेयजल समस्या के निदान हेतु यमुना नदी पर निर्मित गोकुल बैराज को अपनी पूरी क्षमता पर कार्य करने हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु0 45.75 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु0 एक हजार का प्रतीक प्राविधान किया गया है, ताकि आवश्यकतानुसार तत्समय पुनर्विनियोग कर धनराशि स्वीकृत की जा सके।

भारत सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं नगरीय निर्धनों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से **'जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन' (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) योजना** क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में प्रदेश के 7 शहर यथा-कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद तथा मथुरा को सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष **2007-08 हेतु रु0 1380.00 करोड़** (केन्द्रांश

+ राज्यांश) का आय-व्ययक में प्राविधान कराया गया था, जिसके सापेक्ष विशेष प्रयास कर अब तक लगभग **रु0 1925.00 करोड़** की योजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत करायी जा चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2008-09 में उत्तर प्रदेश हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमानित आवंटन के दृष्टिगत इस हेतु **रु0 850.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के क्रियान्वयन, परियोजनाओं के अनुश्रवण एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (स्थानीय निकाय निदेशालय) के स्तर पर **प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी0एम0यू0)** का गठन किया गया है। इस हेतु वर्तमान **वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु0 1.00 करोड़** का बजट प्राविधान किया गया है।

10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु भारत सरकार की सहायता से **'अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स' (यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0) योजना** क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु0 282.00 करोड़ का आय-व्ययक में प्राविधान कराया गया था, जिसके सापेक्ष विशेष प्रयास कर अब तक लगभग **रु0 1013.00 करोड़** की योजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत करायी जा चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2008-09 में भी इस हेतु **रु0 282.00 करोड़** का प्राविधान किया गया है।

नदियां पेयजल आपूर्ति की न केवल प्रमुख स्रोत हैं वरन् आस्था की भी प्रतीक है। नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस हेतु **नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम** भारत सरकार की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश की नदियों, गंगा, यमुना तथा गोमती के तट पर स्थित 23 नगरों के अन्तर्गत नदी प्रदूषण नियंत्रण के कार्य कराये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये इस परियोजना के अन्तर्गत राज्यांश मद में रु0 53.88 करोड़ का आय-व्ययक में प्राविधान किया गया था। उत्तर प्रदेश हेतु भारत सरकार द्वारा सम्भावित आवंटन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2008-09 में **रु0 32.03 करोड़** का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

प्रदेश की नदियों को प्रदूषण मुक्त किये जाने के साथ ही साथ प्रमुख झीलों को भी प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु भारत सरकार की सहायता से **'झील संरक्षण योजना'** क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की 4 झीलों/तालों नामतः रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर), मानसी गंगा ताल (गोवर्धन नगर जनपद मथुरा), लक्ष्मी ताल (झांसी नगर) तथा मदनसागर ताल (महोबा नगर) की योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं, जिसके लिये राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष **2007-08 में रु0 4.50** करोड़ का प्राविधान किया गया था। इनमें से मानसी गंगा की

योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो गयी है झील संरक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 से रु0 3.00 करोड़ का आय व्ययक प्राविधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा गठित साझा वित्त विकास कोष पी0एफ0डी0एफ0 के द्वारा शहरों में अवस्थापना परियोजनाओं के लिए बाजार से संसाधन जुटाने के विकल्प को मूर्त रूप देने की दिशा में एक और अभिनव प्रयास है। इस योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश के नगरीय निकाय अपनी साख के आधार पर बाज़ार से ऋण लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सक्षम हो सकेंगे। उक्त योजना के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त करने हेतु राज्य में एक राज्य साझा वित्त संस्था गठित की जा रही है जिसके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 में दो करोड़ और वर्ष 2008-09 में पुनः दो करोड़ का प्राविधान किया गया है। जहां तक नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रश्न है इस सम्बन्ध में हम सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि शहरी गरीबों को आवास, बेहतर अवस्थापना सुविधाएं एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 के बजट में गत वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। वर्ष 2007-08 में 417 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई थी जिसकी तुलना में वर्ष 2008-09 में 598.22 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है जो कि पूर्व बजट से 40 प्रतिशत अधिक है, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि नगर विकास में वह सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जाता है जिसके कारण नगरों की स्थिति अच्छी हो अच्छी सड़कें हों, अच्छा यातायात हो और प्रकाश की व्यवस्था अच्छी हो सारी मूल भूत सुविधाएं उपलब्ध हों। शहर में रहने वाले गरीबों के बारे में इस तरह की कोई योजना नहीं थी जिससे उनका विकास हो सके। पहली बार बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में एक वृहद् निर्णय लेते हुए इस योजना को क्रियान्वयन करने का प्रयास किया जायेगा आखिर जो हमारे गरीब शहर में रह रहे हैं मलिन बस्तियों में रह रहे हैं उनके उद्धार के बारे में किसी न किसी को सोचना होगा। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में 16 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया था इसके सापेक्ष वर्ष 2008-09 में 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है। जो पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। अधिष्ठाता महोदय, इसी क्रम में एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 158 करोड़ के आय व्ययक की व्यवस्था की गई थी जिसके सापेक्ष वर्ष 2008-09 में 242 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई जो पिछले वर्ष की तुलना में 53 प्रतिशत अधिक है। अधिष्ठाता महोदय, आज आपके संज्ञान में लाते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, कानपुर महानगरों में भवन बनाने प्रारम्भ कर दिये हैं यह दो कमरे का भवन होगा जो मलिन बस्तियों में रहने वाले जो बेसहारा लोग हैं जिनके पास कोई अधिक धन अर्जित करने की व्यवस्था नहीं है जिनके लिए शहर में मकान बनाने का एक सपना होता था उस सपने को साकार करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने वर्ष 2008-09 में यह पहली सरकार है जिसने यह व्यवस्था की है इसमें आवास

लागत का नाम मात्र 10:12 अंशदान लेकर आवास उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। इसमें स्थानीय नगर निकायों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख आवासों का लक्ष्य है।

श्री सतीश महाना-

यह 10:12 का अनुपात क्या है ?

श्री नकुल दूबे-

अगले 5 सालों में ढाई लाख आवासों का लक्ष्य है। कुल ढाई लाख आवास बनायेंगे और छोटे शहरों में 1 लाख रुपये में और बड़े शहरों में 1 लाख 50 हजार रुपये में आवास उपलब्ध करा दिये जायेंगे माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके संज्ञान में यह लाते हुए हर्ष हो रहा है कि बिना केन्द्रीय सहायता के शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, बाहुल्य बस्तियों में शहरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार के बजट में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत 90 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। शहरी गरीबों को आवास एवं बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार भी उपलब्ध कराना है। शहरी क्षेत्र के बेरोजगार एवं अल्प रोजगारशुदा व्यक्तियों को कौशल उन्नयन द्वारा स्वरोजगार में स्थापित करने का विशेष प्रयास किया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि शहरी गरीब महिलाओं के सशक्तीकरण की ओर विशेष बल दिया जा रहा है इस हेतु शहरी क्षेत्र में महिलाओं एवं बाल विकास योजना में अधिक से अधिक समितियों का गठन एवं वित्त पोषण हेतु विशेष प्रयास किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 2008 तक 65 हजार नगरीय निर्धनों को स्वरोजगार हेतु लाभांवित किया गया है। वर्ष 2008-2009 में 1 लाख लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाया जाना लक्षित है। माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से इस सम्मानित और पवित्र सदन को मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि नगर विकास एक बहुत ही वृहत विषय है। इसमें आपका जनपद, हमारा जनपद और पूरे प्रदेश के जनपद सम्मिलित होते हैं लेकिन हमको एक बात नहीं भूलनी चाहिए वह बात यह है कि इस सम्पूर्ण प्रयासों से हम लोग मात्र अपनी जनसंख्या के 21 प्रतिशत लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और 79 प्रतिशत लोग इन सुविधाओं से मरहूम रहते हैं। मेरा कहने का आशय यह है कि नगर निकायों की संख्या 628 है जिसमें से 12 नगर निगम जो कि बड़े शहरों में लखनऊ आदि में उसके बाद नगर पालिकाओं की स्थिति आती है और नगर पालिका के बाद नगर पंचायतें जो कि आपके ब्लाक स्तर पर आपके संज्ञान में हैं इसके बाद आप उन नगर पंचायतों के अगल बगल के 4-5 कि0मी0 के बाद के गांवों में जाते हैं तो आपको वहां पर शून्यता की स्थिति दिखाई पड़ती है। यह विषय अत्यन्त गम्भीर है इसलिये मैं माननीय सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि नगर विकास के साथ-साथ आप ऐसे क्षेत्र के विकास के बारे में भी चिन्तित

हों क्योंकि हमारे आपकी रोजी, रोटी की व्यवस्था वहीं की जाती है। जब उनसे जाकर यह पूछा जाता है कि प्रदूषण जानते हो तो प्रदूषण के बारे में उसे नहीं पता। जबकि उसके बगल में चीनी मिल उसकी उम्र को घटाने का काम कर रही है। मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं सम्मालित सदन के सामने एक बात और कहना चाहता हूं, एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हमको तो अच्छा पार्क चाहिए, हमको अपने घर के आगे स्ट्रीट लाइट चाहिए, हमको अपने घर के आगे अच्छी सड़क चाहिए ताकि जब हम निकलें तो हमको जरा सा झटका न लगे लेकिन उस झटके के बारे में सोचिये जहां आजादी के साठ साल के बाद भी जब हम अपने आप को सेटेलाइट, अपने आप को कम्प्यूटर का और अपने आप को लैप टॉप का आदमी कहते हैं हमारे बीच में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो शहरी क्षेत्र के होंगे। बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आये हैं। इनको वास्तविक समस्याओं को बहुत करीब से देखने का अनुभव होगा। आज भी अगर गांव के क्षेत्र में चले जाइये और वहां पर जाकर के अगर 100 घर आपको दिखाई पड़े तो आप वहां पर एक कदम चलकर उन घरों के खाली कनस्तर देखना शुरू करिये तो आपको सौ में से 40-40, 50-50 कनस्तर खाली दिखाई पड़ते हैं। अगर वहां सुबह भोजन बन जाता है तो सायं काल भोजन की व्यवस्था नहीं होती। अगर सायंकाल भोजन बन जाता है तो उनको सुबह फॉका करना पड़ता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि चेहरा अगर आपका खूबसूरत है तो उसको और खूबसूरत बनाने के लिये उस पर आप लाख क्रीम पाउडर लगाते रहिये लेकिन अगर कहीं पेट में कैंसर पल रहा है, बन रहा है तो आप यह मानकर चलिये कि उस चेहरे का पाउडर, क्रीम बहुत दिन तक काम नहीं करेगा। आपका पेट ब्लास्ट होना ही है। यही हाल आपके प्रदेश और आपके देश का है। मैं कहना यह चाहता हूं कि 21 प्रतिशत लोगों के बारे में तो आपने चिन्तन कर लिया और चूंकि नगर विकास के बारे में आपसे वार्ता करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से जैसा एक माननीय सदस्य जो यहां पर नहीं है उन्होंने लखनऊ में पेयजल के बारे में चिन्ता प्रकट की है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज लखनऊ में जो बेतहाशा घरों का निर्माण हो रहा है वहां न तो सड़क है न नाली है न उन्होंने पीने के पानी का कनेक्शन लिया है। दस किलोमीटर दूर यहां से मकान बना लिया है। अगल-बगल प्लाटिंग हो गयी तो वहां पूरे मकान बन गए। जब वहां मकान बन गए तो उन्होंने कहा कि हमें अवस्थापनायें सुविधायें दीजिए। हमको बिजली दीजिए, हमको पानी दीजिए, हमको सड़कें दीजिए, अगर नहीं दिया तो इसका मतलब है कि आप नगर के विकास के बारे में चिन्तित नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस ओर गम्भीरता से विचार कर रही है कि इस तरह से जो क्षेत्रों की वृद्धि हो रही है उसका सुनियोजित विकास हो। मकान बनने के पहले वहां पर एक प्लानिंग बन जाए, एक ऐसा नक्शा बन जाए कि जब मकानों का निर्माण हो इससे पहले वहां पर पेयजल के लिए पाइप लाइन हो जाएं, सीवर की व्यवस्था हो जाए और वहां पर प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था हो जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं

आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं सम्पूर्ण सदन से, कि नगर विकास व्यापक प्रश्न है, व्यापक प्रसंग है इसमें कार्य होते रहेंगे, कितने भी कार्य होते जाएं कार्यों की कमी रहेगी। मैं आपके सुझाव आमंत्रित करता हूं लेकिन मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं आप मेरा समर्थन करते हुए इस बजट को पारित करने का कष्ट करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नगर विकास मंत्री जी को सुन रहा था तो समझ में नहीं आया कि नगर विकास में इनकी ज्यादा रुचि है या ग्रामीण विकास में इनकी ज्यादा रुचि है इन्होंने कहा कि आज भी ग्रामों में 50 कनस्तर खाली रहते हैं कभी-कभी व्यक्ति सही बोलता है तो अच्छा लगता है। वह अपनी वर्तमान सरकार पर टिप्पणी कर रहे थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रारम्भ तो आपके काल से ही किया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, उनकी रुचि अगर ग्रामीण विकास में इतनी अधिक है तो उनको वहां होना चाहिए। अगर वह महसूस करते हैं कि उनका ग्रामीण विकास मंत्री जितनी ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए वह नहीं कर रहे हैं और गांव में 50 परसेंट अभी भी पेट खाली हैं और कैंसर की तरह बीमारी पनप रही है तो सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत उन्हें कैबिनेट की मीटिंग में इन सारी चर्चाओं को कर लेना चाहिए। (विपक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाई) मान्यवर, मंत्री जी ने स्वयं बताया कि नगरीय सभ्यता का दौर है। धीरे-धीरे लोग गांव से उठकर शहर में आ रहे हैं यह अचानक होने वाली घटना नहीं है। स्वभाविक घटना नहीं है। यही विकास की परिभाषा है जैसे-जैसे हम विकसित होते हैं हम बेहतर जीवन चाहते हैं। बेहतर सुविधायें चाहते हैं आय के बेहतर साधन चाहते हैं। अपने बच्चों की बेहतर पढ़ाई चाहते हैं जो गांव नहीं दे पाता है। इसलिए स्वभाविक रूप से हमारे कदम बढ़ते हैं शहर की ओर, और शहरों में सुविधायें उपलब्ध कराना नगर विकास विभाग का दायित्व होता है। भारत इस बात के लिए गर्व कर सकता है और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से, पूरी दुनिया में हमारी पहचान सिन्धु घाटी की सभ्यता से है। एक आदर्शतम सभ्यता जो किसी नगर विकास मंत्री के सामने होनी चाहिए, वह कौन सा लक्ष्य लेकर एक नगर विकास मंत्री किसी प्रदेश में काम करें, वह कौन सा सपना है जो अपने प्रदेश के नागरिकों को दिखाने का काम करे, तो मान्यवर, वह सपना होगा सिन्धु घाटी की सभ्यता का,

माननीय मंत्री जी को जानकारी हो न हो, लेकिन चौड़ी-चौड़ी सड़कें, 90 प्रतिशत के ठीक मोड़पर निकलती उप सड़कें, उनसे 90 प्रतिशत पर निकलती गलियां, सड़कों के मोड़ पर मकान, छतों से आता हुआ पानी, पाइप के रास्ते आंगन में गुजरता हुआ, आंगन से होता हुआ और अन्दर ही अन्दर सड़कों के नीचे जाता हुआ इसलिए नगरों में रहने वाला नागरिक स्वाभाविक रूप से यह अपेक्षा करता है कि सरकारें यदि उससे कर लेती हैं, एक-एक नागरिक कर देता है, अच्छा-खासा कर देता है, विभिन्न माध्यमों से देता है, विभिन्न विभागों को देता है, सिर्फ नगर निगम को नहीं देता है, ढेर-सारे विभाग उसने कर लेते हैं। अगर सरकार कर लेती है तो हम उससे अपेक्षा करते हैं कि हमारे नागरिकों को वह मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसका एक नगरीय नागरिक का हक और अधिकार है। लेकिन सच्चाई क्या है, 'कहां तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।' यह सच्चाई है, आज भी मा0 मंत्री जी इस बात को स्वयं स्वीकार कर रहे थे, कुछ चीजों को उन्होंने छिपाने का प्रयास किया, 35 प्रतिशत घरों में शहर के आज भी जलापूर्ति नहीं है, स्वयं इनके आंकड़े हैं, प्लानिंग कमीशन के और इनके नियोजन विभाग के आंकड़े इस बात को कहते हैं, मैं कहीं और से आंकड़े ले करके नहीं आया हूं। आज भी 35 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं हैं, यह स्वयं सरकार के पत्र कहते हैं। आज भी 50 प्रतिशत घरों में मलमूत्र और गन्दे पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और भी वह लोग जो शहर तक चल कर आते हैं, एक बेहतर जीवन जीने के लिए जिसे हम मलिन बस्ती के नाम पर कहते हैं, ऐसे 31 प्रतिशत लोग आज भी गन्दी नालियों के पास रहते हैं, टूटी-फूटी सड़कों में रहते हैं, झोपड़ीनुमा मकानों में रहते हैं, बदबूदार माहौल में रहते हैं, इसलिए दायित्व होता है, नगर विकास मंत्री का, इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का। लेकिन मान्यवर, हुआ क्या, 1992 के पहले की व्यवस्था और 1992 के बाद की व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन हुआ है। इन सरकारों ने कहा है कि हमने स्वायत्तता दे दिया लेकिन कैसी स्वायत्तता दी ? 1 साल के अन्दर आपने यहां काम करने के बाद उप नगर प्रमुख का पद नगर निकायों में समाप्त कर दिया क्यों समाप्त कर दिया, क्योंकि आने वाले समय में किसी नगर प्रमुख को हटायेंगे तो कोई उप नगर प्रमुख वहां नहीं होगा, सीधे आप प्रशासक बैठायेंगे। राजनीतिक स्वायत्तता किस प्रकार से आप छीन रहे हैं, यह बहुत स्पष्ट दृष्टांत है, वार्ड कमेटियों का गठन संवैधानिक प्राविधान है, नगर निगम के अधिनियमों में लिखा गया है कि नगर निगमों में वार्ड कमेटियों का गठन किया जायेगा। अभी क्यों नहीं हुआ उनका गठन ? अधिष्ठाता महोदय, आप कभी इसकी तुलना करके देखिये, हम कह तो देते हैं कि गांव के लोग बहुत पिछड़े हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो अधिकार गांव के नागरिकों को दिये गये हैं, लोकतंत्र में वह अधिकार शहरों के नागरिकों को नहीं दिये गये हैं। गांव में गांव पंचायतें बनायी जाती हैं, हजार-हजार, दो-दो हजार नागरिक ग्राम प्रधान का चयन करते हैं, अपनी ग्राम समितियों को बनाते हैं और यह तय करते हैं कि हमारे गांव के विकास की

प्राथमिकता कैसे तय होगी। लेकिन शहरों में ऐसी कमेटियां बनाने से हमने आज इन्कार किया है। मान्यवर, एक-एक वार्ड में 20-20, 25-25 हजार नागरिक रहते हैं लेकिन कहीं भी वार्ड कमेटियों का गठन नहीं हुआ है। वार्ड के नागरिक स्वयं अपनी प्राथमिकताओं को तय नहीं कर पाते, वह निर्भर होते हैं इस बात के लिए कि वह एक पार्षद चुन लेंगे, वह बोर्ड में जायेगा, बोर्ड में उसकी बात सुनी जायेगी या नहीं सुनी जायेगी ? मैं मा0 मंत्री जी से कहूंगा कि वह नगर निगमों के सारे आंकड़े निकलवा कर देख लें, विकेन्द्रीकरण का अर्थ केवल नगर निगमों को अधिकार देना नहीं होता है, आज भी अगर मा0 मंत्री जी आंकड़े मंगा कर देख लें तो एक-एक नगर निगम में, एक-एक वार्ड में करोड़ों-करोड़ों के काम कराये जाते हैं और किसी-किसी वार्ड में 2-2, 3-3 लाख के भी काम नहीं कराये जाते हैं। संतुलित विकास, विकेन्द्रित विकास नगर के हर नागरिक को अधिकार देता है कि नगर का नागरिक ईमानदारी के साथ यदि कर अदा कर रहा है तो उसके क्षेत्र का समतुल्य विकास कराया जाए। लेकिन अधिष्ठाता जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह सबसे बड़ी समस्या है व्यवस्था की कि जो कुछ भी धन हम लोग देते हैं उतनी ईमानदारी के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ वह गांव में पहुंचता है क्योंकि हमने संवैधानिक प्राविधान नहीं किए, 73वें संशोधन और 74वें संशोधन के बीच में एक मूल अन्तर है, यह हमारा दायित्व है, हमने महसूस किया है कि धन देने के बावजूद भी यदि वार्डों में सुविधायें नहीं पहुंच रही हैं तो हम अपने नियमों-कानूनों में आवश्यक परिवर्तन करके नगरीय क्षेत्र की वार्ड कमेटियों को वह अधिकार दें, क्योंकि नगर निगम का अधिनियम भी इस बात को कहता है कि कुछ वार्डों को मिलाकर हम वार्ड कमेटिगं बनायेंगे और मैं नहीं हमारा वित्त आयोग इस बात को कहता है। प्रथम राज्य वित्त आयोग ने इस बात की अनुशंसा की थी कि नगर निगमों को निर्देशित किया जाये कि वार्डवार आय-व्ययक बनाया जाये। लेकिन सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना। आज भी प्रदेश में सरकार ने इतनी पुरानी अनुशंसा को लागू करने से मना किया है और आय-व्ययक वार्डवार नहीं बनता जिससे हम सुनिश्चित कर सकें कि नगर निगमों का संतुलित विकास हो रहा है कि नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि दो विभागों को मिला दिया गया है। 74वां संशोधन दो विभागों को मिलाने की बात नहीं करता। 74वां संशोधन नगर अधिकार से सम्बन्धित हर विभाग को इकट्ठा करने की बात करता है। आज स्थिति क्या है। राजस्व के मामले में नगर निगमों में राजस्व अधिकारी नहीं होते। नगरों में क्या समस्या नहीं होती ? मकानों के बीच में झगड़ा नहीं होते ? एक नगर आयुक्त चाहे कि राजस्व अधिकारी के माध्यम से जमीनों को नपवाकर निर्णय ले सके कि यह सही है कि गलत है तो चूंकि उसके पास स्टाफ नहीं होता हम कर नहीं पाते। आज जिस जवाहर लाल नेहरू अरबन मिशन की बात कर रहे हैं माननीय मंत्री जी बहुत बुद्धिमानी के साथ आप छिपा गये। जवाहर लाल नेहरू अरबन मिशन हो या अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपमेन्ट फार स्माल मीडियम टाउंस हो। दोनों की शर्तें बड़ी अलग

किस्म की है। आपने उन शर्तों को यहां नहीं बताया। शर्तें हैं रिफार्म की। रिफार्म करने के बाद बहुत मूलभूत परिवर्तन सारी व्यवस्था में आ रहे हैं। कुछ ऐसे रिफार्म हैं जो आपके लिए बाध्यकारी हैं। जिनके लिए सम्भवतः आपने यहां सूचना नहीं दी होगी। लेकिन केन्द्र सरकार को लिखकर भेजा होगा और केन्द्र सरकार से आपने वायदा किया होगा कि आने वाले 2012 के बीच में यह रिफार्म मैं करके आपको दे दूंगा। क्योंकि यह वर्ल्ड बैंक से आने वाला पैसा है। वर्ल्ड बैंक के पैसे में तमिलनाडु में, गुजरात में बहुत सारे प्रदेशों में रिफार्म कराये हैं जबरन कराये हैं और आप भी इनके वायदे करके आये होंगे, इन रिफार्मों के बारे में आपकी सूचना जब आप नगर विकास को बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो इनका दायित्व होता था कि वह रिफार्म बतायें। मैंने जवाहर लाल नेहरू अरबन मिशन केन्द्र के वह आंकड़े मगंवाये हैं जो रिफार्म हमने वायदे किये हैं लेकिन किये नहीं प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारत के बहुत सारे जिलों में किये जा सकें। अध्यक्ष महोदय, उन रिफार्मों को पढ़िये तो समझ में आता है कि किस प्रकार के वायदे करके हमने पैसा दिया है। ई गवर्नेंस, शिफ्ट आफ दि डबल डाटा इंट्री सिस्टम जो कि न जाने पहले से कितने प्रान्तों में हो चुका है। स्वाभाविक रूप से यहां भी आवश्यक है। प्रापर्टी टैक्स का शत-प्रतिशत कवरेज। कास्ट रिकवरी जो पानी हम अपने नागरिकों का पिलाते हैं उसका शत-प्रतिशत हम कर लेने जा रहे हैं। नगरों की जो सफाई व्यवस्था हम करते हैं उसका शत-प्रतिशत चार्ज हम लेने जा रहे हैं। हम बाईलाज में परिवर्तन करके मेडटो हारवेस्टिंग तो आपने किया है यह जो आंकड़े मुझे दिये गये हैं उसके हिसाब से अभी तक कुल मिलाकर 5 नगरों में यह रिफार्म किये गये हैं। अधिकांश नगरों में यह रिफार्म होने बाकी हैं और सबसे बड़ी चीज कि जो राज्य का रिफार्मा का दायित्व दिया गया है कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में बदलने के लिए कानून में परिवर्तन का। माननीय मंत्री जी आप इससे परिचित होंगे। इतनी बड़ी बात लगातार हम लोग इस सदन में करते हैं कि कृषि भूमि का कृषियत्न भूमि में परिवर्तन करने में रोक लगनी चाहिए शायद आपको जानकारी न हो, अगर होती तो आपको सदन में देना चाहिए था कि यह रिफार्म हमें बाध्य करने जा रहे हैं कि हम सारे परिवर्तन करेंगे यहां तक कि रेट कंट्रोल ऐक्ट में परिवर्तन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ। 61 सिफारिशें दी गयी, 46 आपने मान ली। आपने इंकार कर दिया, हालांकि बाद में उसे मानना पड़ा। उस समय कहा गया था म्युनिसिपल कार्पोरेशन फण्ड की गठन करिये। आज जब आपके द्वितीय वित्त आयोग ने कहा तो आपने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया। उस समय कहा गया था कि यह जो प्राधिकरण है और जल संस्थान है उनको नगर निगम के अन्तर्गत कर दें। आपने नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्व की बात कही। प्राथमिक शिक्षा की स्थिति यही है कि नगरीय क्षेत्रों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं वह चलते तो नगर में हैं, नियंत्रित होते हैं शिक्षा विभाग में। कुछ डिस्पेंसरियों की यही हालत है चलते तो नगर में हैं और गवर्न होते हैं सी0एम0ओ0 से। जलापूर्ति की यही स्थिति है। हाउसिंग डेवलपमेंट को लेकर मैं रोज इस बात

को कहता हूं कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण हो या प्रदेश का कोई विकास प्राधिकरण हो या हाउसिंग सोसाइटीज हो वह किस प्रकार से नागरिकों का शोषण कर रही हैं क्योंकि उनके अन्दर कोई लोकतांत्रिक नियंत्रण नहीं है। जब वित्त आयोग बार-बार इस बात को कह रहा है कि प्राधिकरणों को, नगर निगमों को, हाउसिंग सोसाइटियों को, जल निगमों को लोकतांत्रिक नियंत्रण में लाया जाये तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन से वह कारण हैं जो वस्तुतः 74वें संशोधन के अन्तर्गत इस प्रदेश में किये जाने चाहिए थे जो 12वां वित्त आयोग भी आपसे कह रहा है जो प्रथम राज्य वित्त आयोग आपसे कह रहा है, जो द्वितीय वित्त राज्य आयोग आपसे कह रहा है तो कौन से कारण हैं वह आपको सदन में बताना चाहिए। इतनी अनुशंसाओं को कहे जाने के बाद आखिर आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। क्योंकि केन्द्र सरकार वित्त आयोग का गठन करती है तो उसकी सिफारिशों को मानना केन्द्र सरकार की बाध्यता है। इसलिए मैं यह यहां पर कहना चाहता हूं कि सरकार के लिए यह बाध्यता का प्राविधान होना चाहिए या तो आप वित्त आयोग का गठन मत करें। 12वें वित्त आयोग का गठन किया गया। 12वें वित्त आयोग में इस बात को लिखा है, इसकी रिपोर्ट को निकालकर पढ़ियेगा। उसने यह लिखा है कि जानबूझ करके राज्य वित्त आयोग का गठन सही तरीके से नहीं किया जाता है, टुकड़ों-टुकड़ों में किया जाता है, इनएफेक्टिव लोगों को बैठाया जाता है समय रहते नहीं किया जाता है और अगर किया जाता है तो उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जाता है। राज्य सरकार को वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्यकारी होना चाहिए। यही स्थिति द्वितीय वित्त आयोग की थी। क्योंकि जब तक हम आर्थिक स्वावलम्बन नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अगर नगर निगमें अपने आधार पर 12 प्रतिशत राजस्व इकट्ठा करते हैं और अस्सी प्रतिशत राजस्व के लिए केन्द्र सरकार पर निर्भर होना है तो यह 74वें संशोधन की अवहेलना है। सरकार ने तीसरा वित्त आयोग का गठन कर दिया। आज तक यह नहीं बताया कि द्वितीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं को माना गया कि नहीं माना गया, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुई। पहले वित्त आयोग की अनुशंसा के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट हमें सदन में प्राप्त हुई थी। दूसरे वित्त आयोग के बारे में अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट सदन में नहीं दी गयी। द्वितीय वित्त आयोग ने कहा था कि प्रदेश में लगने वाले जितना मनोरंजन कर हैं उसको डिविजिबल पूल से निकालकर उसका आधा हिस्सा नगर निगमों को दिया जाय, नजूल की भूमि के विक्रय का जितना पैसा आता है उसका आधा पैसा नगर निगमों को दिया जाय, विकास प्राधिकरणों की आय का आधा हिस्सा नगर निगमों को दिया जाय, यहां तक उन्होंने कहा था कि विकास प्राधिकरण हाउसिंग सोसायटी और बिजली विभाग जितनी भी भूमि नगर निगम क्षेत्र से लेता है उनसे उनका वास्तविक मूल्य लिया जाय, स्टैम्प ड्यूटी के बारे में दो प्रतिशत कर नगर निगमों को मिलना चाहिए, जिसका बहुत सा हिस्सा अगर माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे तो बतायेंगे कि कितना नगर निगमों का अधिकार है, कितना बकाया है। उस प्रक्रिया

का सरलीकरण हो जाना चाहिए। ढेर सारे सुझाव जो द्वितीय वित्त आयोग ने दिये, अध्यक्ष महोदय अभी तक लागू नहीं किये गये। अगर लागू नहीं करेंगे तो जिसे हम वास्तविक लोकतांत्रिक स्वायत्ता कहते हैं, व्यावहारिक लोकतांत्रिक स्वायत्ता कहते हैं, वह लागू नहीं होने वाला है तो आपने राजनैतिक स्वायत्ता दी नहीं, आपने प्रशासनिक स्वायत्ता दी नहीं, आपने आर्थिक स्वावलम्बन दिया नहीं तो नगर निगम, सारी, इकाईयां आखिर काम कैसे करेंगी और आपने किया क्या मान्यवर, कांशी राम योजना के हम सब विरोधी नहीं है, हम उनके समर्थक हैं। राष्ट्रकवि कवि दिनकर ने कहा कि 'कि कुछ समझ नहीं पड़ता रहस्य यह क्या है, जाने भारत में बहती कौन हवा है, धरती के सब पेड़ दीन दुर्बल हैं, गमलों के ही पेड़ सुगन्धित दल है।' जब आपने मान्यवर कांशी राम योजना प्रारम्भ की थी तो आपकी मलिन बस्तियों के चेहरे खिल गये थे। उन्हें लगा था कि सही मायने में उनकी सरकार आयी है। लेकिन क्या किया। मान्यवर, कांशी राम योजना के मापदण्ड आप मंगवाकर पढ़ें। आज तक दुनिया में, चुनौती के साथ मैं कहता हूं कि धन के वितरण का वह आधार शायद ही बनाया गया होगा जो कांशी राम योजना में बनाया गया है। मैं कहता हूं तो तथ्य पर कहता हूं। 12वें वित्त आयोग का गठन हुआ। उसने केन्द्र से सारे राज्यों को धन दिया। किस आधार पर ? एक उन्होंने सूचकांक बनाया-जनसंख्या 40 प्रतिशत, क्षेत्र का बीस प्रतिशत, आय की स्थिति में विषमता बीस प्रतिशत, रेवेन्यू एफिसियेंसी दस प्रतिशत, इण्डेक्स आफ डिप्राइवेशन, आप कितनी दूर जाकर पानी लेते हैं सौ मीटर या गांव में दो सौ मीटर, आपके घरों में शौचालय है कि नहीं इसके आधार पर उन्होंने तय किया कि हम केन्द्र सरकार से कैसे पैसा सारे राज्यों को बांटेंगे। राज्य में आपने राज्य वित्त आयोग का गठन किया, राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की। विभिन्न निकायों को पैसा देने का नियम बनाया मनमाना निर्णय नहीं लिये। निर्णय क्या था कि जनसंख्या पचास प्रतिशत, क्षेत्रफल दस प्रतिशत, साक्षरता पांच प्रतिशत, पेयजल पानी की उपलब्धता पांच प्रतिशत, यानि केन्द्र जो पैसा देता है वह आर्थिक आधार पर देता है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को मान करके आप नगर निगमों को जब पैसा देते हैं तो इस सूचकांक के आधार पर देते हैं कि किस क्षेत्र में आर्थिक पिछड़ापन कितना है, साक्षरता कितनी है, पेयजल की उपलब्धता कितनी है, राजस्व कितना इकट्ठा कर रहे हैं, जनसंख्या का कितना बड़ा बोझ है, कितना बड़ा क्षेत्रफल है और आपने मान्यवर, कांशीराम योजना में क्या किया ? इससे बड़ा कोई उपहास नहीं हो सकता था। चार वार्डों को लिया गया माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहला वार्ड वह होगा जहां सबसे अधिक संवर्ण होते होंगे, नाम दिया गया है समग्र विकास योजना, दूसरा वार्ड वह होगा जहां सबसे अधिक अनुसूचित, पिछड़े और मुसलमान होते होंगे, तीसरा वार्ड वह लिया गया जहां सबसे कम संवर्ण होते होंगे और चौथा वार्ड वह लिया गया जहां सबसे कम अनुसूचित, पिछड़े और मुसलमान होते होंगे। विकास का यह कौन सा आधार है ? किस आधार पर हम तय करेंगे कि पैसा निकाल कर हम समग्र विकास की कल्पना लेकर चल रहे हैं, हम अरबन संवर्ण की

बात कर रहे हैं हम ग्रामीण नागरिकों की बात कर रहे हैं, उनके खाली पेट और पैसे की बात कर रहे हैं और कांशी राम के नाम अगर कोई योजना भी चला रहे हैं तो सबसे पहले हम दे कहां रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय आप गोरखपुर के चिकित्सक हैं सबसे पहला वार्ड जो गोरखपुर में चुना गया सिविल लाईन्स का क्षेत्र चुना गया जहां डी0एम0 रहता है, एस0एस0पी0 रहता है, सारे केन्द्रीय कार्यालय हैं, सारे बैंक हैं, पी0डब्ल्यू0डी0 वहां की सड़कें बनवाता है, सारा चकाचौंध है, गोरखपुर का सबसे बड़ा बाजार गोल घर वहां है और कांशी राम समग्र योजना में गोल घर के क्षेत्र का चयन करके आप बताना चाहते हैं कि हम गरीबों के कितने फिक्रमन्द हैं। आप बताना चाहते हैं कि हम गरीबों के पेट के कनस्तर में अनाज डाल रहे हैं और दूसरी चीज अगर आपने जातीय आधार पर कर ही लिया है अगर आपने तय ही कर लिया है कि जातीय आधार पर ही हम काम करेंगे। सबसे पहला वार्ड जिसमें सबसे अधिक संवर्ण रहते हैं, जिस वार्ड में सबसे अधिक संवर्ण रहेंगे वहां स्वाभाविक रूप से अनुसूचित, पिछड़े और मुसलमान सबसे कम होंगे। दूसरा आपने ले लिया जहां सबसे अधिक अनुसूचित, पिछड़े और मुसलमान होंगे, जब दो आपने ले लिये तो जहां अनुसूचित, पिछड़े और मुसलमान सबसे अधिक होंगे वहां संवर्ण अपने आप सबसे कम हो गये और जहां सवर्ण सबसे अधिक होंगे वहां अनुसूचित, पिछड़े और मुसलमान अपने आप सबसे कम हो गये। अजीब सी नियमावली आपके अधिकारियों ने बनाकर आपको दे दिया और चूंकि आपकी रुचि ग्रामीण विकास में ज्यादा है, न जाने क्यों, हो सकता है वहां का बजट बड़ा हो, यहां पर छोटा बजट होगा। 74वें संशोधन के बाद से, 12वें वित्त आयोग के बाद से, प्रथम और दूसरे वित्त आयोग से, आपकी बाध्यता होती है कि ये सारे पैसे आपको देने पड़ते हैं नगर निगमों को तो जैसे अपने घरों में बैठ करके लोग दूसरे की बीबियां निहारा करते हैं, आपको लगता होगा चलो उस क्षेत्र विकास में चलते हैं वहां चल कर के खेल खेलें। अन्यथा इस प्रकार का कार्य, अधिकारियों ने जो खेल खेला अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं गोल घर के विकास को जानते हैं। अब आप सोचिये कि गोरखपुर के सबसे पिछड़ा गोरखपुर नगर निगम में 20 नये वार्ड जोड़े गये। एक-एक वार्ड की जनसंख्या 25-25 हजार है। अधिकांश विकास की सुविधायें नहीं हैं। अगर आपने सही प्राथमिकता तय की होती तो आप उन वार्डों को लेते जो विकास की दौड़ में सबसे पिछड़े थे। समाज में हर काम विकास के काम, दुनिया में कोई काम, हम देते इस बात के लिए, किसको देते हैं, जनसंख्या 50 परसेन्ट, अनुसूचित जाति जनसंख्या 10 परसेन्ट, इनडेक्स जोड़ करके अनुसूचित जाति के लोगों को हम विशेष लोगों अवसर देते हैं और आपकी सरकार ने क्या किया, पहला वार्ड सवर्ण वार्ड, दूसरा वार्ड अनुसूचित पिछड़ा और मुसलमान मिला करके, इसलिए मैं इस सदन से आग्रह करूंगा कि इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। अभी भी आपके पास समय है। कांशी राम समग्र योजना पर गम्भीर विचार करियेगा। वैसे भी यह योजना नगर निगमों की स्वायत्ता के साथ छल कर रही है। इसलिए छल कर रही है कि

आप घोषणा तो 500 करोड़ की कर रहे हैं, लेकिन पैसा आप नगर निगमों से ले रहे हैं, पैसा आप पी0डब्ल्यू0डी0 से ले रहे हैं। कांशीराम समग्र योजना में माननीय लोक निर्माण मंत्री जी आ गये हैं, मैंने स्वयं उनकों सूचना दिया। जिन सड़कों का विकास कराने में मैंने मना किया क्योंकि वह नगर की सबसे अधिक विकसित सड़कें थीं, मान्यवर, जब मैंने उस पर दस्तखत नहीं किया तो लोक निर्माण के अधिकारियों ने उसी योजना को कांशीराम योजना में ठेल दिया और एक करोड़ रुपया कांशीराम योजना से निकाल लिया। यह विकास के पैमाने तय हो रहे हैं। मान्यवर, इस प्रकार से जब हम नगर निगमों का ही पैसा लेकर के सारा काम करायेंगे तो क्या यह नगर निगमों की स्वायत्ता में हस्तक्षेप नहीं हुआ और होगा क्या ? पांच सालों में पहले आपने चार वार्ड लिया, दूसरे साल आप पांच वार्ड लेंगे, तीसरे साल आठ, चौथे साल आठ, पांचवें साल आठ। आठ चौके बत्तीस और चार छत्तीस वार्ड।

मान्यवर, एक-एक नगर निगम में 70-70 वार्ड है। यह कौन सा अन्याय है कि कुछ में आप विकास के प्रतिमान खड़ा करना चाहते हैं और कुछ पिछड़े इलाके इंतजार करें कि अगले सरकार नगर निगम को पैसा दे और उन इलाकों का विकास करें। मान्यवर, यह प्रक्रिया संतुलित विकास और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध है। मेरा कहना है कि आय-व्ययक विवरण का निर्माण वार्डवार हो यह अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि आपकी सरकार पांच साल रहने वाली है। एक साल का अनुभव आपको हो चुका है। योजना बनाने में जो कुछ कमियां रह गयी हैं अभी उन्हें दुरुस्त किया जा सकता है।

मान्यवर, मंत्री जी बहुत सरल है, बहुत मीठी बात करते हैं, बहुत सम्मान से बात करते हैं। एक विधायक जाये तो बड़ी आत्मीयता से बात कर लेते हैं। यह मैं मानता हूं कि किसी मंत्री के लिये यह सम्भव नहीं है कि कोई 100 बात कहे तो वह 100 मान ली जायें। लेकिन उनका सुनना पहला काम होता है। इसलिए मैं जानता हूं कि यह सुनते हैं। मान्यवर, हम लोगों से तो इन्हें सुनने का अवसर बहुत कम मिलता है लेकिन अधिकारियों से ज्यादा मिलता है और अधिकारी जो कह देते हैं उसी पर अमल करते हैं। मान्यवर, जो जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनुअल मिशन स्कीम है और जो अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फार स्माल एण्ड मीडियम टाउंस रिर्फाम्स की शर्तें हैं आपको इस पर पुनर्विचार कर लेना चाहिए। क्या इन शर्तों को लागू करने के बाद वास्तव में आप इन कामों को कर पायेंगे ? अन्यथा अगले साल आपका पैसा रोक दिया जायेगा। मान्यवर, हमारे यहां एक पक्ष प्रश्न है। युद्धिष्ठिर और यक्ष का संवाद है कि राजन बताओ आदमी अपने कुल से अपनी वृत्ति से या अपने स्वाध्याय से किससे बुद्धिजीवी है ? उन्होंने कहा कि है यक्ष सुनों, व्यक्ति न कुल से, न स्वाध्याय से, बल्कि सिर्फ अपनी वृत्ति से बड़ा होता है। पढ़ना-पढ़ाना, लिखना-लिखाना सब व्यर्थ है यदि उसके अनुरूप काम न किया जाये। तो मान्यवर, किसी मंत्री की पहचान उसकी कार्यकुशलता है। मंत्री जी अच्छे हैं। लेकिन अच्छे आदमी

की हनक बननी चाहिए। यह सिर्फ अच्छा आदमी होना असफलता होती है। पांच शिकायतें मैं मंत्री जी लेकर आया हूं। मान्यवर, इसी तरह से मुस्करा-मुस्करा कर सुनते हैं और जब भी कोई बात कहो तो कह देते हैं कि लिखकर दे दें। मान्यवर, जो आपने साहित्य दिया है उसमें है। मान्यवर, 2005-06 में गोरखपुर नगर निगम को अवस्थापना निधि से 222 लाख रु0 दिये गये। 2005-06 में मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी 140 लाख रु0 लेकर वहां के लिये गया था लालडिग्गी पार्क के सुधार के लिये और 80 लाख रु0 40 सड़कों के लिये थे। 11 सितम्बर, 2006 में यह पैसा गोरखपुर गया। आज 28 फरवरी, 2008 है, इतने महीने हो गये हैं। मान्यवर, आप भी गोरखपुर जाते होंगे क्या स्थिति है वहां की। गोरखपुर का अकेला पार्क है वह। आप लखनऊ में ढेर सारे पार्क बनवा रहे हैं आपको बधाई देता हूं। आप गोरखपुर में भी कोई पार्क बनवा दें। लालडिग्गी पार्क का जो पैसा गया वह पैसा अधिकारियों ने लूट डाला। जो बना था उससे घटिया कर दिया। मैं इसी सदन में रोता रहा चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात का संज्ञान नहीं लिया न किसी ने वहां जाकर जांच करने की कोशिश की। मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, आपके नियमों में धारा 117 (6) बी है जिसमें अधिकारियों को एक बार में 10 हजार रु0 खर्च करने की छूट है उसमें कुल मिलाकर 50 हजार रु0 तक खर्च का अधिकार मिला हुआ है। मान्यवर, जो मुख्य नगर अधिकारी जाते हैं वह यहां सरकार से भेजे जाते हैं। वह वहां सुनते नहीं है जानते हैं कि लखनऊ में उनकी सेटिंग है गोरखपुर वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, साढ़े नौ करोड़ रुपये एक-एक काम में डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये धारा 17 (6बी) में भुगतान कर दिये गये। 50 हजार अधिकतम भुगतान की स्वीकृति है और साढ़े नौ करोड़ का भुगतान हुआ। मैंने क्या कहा था आपसे कि एक जांच दल का गठन कर दीजिए जो जाये वह जाये आंकड़ों को खोलकर देख लें। मेरे आरोप गलत हैं तो मुझे बता दें और आरोप सही है तो कार्यवाही कर दें। लोकतंत्र में अगर हम यह भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पेसिफिक चीज है। यह तय किया है आपने कि कोई ठेका अगर 15 हजार से ऊपर का होगा तो टेण्डर किया जायेगा इसके बावजूद अगर नगर निगम के अधिकारी बिना टेण्डर के ठेके दे रहे हैं और मैं उनसे कहता जा रहा हूं कि ठेके दो, ईमानदारी के साथ काम करो नहीं करते हैं मैं इस सदन में ले करके आता हूं उसके बाद भी कार्यवाही नहीं होती। दूसरे दिन मारे डर के उस टेण्डर के ठेके को रद्द कर दिया जाता है इसलिए कि विधान सभा में उठ गया। अध्यक्ष महोदय किसी टेण्डर को रद्द कर देने से अपराध कम नहीं होता। किसी अपराध को एक बार आपने कर लिया, आपने सुधार लिया आपका विषय लेकिन आपने टेण्डर आवंटित किया, बिना टेण्डर के आपने ठेके दिये थे तो यह दण्डनीय अपराध है उन अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए।

मान्यवर, मृतक आश्रित की नौकरी है। एक आदमी मर जाता है उसके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए फ्राड करके दूसरे आदमी को नौकरी दे दी जाती है। मरता जगदीश यादव है

नौकरी पाते हैं पियूष श्रीवास्तव। मृतक आश्रित में नौकरी पाते हैं। मैं आता हूं सरकार से कहता हूं माननीय मंत्री से मिलता है सुनवाई नहीं। एक-एक वार्ड में एक-एक काम तीन-तीन बार कराया जाता है। मैंने जन सूचना अधिकार के तहत नगर निगम से सूचना मांगी। उसी जन सूचना अधिकार में नगर निगम ने बताया कि एक-एक काम को तीन-तीन बार कराया गया है। मैं सदन में ले करके आया कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसीलिए अध्यक्ष महोदय मैं कहता हूं कि अच्छा होना अच्छी बात लेकिन कड़ा होना भी बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनकी प्रशंसा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कड़ा काम करना चाहिए जैसे माननीय बिजली मंत्री कहते हैं मैं खुद जाता हूं जांच करता हूं। मैंने देखा है इन्हें जांच करते हुए। मैंने आपको तीन बार कहा कि चलिये जांच करिये और कार्यवाही करिये। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा सिर्फ छोटी सी मांग रख करके। गोरखपुर में सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है आपने गोरखपुर में सफाई का काम ठेके पर दे दिया। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है। यह खेल बन्द होना चाहिए क्योंकि यह अपमान है सफाई कर्मियों का जिनके वोटों पर आप चुनकर आते हैं। शोषण होता है उनका। आप कहते हैं कि हम 100 रुपया देंगे लेकिन वह पाते 40-50 रुपया भी नहीं है। उनके नाम पर कोई बाबू साहब और पंडित जी ठेका लेकर उस पैसे को अपने पास रखते हैं। मैंने बार-बार कहा है कि सफाई की ठेके की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए यह ठेकेदारों का जनप्रतिनिधियों से आर्थिक सम्बन्ध बन गया है। यह मैं इस सदन में कह रहा हूं। ठेकेदारों से जनप्रतिनिधियों का आर्थिक सम्बन्ध बनता चला जा रहा है सफाई के ठेकेदारों से। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम नगर निगम में सफाई के ठेके की व्यवस्था पर से रोक लगनी चाहिए। आपकी सरकार आई है उन गरीबों को मजलूमों को जिनको कोई नौकरी नहीं देता था कम से कम आप तो नौकरी दीजिए। केन्द्र सरकार अगर कुलियों को नौकरी देती है तो आप भी नौकरी सर्विस मैनुअल के अनुरूप वित्त आयोग की सिफारिशें हैं स्वच्छता के लिए कर्मियों को बढ़ाया जाना। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि गोरखपुर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना जनहित के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे विश्वास है। इसी के साथ महोदय मैं इस सदन में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

आबकारी, लोक निर्माण, आवास, गन्ना विकास विभाग (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

माननीय अग्रवाल जी ने सदन में जो पढ़ा मैं समझ पाया या नहीं समझ पाया लेकिन मुझे एक बात कहना है।

मान्यवर, सभी ग्रन्थों को मैं मानता हूं और सभी का सम्मान करता हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं श्रीमद् भागवत्गीता। उसमें आया है कि दैवा धीनम् जगत सर्वम्, मंत्रा धीनम् च देवता, तें मंत्रा ब्राह्मण धीनम्, तस्मात ब्राह्मण देवता। अब यह क्या है इसको आप समझो।

श्री सुन्दर लाल लोधी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात यहां पर रखेंगे। वैसे तो हमारा परिवेश ग्रामीण है और ग्राम्य विकास पर ही मेरी बोलने की इच्छा थी परन्तु हमारे माननीय मंत्री, नगर विकास बड़े होशियार और बड़े निपुण हैं इनके ऊपर कोई उंगली न उठा सके, कोई बात न कह सके इसलिये उन्होंने ग्राम्य विकास की बड़ाई करके उसकी तरफ मोड़ने का प्रयास किया है और सदन को भ्रमित करने का प्रयास किया है और इसलिये किया है कि आज उत्तर प्रदेश की 20.78 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही है जिसमें 12 नगर निगम, 194 नगरपालिकायें और 421 नगर पंचायतें हैं इस प्रकार कुल संख्या हमारी समझ से 627 है। मगर माननीय मंत्री जी ने 628 यानि एक बढ़ाकर बताई है, यह कौन सी है, यह वही बता सकते हैं या उनके अधिकारी बता सकते हैं। इसे वह अपने उत्तर में बता देंगे। वास्तव में 79.22 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिये माननीय मंत्री जी ने बड़ी अपनी व्यथा की ओर उस तरफ मोड़ने का प्रयास किया आज 627 जो हमारे नगरीय क्षेत्र की है उसमें 5156.28 वर्ग किमी0 में बसा हुआ है इसका क्षेत्र बड़ा लम्बा है और इनके पास में आबादी कितनी है 3 करोड़ 24 लाख 74 हजार 688 इतने के देखरेख के यह मालिक है। इनकी जिम्मेदारी जो नगर पंचायतों में नगर निगमों में जब से बच्चे पैदा होते हैं, उस समय से लेकर जब तक मृत्यु न हो जाय, तब तक की जिम्मेदारी इन संस्थाओं पर निहित होती है। अपने बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने कहीं पर इसका उल्लेख नहीं किया है कि इतनी बड़ी जो आबादी है उसकी जीवन से लेकर मरण तक की जिम्मेदारी जब इनकी है तो उसके ऊपर यह क्या व्यवस्था दे रहे हैं इसके ऊपर इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। मान्यवर, यही नहीं इनके अंडर में इन विभागों में 73,744 अधिकारियों कर्मचारियों की फौज है जिसमें 29,119 सामान्य वर्ग के अधिकारी कर्मचारी है, इसके अलावा 44,625 सफाई कर्मचारी हैं इतनी बड़ी फौज है, मेरी समझ में इतना महत्वपूर्ण विभाग हमारे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है जितना नगर विकास का है, परन्तु फिर भी इनकी इच्छा ग्रामीण की ओर है और इस ओर से मुड़ रही है। हम तो एक निवेदन के साथ में बहुत संक्षेप में अपनी बात को रखेंगे। वास्तव में हमारे मंत्री जी को यही नहीं मालूम है कि इतने कर्मचारी नियुक्त हैं। उन कर्मचारियों में नियुक्ति तो नगर विकास में 1973 में स्थानीय निकाय कार्यालय का पुनर्गठन हुआ या बनाया गया, उस समय से यह कार्य कर रहा है। माननीय मंत्री जी को यह भी नहीं मालूम है कि कितने कर्मचारी किस जगह पर कितने-कितने वर्षों से जमे हैं। हम एक छोटी सी घटना बताना चाहते हैं जो प्रकाश में आई कि कर निर्धारण अधिकारी की पोस्ट हमारे इन नगर पंचायत इन नगर निगमों में है और उनकी नियुक्ति भी किसी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से होती है वर्ष 1990 में संभल, मुरादाबाद में एक कर

अधीक्षक, श्री धीरेन्द्र मोहन कटियार की नियुक्ति हुयी, नियुक्ति होने के बाद उनका प्रमोशन भी यही स्थानीय निकाय कर रहा है और प्रमोशन होने के बाद वह लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ में काम कर रहे हैं। अब देखिये समस्या यह है कि आज से 10-15 साल पहले यह तीनों संस्थायें एक हुआ करती थी। जल संस्थान, नगरपालिका और विकास प्राधिकरण जो नगर निगमों के हैं, वह तीनों एक हुआ करते थे। तीनों का मालिक हुआ करता था। आज अलग-अलग है कुछ के हमारे सिद्दीकी साहब हैं, कुछ के नगर विकास मंत्री जी हैं। सब भिन्न-भिन्न जगहों पर बंट गये हैं, कर्मचारी नगर विकास के हैं मगर उनकी सेवायें हमारे सिद्दीकी साहब ले रहे हैं। यह उनकी सांठ-गांठ है, दबाव है या अधिकारियों की मिलीभगत है। इस मिलीभगत के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी का पद भी नहीं है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी विभाग में काम करेगा। यह व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं की ओर हमारे मा0 मंत्री जी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। वास्तव में नगर निगमों में चुनी हुई संस्थाएं हैं, जितनी भी 627 संस्थाएं हैं, 627 में अगर पंचायतें हैं तो इन सभी जगहों पर चुनी हुई संस्थाएं हैं। मान्यवर, आप गुस्सा होने लगे दोनों लाल आंखें दिखायी, इसलिए बात हम बिल्कुल संक्षिप्त कर रहे हैं। मान्यवर, जो 627 चुनी हुई संस्थाएं और इनमें चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इन सबके अधिकार भी आप में निहित हैं और इसलिए निहित हैं कि सम्पूर्ण विकास से ले करके मेरी समझ में जितना गांव की ओर नहीं जाता है उतना इस ओर आता है। भारत सरकार ने भी यह निश्चय किया है कि सन् 2011 तक हम सम्पूर्ण विकास करेंगे और प्राथमिकता उन्होंने गांवों की अपेक्षा इन नगरपालिकाओं को दी है कि सन् 2011 तक हम इन्हें संतृप्त करेंगे। इस योजना में हमारे डाक्टर साहब ने भी प्रकाश डाला था, मा0 कांशीराम शहरी समग्र विकास योजना, जिसमें यह सात-सात वार्ड लेने का है। मेरी समझ में हम जनपद उन्नाव की ओर चलें क्योंकि समय बहुत कम है। जनपद उन्नाव में तीन नगरपालिका परिषद् 15 नगर पंचायतें हैं और 18 इसमें नगरीय क्षेत्र हैं। इनमें जो मा0 कांशीराम शहरी समग्र विकास योजना है, इसको अगर देखा जाए तो ऐसे-ऐसे वार्ड ले लिये गये हैं जहां की आवश्यकता नहीं थी। हमारे यहां सिविल लाइन वार्ड ले लिया है, जहां डी0एम0 रहते हैं। इस ओर विशेष ध्यान दें। हमने इंगित किया है कि अपने कर्मचारियों की ओर जिनमें कर्मचारियों को जो सफाई से ले करके 73 हजार की फौज है, इनमें सफाई कर्मचारी जो रात-दिन सेवा करते हैं हम आप तो सुबह दस बजे से निकलते हैं लेकिन सफाई कर्मचारी प्रातः छः बजे से निकलता है और प्रातः छः बजे से ले करके सफाई का कार्य करता है। इन सबके विकास के लिए भी कोई योजना इस बजट में रखनी चाहिए थी। चूंकि 73 हजार जो आपकी सन्तानें काम कर रही है, उन सन्तानों के लिए आपने अपने बजट भाषण में कुछ नहीं रखा है, इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर मात्र 5 मिनट का समय सभी मा0 सदस्यों के लिए निर्धारित है।

डॉ0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, कटौती प्रस्ताव के दो हिस्से हुआ करते हैं, एक है आलोचना, डाक्टर साहब ने इतने विस्तार से इसका वर्णन किया है इसलिए मैं समय बचाने के लिए आलोचना से बचना चाहूंगा और कुछ सार्थक सुझाव अपने जनपद के और कुछ आसपास के जनपदों के बारे में मा0 मंत्री जी को दूंगा। मेरे निगाह में मा0 मंत्री जी ने जो जिक्र किया कि शहरों के ऊपर ग्रामीण जनता का वजन और बढ़ता चला जा रहा है। मेरा यही मानना है कि ग्रामीण अवस्थापना सुविधा और शहरी अवस्थापना सुविधाओं में अन्तर है। एक चीज और है कि हर विषय के लिए एक मानक भी निर्धारित है कि 5 हजार की आबादी पर नोटीफाइड एरिया डिक्लियर होता है। 10 हजार की आबादी पर नगर पंचायत क्षेत्र का दर्जा मिलेगा। 20 अथवा 25 मुझे सही ज्ञान नहीं है इतनी आबादी हो तो नगर पालिका परिषद् का दर्जा मिलेगा और उससे ऊपर नगर निगम का दर्जा होगा। लेकिन खास बात यह है कि पिछले दिनों में बहुत सारी सरकारें आई और गई किसी ने इस पर विचार नहीं किया। मैं अपने क्षेत्र की ही बात कहूं तो पांच ग्राम सभाएं मेरी ऐसी हैं जिनकी आबादी 20 हजार से ऊपर है। 16 हजार वोटर्स की ग्राम सभा है मेरे यहां धिसापर तो आबादी 32 हजार से कम नहीं होगी, नौगवां लगभग 7500 वोटर्स की है तो आबादी 15 हजार से कम नहीं होगी, सुरसण्डा 8 हजार वोटर्स की है, आबादी 16 हजार से कम नहीं होगी, मड़ागा की आबादी लगभग 18 हजार बैठती है, मानिकपुर में 12-13 हजार आबादी बैठती है। मैंने इसी सदन में प्रश्न भी लगाया था कि क्या उसे नगर पंचायत का दर्जा देने पर सरकार विचार करेगी ? आपका उत्तर आया कि विचार भी नहीं किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप यह बताईये कि अगर इन बड़े गांवों को सुविधाओं से लैस नहीं करेंगे, उन्हें नगर पंचायत या नगरपालिका का दर्जा नहीं देंगे तो फिर शहरों के ऊपर जो लोड बढ़ रहा है यह काम कैसे होगा ? यह बिल्कुल निहायत जरूरी बात है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह उम्मीद करूंगा कि इस तरह के जो गांव हैं उनका दर्जा बढ़ाकर नगर पंचायत कर दिया जाए। मान्यवर, दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि कुछ नगर पंचायतें ऐसी हैं कि जैसे हमारे विधान सभा क्षेत्र का मुख्यालय शादाबाद लगभग 55 हजार की आबादी है लेकिन अभी भी नगर पंचायत का दर्जा है। मान्यवर, आगरा मण्डल की सबसे बड़ी नगर पंचायत है, अगर उसे नगरपालिका में आप तब्दील कर दें तो मैं समझता हूं कि लोगों के लिए सुविधा भी होगी और जो

आस-पास के बड़े शहर हैं उन पर लोड भी कम होगा। वहां अवस्थापना सुविधायें आप देंगे, कुछ नई सुविधायें आ जायेंगी, कुछ प्राईवेट सेक्टर से आ जायेगा। मैं समझता हूं कि ये कुछ सार्थक सुझाव मेरे हैं इन पर आप गौर करेंगे। मान्यवर, बागपत जनपद क्षेत्र में इसी तरह की एक खेकड़ा नगर पंचायत है जिसकी आबादी वर्तमान में 50 हजार है, इसी तरह से जो नगर पंचायत हैं जैसे कि छोटी-छोटी नगर पंचायतें है-छपरौली, दोघट आदि। ...

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

डा0 अनिल चौधरी-

मैं इसके बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इनमें जो सुविधायें हैं उनको लागू किया जाए। आपने आदर्श नगर योजना अभी डिक्लेयर की है और कहा है कि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन से काम न हो रहा हो तो उसको ले लिया जायेगा। मेरे क्षेत्र की जनपद हाथरस की सैफू नगर पंचायत है वह इस मानक को पूरा करती है। मैं चाहूंगा कि सहसों नगर पंचायत को आदर्श नगर योजना में सम्मिलित कर लिया जाए। मान्यवर, इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री प्रदीप माथुर का नाम पुकारे जाने व उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

माननीय अधिष्ठता महोदय, आपने मुझे डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी द्वारा नगर विकास विभाग पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। निश्चित रूप से नगर विकास मंत्री जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं लेकिन जो उनके ऊपर अधिकारियों का दबाव है, हम समझते हैं कि उसके कारण वह निर्णय लेने में त्वरित गति नहीं पकड़ते हैं। मैं लगातार पिछली विधान सभा में उप चुनाव में जीतकर आया था और वर्तमान सरकार में जो हमारे भाई नकुल दुबे जी मंत्री बने थे तो हम लोगों को लगा था कि झांसी जो नगर निगम है उसमें जो स्टाफिंग पैटर्न है उसके अनुसार ही नियुक्तियां हो जायेंगी। 5 लाख से ज्यादा हमारे यहां की जनसंख्या है इसके बावजूद नगर निगम के अन्दर 5 जे0ई0 है। एक चुना हुआ प्रतिनिधि से उस क्षेत्र की जनता के लोग कहते हैं कि आप विधान सभा में जाते हैं, केवल अखबार की खबरों के अलावा, किसी भी नियम में, किसी भी प्रश्न में कोई भी जवाब मिलने के पश्चात् कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं लगातार इस बात के लिए प्रयास करता रहा कि झांसी नगर निगम के अन्दर जो हमारा स्टाफ है वह स्टाफ बढ़ जाए क्योंकि उसके कम होने की वजह से विकास कार्य बाधित हो रहा है। केवल 30 फीसदी स्टाफ है। नगर पालिका नगर निगम में

परिवर्तित हुई हैं 2002 में, उसके पश्चात् सारे विकास कार्य बाधित हो गये है। दूसरा मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि का विकास में एक अहम रोल होता है, हम लोग चुने हुए विधायक है। जो नगर निगम के अन्दर सभासद और मेयर होते हैं हम लोग ईमानदार बने रहें इसके लिए हमें मानदेय मिलता है। जो सभासद होते हैं तो देश के अन्य राज्यों में संविधान का 74वां अनुच्छेद लागू हो गया है संशोधन लागू होने से जो सभासद होते हैं जो मेयर होते हैं उनको सुविधाएं मिलती हैं उनको भत्ता मिलता है। आज पूरे प्रदेश के अन्दर इतना बड़ा प्रदेश है लेकिन 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में यह 74वां संशोधन लागू हो गया है लेकिन हमारे यहां 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है यहां पर यह क्यों लागू नहीं हुआ है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि झांसी को महानगर का दर्जा मिले हुए 6 वर्ष हो गये हैं लेकिन आज भी हम लोगों को जो 11 नगर निगम हैं जितने वहां के कर्मचारी हैं वहां बी0 2 या ए 2 की सारी सुविधाएं मिल रही है लेकिन झांसी के अन्दर के जो सारे कर्मचारी हैं उनकी श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों का विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है इसलिए झांसी नगर के कर्मचारियों को बी0 2 की सुविधाएं मिलनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस सरकार लम्बे समय से यहां सत्ता में नहीं रही हे लेकिन जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में रही है हम लोगों ने यह नहीं देखा कि कौन सत्ता में है कौन विपक्ष में है। आज हमारे झांसी के अन्दर पिछली सरकार ने झांसी का एक तालाब है अंतिया तालाब उसके विकास के लिए एक करोड़ 35 लाख स्वीकृत किये थे उसकी 45 लाख की धनराशि अवमुक्त भी हो गयी वहां आधा अधूरा काम पड़ा है सिर्फ इस कारण कि इसे पिछली सरकार ने किया है मुलायम सिंह जी की सरकार ने किया है अगर उन्होंने कोई विकास का कार्य प्रस्तावित किया तो उसकी सजा पूरे क्षेत्र की जनता को नहीं मिलनी चाहिये।

श्री अधिष्टाता-

अब समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

झांसी के अन्दर लक्ष्मी तालाब है झांसी में हम आजादी की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जो भी पैकेज स्वीकृत हुए थे वह चाहे पिछले सरकार में हों मंत्री जी आप विकास के कार्य कर रहे हैं तो आप ही उनका शिलान्यास करके श्रेय ले लीजिए। अंतिया तालाब के आस पास चारों ओर लोग रहते हैं वह कहते हैं हम विधायक निधि से करवा नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

जो आधे अधूरे काम पड़े हैं उनको पूरा करायें। जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे डाक्टर साहब ने जैसा कहा कि यह सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति की बहुत हितैषी है निश्चित रूप से सरकार भी प्रयास कर रही है मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जो गन्दगी साफ करें उनको इतनी जलालत की जिन्दगी बितानी पड़ती है उनको संविदा पर रखा गया है काफी कम धनराशि मिलती है। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जिसमें सरकार को 500 करोड़ का फायदा होगा, झांसी नगर निगम के अन्दर 15 ग्राम शामिल किये गये थे इन ग्राम समाज में अरबों की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा है नगर निगम के पास कोई रिकार्ड नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम सागर अकेला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नगर विकास विभाग के मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये मुझे अवसर दिया। मान्यवर, आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता सदन एवं जनप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती के प्रेरणा स्रोत कांशीराम साहब रहे हैं जब नगर विकास विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है तो काशीराम जी समग्र विकास योजना का प्रारम्भ आदरणीय बहन कुमारी मायावती द्वारा जो किया गया है। 11 वीं पंचवर्षीय योजना यह हमारी सरकार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि है। कांशीराम साहब शहरी समग्र विकास योजना के तहत मुख्यतः आवास, पेयजल, जल निस्तारण सीवर, स्वास्थ्य, रोजगार, विद्युतीकरण, सड़क सफाई हेतु वर्ष 2008-2009 में एक मुश्त 500 करोड़ की व्यवस्था करके हमारी नेता बहिन मायावती जी ने एक सराहनीय कार्य किया है किन्तु मान्यवर, ऐसे मौके पर सम्मानित सदन में यह बात भी रखना चाहता हूं कि माननीय श्री कांशीराम जी द्वारा चलाया गया यह सफर बहिन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में यहां तक कैसे पहुंचा ? मान्यवर, आप सब जानते हैं कि अभी कटौती प्रस्ताव रखते हुए माननीय अग्रवाल साहब कह रहे थे। उनकी सारी बातों के लिये मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि :-

अंधेरे मांगन आये थे रोशनी की भीख।
हम अपना घर न जलाते तो क्या करते।।

मान्यवर, आदरणीय कांशी राम जी का सफर उस शहर से शुरू होता है जहां 24 सितम्बर, 1932 को पूना पैक्ट करने के लिये डा0 बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर किया गया था। यहीं पर उन्होंने 1958 में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ मिलिट्री एक्सप्लोसिव सेन्टर में नौकरी की थी और 1963-64 में उस नौकरी को छोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को इस देश में लागू करने के लिये निकल गये थे और अपनी माता को 25 पेज की चिट्ठी लिखकर कि आज से कांशीराम का पूरे देश दुनिया में कोई घर परिवार नहीं होगा। अगर होगा तो दुखी पीड़ित जन परिवार ही उनका घर परिवार होगा। तब से लेकर के माननीय कांशी राम इस मिशन में लगे रहे। जिसका परिणाम है कि हम इस सदन में उस समाज के लोग जिनके बदन पर कपड़े नहीं थे, हमारे घरों में खाने के दाने नहीं थे बोलने चालने का तौर तरीका नहीं था। ऐसे उस समाज को माननीय कांशीराम जी ने जोड़कर एक ऐसी ताकत दी जिसके बल पर आज मैं इस सदन में नगर विकास मंत्रालय के बजट पर चर्चा में भाग ले रहा हूं। मान्यवर, कांशीराम साहब ने जब 6 दिसम्बर, 1976 को बामसेफ की स्थापना की थी तो उस वक्त कहा था माइन्ड, मनी और टाइम। समाज को वही तैयार कर सकता है जो माइण्ड, मनी और टाइम दे सकता है। अतः बामसेफ के माध्यम से शुरुआत की थी। जब यह शुरुआत की थी तो 6 दिसम्बर, 1981 को बी0एस0-4 की स्थापना की थी जिसके बारे में पत्रकारिता जगत के माध्यम से तमाम भ्रम फैलाये गये थे। उनका केवल एक मकसद था कि जब हमारा काम बनेगा तो किसी का बिगड़ेगा। कैसे बिगड़ेगा ? कि जब कहीं लगे थे जब हम वहां से निकलेंगे तो घर गिरेगा। हमारा बनेगा और जब हमारा बनेगा तो दूसरे काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे इसके लिये संगठन बनाया था। बी0एस0 4 जिसका कहा गया था कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसके बाद जब 14 अप्रैल, 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई थी माननीय कांशीराम जी ने। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, आपने सबके लिये दो बार लाल बत्ती जलाई है। हमारे लिये भी जला दीजियेगा। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, उन्होंने कहा था कि आज हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के वह शब्द कि इस देश की शासन सत्ता को अपने हाथों में लेकर देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना है। तो पैदल चलो संसद चलो का नारा देकर उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। जिसकी बदौलत आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। ऐसे मौके पर मैं मान्यवर, कांशीराम साहब के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं कि--

वफा की राह पर चलना सिखा दिया तुमने,
चमन की खार से मिलना सिखा दिया तुमने,
तमाम उम्र जफाओं की पीर सह-सह कर,
मुरझे हुए चेहरे को खिलना सिखा दिया तुमने।

मान्यवर, अन्त में, मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए उनसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा में कोड बाजार और थोक गंज बाजार है उसको मिलाकर एक नई टाउन एरिया बनाने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं उस पर बल देते हुए उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं जिनका उल्लेख अग्रवाल साहब ने किया है। मान्यवर, मैं कुछ ग्राउन्ड रियेलिटीज के बार में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, नगरों की सफाई व्यवस्था का मानक बना हुआ है कि 10 हजार की जनसंख्या पर 28 सफाई कर्मचारी होंगे मान्यवर, यह व्यवस्था सभी नगरों में पूरी तरह से चौपट है। महानगरों में तो थोड़ी बहुत सफाई दिखाई पड़ती है लेकिन नगरों की स्थिति बहुत खराब है। अभी माननीय मंत्री जी कहेंगे कि 73 हजार 744 सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश में हैं और मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी प्रदेश में है। मैं दो तीन बिन्दुओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पहला बिन्दु तो यह है कि कुछ नगर पालिकाओं में ऐसे सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जो बाल्मीकि समाज से सम्बन्ध नहीं रखते हैं बल्कि वह दूसरी जातियों से संबंधित है जो बैकवर्ड हैं इससे जो पहले काम नहीं होता था वह अब और नहीं होगा। एक सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं आन्ध्र प्रदेश में जो गुड गवर्नेस का नारा दिया गया था उसमें दो बातें शामिल थी एक तो रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सफाई होती है मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था ज्यादा ठीक है अगर रात के ग्यारह बजे से सफाई प्रारम्भ करके सुबह 6 बजे तक की जाये तो कम से कम उन लोगों को भी राहत मिल जायेगी जो किसी न किसी रूप में आवागमन करते हैं या मार्निंग वाक करते हैं या फिर दफ्तर इत्यादि जाते हैं। सफाई का कार्य भी सुचारु रूप से हो जायेगा। यह दो तरीके की जो व्यवस्था है सुवह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक या फिर शाम को तीन से सात बजे तक, यह दो बार सफाई कर्मचारियों को आना भी नहीं पड़ेगा और एक बार में काम हो जायेगा। दूसरी बात जो नगरों की बढ़ती हुई आबादी में हर नगर में जाम दिखाई पड़ता है हर नगर में इन्क्रोचमेंट बेतहासा बढ़ रहा है 1991 में एक सरकार थी मान्यवर, जिसने इस बात का प्रयास किया था कि किसी न किसी तरह से एन्टी इन्क्रोचमेंट ड्राइव चलायें। बढ़ते इन्क्रोचमेंट को रोकें और उसके लिये मान्यवर, व्यवस्था की थी। तब से लेकर अब तक मान्यवर, किसी सरकार ने यह प्रयास नहीं किया कि इन्क्रोचमेंट न बढ़े उससे हमेशा अपना हाथ खींचते रहे। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रदेश का एक ग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम डेवलप करें, जी0आई0एस0 विकसित करें तो मैं समझ सकता हूं इससे इस समस्या पर काफी अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि जो आने वाला एक्जीक्यूटिव आफीसर होगा, आने वाला जो नगरपालिका का नगर आयुक्त होगा वह जाने वाले नगर आयुक्त से जब चार्ज लेगा तो सम्पूर्ण जी0आई0एस0 का चार्ज लेगा और किसी भी स्थान पर अगर कोई

व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो अतिक्रमण करने वाले का वहीं पर अपने सामने कम्प्यूटर पर डिस्प्ले कराकर उसको देखा जा सकता है। उसको उसी वक्त रिमूव करवाया जा सकता है, अगर मान्यवर, थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति हो तो जब तक इन्क्रोचमेंट के ऊपर प्रभावी कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि नगरीय जन-जीवन को सुधार की दिशा में ईमानदारी से प्रयास नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिन जिन क्षेत्रों में सीवर लाइन पड़ी है या तो चोक है या फिर सीवर ट्रीटमेंट प्लान काम नहीं कर रहे हैं। या फिर अधूरे हैं मान्यवर, इन सबका परीक्षण कराकर मिसाल के तौर पर शाहजहांपुर है जहां एक करोड़ 82 लाख रुपया शाहजहांपुर की सीवर लाइन पर खर्चा हुआ आज तक सीवर ट्रीटमेंट प्लान चालू नहीं हुआ है जो रुपया मान्यवर, उस पर खर्चा हुआ आज तक वह भी बरबाद हो जायेगा। अगर मान्यवर, उसको पूरी तरह से टेकअप करके उसको चालू नहीं किया गया। चौथी बात मैं बताना चाहूंगा जवाहर लाल नेहरू रिन्योवल मिशन के बारे में दो बार कहा गया जिन नगरों को उसमें चयनित किया गया है वहां पर टेक्निकल एक्पर्टस नहीं हैं वहां पार्किंग, शौचालय पेशाबघर जो आम आदमी की जरूरत है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाये, जिसका नगरों में पूरी तरह से अभाव है उस पर मान्यवर, विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। नई कालोनी, नये क्षेत्रों का नक्शा तब तक पास न किया जाए। जब तक वहां पार्किंग, शौचालय, पेशाबघर की व्यवस्था न हो जाये। पांचवीं बात विशेष रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नगरपालिका पहले तो यह विभाग चुंगी के नाम से बोला जाता था। चुंगी का मतलब गिरावट की पराकाष्ठा, मान्यवर, इन्टरलाकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, हर नगर में आज सभासदों ने फैक्ट्रियां लगा रखी है अपने-अपने घरों के सामने।

(इस समय 3 बजकर 29 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

वह आर0सी0सी0 की ईंट बना रहे हैं और नगर पालिका को सप्लाई कर रहे हैं। खास तौर से इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये कि मानक के अनुसार ही ईंटों का निर्माण होना चाहिये, बिना आई0एस0आई0 मानक के उनके निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यह पैसे की भी बर्बादी है। मान्यवर, स्ट्रीट लाइट के बारे में बताना चाहता हूं कभी-कभी तो ऐसा होता है कि पूरे 7 बजे तक, 10 बजे तक और 12 बजे तक स्ट्रीट लाइट जलती रहती है, स्ट्रीट लाइट के लिये न तो अलग से तार है और न उसके लिये अलग स्विच है। तार की व्यवस्था, स्विच की व्यवस्था और खास तौर से उन बस्तियों में जिन बस्तियों की तरफ जिसके बारे में मा0 मंत्री जी ने जब बजट भाषण प्रस्तुत किया था, तब ध्यान आकर्षित किया था कि हम लोग स्वयं देखेंगे, उन बस्तियों को देखेंगे। बढ़ती हुई आबादी में जो यह बस्तियां बन रही हैं, वहां पर न तो खम्भे हैं, न तार है, स्ट्रीट लाइट के नाम पर वहां कुछ भी नहीं है। ए0पी0डी0आर0पी0 की योजना के तहत जिन नगरों का चयन करके वहां के खम्भे और तार बदलवाये गये, वहां पर जो स्लम बस्तियां हैं, वह बस्तियां इससे वंचित हैं। हमारे जनपद में भी यही हालत है, जो स्लम बस्तियां हैं, वह वंचित रखी गई हैं। मान्यवर, चौथी बात विशेष रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं नाला रोक

कर लोग सिंचाई का काम करते हैं लोगों ने नाले में बंधा लगा दिया, जो दबंग हैं, जिनके 3 बीघा 4 बीघा शहर के किनारे खेत है, नालें में बंधा लगाया वह सिंचाई का काम कर रहे हैं। मान्यवर, हम लगातार पिछले 3 वर्षों से इसी विधान सभा में मुल्लाखोल नाले का सवाल उठा रहा हूं मैंने सवाल लगाया तो कहा गया कि नाला खुलवा दिया गया है मान्यवर, आप जांच करा लीजिये, अधिकारी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि 3 वर्ष से जो मुल्लाखोल का नाला है, दबंग लोगों ने उसको जाम कर रखा है, वहां का पूरा जनजीवन त्रस्त है और उससे सिंचाई का काम वह लोग कर रहे हैं किसी की हिम्मत नहीं है कि वह नाला खुलवा दें। हम आपके स्तर से प्रयास करके असफल हो गये लेकिन बंधा हटवा नहीं पाये। मान्यवर, जो इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाते हैं, उनके खराब होने पर उनके ठीक कराये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब हम जल निगम से कहते हैं तो वह कहते हैं कि लोकल गाड़ी से पैसे भिजवायेंगे, तब ठीक करायेंगे लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यह व्यवस्था है कि जब माइनर रिपेयर करना होगा तो ग्राम पंचायत करेगी और यदि मेजर रिपेयर करनी होगी, तब जल निगम करेगा। शासन इसके रिपेयर के लिये पैसा देती है लेकिन शहरी क्षेत्र में यदि कोई इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाया जाता है तो वह खराब हो जाता है तो वह ठीक नहीं हो पाता है, वह खूंटा बन जाता है उसमें गाय और बैल बांधे जाते हैं, उसको ठीक कराये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरी मांग है कि इस ओर भी आप ध्यान देने का काम करें और इसके लिये कोई व्यवस्था सुनिश्चित करायें। मान्यवर, हरदोई, मल्लावां वहां से 10-10, 15-15 ज्ञापन आये, हर प्रकार की अनियमितता है, नगर में सड़के ऊपर कब्जा करने की, सरकारी सम्पत्ति पर जबर्दस्ती कब्जा करके उस पर कोई निर्माण कराने की, चेयरमैन के द्वारा किसी सभासद की हत्या कराये जाने की, 16-16 पेज का मान्यवर, ज्ञापन आया, पता चला दिसम्बर से जांच चल रही है, मण्डलायुक्त के यहां। मान्यवर, अन्त में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मान्यवर, जितने भी नाले हैं, प्रदूषण की बात बहुत आती है, अभी मा0 मंत्री जी पर्यावरण का बजट भी इसी के ऊपर रखेंगे। हर नाला गंगा में खुल रहा है, हर नाला शहर का। मान्यवर, इसके लिये न तो विचार किया गया और न लोग टर्म प्लानिंग है। मान्यवर, जब तक नाले गंगा नदी और नदियों में गिरते रहेंगे तब तक प्रदूषण कैसे दूर हो सकता है। इसके लिये टर्म प्लानिंग की आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं कटौती पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने मुझे डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा पेश किये गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर जिस समय माननीय नगर विकास मंत्री जी ने अपना बजट भाषण शुरू किया तो आप चेयर से उठकर अपने कक्ष में चले गये आपका भी शायद उनका भाषण पसंद नहीं था। आप होते तो शायद वह जो बहुत सारी बातें न कहते और जो बहुत सारी बातें इन्होंने नहीं कही हैं वह जरूर कहते। मान्यवर, माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जब अपना बजट भाषण जारी

रखा तो जरूर उनके मन मस्तिष्क में कुछ बातें रही होंगी जो उन्हें रखनी थी। लेकिन वह अधिकारियों से इतना घिरे हुए हैं कि जो अधिकारियों ने लिखकर दिया वह इन्होंने पढ़ दिया। इन्होंने अपने मन में कुछ नहीं कहा। अगर वह मन से कहते तो बहुत सारी अच्छी बातें यहां पर कहते। मान्यवर, आज इस देश की राष्ट्रपति जिनका हम सब आदर करते हैं उनके मन के अन्दर के विचार हैं उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है अर्बन एमेनेटीस को रूरल एरियास में बढ़ाने की। लेकिन उसके विपरीत बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय नगर विकास मंत्री जी रूरल एरियाज के एमेनेटीस को अर्बन एरिया में लाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसके बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की। लेकिन आपने इस बात की चिन्ता की कि 21 प्रतिशत लोग यहां पर रहते हैं और बाकी सारे लोग वहां पर रहते हैं। इसकी चिन्ता हर आदमी को करनी चाहिये। लेकिन मान्यवर, कभी आपने बजट उठाकर देखा है कि उन पर कितने प्रतिशत पैसा खर्च किया जा रहा है और नगरीय क्षेत्र के ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है। मान्यवर, जितने लोग यहां रहते हैं अगर उतने प्रतिशत बजट की राशि नगरीय क्षेत्र में आ जाये तो आपको कठिनाई नहीं होगी। मान्यवर, बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो अलग-अलग समय पर अलग-अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। आज जो अधिकारी आपका एसिस्ट कर रहे हैं तो आज आपकी बात उनको करनी चाहिये क्योंकि कल वह किसी दूसरी जगह चले जाते हैं तो वह दूसरे विभाग को एसिस्ट करेंगे। आप जिस विभाग के मंत्री हैं कम से कम उसके बारे में चिन्ता करते। आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिये आपको अपने माइंड को सेट करना होगा तब आप नगरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच पायेंगे। जो लोग वहां पर रह रहे हैं कम से कम खुली हवा में तो रह रहे हैं। यहां पर लोग नाले के किनारे रहने के लिये विवश हैं। इसके बारे में आपने नहीं कहा कि वहां पर जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिये नगरीय क्षेत्र में आकर सड़क के किनारे छोटी से झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उन्हें पीने के लिये साफ पानी भी नहीं मिलता है। अगर जनप्रतिनिधियों के द्वारा छोटे-छोटे हैण्डपम्प न लगाये जायें तो उनके लिये वहां पर पानी पीना भी दूभर हो जाता है। हैण्डपम्प लगवाने के लिये तो आपने कोई प्रयत्न नहीं किया। इस विधान सभा के सभी क्षेत्रों के माननीय सदस्यों ने कई बार हैण्डपम्पों के बारे में चिन्ता व्यक्त की लेकिन सरकार इतनी असंवेदनशील है कि इसको एक तरफ से सुनकर नकार देती है। आपने कहा कि नगर विकास के अन्तर्गत हैण्डपम्प नहीं देंगे, अगर खराब हैं तो उनको ठीक करने के लिये पैसा नहीं है। आप पीने के लिये पानी नहीं दे सकते हैं और आप बात करते हैं कि आप नगरीय क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाएं ठीक करना चाहते हैं। मान्यवर, यह उन परिस्थितियों के अन्तर्गत करना चाहते हैं कि जो भी पैसा जिस भी मद में जब-जब जाता रहा वह सारे का सारा नाम आपने बदलकर श्री कांशीराम के नाम पर कर दिया।

आदरणीय कांशीराम जी की सोच के ऊपर काम करते तो मलिन बस्ती में पीने के पानी के लिये पहले घोषणा करते वहां पर हैण्डपम्प देते। लेकिन आप करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको यहां बैठकर अपनी मर्जी से काम करने की आजादी नहीं है।

आप स्वायत्तता की बात करते हैं लोकतंत्र की बात करते हैं, चौहत्तरवें संशोधन की बात करते हैं, आपने तो सारे मानकों को तोड़ दिया है। आपने उप नगर प्रमुखों का पद ही समाप्त कर दिया है। आप चाहते हैं कि नौकरशाही व्यवस्था के ऊपर अफसरशाही हावी हो जाती है शहरी योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि आप जल निगम के सम्मानित चेयरमैन भी हैं। जल निगम द्वारा क्या-क्या काम किये जा रहे हैं, सौभाग्य से पर्यावरण विभाग और प्रदूषण विभाग और नगर निगम भी आपके पास है। अधिकारियों के कहने पर मत जाइये, चले जायें और देखें कि जहां पर हजारों करोड़ रुपया गंगा एक्सन प्लान के अन्तर्गत खर्च कर डाला, वहां किस तरह से काम कर रहे हैं अधिकारी। आप अधिकारियों को बचाना क्यों चाहते हैं, क्यों अधिकारियों का पाप अपने ऊपर लेना चाहते हैं। जिसकी गलती हो उसको सजा दीजिये, चढ़ा दीजिये उसको सूली पर। आप उसे संरक्षण मत दीजिये। अधिकारी वही हैं जो आज हैं वह कल भी थे। जो गलती करे उसे सजा दीजिये। आप अगर उसको संरक्षण देना शुरू कर देंगे, मान्यवर, कानपुर, इलाहाबाद में माघ मेले और कुंभ मेले में यहां से वहां तक शोर मचता रहा, आप कहते रहे कि सब कुछ ठीक है। साधु संतों ने नहाने से मना कर दिया, आचमन करने से मना कर दिया। आप गये थे, आपने कहा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन आप अच्छा करवाने का प्रयत्न करते। अगर मैं आपको कोई सुझाव दे रहा हूं तो उसे आप स्वीकार करें। अगर आपने उन्हें पैसा दिया डीजल खरीदने के लिये तो उन्होंने डीजल के बजाय कुछ और खरीद कर पी रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है। अगर आप उनका गलत संरक्षण करोंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारा संरक्षण करने वाला ऊपर बैठा है। हो सकता है कि आपकी मंशा साफ हो लेकिन जमीन के ऊपर आपकी मंशा दिखाई देनी चाहिये। सूडा के माध्यम से आप बहुत सारी योजनायें गिना दी उन बस्तियों के अन्तर्गत जो काम सूडा के माध्यम से होता था, बताया आपने कि कहां-कहां किसके लिये पैसा भेजा। आपने बहुत कुछ बता दिया कि हम बस्तियों के अन्तर्गत यह यह योजनायें ला रहे हैं। बहुत सारे आंकड़े कागज के ऊपर मत रखिये। आप जिस विभाग को देख रहे हैं मैं उस विभाग को देख चुका हूं। इसलिये सुझाव देना चाहता हूं कि कोई अच्छी बात मैंने किसी से सीखी होगी, तो अगर मेरी अच्छी बात आपको लगती है उसे ग्रहण करियेगा। मान्यवर, आप इसकी चिन्ता करिये। मलिन बस्तियों के विकास की चिंता करिये। जे0एन0एन0आर0यू0 योजना के अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय एक समिति बनायी गयी। सौभाग्य से एक बैठक भी बुलाई गई और मुझे बुलाया गया। दुर्भाग्य से मैं वहां पर पहुंच गया। इसलिये पहुंच गया कि आप किसी की सुनना नहीं चाहते थे। जो अधिकारियों ने कह दिया वही यह सब कुछ ठीक है। मान्यवर, उस दिन के बाद मैंने आपको पत्र लिखा था उसका जवाब आपने मुझे आज तक नहीं दिया। अगर इसी तरह की बैठक बुलायेंगे और जनप्रतिनिधियों को अपमानित करेंगे तो इस प्रकार की समितियों में हमारा न रहना ही उचित होगा और इस प्रकार की समितियों से इस्तीफा दे देंगे। जब आपने प्रदेश स्तरीय कमेटी बनायी तो आपने कभी विचार-विमर्श किया, आपने प्रदेश स्तरीय समिति के सदस्यों को बुलाकर पूछा कि आपके क्षेत्र की क्या समस्या है, आपने बताया कि कौन-कौन सी योजनाएं हैं, आपने पूछा कि अधिकारियों ने यह-यह योजनाएं

सब्मिट की हैं इन योजनाओं के बारे में आपका क्या विचार है। नहीं पूछा, कोई आवश्यकता भी नहीं है, आपका चेहरा बता रहा है, आपकी मुस्कराहट बता रही है कि आप इसके बारे में आवश्यकता भी महसूस नहीं करते हैं। आप स्वयं सक्षम है, आप अति विद्वान हैं, आप जो चाहते हैं वह हो जाता है, जो आपके अधिकारी करना चाहते हैं वह हो जाता है तो इस प्रकार की समिति के माध्यम से लोगों को अपमानित करने का काम न करें। मान्यवर, जेएनएनआरयू के अन्तर्गत अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सबसे पिछड़ा हुआ है। अन्य प्रदेशों में सारे का सारा काम प्रारम्भ हो रहा है अन्य प्रदेशों में सारे के सारे विगत कई वर्षों से प्रारम्भ हैं, हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपके द्वारा मान्यवर, इस प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है आप उसमें त्वरित गति से काम करें। प्रदूषण के बारे में मान्यवर, मैंने आपको बताया, आपके विभाग ने मैंने इसी सदन के अन्तर्गत औचित्य के माध्यम से कुछ बातें उठाई, नियम-301 के अन्तर्गत कुछ सूचनाएं दी, तो मान्यवर, उनका कोई जवाब नहीं आया। औचित्य के माध्यम से उन औचित्य के प्रश्नों पर भी औचित्य का प्रश्न लग गया, उसका भी मान्यवर, जवाब नहीं आया और उसमें यह आ गया कि इसकी सूचना मंगाई जा रही है। तीन महीने पहले, चार महीने पहले, यदि नियम-301 में मान्यवर, लिख कर देंगे कि दो ट्यूबवेल खराब हैं, उनको सरकार सुधारने के लिये कुछ सहायता कर दे, चार महीने बाद आये कि उसकी सूचना मंगवाई जा रही है। मान्यवर, गर्मियों के बाद सूचना मंगवायेंगे क्या ? कब मंगवायेंगे ? यह चार महीने कब पूरे होंगे ? अभी सुरेश जी बोल रहे थे हमारे आदरणीय मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी बड़े चिन्तित थे कि सुरेश जी का ट्यूबवेल कैसे खराब है। जहां पर ट्यूबवेल खराब की सूचना दी गई है और चार महीने तक भी अगर वह ठीक नहीं होंगे उसके बारे में आपको सूचना आती रहेगी तो मान्यवर, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि नगरीय क्षेत्रों के विकास के बारे में आप बातचीत करना चाहते हैं आप उसके लिये गम्भीर हैं। मान्यवर, हैण्डपम्प की बात आई, आपने यहां पर कह दिया कि 500 करोड़ रुपया इसके लिये दे रहे हैं, 200 करोड़ रुपया इसके लिये दे रहे हैं। 200 करोड़ आपने रिवाल्विंग फण्ड के माध्यम से दिया, जिसको पहले रिवाल्विंग फण्ड कहते थे आपने उसका बहुत सुन्दर नाम कर दिया मान्यवर, कांशीराम जी ब्याज रहित ऋण योजना। ठीक है मुझे अच्छा लगा, अगर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम किया जाये जिसने समाज के लिये कुछ कार्य किया है उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए लेकिन आप बता देते कि यह वहीं वाली योजना है इसका नाम परिवर्तित करके यह कर दिया गया है। हमें भी लगता चलो है तो वहीं वाली, सिर्फ नाम ही तो परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ न कुछ तो होगा। आपने कहा कि 500 करोड़ हमने और दे दिया। पांच सौ और दो, सात सौ। टोटल किया है कि कितने करोड़ रुपये का बजट है पूरे प्रदेश का ? और 21 प्रतिशत जनता की आबादी में आप कितना पैसा दे रहे हैं ? मान्यवर, इस बात को भी सोचिये। 74वें संशोधन की जिस समय बात करते हैं तो उन नगर निकायों को, उन नगर निगमों को अन्य जो मद है जहां-जहां से उनको पैसा आना चाहिए वह नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, अब समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप ही की बात करने जा रहा हूं, मान्यवर, आप भी हैण्ड पम्प के लिये बड़े चिन्तित हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी का हमें बड़ा संरक्षण है, मुझे विश्वास है कि सदन के उठने से पहले, आज नहीं जब तक यह वाला सत्र चलेगा उससे पहले आपकी इसकी व्यवस्था जरूर करा देंगे। आप ही के ऊपर है मान्यवर, माननीय मंत्री जी के ऊपर विश्वास तो है लेकिन है बहुत सीधे यही कहा है हमारे सारे माननीय सदस्यों ने, इसलिये मैं अपने आपको उस बात से सम्बद्ध करता हूं। आप भी बहुत सीधे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वह सीधे हैं नहीं दिलवा पा रहे हैं, आप टेढ़े हैं, दिलवा देंगे, इसका यह मतलब नहीं है। आप हमारे संरक्षक हैं, आप उस संरक्षकत्व के नाते से अपने अधिकारों को प्रयोग करके हमको दिलवायेंगे। मान्यवर, हैण्ड पम्प की मांग करें। मान्यवर, सफाई कर्मचारियों के बारे में मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं, उसके बारे में आपको जानकारी है। मान्यवर, आप इस समय जाते हैं कई नगरों में। आप कानपुर आये मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्षेत्र में घूम रहे थे, और अच्छा लगा। क्षेत्र में सड़क के किनारे रोज चाय बनाने वाला आदमी जिसकी पूंजी कुल सौ रुपये होगी, दो तीन किलो दूध खरीदता होगा, दस रुपये की चीनी खरीदता होगा, पांच रुपये की चाय पत्ती खरीदता होगा, वह सड़क के किनारे बैठा चाय बना रहा था मान्यवर, पिछले दस सालों से, आप वहां गये आपने कहा ये किनारे कैसे बैठा है इससे यूजर्स चार्ज ले लो। नगर निगम वालों ने उसको 55 हजार रुपये का बिल बना कर भेज दिया। उन्होंने आपका नाम लिया, अगर आपका नाम झूठा लिया तो फिर उनके ऊपर कार्यवाही हो, नहीं तो आप अपने ऊपर विचार करें। एक चाय बनाने वाला जिसकी कुल जमा पूंजी पांच रुपये की नहीं है आपने उससे यूजर्स चार्ज के नाम पर 55 हजार रुपये का बिल बना करके भेजा है। यही मान्यवर है क्या ? आप शहरों की बात करते हैं और गांव के साथ उसकी तुलना करते हैं। यदि शहरों में उद्योग नहीं चलेंगे, यदि शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, यदि शहरों में इन्फारमेशन टैक्लालॉजी नहीं होगा, यदि शहरों में शिक्षा नहीं होगी तो कोई रेवेन्यू नहीं आयेगा, रेवेन्यू शहरों के माध्यम से ही और किसान के यूजर्स के माध्यम से ही जेनरेट होता है। शहरों की प्रॉब्लम को यदि आप छोड़ देना चाहते हैं , यदि आप समाप्त कर देना चाहते हैं, यदि आप इन्फ्रास्ट्रक्चर की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहते हैं, तो गांव का भला होने वाला भी नहीं है, यदि आप गांव के भले के बारे में सोचते तो शहरों का भला आप करेंगे। शहरों का जब तक भला नहीं होगा तब तक गांवों का भला नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में चलते हैं आप एक को छोड़ कर दूसरे के साथ आगे नहीं निकल सकते हैं। मुझे लगता है कि आप इस इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिये अपने माइण्ड सेट को अवश्य ठीक करेंगे जिससे लगेगा कि ग्रामीण के साथ शहरों के विकास की बहुत आवश्यकता है, इतनी बात कह कर माननीय अध्यक्ष जी बिना आपके कहे ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री जुल्फिकार अहमद भुट्टो-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, शहरों के सुनियोजित एवं समग्र विकास के लिये समयबद्ध रूप से अवस्थापना सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगार के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मान्यवर, श्री कांशीराम जी शहरी विकास योजना प्रारम्भ कर बसपा सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसमें मुख्यतः आवास, पेयजल, जल निस्तारण, सीवर, स्वास्थ्य, रोजगार, विद्युतीकरण, सड़क, सफाई व्यवस्था आदि योजनाओं के लिये वित्तीय वर्ष 2008-09 में 500 करोड़ रु0 की एकमुश्त व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा अन्य योजनाओं में उपलब्ध धनराशि का भी उपयोग किया जायेगा।

मान्यवर, नगर निकायों की अवस्थापना विकास कार्यों के लिये मान्यवर, कांशीराम जी नगर विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में ब्याज रहित ऋण के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से पेयजल एवं जलोत्सारण के लिये वर्ष 2008-09 में 176 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है। मान्यवर, इसी प्रकार से शहरी झोपड़ पट्टियों में रहने वाले व्यक्तियों को बेहतर रिहायशी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "इन्ट्रीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेण्ट योजना" कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों के झोपड़पट्टियों के निवासियों को रिहायशी सुविधाओं के साथ-साथ स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। मान्यवर, इस योजना में झोपड़पट्टियों का सुधार, मकानों का निर्माण एवं मरम्मत, जल आपूर्ति, सीवर आदि अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। योजना के लिये बजट 2008-09 में 242 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, जवाहर लाल नेहरू अरबन रीन्यूअल मिशन योजना के अन्तर्गत 7 शहरों, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ को चयनित किया गया है। मान्यवर, इसमें हमारी सरकार, केन्द्र सरकार के हिस्से के साथ-साथ बहुत सी सुविधायें शहरी निकायों को दे रही हैं। मान्यवर, यह कहा गया कि 21 प्रतिशत की आबादी नगर विकास के अन्तर्गत आती है। मान्यवर, जो शहरों की व्यवस्था हमारी सरकार को मिली है वह पिछले 60 वर्ष की व्यवस्था मिली है। हमारी सरकार को अभी सत्ता में आये हुए 8 महीने ही हुए हैं। लेकिन जिस तेजी से काम हो रहा है, इस व्यवस्था के अन्तर्गत काम करते हुए शहरों की जो पेयजल की व्यवस्था है सफाई की व्यवस्था है उसमें विकास हो रहा है। पहले की किसी भी सरकार ने इतनी कम अवधि में इतनी उपलब्धियां नहीं दिखायी हैं। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, यह कहा गया कि 3 करोड़ 24 लाख लोगों की आबादी इस नगर विकास विभाग के अन्तर्गत आती है जिसमें 44632 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। मान्यवर, हमारी सरकार सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील है कटिबद्ध है। मान्यवर, हमारी सरकार इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये, शहरों की जो समस्या है उसको दूर करने के लिये कटिबद्ध है। मान्यवर, आज हमारी सरकार द्वारा शहरों में रहने वाले गरीबों का भी ध्यान रखा है जिसकी तरफ आज तक किसी ने नहीं रखा था। यह पहली दफा हुआ है कि एक लाख,

डेढ़ लाख रु0 में भवन दिये जा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपके निर्देश का पालन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नगर विकास विभाग द्वारा 2008-09 के बजट समर्थन पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं नगर विकास मंत्री जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वसमाज के शहरी गरीबों के उत्थान हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

मान्यवर, प्रदेश सरकार "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" के सिद्धान्त पर आधारित शहरी गरीबों को आवास बेहतर अवस्थापना सुविधाएं एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008-09 के बजट में गत वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत का अधिक का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने बिना केन्द्र सरकार की सहायता के शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में शहरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किया है। मान्यवर, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अन्दर पहली बार शहरी गरीबों को एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम में तथा शहरी गरीबों को बुनियादी सेवा में योजनाओं के अन्तर्गत आवास 10 प्रतिशत-12 प्रतिशत अंशदान पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। स्थानीय नगर निकायों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है। जो सराहनीय कदम है। माननीय अध्यक्ष जी हमारी सरकार पहली बार शहरी अवस्थापना के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से माननीय श्री कांशीराम जी समग्र विकास योजना के लिये वर्ष 2008-2009 में 500 करोड़ रुपये की एक मुश्त व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा शहरी गरीबों को आवास एवं बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी लोकप्रिय सरकार शहरी क्षेत्र के बेरोजगार एवं अल्प रोजगार शुदा व्यक्तियों को कौशल उन्नयन द्वारा स्वरोजगार में स्थापित करने का विशेष प्रयास किया गया है। हमारी सरकार गरीब महिलाओं के सशक्तीकरण पर विशेष बल हेतु शहरी क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास योजना में अधिक से अधिक समूहों का गठन एवं वित्तीय पोषता हेतु विशेष प्रयास किया जा जा रहा है। हमारी लोकप्रिय सरकार स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत नगरीय स्वरोजगार ड्वाकुआ एवं नगरीय स्वरोजगार प्रशिक्षण द्वारा एक लाख व्यक्तियों को तथा 300 ऋण बजट समूहों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं नगरीय विकास मंत्री जी के निर्देशन में नगरों का समग्र विकास तेजी से हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इससे साफ हो गया है कि हमारी सरकार द्वारा नगर विकास विभाग का बजट सराहनीय है। गरीब नगरीय क्षेत्र के सर्वसमाज के गरीबों के उत्थान हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये गये

हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का एंव नगर विकास मंत्री का आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नगर विकास विभाग के वर्ष 2008-09 के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राधेश्याम गुप्ता-

मान्यवर, आपने मुझे माननीय राधा मोहन दास द्वारा नगर विकास विभाग पर रखे गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मान्यवर, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो हमारे राधा मोहन जी, माननीय सतीश महाना और माननीय सुरेश खन्ना जी ने कही हैं। मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर और विशेषकर नगर पालिका फतेहपुर की जो तमाम व्यवस्थायें जो बाधित हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। फतेहपुर नगर पालिका परिषद् में इतना इन्क्रोचमेन्ट हो गया है कि जल निकासी के नाले बन्द कर दिये गये हैं, प्रभावशाली लोगों ने बन्द कर दिये है। जल भराव हो जाता है, सड़क निर्माण होती है और निर्माण होने के बाद तत्काल जलभराव के कारण वह खराब हो जाती है इससे सरकार का तमाम पैसा अपव्यय होता है। मैं चाहता हूं कि नगर पालिका परिषद् की योजना है जो पैसा है, मैंने उस वक्त साढ़े नौ करोड़ रुपया स्वीकृत कराया था उसका अभी कुछ कार्य नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि जल निकासी की व्यवस्था तत्काल कराई जाये। साथ ही हमारे क्षेत्र के नगर पालिका की जो मलिन बस्तियां हैं। यह पूरी तरह से प्रभावित हैं। यह सरकार कांशीराम के नाम से चल रही है इसलिये उन मलिन बस्तियों का भी सुधार होना चाहिए। उन मलिन बस्तियों में रहने वाले बड़ी खराब स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं न वहां सड़क है न शौचालय है। एक सुलभ शौचालय बनाने का प्रस्ताव मैंने दिया था और वह डूडा के माध्यम से सूडा में आया था उसका भी प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं हुआ। साथ ही ऐसे क्षेत्र हैं पीरनपुर, अबरपुर, अबू नगर, धन्नेपुर, मूसेपुर, चौधकियापुर, मधुपुरी, लोटहा, गड़इयन का पुरवा, दुर्गापुर यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उनका जीवन इतना कष्टमय है। न तो उनको ग्रामीण जीवन की सुविधा मिल पा रही है और न नगर पालिका की व्यवस्था हो पा रही है। मैं चाहता हूं कि उस क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था के लिये प्राइमरी स्कूल का निर्माण कराया जाय और एप्रोच मार्ग बनाये जायें तथा पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाय जिससे कि यह कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति के पिछड़ी जाति के लोगों को भी यह महसूस हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार दलितों, शोषितों की बहुत संरक्षक है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि नगर पालिका परिषद् से हम लोगों ने कितनी बार कहा और माननीय मंत्री जी को भी दिया कि वहां क्या कार्य नगर पालिका विकास का करा रही है, उसको हम लोगों को दिया जाये, कितनी बार मांगने के बाद भी हमको आज तक यह नहीं मिला कि यह कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा कराये जा रहे हैं। हमने अपनी विधायक निधि से तमाम मार्ग बनवाये और ऐसा उसमें भ्रष्टाचार है कि उसका भुगतान नगर पालिका करा लेती

है, इसलिये इसका मी डिटेल हम सबको नहीं मिला, जो मिलना चाहिये और नगर पालिका को देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जी, अब समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गुप्ता-

मान्यवर, पेयजल की व्यवस्था के लिये नगर पालिका परिषद् में हैण्डपम्प लगाने के लिये व्यवस्था थी। हमारा क्षेत्र नगरपालिका का है न तो वहां पानी की टंकी है और न पाइप लाइन से पानी जाता है, न हैण्डपाइप है, इतना पीने के पानी का संकट है। इस जो हैण्डपाइप देने की व्यवस्था नगर पालिका के अन्तर्गत है वह हैण्डपाइप भी नगर पालिकाओं को दिलवाई जायें, नगर पंचायतों को दिलवायें जायें। मैं चाहता हूं कि जो हमारे यह सुझाव विधायकों ने दिये हैं, माननीय मंत्री जी उसको गम्भीरता से लेते हुए अपने विभाग में परिवर्तित करेंगे। एक बात मैं और सूक्ष्म में कहना चाहता हूं कि वाणिज्य कर का बजट तो होता नहीं है और वाणिज्य कर विभाग के यह मंत्री हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि चूंकि वाणिज्य कर विभाग के बजट पर बोलना नहीं होता है इसलिये थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि मैं संस्थागत वित्त मंत्री रहा हूं और मुझे अनुभव भी है। व्यापार कर विभाग का नाम वाणिज्य कर विभाग कर दिया गया है। समाधान योजना जो लागू थी जिन-जिन बस्तियों में, वह समाधान योजना प्रभावी ढंग से आप लागू करा देंगे। तो आपका राजस्व भी आयेगा और साथ-साथ जो मनमानी वैट के नाम पर की जा रही है, यह मनमानी बन्द होगी। तेल, आटा, सूजी और जितनी भी चीजें हैं, उसमें तो टैक्स है नहीं। यदि यह समाधान योजना लागू कर देंगे तो राजस्व आयेगा और राजस्व के साथ-साथ उपभोक्ता को उचित दर पर सामान मिलेगा। मैं इतना ही कहते हुए कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राधामोहन दास अग्रवाल जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि यह सरकार दलितों की हिमायती बनती है जो समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पूर्व सरकार में यह व्यवस्था की थी कि जो महिलायें वाल्मीकि समाज की हैं उसके लिये था कि वह अपने बच्चे को नहला धुलाकर, स्कूल भेजकर, फिर सफाई करने के लिये आ सके। उस व्यवस्था को फिर से चालू कर दिया जाय क्योंकि जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो वाल्मीकि समाज की महिलायें यह शिकायत करती हैं। इसके अलावा हम मान्यवर, अपने बांदा जनपद के सम्बन्ध में बताना चाहते हैं। मान्यवर, जनपद बांदा में सीवर जल निकासी की व्यवस्था हुई थी, उसके अभी तक कनेक्शन नहीं जारी किये गये

हैं। अगर कनेक्शन नहीं जारी किये जायेंगे तो करोड़ों रुपये की योजना बेकार हो जायेगी। मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है कि जो हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन का कार्य है, मान्यवर, बुन्देलखण्ड में बहुत बड़ी विडम्बना है वहां की बात मैं बताना चाह रहा हूं। विधायकों को जो हैण्डपम्प दिये जात हैं, उसके लिये ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पैसा दे दिया जाता है लेकिन जल निगम, जल संस्थान के कर्मचारी उन हैण्डपम्पों को मई-जून के महीने में लगाने का काम नहीं करते हैं। वह उन हैण्डपम्पों को जुलाई, अगस्त, सितम्बर के महीनें में लगाना शुरू करते हैं क्योंकि इन महीनों मतें जल स्तर ऊपर आ जाता है और उन्हें गहराई में पाइप नहीं डालना पड़ता है। इसके चलते मान्यवर, मई-जून के महीनें में वह बेकार हो जाते है। और उन्हें रि-बोर कराना पड़ता है। जिससे उस पर भी पैसा खर्च होता है और इस प्रकार उनके खाने कमाने का धंधा चल जाता है। हमारे यहां तिन्दवारी में सैकड़ों हैण्डपम्प केवल एक साल में फेल हो गये, उन्हें फिर रिबोर किया गया, इस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे जनपद में खन्डेय, कानाखेड़ा, जसपुरा, खप्टिहाकला, निवाइच, बरेठकला में ग्रामीण पेयजल योजना है और मान्यवर, वहां पर यह योजना पूरी तरह से ठप हो गई है केवल उनकी टंकी खड़ी है। उनसे जो गांव आच्छादित थे उनसे वसूली के लिये आर0सी0 जारी कर दी गई है, पानी मिलता नहीं है पेयजल का टैक्स वसूला जा रहा है। मान्यवर, इन सारी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक दिन की घटना है कि मैं चित्रकूट कामतानाथ जी के दर्शन के लिये जा रहा था। सुबह का मौका था, गाड़ी जैसे अतर्रा पहुंची वैसे ही दो लोग निकल कर आये और हमारी गाड़ी के बोनट पर डंडा मारने लगे, हमारी गाड़ी लड़खड़ा गई। मान्यवर, अतुर्रा, बांदा, तिन्दवारी तथा बहुआ में अड्डा पड़ाव के नाम पर वसूली जा रही है जबकि शासन से इसके लिये निर्देश है कि नेशनल हाई वे पर इसकी वसूली न की जाय। मान्यवर, लाखों लाख तीर्थयात्री उधर से निकलते हैं, इसलिये इसकी वसूली रोकी जाय। बुन्देलखण्ड इस समय सूखे से पीड़ित है, वहां पर जो योजनाएं चल रही हैं, उसकी विशेष रूप से मानीटरिंग किये जाने की आवश्यकता है, इस पर भी ध्यान दें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, नगर विकास विभाग की अनुदान राशि पर मा0 अग्रवाल साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर मैं बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। नगर विकास विभाग का बजट भी बहुत है और उसमें काफी योजनायें हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। कारण है कि उसमें भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है, आज उसे रोकने की आवश्यकता है। मेरे गढ़मुक्तेश्वर में जांच होने के बाद और उप जिलाधिकारी महोदय की रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और तमाम अनियमिततायें आज भी मौजूद हैं। मैने इसके लिये पत्र मा0 मंत्री जी को प्रेषित कर दिया है। जिस तरह से आज नगर पालिका परिषद् में जो लोग रह रहे हैं, वह

कर के रूप में जो देते हैं उनको जल की सुविधा, सफाई की सुविधा या अन्य सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं और बदबूदार माहौल बना रहता है। अगर सभासदों को भी नगर पालिका में भागीदार बनाया जाय तो कुछ सुधार हो सकता है। मान्यवर, हैण्डपम्प जो गांव से लेकर शहर तक लगाये जा रहे हैं, कहीं-कहीं पर पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि [illegible] पर गहराई पर हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, उनको कम से कम 200 फिट की गहराई पर लगाया जाना चाहिये इससे रि-बोर की आवश्यकता कम होगी स्वच्छ जल पीने के लिये मिलेगा। मान्यवर, एक सुझाव है जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में सिम्भावली और बहादुरगढ़ बड़े-बड़े गांव के रूप में हैं। आस-पास सघन आबादी है अगर इनको नगर पंचायत के रूप में विकसित करने की कृपा मा0 मंत्री जी करेंगे तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा। मंत्री जी जो व्यवस्था गांवों से पलायन करके नगर में जाती है तो वह महसूस करते हैं कि उनका बिजली, पानी, सीवर और रहने की सुविधा होगी लेकिन आज भी बिजली की आपूर्ति न होने की वजह से नगर पालिकाओं में लोग वंचित हैं। रोशनी से भी और पानी से भी। मान्यवर, गांवों का भी इसी तर्ज पर सुधार किया जाये तो यह एक हितकारी कदम होगा। मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी द्वारा नगर विकास विभाग पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इस बजट को तो यही बोलूंगा कि "दि ओल्ड वाइन इन न्यू वोटल" अर्थात् पुरानी शराब नई बोतल में। मान्यवर, तमाम सदस्य यह कह रहे हैं कि 8 महीने की यह सरकार है और आज मौका मिला है। माननीय मुख्य मंत्री जी 4 बार मुख्य मंत्री रह चुकी हैं और उनके मातहत में बार-बार यह विभाग आ चुका है इसलिये यह बात कहनी तर्कहीन होगी कि बजट पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है और 8 महीने की यह सरकार है। माननीय मंत्री जी काबिल हैं, होशियार है और अच्छे वकील हैं, मुस्करा कर ही बातों को टाल देते हैं। जो लोग उनकी मुस्कराहट को कह रहे हैं कि सीधे हैं तो मैं सीधा तो नहीं मानूंगा लेकिन इनको शरीफ मानूंगा, पर इनकी मुस्कराहट बहुत जालिम है, काम इतने आसानी से नहीं करते हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां यमुना एक्शन प्लान की बात है यह गम्भीर विषय है। गंगा एक्शन प्लान की बात जरूर होती है पर आपको यह पता होना चाहिये कि यमुना भी उतनी ही इम्पोर्टेन्ट हैं जितनी कि गंगा। आज आप देखेंगे कि यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत तमाम कार्य कराये गये हैं और आज की तारीख में भी जगह जगह के सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट नहीं चल रहे हैं। यमुना में 40 सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट आपके एक पालिसी के तहत नगर पालिका परिषदों को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। अभी कमेटियां गईं और जाकर देखा कि सीधे, गंदा पानी मथुरा और वृन्दावन में यमुना में गिर रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यमुना पतित पावनी हैं और सबसे ज्यादा पूजा इसकी मथुरा में की जाती है और आस्था की प्रतीक यमुना को गंगा जिसे गंगा मैया कहते हैं, पूरे हिन्दुस्तान के लोग खासतौर से गुजरात के लोग आकर उस पानी का आचमन श्रद्धाभाव से करते हैं। मंत्री जी जब मथुरा आयेंगे तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप भी उस यमुना के जल से आचमन करें। क्योंकि उस जल में इतने कीड़े हैं, इतनी गंदगी है कि आपको विश्वास होगा कि किस तरह से धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचती है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि इस तरफ गौर करें और यमुना एक्शन प्लान को तरजीह दें और दुबारा उसे रिव्यू करें। जैसा कि कल एक प्रश्न के उत्तर में आपने बताया कि हमने गंगा निर्मल योजना बनाई है उसमें यमुना निर्मल योजना को भी समावेशित करें। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां तक गोकुल बैराज का प्रश्न है, इसमें आपने एरिया बढ़ाने की बात की, उसमें आपने बजट की, फण्डिंग की बात करी, हम इसके लिये आपके आभारी हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि गोकुल बैराज परियोजना जब मैं वर्ष 1985 में एम0एल0ए0 था तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्य मंत्री बीर बहादुर सिंह जी और श्री नारायण दत्त तिवारी जी से प्रयास करके इस पेयजल योजना को स्वीकृत कराया था। आने वाली सरकारों ने इसको तरजीह नहीं दी उसका परिणाम है कि अभी भी वह अधूरी पड़ी है, उसके लिये 30 करोड़ रुपये की महती आवश्यकता है। हालांकि हम जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में उसका प्राविधान करा रहे हैं पर आपको मालूम होना चाहिये कि 470 कि0मी0 पाइप लाइन बिछनी थी लेकिन अभी तक कुल 120 कि0मी0 पाइप लाइन बिछी है। इस महत्वाकांक्षी पेयजल योजना में आप जब तक पाइप लाइन नहीं बिछायेंगे पूरे शहर मथुरा और वृन्दावन में तब तक आप कैसे पानी पिला सकोगे ? आप एरिया बढ़ा लीजिये, उसकी कैपसिटी बढ़ा लीजिये, आप बिना लाइनों को डाले हुए मथुरा वृन्दावन में उसकी इंस्टालु कैपासिटी का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा दोहरा मापदण्ड क्यों ? हैण्डपम्पों के मामले में जो शहरी क्षेत्र के विधायक आते हैं, मा0 अध्यक्ष जी ने प्रमुख सचिव को बुलाया था, तमाम बड़े दलीय नेताओं की बैठक हुई उसमें यह तय किया गया कि उसका निस्तारण जल्दी होगा। लेकिन कोई भी एम0एल0ए0 पक्ष और विपक्ष में से कोई चेयरमैन्स और मेयर के पास नहीं जाने वाला कि आप हमें हैण्डपम्प दे दीजिये। माननीय अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हैण्डपम्पों के मामले में स्वायत्तता दीजिये जो शहरी क्षेत्र के विधायक आते हैं इसके लिये कोई फार्मूला निकालिये क्योंकि मार्च आ गया है। यह हैण्ड पम्प कब तक लगेंगे शहरी क्षेत्र के लोग पेयजल के मामले में त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। हम सब लोग सेलरी लेते हैं, अन्य सभी सुविधायें लेते हैं सरकार हमें ट्रीट करती है लेकिन सभासदों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं वह भी वार्डों से चुनकर आते हैं उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है उनका रहमोकरम मेयर होता है, चेयरमैन होता है यह चेयरमैन की मर्जी होती है कि वह किस कारपोरेटर को ओब्लाइज करे। सरकार उनकी सेलरी के बारे में

तकलीफों के बारे में विचार करे वह चुने हुए लोग हैं उनको लोग अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं कि यह बेकार चुने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

अ। समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले 7-8 साल से यह राग अलाप रहा हूं मंत्री जी जोधा अकबर पिक्चर देखिये किस तरह से सल्तनत में यात्रियों से महसूल की वसूली की जाती थी यात्रियों को मारा पीटा जाता था किस तरह से बादशाह अकबर जनता के बीच आये। औरंगजेब के समय में किस तरह से जजिया कर की वसूली की जाती थी। मथुरा, वृन्दावन, गोबर्धन व जितने भी भगवान कृष्ण से सम्बन्धित स्थल हैं वहां पर 100 रुपये प्रवेश कर के लिये जाते हैं किस तरह से इसके लिये अभद्रता की जाती है हमारे विधायक पूरन प्रकाश के बेटे के साथ अभद्रता की गई। इस तरह की गुण्डागर्दी के खिलाफ लोग सड़कों पर भी उतरे और सारे के सारे बैरियर जला दिये गये।

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं। नये सदस्यों को भी दो-दो मिनट का अवसर दें। कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

यह सब नेशनल चैनल्स पर भी दिखाया गया कि किस तरह से बैरियर जलाये गये। मंत्री जी आप लखनऊ में बैठते हैं मुझे पता चला है कि आपने मथुरा वृन्दावन आने का प्रोग्राम बनाया है। मैं कहना चाहता हूं कि हाउस टैक्स में पहले भारी भरकम टैक्स लगा दिया जाता है नोटिस भेज दी जाती है बाद में मेयर और चेयरमैन बारगेनिंग करते हैं टैक्स अधिकारी जाकर बारगेनिंग करता है। बारगेनिंग करके सेटलमेंट करके बीच का रास्ता निकालकर उसको कम किया जाता है। इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप आज सदन में घोषणा करें कि जो तीर्थ स्थल हैं या पर्यटक स्थल हैं वहां प्रवेश कर न लगे। नगर पालिकाओं और नगर महापालिकाओं के पास पैसा वसूलने के लिये अन्य श्रोत हैं। एक तो वैसे ही तीर्थस्थल और पर्यटक स्थल कम बचे हैं। जे0एन0यू0आर0एम0 की योजना के अन्तर्गत 7 शहरों को शामिल किया गया है मैं चाहता हूं कि इसमें और शहर शामिल किये जायें इस योजना में हम पहले ही दो साल पिछड़ गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब अब समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

इन शब्दों के साथ मैं डा0 अग्रवाल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे डा0 अग्रवाल द्वारा नगर विकास के बजट पर रखे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने आगरा की बात करूंगा और बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। आगरा बहुत बड़ा नगर निगम है। हमारे क्षेत्र के अन्तर्गत तो नगर पंचायत और नगर पालिकाएं आती हैं। आगरा में जो इस समय सबसे बड़ी परेशानी है वह है पेयजल की। पेयजल की हालत इतनी खराब है कि मुझे नहीं लगता कि आगरा के बराबर गन्दा पानी किसी और जगह मिलता होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत हमारे यहां सीवर लाइन डाली जाती है। हमने आदरणीय मंत्री जी को लिखकर भी दिया था कि दयालबाग और पश्चिमी आगरा के अन्दर जो सीवर लाइन डाली जा रही है उसका डायमीटर जो है पाइप का वह 6 इंच का रखा गया है और सुरंग खोदकर सीवर लाइन डाली जा रही है। वहां पर जो लेबर काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की सीवर लाइन जिसके नीचे न वो गिट्टी डाल रहे हैं न किसी तरह का सी0सी0 का प्राविधान कर रहे हैं तो इस तरह की सीवर लाइन किसी तरह से चलने वाली नहीं है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के बारे में। यहां पर तीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान हैं। धांधूपुर में है, नगलाबूड़ी में है, पीलाखार में है। यह तीनों प्लान्ट बिल्कुल बन्द हैं और 105 एम0एल0डी0 जो कचरा निकलता है वह सीधे यमुना में गिर रहा है। तीसरी बात है तो आदरणीय अग्रवाल जी ने बताई कि इन्होंने चार-चार क्षेत्र इन्होंने छांट रखे हैं जिसमें कांशीराम समग्र विकास योजना के अन्तर्गत यह काम करायेंगे और उसके कारण वहां पर काफी असंतोष है। वहां पर सारे सभासद रोजाना आकर मीटिंग करते हैं और वहां कोई काम नहीं हो पा रहा है। इस तरह की विकास योजना का कोई मतलब भी नहीं होता है। जिस जगह पर जरूरत हो वहां पर विकास का काम होना चाहिये। कुछ सड़कें इतनी खराब है जो आगरा से निकलती है। पर्यटन के क्षेत्र में आगरा का बड़ा नाम है लेकिन आगरा से ज्यादा दुर्दशा किसी नगर निगम की नहीं होगी। आगरा से जाने वाली देवरी की रोड बिल्कुल खराब पड़ी है। आगरा से फतेहपुर सीकरी के लिये जाने वाली रोड बिल्कुल खराब पड़ी है। आगरा से शमशाबाद जाने वाली रोड बिल्कुल खराब पड़ी है। इसके बारे में कई बार लिखकर भी दिया गया है लेकिन इनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। नगर पालिका जो नगर पंचायत फतेहाबाद है वह कांशी राम समग्र विकास योजना के अन्तर्गत आ गई है लेकिन अभी तक वहां पर कोई काम नहीं शुरू हुआ है। इसके अन्दर हम चाहते हैं कि उसको आदर्श नगर के रूप में

विकसित किया जाय। हम इनके उसमें पढ़ रहे थे उसमें लिखा है कि विधायक निधि से भी उसमें 5, 10 प्रतिशत तक योगदान दिया जा सकता है। हम नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हम अपने विधायक निधि से भी पैसा देने को तैयार हैं आप शमसाबाद नगर पालिका को आप आदर्श जो शहरी विकास योजना है उसके अन्तर्गत ले लें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, आपने माननीय अग्रवाल जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं सीधे अपनी बात कहूंगा एक सिद्धार्थनगर पालिका है वह 1989 में जब हमारा जिला बना तब बना। सारे जिले के जितने कार्यालय मैं वह सब नगर पालिका से बाहर हैं। अगर हम नगर पालिका की बींचों-बीच में खड़े हो जायें तो 200 मीटर दायें 200 मीटर बायें 200 मीटर उत्तर दक्षिण पूरी नगर पालिका है हमने पिछले सत्र में एक सवाल लगाया था कि क्या इसका विस्तार किया जायेगा ? माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अभी परिसीमन आयोग के नाते रुका हुआ है विस्तार किया जायेगा। मेरा प्रश्न चला गया है आश्वासन समिति में। अभी तक इसका इसका विस्तार नहीं हुआ है। और देखें तो उसमें जितनी योजनाएं हैं कोई योजना लागू नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों से वहां जितने पैसे गये खर्च नहीं हुए अध्यक्ष अपनी मनमानी एक एक बैठक अपने घर में कर लिये। उसको कमिश्नर ने निरस्त कर दिया अध्यक्ष हाई कोर्ट गया हाई कोर्ट ने उसको भी निरस्त कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी न तो कोई बजट पास है न मीटिंग होती है न कोई कार्यवाही होती है। जो कुछ है वह अपने आप करते हैं। एक भी कार्यालय कलेक्ट्रेट, मुख्य जिला विकास अधिकारी, जिला जज कोई भी नगर पालिका की सीमा में नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपा करके उसका सीमा विस्तार कर दीजिये। आज भी उसकी जनसंख्या कुल 15-16 हजार है जबकि एक नगर पालिका की जनसंख्या बहुत बड़ी होती है। प्रदेश की सबसे छोटी नगर पालिका है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पड़ोस में हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक कस्बा है हुस्का बाजार, जो 1984 में नोटीफाइड एरिया हुआ करती थी। हुस्का बाजार तक गोरखपुर से ट्रेन चलती थी तो हुस्काबाजार उसका नाम था। 1894 नोटीफाइड एरिया टूटकर अब चार ग्राम सभाओं में परिवर्तित हो गई। हुस्का राजा, रानीगंज और परती बाजार और रहरी बाजार उसकी जनसंख्या जो आपके नगर पालिका अधिनियम में है या शासनादेश है उस ऐक्ट के अन्तर्गत सारे मानक पूरे करते हैं वहां 6-6 बैंक हैं, वहां अस्पताल हैं, ब्लाक है, थाना है, कोतवाली है। सारी मानक पूरे करते हैं। बड़ा शहर है, बुद्धिस्ट मार्ग वहां से गुजरता है लेकिन आज तक उसे नगर पालिका का दर्जा नहीं दिया गया जबकि वह सिद्धार्थनगर से बड़ी जगह है और बहुत महत्वपूर्ण जगह है मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि उसे टाउन एरिया बनाने की कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मैं तीसरी बात और कहूंगा हमारे जनपद में कुल तीन टाउन एरिया है दो नगर पालिका और दो टाउन एरिया। बढ़नी और शोहरतगंज, बांसी और सिद्धार्थनगर। ई0ओ0 दोनों को देखता है और दोनों का उसी के पास चार्ज है अगर कम से कम एक-एक ई0ओ0 की पोस्टिंग हो जायेगी तो कुछ काम होगा। सिद्धार्थनगर में कोई ई0ओ0 नहीं, बांसी से 22 किलोमीटर चलकर सप्ताह में एक दिन सिद्धार्थनगर आते हैं फिर लौटकर जाते हैं। सभासदों से रोज झगड़े होते हैं रोज थानों में मुकदमें लिखाए जाते हैं सभासद आपस में लड़ते रहते हैं उनका कोई पुर्सा हाल ही नहीं है कभी बैठक नहीं बुलाई जाती है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि कम से उन सभासदों को यह महसूस तो हो कि हम चुनकर आये हैं एक दो बार बैठक हो उनके क्षेत्र में कार्य कराये जायें। उनके बजट पास हों आज तक उनके बजट ही पास नहीं हुए हैं। मान्यवर, जब कोई कार्यक्रम नगर पालिका में होता है तो हमें कोई सूचना नहीं दी जाती है हम क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। माननीय मंत्री जी से कई बार निवेदन किया है। कई मा0 सदस्यों ने कहा कि बहुत मुस्करा-मुस्करा कर मंत्री जी जवाब देते हैं बहुत ही अच्छे हैं, मैं इनके ऊपर एक शेर कहूंगा कि- "छूने न दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी" इसमें परिवर्तन करके कृपया आप दूसरी व्यवस्था लागू करवायें। शरीर भी छूने दें और काम भी करें।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, गिरिराज जी महाराज जी का जहां नाम आता है वहां थोड़ा सा समय एक मिनट का और जोड़ दें। मान्यवर, आज नगर विकास मंत्री जी ने बजट रखा है उसके कटौती के प्रस्ताव पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। जहां तक नगर विकास मंत्री जी का सवाल है यह इतने बढ़िया देखने में और पहचानने में लगते हैं बड़ा अच्छा रहता अगर बजट भी वैसा ही होता.....

श्री अध्यक्ष-

क्या बात है आज सब मुस्कान को लक्ष्य करके बात कह रहे हैं।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, गिरिराज जी महाराज, द्वारिकाधीश जी या वृन्दावन में कोई भक्तगण आता है तो मान्यवर, उसको छः सौ साढ़े छः सौ रुपये पे करने पड़ते हैं। चाहे व पार्किंग के नाम पर हो चाहे एन0टी0 के नाम पर हो, अगर कोई कहीं से मथुरा आता है, वृन्दावन आता है, गिरिराज जी आता है राधाकुंड जाता है, गोवर्धन जाता है हर जगह पार्किंग के लिये तैयार रहते हैं। परिवार के

लोग आते हैं उसके बच्चे आते हैं बड़े सम्मान जनक होते हैं लेकिन जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है वह देखने लायक, बताने लायक नहीं है। जैसा अभी प्रदीप भाई ने भी कहा, हालात यह है कि मान्यवर, मैं यहां लखनऊ में बैठा हुआ हूं मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ या तो मथुरा छोड़कर चले जाएं हालात यह है कि बयान नहीं किया जा सकता है। यही नहीं यह कहते हैं कि यह पुरानी सरकार की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है यह इसी सरकार की देन है जो नौ महीने में पैदा हुए हैं। यह बिल्कुल साफ बात है। हालात यह है मान्यवर, गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। राधाकुंड पड़ता है, जतीपुरा पड़ता है। तमाम श्रद्धालु वहां आते हैं उनकी भावना जुड़ी रहती है वह परिक्रमा लगाते हैं। ऊर्जा मंत्री जी चले गये, वह गये थे, परिक्रमा लगाकर आये थे, मैं तो यह समझ रहा था मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने सड़क भी देख ली होगी, बिजली की व्यवस्था भी देख ली होगी और पानी की व्यवस्था देख ली होगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऊर्जा मंत्री जी जानबूझकर बाहर चले गये। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं नगर विकास मंत्री जी से लखनऊ में रहने से काम नहीं चलेगा। माननीय मंत्री जी आपका स्वागत है आप आगरा आइए, मथुरा आइए, वृन्दावन आइएगा। आप देखिएगा क्या हालत है किस तरह से श्रद्धालुओं को ठेस पहुंच रही है। लाखों-करोड़ों श्रद्धालु जो आते थे वह आज आधे रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, कहीं भी पूरे बजट में मथुरा का जिक्र नहीं किया गया है। पूरे बजट में, मथुरा अपने आप में बहुत बड़ा तीर्थ है, जैसे बनारस है वैसे ही हमारा मथुरा तीर्थ है लेकिन मथुरा का कहीं नाम नहीं लिया गया है। अभी बारिश आयेगी मान्यवर, द्वारिकाधीश जी है वहां पानी भर जाता है हजारों श्रद्धालु आते हैं दर्शन नहीं कर पाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री पूरन प्रकाश-

अभी बारिश शुरू हो जायेगी। गले तक पानी भर जायेगा कैसे श्रद्धालु द्वारिकाधीश जी के दर्शन करें कैसे ठाकुर जी को स्नान करायें, कैसे भोजन करें, कैसे यमुना जी में आचमन करें इसी तरह से हमारे गोवर्धन जी में मानसी गंगा है उसी के साथ हमारे गोवर्धन में मानसी गंगा है, मानसी में लोग आचमन करते हैं, परिक्रमा लगाने के बाद लेकिन उसकी हालत यह है कि वहां स्मेल आ रही है। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप वहां आयें, आकर देखें, नगर विकास का जो बजट है और हमारी भावनाओं को देखते हुए हमारे राधाकुंड को, हमारे गोवर्धन को भी इसमें

शामिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद देते हुए और कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं धन्यवाद।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा पर्यटन के मानचित्र पर एक अलग स्थान रखता है। मान्यवर, पिछले दिनों से आगरा में पीने के पानी की समस्या भीषण है। जिस यमुना नदी का पानी पूरे शहर को पिलाया जाता है पिछले 8 महीने से कम से कम तीन बार यमुना नदी में मछलियां और जीव जन्तु मरे पाये गये हैं। साथ ही जो विश्व विख्यात ताजमहल है, मंत्री जी कभी आगरा आयें और देखें, उसके 1 कि0मी0 पर ही यदि किसी बस्ती में चले जायें तो हजारों लोग पानी के लिये लाइन लगाते दिखेंगे। दूसरा जो विश्व में अपना स्थान रखता है, फतेहपुर सीकरी, वहां पानी की भीषण समस्या है। यह समस्या आज की नहीं है, यह समस्या मुगल शासकों के जमाने की है, तभी सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर से बदल कर दिल्ली की थी। जब वहां पर देश विदेश के पर्यटक आते हैं, पिछली बार मद्रास के कई पर्यटक बेहोश हो गये थे क्योंकि आगरा का पर्यटन में एक अलग स्थान है। इसकी ओर मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां की पानी की समस्या के समाधान के लिये विशेष ध्यान दें। मान्यवर, इसी प्रकार से वहां पर पानी की निकासी की समस्या भी है, चाहे एम0जी0 रोड हो, चाहे यमुना किनारे की रोड हो, चाहे और कोई रोड हो, बरसात में उस पर 3-4 फीट पानी भर जाता है। चाहे यहां का पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक हो, बरसात में वह आगरा में घुस नहीं सकता है। मान्यवर, अभी मा0 राजेन्द्र सिंह ने जो बात उठायी थी, निश्चित रूप से पिछले तीन महीने में 2 महीने में सीवेज प्लान्ट बन्द हो जाता है, जो धांधूपुर का प्लान्ट है, यदि वह बन्द रहेगा तो निश्चित रूप से जो प्रदूषण फैलेगा, उसका सीधा असर ताजमहल पर पड़ेगा। मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो आगरा में पीने के पानी की समस्या है और जो वहां जलभराव की समस्या है आगरा बहुत अच्छा शहर बन सकता है, वहां पर जो पीने के पानी की समस्या है और जो बरसात में पानी के निकास की समस्या है, यदि इस समस्या का समाधान करा दिया जाए तो निश्चित रूप से आगरा हिन्दुस्तान के सबसे खूबसूरत शहरों में स्थान दर्ज करा लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जावेद अंसारी-

मा0 अध्यक्ष जी, नगर विकास के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिये आपने मुझे अनुमति प्रदान की, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, बजट में प्रदेश की 21 फीसदी आबादी के लिये 21 अरब, 15 करोड़, 67 लाख, 20 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है और कहा गया है कि वर्ष 2005-06 के मुकाबले में यह बजट 7 गुना ज्यादा है। निश्चित रूप से यदि 7 गुना से ज्यादा बजट का प्राविधान किया गया हे तो जो योजनाएं मा0 नगर विकास मंत्री जी ने ने प्रस्तुत की हैं, उसके अनुरूप नगरों का नक्शा बदल जाना चाहिए।

नगरों की तस्वीर जो हमारे मा0 सदस्यों ने आज सदन के सामने प्रस्तुत की है, उससे ऐसा लगता है कि आजादी के 60 सालों के बाद नगरों के जो हालात होने चाहिए थे, उससे बदतर हुए हैं और उसकी वजह भी यही है कि जो योजनाएं तैयार की जाती है उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता, शहरीकरण बढ़ रहा है शहरों की जरूरतें बढ़ रही हैं और इस लिहाज से जो कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए थी, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है। जिसे लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करके उस पर अमल किये जाने से बेहतर नतीजे निकल सकते हैं।

जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ रही है। मान्यवर, 12 नगर निगमों, 194 नगर पालिका परिषदों और 422 नगर पंचायतों की जो मूलभूत समस्याएं हैं बिजली, पानी की यह तमाम जरूरतें आप अपने इस बजट में पूरा करेंगे। लेकिन बजट का आकार चाहे जितना बड़ा कर दिया जाये अगर उसके लिये समाधान की योजना सही ढंग से तैयार नहीं होगी तो निश्चित रूप से समस्याएं और विकराल रूप धारण कर लेंगी। इसलिये माननीय मंत्री जी आप नौजवान हैं, काम करने की आपमें इच्छाशक्ति भी है। नगरों के अन्दर आप चाहें जितनी कार्य योजनाएं तैयार कर लें, चाहे जितना लम्बा बजट आप वहां पर भेज दें लेकिन जिस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है अगर उस पर आपने अंकुश नहीं लगाया तो आपका यह सार्थक प्रयास निरर्थक चला जायेगा। चूंकि कटौती पर बल देने के लिये बजट की आलोचना और सुझाव देना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैं सकारात्मक आलोचना भी करना चाहता हूं और सकारात्मक सुझाव भी देना चाहता हूं। मान्यवर, शहरी निकायों के स्वायत्तशासी संस्था होने के कारण जो नियम कायदे पर अमल होना चाहिए वह कहीं भी देखने को नहीं मिलता है इसलिये कुछ इस तरह की गाइडलाइन नगर निकायों में भेजी जानी चाहिये ताकि चरणबद्ध ढंग से जो शहरों की बुनियादी समस्याएं हैं उन समस्याओं की तरफ ज्यादा बेहतर ढंग से ध्यान दिया जा सके। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये, चूंकि स्वायत्तशासी संस्था होने के नाते उन पर सीधा अंकुश नहीं है इसलिये मनमाने ढंग से जिस तरीके से काम हो रहा है उसकी वजह से जो बजट आप बनाते हैं उसका सदुपयोग नहीं हो पाता अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाये तो वहां पर पीने के पानी, सड़क और सीवर की समस्या हल हो सकती है। चूंकि माननीय मंत्री जी ने बड़ी सहृदयता के साथ स्वीकार किया है कि प्रदेश में निकायों की स्थिति बड़ी दयनीय है। उसका कारण यह है कि नगर पंचायतों के पास उनका वित्तीय संसाधन नहीं है लेकिन अगर कार्य योजना बेहतर ढंग से तैयार की जाती और सरकार की तरफ से पर्याप्त वित्तीय संसाधन मुहैया कराये जाते हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत न होती। मान्यवर, मुझे जौनपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र से इस सदन के अन्दर प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। मान्यवर, जौनपुर ऐसा शहर है जिसको दुनिया के मानचित्र में दूसरा स्थान प्राप्त है। मान्यवर, शेरशाह सूरी की शिक्षा का यह केन्द्र है जहां अकबर महान ने आकर जौनपुर की तहजीब को नजदीक से देखा था और उनके द्वारा वहां बनाया गया शाही पुल आज भी विद्यमान है। फिरोजशाह तुगलक जिसने जौनपुर को राजधानी बनाया था और सिराजहिन्द का दर्जा जौनपुर को मिला हुआ था, उनका बनाया हुआ

किला आज भी है। मान्यवर, लेकिन ऐसे शहर के अन्दर जिसको इतना बड़ा गौरव हासिल है, नगर निकाय वहां पर है, नगर पालिका परिषद् वहां पर है। जौनपुर की नगर पालिका परिषद् जिस तर्राके से लूटखसोट, बेईमानी का अड्डा बनी हुई है। आप जितना पैसा देते हैं अगर उसका सदुपयोग हो जाता तो जौनपुर की तस्वीर एक अलग दिखाई देती। मान्यवर, जौनपुर के अन्दर गम्भीर पेयजल संकट है।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया, समाप्त करें। चतुर्वेदी जी आप अभी बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री जावेद अंसारी-

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। तीन-तीन योजनाएं जौनपुर के लिये पीने के पानी के लिये बनाकर भेजी थी, गोमती नदी का उत्तरी इलाका जो घनी आबादी का इलाका है। जहां पर अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, उनके लिये पानी का बंदोबस्त नहीं है। मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि जब मेरे घर में एक साल से पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो और जगह क्या होगी।

श्री अध्यक्ष-

विश्वनाथ जी आप बोलें।

श्री विश्वनाथ-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, नगर विकास मंत्री से केवल एक अनुरोध करूंगा। मैं जहां से चुनकर आता हूं वह मुगलिया सल्तनत में उस जगह का नाम अब फाजिलनगर हो गया है। आलिम, फाजिल जहां शिक्षा का केन्द्र था वह इस नाम से फाजिलनगर हो गया है। वास्तव में वह गणतंत्र की राजधानी पवित्र पावा है। वहां पर बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, संगम और तीर्थ स्थान मानकर हर साल देश विदेश से हजारों पर्यटक और धर्मावलम्बी आते हैं। पावा गणतंत्र की राजधानी है, महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली है, बुद्ध की पावन भूमि है, जहां उन्होंने अन्तिम भोजन किया था, आपके टाउन एरिया की सारी शर्तें फाजिल नगर पूरा करता है, कोई आपको काम कराना नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई नगर पालिका नहीं है, टाउन एरिया नहीं है, नगर महापालिका नहीं है, आप कुछ न दीजिए टाउन एरिया बना दीजिए फाजिल नगर में मंत्री जी। आप फिर मुस्करा दिये हैं। मैं एक शेर कहना चाहूंगा आपकी मुस्कराहट पर 'होठो पर हंसी, अधरों पर शिकन, इकरार भी है, इंकार भी है, इस वायदे का मतलब क्या समझूं आसान भी है, दुश्वार भी है।' इसे टाउन एरिया करने की गुजारिश है आप इसे कर दें। अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने मुझे अवसर दिया मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आपका नाम मैंने नहीं पुकारा है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, एक शेर कहना चाहता हूं इनकी मुस्कराहट पर 'तुम इतना क्यों मुस्करा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो' हमारा गोण्डा जहां अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। मान्यवर, बस एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा, नगर में जो गरीब लोग हैं, हम लोग भी देखते हैं सारे सदन के सदस्य भी देखते हैं, सारे लोग देखते हैं मान्यवर, लखनऊ जैसे महानगर में सभी के दिलों में वह बेचारे गरीब जो रिक्शा चलाने आते हैं मजदूरी करने आते हैं, किस तरीके से जिन्दगी बसर करते हैं उस पर एक बात कह कर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा मान्यवर, मैं यही कहूंगा कि

''ताला लगा के आप, हमारी इस जुबान को,
बन्दिश न रख सकेंगे, जहन की उड़ान को,
बंगले बनेंगे पालतू कुत्तों के वास्ते,
हम आप तरसते ही रहेंगे मकान को।''

मान्यवर, उन गरीबों का ख्याल करिये। साहब के बंगले तो बन रहे हैं उसमें कुत्तों के भी घर बन रहे हैं, कुत्तों के लिये बिस्कुट जा रहा है, कार में वह घूमते हैं, लेकिन इन्सान जिसको भगवान ने पैदा किया है मान्यवर, उनके भी मकान की चिन्ता होनी चाहिये। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे नगर विकास के डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये जो समय दिया उसके लिये मैं आपको आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में दो बातें बहुत सार की कही, एक तो इन्होंने कहा कि हमारी सम्माननीय मुख्य मंत्री का कहना है कि क्या साथ जायेगा और दूसरा इन्होंने कहा कि फलदार वृक्ष की तरह बनो। अगर माननीय मंत्री जी के दिल में ये दोनों दर्द हैं और हकीकत में दर्ज हैं सियासत से हट कर तो उनके मन में अगर यह कल्पना है तो निश्चित ही जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है उसका आने वाला समय में पता लगेगा। लेकिन जो स्थिति है माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुरानी सरकार ने मेरे चुनाव क्षेत्र में उरई विकास प्राधिकरण का निर्माण किया था और उसका तीन करोड़ रुपया एक वर्ष से वहां गया है और आज तक कोई एक कार्य उरई विकास प्राधिकरण ने नहीं किया न तो बिल्डिंग बनाई

न और कोई कार्यवाही की। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे यहां जनपद में सिर्फ चार नगर पालिकायें हैं और सिर्फ इयो वहां पर दो हैं मात्र, जबकि बड़ी-बड़ी नगर पालिकायें हैं चाहे वह कौंच विधान सभा हो, जालौन विधान सभा में दो नगर पालिकायें हैं उरई और जालौन और कालपी, दो ही दो इयो चारों नगर पालिकाओं को देखते हैं। मेरा एक निवेदन है आपके माध्यम से जो उरई में जिला मुख्यालय है वैसे भी पुरातन इतिहास है वेद व्यास की नगरी कालपी है और उरई में सीवर लाईन की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत पहले छोटा एक प्रोजेक्ट शायद आया था वह भी अब बन्द हो चुका है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि उरई में सीवर लाईन की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करें। दूसरा मेरा एक अनुरोध सफाई कर्मचारियों के बारे में है कि उनको कम से कम स्थाई व्यवस्था तो की जाये। उन्हें आज वेतन नहीं मिल रहा है उनको जब चाहा मर्जी से लगा लिया जाता है और जब चाहा हटा दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि माननीय अध्यक्ष जी कि यह दलित पीड़ितों की सरकार है, निश्चित ही यह इस ओर ध्यान देंगे, सफाई कर्मचारियों को स्थाई किया जाय। एक निवेदन और कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा, जिस प्रदेश केन्द्र सरकार चाहे उसकी सत्ता किसी प्रदेशों में हो या न हो, लेकिन भारत सरकार अपने बजट का हर प्रदेश को पैसा देती है यह नहीं देखा जाता है कि वहां उस प्रदेश में उनकी सरकार है कि नहीं है। हर प्रदेश को उनका हक मिलता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह जो नगर निगम है, नगर पालिकायें हैं माननीय अध्यक्ष जी और यह जो टाउन एरिया है, सरकार को चाहिये कि वह भी भारत सरकार की तरह बगैर भेदभाव के चाहे उनकी सरकार हो या न हो, आज यह देखा जा रहा है कि नगर निगम जहां आपके लोग नहीं हैं, उन नगर निगमों की क्या हालत है। अभी हमारे भाई प्रदीप जैन ने झांसी में बताया, और भी कई नगर निगमों के बारे में, सरकार का और नगर निगम का आपस में बैर-भाव है। मान्यवर, इन्हीं अनुरोध के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

ठाकुर सूरजपाल सिंह-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बजट के बारे में काफी चर्चायें माननीय सदस्यों ने आपके सामने रखी हैं। मैं उनसे हटकर कुछ समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं।

मान्यवर, इन लोगों ने आबादी के चयन में सदैव सवर्ण आबादी के वार्डों का ख्याल रखा है। अभी हमारी राधा मोहन अग्रवाल ...

श्री अध्यक्ष-

अरे हमारी कहां से आ गया, हमारे कहिये (हंसी)

ठाकुर सूरजपाल सिंह-

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इन लोगों ने सवर्ण आबादी वाले वार्डों का ही विकास के लिये चयन किया था और अनुसूचित जाति की जहां आबादी थी उनको विकास से अछूता छोड़ दिया था। इन्होंने उस मानसिकता कर परिचय दिया था। इन लोगों ने सवर्णों की आबादी के हिसाब से काम किया, योजनायें बनायी थीं। लेकिन जब से बहन जी के नेतृत्व में सरकार आयी है तब से दलितों के उत्थान के लिये उनके विकास के लिये काम हो रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। (मेजों की थपथपाहट) अब यह बात इन लोगों को पच नहीं रही है। मान्यवर, हमारी सरकार ने शहरों के समग्र विकास के लिये मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी विकास योजना क्रियान्वित की है और दूसरी नगर निकायों की योजनायें बनायी हैं। हमारी सरकार का नारा है बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। हमारी सरकार समान विकास में विश्वास करती है जिसमें सब जातियों का सम्मान हो और सर्वत्र विकास हो। यह इनको पच नहीं रहा है। मान्यवर, हमारी सरकार ने झोपड़पट्टियों में रहने वालों के लिये आवास योजना क्रियान्वित की है उनके रोजगार की योजना क्रियान्वित की है। इस तरह से शहरों में रहने वाले गरीबों का जो मकान पाने का सपना था वह बहन जी के नेतृत्व वाली सरकार में वह पूरा हो रहा है। यह हमारी सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। मान्यवर, मैं आगरा के बारे में बताना चाहता हूं, फतेहपुर सीकरी के बारे में कहना चाहता हूं। फतेहपुर सीकरी 16 वर्षों तक भारतवर्ष की राजधानी रहा है जिससे मैं विधायक हूं। लेकिन वहां की पानी की कमी के कारण वहां के शासक फतेहपुर सीकरी को छोड़कर दिल्ली चले गये थे। लेकिन हमारी बहन जी फतेहपुर सीकरी नहीं छोड़ेंगी और वहां पानी की नदियां बहा देंगी। मान्यवर, शहरों की व्यवस्था बहुत खराब थी पिछली सरकार के समय से। हमारी बहन जी की सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों के उत्थान के लिये वहां के विकास के लिये मान्यवर, श्री कांशीराम समग्र विकास योजना संचालित की है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से आज मलिन बस्ती में रहने वाले लोग सकून प्राप्त कर रहा है। मैं जिस तरफ जाता हूं जो नगरीय क्षेत्र हैं हमारे उनमें लोगों की यही मांग होती है कि मान्यवर, श्री कांशीराम शहरी विकास योजना में हमारी नगर पंचायत को लगवा दीजिये विधायक जी यहां का विकास हो जायेगा। तो बहुत मांग है। आपने बैठने का इशारा किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम जय भारत।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 यशवन्त सिंह)-

मान्यवर, माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग का बजट भी प्रस्तुत किया गया है लेकिन क्योंकि यह विभाग हमारे प्रदेश की मुखिया, गरीबों के बारे में सोचने वाली बहन कुमारी मायावती जी द्वारा पहली बार नगर विकास से अलग करके स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय बनाया है और यह उनकी सोच है। क्योंकि यह एक ऐसा विभाग है जो नगरीय क्षेत्र के रहने वाले लगभग 7 हजार मलिन बस्तियों का विकास करता है। अगर इस क्षेत्र

का इस विभाग का अलग से सचिव न हो, इस विभाग का अलग से स्टाफ न हो तो कैसे विभाग को पूरी तरह से देखा जा सकता है तो यह मैं तो उनकी माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने नगरीय क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों के बारे में सोचकर अलग से इस विभाग का सृजन किया है। अब जो माननीय सदस्य उस तरफ बैठे हुए हैं जो आज गरीबों की बात कर रहे हैं जो गरीबों की मलिन बस्तियों के विकास की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं। आज से पहले भी सरकार रही हैं, आप लोग रहे हैं और लम्बे समय तक रहे हैं आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। पहले तीन बार अल्पकालीन समय के लिए रही है। इस बार पूर्ण बहुमत की बनकर सरकार आई है इस बार सोच है कि इस प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति को उस व्यक्ति को जिसके पास आज तक नगर विकास की सोच नहीं पहुंच पाई थी उस व्यक्ति तक कैसे योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाय। आपको यह देखकर खुद ही समझ आ जायेगा। अगर हम 2006-07 के बजट का स्वरूप को देखें। जो नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग का बजट था वह सिर्फ 115 करोड़ रुपये था। आप समझते हैं कि 700 मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को विकास 115 करोड़ से हो जायेगा। लेकिन सोच नहीं थी जब इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो इस नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग का बजट बढ़ाकर 417 करोड़ रुपया किया गया और यह बजट 2007-08 का था। अब जब 2008-09 के बजट के चर्चा कर रहे हैं इस प्रदेश की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने गरीबों की सोच को ध्यान में रखते हुए मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की सोच को ध्यान में रखते हुए इसे 40 प्रतिशत बढ़ाकर लगभग 600 करोड़ रुपये कर दिया है तो आप स्वतः सोच सकते हैं कि जब 600 करोड़ रुपये का बजट गरीब मलिन बस्तियों को जायेगा तो क्यों विकास नहीं होगा ? ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो सकता था, योजनायें पहले भी थीं जेएनआरयूएम की जो योजनाएं चली हैं यह 2005 में थीं लेकिन कभी भी आवास बनाने का प्रयास नहीं किया जाता था। यह क्यों नहीं किया जाता था क्योंकि पहले एक कंडीशन लगी हुई थी कि जो भी आवास बनाये जायेंगे जो भी मूलभूत सुविधाएं दी जायेंगी उसमें 30 प्रतिशत नगर निकायों को शेयर करना पड़ेगा, यह कभी पूरा नहीं हो पाता और जो उस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था यह पूरा न होने से गरीबों का कभी सुधार नहीं हो पाता था। हमारी बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की मुखिया ने पहली बार जो 30 प्रतिशत नगर निकायों से लिया जाता था उसको राज्य सरकार से वहन करने का फैसला लेकर मकान बनवाने का और मूलभूत सुविधाएं देने का गरीब बस्तियों में फैसला किया और उसी का परिणाम है जो देखने में आ रहा है। 6 महानगर हैं जो 10 लाख की आबादी से ज्यादा हैं उसके साथ-साथ में मथुरा शहर है जिनको बीएसयूपी कहा जाता है नगरीय शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत 19576 आवास बन रहे हैं। इन 6-7 शहरों में बन रहे हैं और आगे आवास बनाने के लिये तरह-तरह की योजनायें अलग-अलग एजेन्सियों को कह दिया गया है कि प्रोजेक्ट बना लीजिये और प्रोजेक्ट बनाने के लिये

6 अलग-अलग एजेन्सियों को इस बात के लिये नामित कर दिया गया है। जिनको कहा गया है कि बी0एस0यू0पी0 के आधार पर इन 6 महानगरों में बनेंगे और बाकी के जनपदों में आई0एस0डी0पी0 इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट की स्कीम के तहत प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दे दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्,एम0 बी0सी0सी0एल0, सी0एन0बी0एस0 और हडको द्वारा प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं और पहली सरकार जो भू माफियाओं द्वारा नगर क्षेत्रों की जमीनों पर कब्जा करवाया करती थी, यह पहली सरकार है जो वह कब्जे छुटाकर, भूमाफियाओं से जमीन को खाली कराकर उन जमीनों पर गरीबों के लिये आवास बनाने का काम कर रही है। गरीबों को मुफ्त जमीन दी जाती है। सिर्फ 10 प्रतिशत अनुसूचित वर्ग के लिये और सामान्य जाति के लोगों के लिये 12 प्रतिशत मकान की लागत का, मकान की लागत जो अन्य जनपदों में एक लाख रुपये रखी गई है और इन 6 चुनिन्दा जनपदों में डेढ़ लाख रुपये रखी गई है जो बहुत ही मामूली है। जब आपको मुफ्त में जमीन मिलेगी नगर के अंदर और सिर्फ 10 हजार रुपये में रहने के लिये मकान मिलेगा तो कौन गरीब है जो अपने प्रगति का सपना नहीं देखेगा। जो मूलभूत सुविधायें होती हैं जो लोग कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान उसमें सबसे भारी समस्या आदमी को मकान बनाने को होती है। मकान की सुविधा गरीबों के लिये बहन जी का सपना है और एक दो नहीं, इस पंचवर्षीय योजना में ढाई लाख मकान बनाने का सपना साकार करना है साथियों। इसके अलावा अभी बात हो रही है, कह रहे थे कि दलित बस्तियां है उनके लिये क्या किया जा रहा है। स्पेशल कम्पोनेन्ट के तहत उनका अलग से विकास किया जा रहा है। 90 करोड़ रुपये देकर वर्ष 2007-2008 में 43 जनपदों में दलित समाज के लोग जहां 51 प्रतिशत से ज्यादा आबादी में रहते हैं, वहां पर विकास कार्य कराये गये हैं और आने वाले वर्ष 2008-09 के लिये भी 90 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है। साथियों, इस प्रकार से गरीबों की शुभ चिन्तक, गरीबों की मसीहा, बहन कुमारी मायावती जी ने यह दिखा दिया है कि गरीबों का विकास मलिन बस्तियों का विकास सिर्फ सोचने से नहीं हो सकता, उसको संकल्प लेकर करने से हो सकता है और हमने संकल्प किया है, कार्य शुरू हुआ है और सभी गरीबों का विकास, मलिन बस्तियों का विकास यह सरकार करके दिखायेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार प्रकट करता हूं और आप सबसे गुजारिश भी करता हूं कि जहां आप सबकी नगर निगमों में आप सब लोगों के पास कहीं जमीन की उपलब्धता हो, वह हमें उपलब्ध करा दीजिये हम चाहे वह सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, गरीबों के लिये सामुदायिक भवन, आवास हर समय बनाने के लिये तैयार हैं। मैं आपका आह्वान करता हूं, आप हमें लिखकर दीजिये, मेरा सहयोग कीजिये। धन्यवाद।

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के साथ मैं अपने आपको सम्बद्ध करते हुए इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हम जो

कहते हैं, वह करके दिखाते हैं। मा0 अध्यक्ष जी मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं कि आपने सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने चाहे कटौती पर प्रस्ताव रखा हो चाहे समर्थन में बोले हों, मैं सभी मा0 सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों का स्वागत करता हूं। खास तौर से डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने जब-जब पत्र दिया, मैं अवगत करा दूं कि उस पर मैंने तत्काल कार्रवाई की है। उन्होंने लालडिग्गी पार्क के बारे में कहा था और मैं आपको बता दूं कि वहां पर एक करोड़ चालीस लाख रुपये व्यय किये गये हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर वहां कोई भी अधिकारी वैसे तो वहां भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर लालडिग्गी पार्क में एक करोड़ चालीस लाख रुपया दिया गया था 15 महीने पहले, मेरा मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि आप वहां जाकर एक बार देख लीजिये।

श्री नकुल दुबे-

ब्रेक कर देंगे तो गड़बड़ा जायेगा। निकट भविष्य में हम और हमारी टीम लालडिग्गी पार्क पर जायेगी और यदि आपकी बात में सच्चाई मिली तो आपके चेयरमैन और वहां के अधिकारियों के खिलाफ ऑनस्पाट कार्रवाई करके हम लोग आयेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 अग्रवाल साहब को अवगत कराना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय संविधान के 74वें संशोधन का प्रश्न है हम लोग इन नगर निकायों को स्वायत्तता देने में कहीं पीछे नहीं हटना चाहते हैं। करीब 18 बिन्दुओं में से 9 बिन्दुओं पर नगर निकायों द्वारा कार्य किया जा रहा है बाकी शेष में प्रक्रिया प्रारम्भ में है, कुछ व्यवस्थायें वर्ष 2011-12 में लागू होनी हैं, उन पर भी हम 74वें संशोधन को लागू करने के लिये कटिबद्ध हैं। मा0 अध्यक्ष जी जहां तक अन्य योजनाओं का प्रश्न है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0, यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 या कोई भी केन्द्र योजना है तो हम लोगों ने जब इसे अपने हाथ में लिया था तो पूरे प्रदेश में इन योजनाओं के तहत कोई कार्य नहीं हो रहा था। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने के बाद पहली बार कार्य प्रारम्भ हुआ है और आज की स्थिति में हम लोग काफी नीचे से पांचवें स्थान पर आ गये हैं। आज हमारे पास हजारों करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य श्री लोधी जी को बताना चाहता हूं कि उन्नाव में सिविल लाइन में किसी प्रकार की मा0 काशीराम शहरी समग्र विकास येाजना लागू नहीं की गई, उनको किसी व्यक्ति द्वारा गलत सूचना दी गई है। जहां तक 628वें नगर पंचायत का प्रश्न है, डुमरियांगज अभी हाल में ही नई नगर पंचायत घोषित की गई है। जिन अधिकारियों के बारे में इन्होंने कहा है, श्री धीरेन्द्र मोहन कटियार जो हैं वह लोक सेवा आयोग से सहायक कर निर्धारण अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं और वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत हैं। नियमानुसार

अधिकारी विकास प्राधिकरण में तैनात किये जाते हैं इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, अन्य मा0 सदस्यों की जिज्ञासाओं के बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि डा0 अनिल कुमार जी ने जो घुसावर, कुसंडा, माणिकपुर आदि के बारे में सुझाव दिया है, उस पर भी हमारी सरकार गम्भीरता से विचार करेगी और जो भी मानको के अन्दर पाये जायेंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी। मा0 जैन साहब यहां पर नहीं हैं, उनके प्रस्ताव के बारे में मैं मा0 सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि झांसी नगर निगम का दौरा करने का मुझे एक बार अवसर मिला था। वहां जाने पर उनकी सारी बातों को हम लोगों ने बड़ी गम्भीरता से ग्रहण किया था। झांसी की जो भी झीलें हैं, तालाब हैं और जहां भी अवैध कब्जे हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार इन सारे अवैध कामों को पुरजोर तरीके से रोकने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने में कोई नरमी नहीं बरतती है और हम लोग तत्काल कार्यवाही करने से नहीं चूकेंगे मा0 अध्यक्ष जी, अन्य सदस्यों में मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी ने कई बातों की चर्चा की है। उन्होंने शाहजहांपुर में सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट के बारे में बताया है। इसके बारे में मैं शाहजहांपुर भी गया था वहां पर जा करके मैंने कार्य का अवलोकन और निरीक्षण भी किया था। जहां तक मेरी जानकारी में है यह प्लाण्ट बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो करके वहां पर कार्य चालू हो जायेगा। स्ट्रीट लाइट आदि के बारे में अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके प्रभावी कार्रवाई करा लेंगे। मा0 सदस्य, सतीश महाना जी ने कहा माघ मेले की बात, समिति में उनके अपमान की बात मैं पूरे सदन को पूरी गम्भीरता और जिम्मेदारी के साथ अवगत कराना चाहता हूं। जहां तक अग्रवाल साहब ने कहा कि 100 में 100 काम नहीं किये जा सकते लेकिन जहां तक किसी भी माननीय सदस्य के सम्मान और अपमान का प्रश्न है, हम लोग अपमान करना तो बहुत दूर है हम लोग अपमान करने के विषय में सोच भी नहीं सकते। इसके बावजूद भी मेरे द्वारा समिति में बुलाये जाने पर उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो गई है तो मैं सम्पूर्ण सदन के सामने क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन तब भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जहां तक जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बैठक चल रही थी उस बैठक में कतिपय महापौर लोगों ने कुछ विवाद उठाये थे उन विवादों के तहत हम लोगों ने मीटिंग में विचार करते हुए कहा था कि ये सारी जो केन्द्र की योजनायें हैं उन योजनाओं का लाभ प्रदेश को मिलना ही चाहिये। जिसके तहत हम लोगों ने कार्यवाही की थी वहां पर महाना जी का किसी तरह का कोई अपमान नहीं किया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि माघ मेला इस वर्ष जितनी शान्ति और सौहार्दपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ है शायद विगत कई वर्षों से ऐसा माघ मेला देखने को नहीं मिला है। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पर गया था वहां पर जा करके जल का निरीक्षण भी किया था और तत्काल वहां पर और अधिक मात्रा में जल इकट्ठा करने और तीर्थयात्रियों को माघ मेला में आने वाले लोगों को ऐसी व्यवस्था दिलायी थी कि विदाई के समय उनको यह कहना पड़ा कि वास्तव में बहुजन समाज पार्टी की

सरकार के दौरान माघ मेले में जो व्यवस्था हुई, वह व्यवस्था पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भुट्टो जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपने भाई उमेश पाण्डेय जी को धन्यवाद देता हूं। फतेहपुर नगरपालिका के बारे में अभी मा0 सदस्य गुप्ता जी ने अवगत कराया कि वहां पर नालियों आदि पर काफी कब्जा है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग फतेहपुर के उस क्षेत्र का भ्रमण करायेंगे और वहां पर देखेंगे कि अगर इस तरह के कब्जे किये गये हैं तो हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि इन अवैध निर्माणों को तत्काल उन स्थानों से हटाया जाए। विशम्भर प्रसाद निषाद जी, ने बाल्मीकि समाज की महिलाओं के बारे में कहा है लेकिन आपका स्पष्ट प्रस्ताव संज्ञान में नहीं आ पाया कि आप वास्तव में बाल्मीकि समाज की महिलाओं को कौन सी सुविधायें दिलाना चाहता हैं ? जहां तक उनको ड्यूटी पर आने का सवाल है, ऑलरेडी हमारी सरकार ने सुविधा दे रखी है वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ही ड्यूटी पर आती हैं। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार का प्रश्न है, हम सबकी सुख-सुविधा का ध्यान रखते हैं। अगर हमारे सामने उच्च वर्ग अपना स्थान रखता है तो जो हमारा कमजोर, जो पिछड़ गया समाज है, उसके भी सम्मान से हम कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं, यह हम आपको इस सदन के माध्यम से बता देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक बांदा में अभी सीवर न जोड़े जाने का प्रश्न है इस पर भी हम लोग तत्काल परीक्षण करायेंगे। अगर वहां पर बांदा में सीवर लाइनें पूरी पड़ गई हैं और उसको नहीं जोड़ा गया है तो इस पर भी प्रभावी कार्यवाही होगी। बुन्देलखण्ड में जहां तक पानी का प्रश्न है, तो बुन्देलखण्ड के पेयजल योजना के बारे में आप लोगों के शायद संज्ञान में होगा कि आजादी के 60 साल के इतिहास में जितना बुन्देलखण्ड के लिये आदरणीया बहन कु0 मायावती जी ने किया है न तो किसी भी सरकार ने कभी किया था और भविष्य में करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में आज झांसी पुनर्गठन पेयजल योजना, ललितपुर पुनर्गठन पेयजल योजना, उरई पुनर्गठन पेयजल योजना, बांदा की पूरननगर पुनर्गठन पेयजल योजना, बांदा की बबेरू पुनर्गठन पेयजल योजना,, बांदा की नरैनी नगर पंचायत पेयजल योजना, बांदा नगर की सिविल लाइन्स एवं अलीगंज जोन पेयजल योजना, झांसी की मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद् की तुरन्त राहत पेयजल योजना, झांसी की गुरुसहाय नगर पालिका परिषद् की तुरन्त राहत पेयजल योजना, झांसी की रानीपुर नगर पंचायत की तुरन्त राहत पेयजल योजना, झांसी की ऐरिफ नगर पुनर्गठन पेयजल योजना, चित्रकूट की चित्रकूट धाम-कर्वी पुनर्गठन पेयजल योजना ये सारी योजनायें सम्मिलित हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरा जोर लगा देंगे कि वहां पर पानी का अभाव न होने पाये।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मा0 मंत्री जी खण्डेय पेयजल योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।

श्री नकुल दुबे-

जहां तक बुन्देलखण्ड का प्रश्न है जहां तक मेरी जानकारी है वहां पर हैण्डपम्प लगाने का कार्य चल रहा है और हैण्ड पम्पों की संख्या भी बढ़ाई गई है। जो बांदा में सीवर की योजनाएं हैं और निर्माण की कार्यवाही पूर्ण करके इस योजना के चालू होने पर इसका हस्तानान्तरण और इसके संयोजन का कार्य कर दिया जायेगा। जो माथुर साहब ने कहा कि मथुरा तीर्थ स्थल है वहां कार्य होने चाहिए मैंने प्रारम्भ में ही मथुरा के बारे में विस्तार से बताने का कार्य किया था। वहां चालू योजनाओं के बारे में बताया। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि 9 मार्च को हम वहां जा रहे हैं और वहां जो भी समस्याएं हैं उनको वहां देखकर उसके निदान की कार्यवाही की जायेगी।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

आप सदस्य से डरकर वहां जा रहे हैं।

श्री पूरन प्रकाश-

मथुरा को तीर्थस्थल घोषित कर दें।

श्री नकुल दुबे-

जहां तक जौनपुर का प्रश्न है मान्यवर, मुझे भी वर्ष 1972 से 1976 तक जौनपुर में रहने का अवसर प्राप्त हुआ वहां के सभी क्षेत्रों से मैं परिचित हूं बहुत संकरे क्षेत्र में जौनपुर जिला बसा है। वहां की समस्याओं के समाधान के लिए भी हमारी सरकार गम्भीर है। जहां तक आगरा के पेयजल की बात है वहां के लिए पलरा योजना वर्ष 2008-09 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में स्वीकृत हुई है। यह स्वीकृति जे0बी0आई0 की स्वीकृति से भिन्न है इससे इसका लेना-देना नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह-

6 इंच के पाइप के बारे में मैंने बताया।

श्री नकुल दुबे-

अगर 6 इंच के पाइप में दिक्कत होगी तो उसको दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जायेगा। शुक्ला जी ने सिद्धार्थनगर नगर पालिका विस्तार के बारे में पूर्ण चन्द से इण्ट्री टैक्स के बारे में विश्वनाथ ने फाजिल नगर के बारे में, चतुर्वेदी जी ने उरई के बारे में व अन्य जो समस्यायें बताई गई हैं हम जल्द ही उन पर विचार करके कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे।

(श्री आरिफ अनवर हाशमी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

हाशिमी जी बैठ जाएं। पूरा उत्तर हो जाय।

श्री नकुल दुबे-

हाशिमी जी आपके यहां पहले से ही हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है सदन में कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैं सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि नगर विकास के बजट पर मुझ जैसे अकिंचन को सुना आप वरिष्ठ सदस्य हैं जिस तरह से आप लोगों का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। मैं अग्रवाल साहब से अनुरोध करता हूं कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और इसे सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करें।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा यह कहने पर कि कटौती वापस ले लीजिये)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सिर्फ जो सैद्धान्तिक महत्व की चर्चाएं हैं नगर विकास से सम्बन्धित वही की थी। मैंने आपकी कार्य प्रणाली या आपके विभाग के बारे में तो कुछ कहा भी नहीं। अपनी निजी जो मैंने आपसे एक मांग रखी थी। गोरखपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान की और तो कुछ मैंने कहा भी नहीं। इतनी महत्वपूर्ण बातें मैंने यहां कहीं हैं उस सन्दर्भ में सरकार कुछ कह नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष-

तो आप वापस ले रहे हैं ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

नगर निगम की स्वायत्ता, आर्थिक स्वावलम्बन की दृष्टि से जो कार्य होने चाहिए मंत्री महोदय उस पर पूरी तरह चुप रह गये। वार्ड कमेटियों की मैंने बात कही, उनको स्वायत्ता देने की बात कही तो उस पर भी मंत्री जी चुप लगा गये। मैं स्वाभाविक रूप से जो हम लोगों की मजबूरी है जो हम लोगों के लोकतांत्रिक दायित्व है उसके तहत मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

मद संख्या-9 (1)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,15,67,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग

नगर विकास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,40,95,91,000 रुपये से अनधि धनराशि स्वीकृत की जाय ?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस ऐतिहासिक एवं पवित्र सदन को पूरी निष्ठा ईमानदारी और विश्वास से बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार एवं उसकी मुखिया माननीया मुख्य मंत्री समाज में व्याप्त हर प्रकार के प्रदूषण को दूर करने के लिये कृत संकल्पित हैं प्रदूषण से तात्पर्य समाज में भेदभाव से व्याप्त प्रदूषण, जल में प्रदूषण, वायु में प्रदूषण, भूमि में प्रदूषण एवं उद्योगों द्वारा जो प्रदूषण है। पहले प्रकार के प्रदूषण को दूर करने के लिये हम सबको एक साथ आगे आना होगा और यह तो निश्चित है कि समाज से जब तक यह प्रदूषण दूर नहीं होगा पूरा उत्तर प्रदेश एवं भारतवर्ष प्रदूषण से मुक्त नहीं होगा। इसलिये हम सबको संकल्प लेना होगा कि इस प्रदूषण को हम समाज से पूरी तरह से हटाकर ही दम लेंगे (मेजें थपथपाई गईं) मान्यवर, प्रदूषण की समस्या गांव से लेकर पूरे विश्व तक है और सम्पूर्ण मानव जाति इस ओर चिन्तित है। परन्तु मानव जाति के द्वारा ही प्राकृतिक सम्पदाओं का दोहन किया जा रहा है। पंचवटी के रूप में लगाये गये वृक्षों को अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है जिससे पर्यावरण का और अधिक खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। इस बजट को प्रस्तुत करते समय मुझे स्वर्गीय श्री बरखू राम वर्मा जी की याद आ रही है जिन्होंने 1997 और 1998 में पर्यावरण के ऊपर बहुत गम्भीरता से काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से वर्मा जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सम्पूर्ण विश्व के पर्यावरणविद् एवं वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पृथ्वी के ऊपर ओजोन की चादर में छिद्र होते चले जा रहे हैं और इन छिद्रों का बढ़ना अगर कम नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं है जिस दिन इस पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री0 सेन्टीग्रेड के ऊपर पहुंच जायेगा। अतः इस विभाग के प्रति सम्पूर्ण सदन को अत्यन्त गम्भीर होना पड़ेगा। पालिथीन आदि के बारे में आप सभीं को जानकारी है। चाहे वह प्लास्टिक की चीजें हों या पालीथीन की पन्नियां हों इससे समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ईंट के भट्टे जो पहले शहर से बाहर के क्षेत्र में हुआ करते थे वो अब शहर के बीच में आने लगे हैं और उन

ईंट भट्ठों से जानमाल को काफी नुकसान दिखाई पड़ रहा है। जो आप लोगों के सामने आप लोगों के संज्ञान में है। मान्यवर, जहां तक प्रदूषण नियंत्रण विभाग का प्रश्न है हम लोग हर तरीके से चाहे मेलों का आयोजन करके, चाहे स्कूलों में हैल्थ क्लब के माध्यम से, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का काम कर रहे हैं। और इस जागरूकता के माध्यम से पूरे समाज को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर समाज को स्वस्थ, समाज को प्रसन्न, समाज को खुशहाल रखना है समाज को उन्नतशील रखना है तो प्रदूषण से मुक्ति पाना ही होगा और प्रदूषण को कम करने के जो भी प्रभावी कदम हैं उसको हमें उठाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से यह भी कहना चाहता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभिन्न राष्ट्रीय पर्यावरण विदों के आने के अवसर पर पर्यावरणीय जागरुकता कार्यक्रमों, पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पर्यावरणीय प्रदर्शिनियों का आयोजन पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु पर्यावरण पुरस्कारों का वितरण दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा सांस्कृतिक समारोहों आदि के माध्यम से पर्यावरण संदेश का प्रचार एवं पर्यावरण के लिए जन जागरुकता के लिए स्कूली बच्चों का योगदान एवं उनको पुरस्कृत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित है। मान्यवर, मैं निदेशालयों के बारे में भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमारे प्रदेश में प्रदूषण के निवारण हेतु, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 1974 में गठन किया गया है। यह बोर्ड जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत बनाया गया है। इसमें कई अधिनियम है, कई नियम है। और नियम कानूनों के तहत हम लोग पूरे प्रदेश में रेवेन्यू कलेक्शन के साथ-साथ यह सुनिश्चित कराते है कि अगर कोई उपक्रम अगर कोई फैक्ट्री, अगर कोई कल कारखाना प्रदूषण जनित है और वहां पर वह सुविधायें मुहैया नहीं कराई गई जिससे प्रदूषण रुक सके तो इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही होती है। कानूनी कार्यवाही के साथ-साथ इन पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ इनकी फैक्ट्रियों को बन्द करने की भी कार्यवाही की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक प्रदूषण कारी उद्योगों के चिन्हीकरण का प्रश्न है हमारी सरकार जुलाई सन् 2007 को सत्ता में आने के बाद से प्रदेश में जनता की भलाई के लिए कार्य कर रही है हम लोगों ने सम्पूर्ण प्रदेश में कानपुर में गंगा जी के किनारे, टैनरी उद्योग ने जो भारी जल प्रदूषण फैला रखा था, जो वायु प्रदूषण फैलाने का काम कर रखा था। लोगों का चलना फिरना दूभर था जब हमने वहां का परीक्षण कराया तो पाया काफी संख्या में टैनरीज जो हैं उन्होंने संयंत्रों का न तो इस्तेमाल किया है और न उसका इस्तेमाल हो रहा है तो उनके खिलाफ बन्दी की कार्यवाही की गई। मान्यवर, जहां तक कानपुर का सवाल है चार सौ दो टैनरीज हैं वहां पर 48 टैनरीज उद्योगों में, जो सुदृढ़ीकरण व्यवस्था चाहते थे वह हो नहीं पाई उनकी बन्दी के आदेश किए हैं। मान्यवर, प्रदेश में अपशिष्ट नियमावली 1979 के अन्तर्गत 1950 उद्योग दिसम्बर, 2007 तक आच्छादित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि गाड़ियों के बारे में उनकी उम्र तय करने के बारे में यूरो-2, यूरो-3 का मानक

तय करने में और सी0एन0जी0 गैस से जो वाहन चलाने में यह आपके संज्ञान में है कि सी0एन0जी0 गैस से जो वाहन चलाए जाते हैं उनसे प्रदूषण में बहुत कमी आ रही है। यह बहुत ही संवेदनशीन मुद्दा है पर्यावरण का, पूरे सदन को इसको पूरी गम्भीरता से इस प्रकरण को लेना चाहिए और चूंकि प्रदूषण पर भी बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत संवेदनशील है अतः श्रीवास्तव जी से मेरा निवेदन है कि इस बजट का समर्थन करने का कष्ट करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, पर्यावरण की समस्या आज केवल अपने प्रदेश की नहीं है, यह विश्व स्तरीय समस्या है, जिस पर सारे वैज्ञानिक चिन्तन कर रहे हैं और पर्यावरण दिन प्रतिदिन नष्ट होता चला जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा करना आज का युग-धर्म है और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमको, आपको, सबको आगे आना पड़ेगा। मान्यवर, वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण हमारे परिवेश का प्रतिकूल परिवर्तन है। यह परिवर्तन चाहे जैसे हो, चाहे मानव क्रियाओं की उप-उत्पाद के रूप में हो, पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान युग की प्रौद्योगिकी, नगरीकरण और औद्योगीकरण का उत्थान है। मान्यवर, मैं वैज्ञानिक ओडम की बात को कोड करना चाहूंगा। वैज्ञानिक ओडम ने कहा कि "पर्यावरण हमारी हवा, भूमि एवं जल के भौतिक, रसायनिक अथवा जैविक लक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन है, जो मानव जीवन तथा जीव-जन्तुओं को नुकसान पहुंचा रहा है।" मैं संविधान की बात करना चहता हूं, मान्यवर, भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के समय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए डाइरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, राज्य की निर्देशिका नीति के आलेख-42अ के अधीन प्रावधान किया गया है। मान्यवर, उसमें कहा गया है कि राज्य, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उन्नयन के लिए प्रयास करेगा और जंगलों तथा जीव-जन्तुओं की रक्षा करेगा। मौलिक कर्तव्यों में यह संविधान में पहली बार जोड़े गये आलेख 51अ के द्वारा लिखा गया है कि "भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसमें सुधार या उन्नति करें, वन, झील, जीव-जन्तु और जीवित प्रणालियों के लिए करूणा का वह भाव रखे।" मान्यवर, जंगल और जंगली जीव-जन्तु राज्य की सूची से हटा कर राज्य और केन्द्र की संयुक्त सूची में किए गए हैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि पर्यावरण सम्बन्धी अनेक कानून बनाये गये हैं, मा0 मंत्री जी, आप भी अधिवक्ता हैं, लेकिन ये सारे कानून किताब में रखे रह गए, हमने पालन नहीं वि ' जिसके दुष्प्रभाव आज देखने को मिल रहे हैं कि सभी लोग पर्यावरण के प्रदूषण पर चि ... मई को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के आदेशानुसार वह इस बात का प्रमाण है

कि आज सभी लोग इसके लिए चिन्तित हैं। मान्यवर, अभी मा0 मंत्री जी ने ग्लोबल वार्मिंग की बात की। ग्लोबल वार्मिंग की बात आज सारे वैज्ञानिक कह रहे है और संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है, उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह हिम ग्लशियर इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि 21वीं सदी के अन्त तक भारत और पड़ोसी देशों में बहने वाली सभी नदियां जल विहीन हो जायेंगी। आज दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक इस पर चिन्ता कर रहे हैं, मान्यवर, प्रदूषण के कारक-वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण हैं, इनके बारे में मैं दो-दो लाइन कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, मै। आपको बताना चाहता हूं कि 1999 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने लखनऊ शहर में वाहनों के प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए एक दूरगामी फैसला किया था। लेकिन प्रशासनिक अमले ने अपनी चिर-परिचित शैली में काम करते हुए इन आदेशों के तहत कुछ मार्गो के टैम्पों हटाकर अपने दायित्वों की इतिश्री कर ली। हाईकोर्ट ने क्या कहा, मान्यवर, हाईकोर्ट ने कहा कि सुगम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए चाहे सरकार कर्ज ले या निजी उद्यमिकों को छोटी बसें चलाने के लिए आमंत्रित करें। अनियंत्रित यातायात की ाार्किंग को ठीक करने व अतिक्रमण को हटाने के निर्देशों पर भी प्रभावी रूप से अभी तक अमल नहीं किया गया। मान्यवर, हाईकोर्ट ने इतना ही नहीं कहा, हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की, यह निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य अपने दायित्व का निर्वाह करने में विफल रहा और न्यायालय को बाध्य होकर राज्य को उसके राज्य को उसके कर्तव्य का बोध करना पड़ रहा है। मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 की व्यवस्था के अनुसार यह राज्य का नैतिक दायित्व माना जाता है कि वह प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पर्यावरण मुहैया कराये। मान्यवर, यह विषय बहुत बड़ा है किन्तु मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मान्यवर, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाये, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाये जायें। लगाये गये वृक्षों का जीवित रहना भी आवश्यक है। अभी वन विभाग ने एक दिन में एक करोड़ एक लाख वृक्ष लगाये। लेकिन उनके जीवित रहने के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में मुश्किल से 1 लाख वृक्ष ही जीवित होंगे। मान्यवर, उद्योगों को उनके लिए उद्योग नगर बनाकर शहर से बाहर किया जाये ताकि उनके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण न हो। मान्यवर, पेयजल के स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए काम किया जाये तथा नदियों की सफाई होती रहनी चाहिए। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने श्री बरखूराम वर्मा जी का जिक्र किया। मान्यवर, उन्होंने इसी सदन में कहा था कि आज पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता है कि हम न्यूयार्क जैसा इकोलाजिकल पार्क की स्थापना करें। इकोलाजिकल पार्क की परिकल्पना केन्द्र सरकार की थी। वर्ष 1984 में केन्द्र सरकार ने इस प्रदेश में लिखकर भेजा था कि इकोलाजिकल पार्क बनाया जाये। इकोलाजिकल पार्क की परिकल्पना ऐसी है कि यहां पर

बैठे सब लोग जाकर देखें कि इकोलाजिकल पार्क में लगे वृक्ष किस प्रकार से प्रदूषण को एब्जार्ब करते हैं। इकोलाजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, जो लोग इनवायरमेंटल बायोलाजी को पढ़े होंगे वह जानते होंगे। आज शहरों में इकोलाजिकल पार्क बनाये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पर्यावरण नीति बनायी जाये, आपकी कोई पर्यावरण नीति नहीं है और सरकार द्वारा पर्यावरण नीति को स्पष्ट किया जाये। मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव रखने की अनुमति दी इसलिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं।

प्राविधिक शिक्षा विभाग का बजट साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने पर आपत्ति

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न हैं। मान्यवर, कल भी साहित्य नहीं मिला था और कल बहस होनी है, आज भी अभी तक साहित्य नहीं मिला है। कल भी मैंने यही बात कही थी और आज भी पुनः यही बात कह रहा हूं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

किस विभाग का।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

टेक्निकल एजूकेशन विभाग का।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, इसको पता करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं अभी दिखवाता हूं। मैं यह अग्रवाल जी के घर पहुंचवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी सभी के लिए देख लें।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, चौधरी सत्येंद्र सोलंकी जी ने कल नियम-300 में बात कही थी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आज उसके बारे में बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब और प्रदीप जैन आदित्य जी आप हर विषय पर बोलते हैं। आप अगर हर विषय पर बोलेंगे तो नए सदस्य जो बैठे हैं वह कहां जाएंगे।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग (क्रमागत)

नगर विकास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूं कि चूंकि पर्यावरण विभाग और जो-जो बातें उन्होंने कहीं, जहां तक श्रीवास्तव जी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ द स्टेट पालिसी की बात कहीं अनुच्छेद 42 भारतीय संविधान की बात कहीं। वह आदर्श है और हम तो आज के 36 से लेकर 61 तक सारे आदर्शो को हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, हम तो चाहते है कि, पूरे विश्व में वह जो आदर्श दिये हैं हमारे बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने वह सारे आदर्श लागू किये जायें। साथ ही उन्होंने 1991 के मुकदमे का हवाला दिया उसमें लड़ने का अवसर मिला था। उस मुकदमें में मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किये थे। आज की डेट में हमारा यह प्रयास है कि लखनऊ सहित जहां-जहां केन्द्र सरकार के माध्यम से सीएनजी गैस उपलब्ध हो जायेगी, वहां पर आटो और बसों को शहरों के अन्दर चलाने की अनुमति देंगे। मान्यवर, चूंकि यह संवेदशील विषय है, पुनः मैं अनुरोध करता हूं कि मा0 सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और बजट को पारित करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्रीवास्तव जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, जो प्रस्ताव मैंने माननीय मंत्री जी के सामने रखे हैं, मैंने इकोलोजी पार्क की परिकल्पना की बात की थी, उस पर माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, मैंने मा0 न्यायाधीश महोदय ने जो टिप्पणी की थी, उसके बारे में कहा कि वह विचार करेंगे, उस पर माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर भाषण से संतुष्ट नहीं हूं इसलिए अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,40,95,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या-92

संस्कृति विभाग

नगर विकास एवं संस्कृति मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,17,24,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92 संस्कृति वि ग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुद न द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,17,24,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-89

संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

नगर विकास, कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,24,77,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,24,77,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-67
विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,97,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,97,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-68
विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,65,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,65,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-61
वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य-व्यय)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा

अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,90,68,94,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,90,68,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,21,44,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,21,44,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,10,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,10,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77,18,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77,18,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,25,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,25,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,85,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,85,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,73,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,73,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,28,60,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,28,60,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-41
निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,57,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,57,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-42
न्याय विभाग

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,18,04,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,18,04,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,24,18,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,24,18,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,56,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,56,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम

उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,88,94,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत जाय।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करन तथा सुझाव देना।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माथुर साहब चाहते हों तो बोल लें वह कटौती रख चुके हैं। मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारी उद्योग के इस बजट पर यह बताना चाहता हूं कि जो बजट के दौरान बार-बार यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीय आ रहे हैं। मान्यवर, यह कहा जाना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। मान्यवर, जहां तक कृषि इंडस्ट्री की बात है, एक साल से ज्यादा इस सरकार को होने को आ गया है।

भारत वर्ष में अप्रवासी भारतीय या कोई भी उद्योगपति उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल में आने की सोचता है और बिना झिझक के बिना डर के वहां जाता है। अभी वह माहौल जो आपने कोशिश करी और जैसा कि आपने बजट में बताया कि गुण्डा राज को खत्म करके उद्योग लगाने का प्रयास करा रहे हैं।

इस एक वर्ष में कोई ऐसा आप मुझे बता दीजिये कि कोई उद्योगपति, एक विशेष उद्योगपति को छोड़कर इस उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने को तैयार है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां तक सवाल माहौल बनाने का है, माहौल ऐसे नहीं बनता कि गुण्डों को बन्द कर दिया, इसके लिये एक तर्कसंगत बात लोगों के दिमाग में पैदा करनी होती है, तभी उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आ पायेंगे। खाली नोएडा और ग्रेटर नोएडा का आईना दिखाकर आप यह नहीं कह सकते या डुगडुगी बजाकर यह कह दें कि उत्तर प्रदेश का माहौल ठीक हो चला है माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का मामला है, तमाम ऐसे जिले पड़े हैं तो उद्योग शून्य हैं। चाहे बुन्देलखण्ड का मामला लें, चाहे बागपत का मामला लें, चाहे सिद्धार्थनगर का मामला लें, तमाम ऐसे जिले हैं, जहां एक भी उद्योग नहीं हैं। हम उद्योग नीतियों की बात करते हैं, हम उद्योग लगाने की बात करते हैं। मान्यवर, ठीक है, आपकी कुछ बातें तर्कसंगत हैं। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एक अच्छा विषय है। आप डेवलपमेंट के लिये ताज एक्सप्रेस हाई-वे, गंगा एक्सप्रेस हाई-वे की बात कर रहे हैं, पर बात यह है कि आपने उसमें क्या मोडेस आपरेन्डी एप्लाई किया है। एक पर्टीकुलर उद्योगपति के प्रति यह सरकार इतनी

मेहरबान क्यों है ? क्यों और दूसरे उद्योगपति आपके यहां आने में हिचकिचा रहे हैं। क्यों नहीं वह कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में आयेंगे ओर उद्योग लगायेंगे। क्योंकि विन्डेक्टिव् नेचर, यानि बदले के भाव से जब कभी अगली सरकार आयेगी तो उनका शोषण होगा ओर आज जो कल तक उद्योग लगा रहे थे वह इस डर से भाग गये कि वर्तमान सरकार उनका शोषण न करे। मान्यवर, इसके लिये भी आपको सोचना होगा। देखना होगा कि हमने जो सिंगिल विन्डो सिस्टम या उद्योग बन्धु के डिपार्टमेंट खोल रखे हैं, उसके माध्यम से हम वह व्यवस्थायें उद्यमियों को दे पाते हैं, जो हमें देनी चाहिये। आज अगर कोई उद्योगपति आता है तो वह उस इन्टेंशन को लेकर आता है कि हमें इंडस्ट्री लगानी है। पर स्थिति क्या होती है कि उसके पीछे तमाम सरकारी अफसर, और तमाम लोग लग जाते हैं कि उसका शोषण किस तरह से किया जाय। वह इंडस्ट्री लगाने से पहले ही बैंकरप्ट हो जाता है। आप हमारे यहां कोसी इण्डस्ट्रियल एरिया को लीजिये, आप हमारे यहां छाता इण्डस्ट्रियल एरिया को लीजिये, आप हमारे यहां मथुरा इण्डस्ट्रियल एरिया को लीजिये, आपकी सरकार की इतनी हिम्मत है कि बाबा जयगुरुदेव ने कब्जा कर रखा है, आप उसे हटवाकर दिखाइये। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मथुरा के हमारे चौधरी लक्ष्मीनारायण मंत्री जी बैठे हुये हैं। मथुरा इण्डस्ट्रियल एरिया एक ऐसा इलाका है जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ऐसा इण्डस्ट्रियल एरिया बचा है, जिसे हम नोयडा और ग्रेटर नोयडा की तर्ज पर डेवलप कर सकते हैं। वहां बहुत जबरदस्त पोटेन्शियल है, लेकिन आपकी सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। ऊर्जा मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इनके हाथरस में कितनी बड़ी इण्डस्ट्रीज लगी हुयी है। आप सारे प्रदेश को ऊर्जा दे रहे हैं आप यह बताइये कि आपके जनपद में सरकार किसी बड़े उद्योग को लगाने के बारे में क्या विचार कर रही है। मान्यवर, जहां तक आपके जी0 डी0 पी0 रेशियो का मामला है, केन्द्र सरकार का जी0 डी0 पी0 रेशियो 9 प्रतिशत और आपके बजट में जी0डी0पी0 रेशियो 10 प्रतिशत की बात की जा रही है। मान्यवर, आप ऐसा छलावा और ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं ? केन्द्र सरकार के माध्यम से तमाम राज्यों में इण्डस्ट्री लगी हुयी हैं, तो यह आंकड़ों की जगलरी/बाजीगरी मत करिये। जो आपने बजट की बुकलेट्स दी है, यदि आप उनको देखें तो लेटर आफ इंन्टेंट के बारे में बताना चाहूंगा। लेटर आफ इंटेन्ट जो आपने जारी किये हैं, उसमें जो कहा गया है और जो किया गया है, उसमें बड़ा फर्क है। मान्यवर, आपके औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक 2008-2009 में जो आंकड़े पेश किये गये हैं वह अत्यन्त ही भ्रामक और सदन को गुमराह करने वाले हैं। पृष्ठ 16 पर भारी उद्योग के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में जारी किये गये इच्छा पत्र/आशय पत्र के 239 की संख्या के सापेक्ष 1662.49 करोड़ के सापेक्ष 10,58,805 रोजगार की संख्या सृजित हुयी थी जबकि वर्ष 2006-2007 में 520 इच्छा पत्र/आशय पत्र जारी हुये थे, जिनके सापेक्ष में 21.596 करोड़ पूंजी विनियोजन प्रदर्शित था जबकि रोगजार संख्या मात्र

86,835 थी। इसी प्रकार वर्ष 2007-2008 में अक्टूबर, 2007 तक 106 ही इच्छा पत्र/आशय पत्र जारी किये गये थे जिसके सापेक्ष 5151 करोड़ पूंजी विनियोजित कराई गयी थी किन्तु रोजगार संख्या मात्र 26513 थी। भारी विनियोजन के होते हुये भी रोजगार संख्या इतनी कम क्यों ? इस बात का मैं आप लोगों से जवाब चाहूंगा इसका कारण नहीं बताया गया और सदन को भ्रामक आंकड़े दिये गये। इस तरह की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। यदि कुछ काम कराना है तो करके दिखाइये। आप अपने उ0 प्र0 वित्त निगम को लीजिये, आपकी यह संस्था रुग्ण हो चुकी है। इसमें सारे उद्योगपतियों का शोषण किया गया और उद्यमियों के साथ एक षडयंत्र रचकर उनके खिलाफ आर0 सी0 जारी की गई। तमाम उद्योगपतियों का उसके दबाव में उसके डर से हार्ट फेल हो गया और तमाम ने मौत को गले लगा लिया। मान्यवर, जहां तक पिकप का मामला है, मेरी समझ में नहीं आता कि पिकप एक अच्छी संस्था हुआ करती थी और उसमें आपने बाजीगरी की है। मान्यवर, इस सरकार ने पिकप में तमाम उपाध्यक्ष नामित कर दिये हैं, तीस हजार रुपये की तनख्वाह तमाम गाड़ियां और मंत्री स्तर की सुविधायें एक इण्डस्ट्रियल संस्था में जो औद्योगिक पिकप नाम की संस्था जो हिन्दुस्तान में सम्मान के साथ देखी जाती थी। वहां आपने पालीटिकल लोगों को उपाध्यक्ष बनाकर उसकी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। थोड़ा जो विश्वास पिकप नाम की संस्था में लोगों को था, उद्योगों को था, उद्योगपतियों को था। वहां पर आपने राजनैतिक लोगों को उपाध्यक्ष बनाकर उस विश्वास को भी आपने समाप्त कर दिया है। यह सारी की सारी संस्थायें पालीटिकिल लेागों को ओबलाइज करने के लिये नहीं होती हैं। जहां उद्योग का वातावरण पैदा करना है वहां स्वच्छता और पारदर्शिता के साथ चलना होगा। मैं आपका स्वागत करता हूं ताज एक्सप्रेस हाई-वे का, गंगा एक्सप्रेस हाई-वे का, पर क्या आपने सोचा कि जो गरीब लोगों की जमीनें जा रही हैं, उनका क्या होगा ? आज भी प्रश्न आया था मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आप उन गरीब किसानों की छाती पर बुल्डोजर चलाकर जमीन को एक्वायर करेंगे। क्या आप उनको उचित मुआवजा नोएडा की तर्ज पर या हरियाणा सरकार की तर्ज पर दे पायेंगे। मान्यवर, आप पढ़ लीजिये, कृषि मंत्री जी पढ़ लीजिये, अवस्थापना भारी उद्योग का मामला है। इसे खाली पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग मत समझियोगा। आज तमाम लोगों ने यह प्रश्न पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के अन्तर्गत उठा दिया है। यह भारी उद्योग का मामला है और उसके पीछे आप इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर बनाने की बात करते हैं। सपने आपने अच्छे देखे हैं हम चाहते हैं कि जब आप इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलप करें तो उन किसानों की जिनकी भूमि चली जाती है चाहे ताज एक्सप्रेस हाई-वे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस हई-वे हो, तमाम ऐसे किसान हैं जो बिल्कुल बरबादी के कगार पर जा रहे हैं। आप नोएडा को उठाकर देखिये, ग्रेटर नोएडा को उठाकर देखिये। आप नोएडा से बलिया तक चले जाइये, तमाम ऐसी भूमि है जिसमें कि दोनों के पैकेजेज में बहुत बड़ा डिफरेंस हैं। आप ताज एक्सप्रेस हाई-वे के किसानों को और गंगा एक्सप्रेस के किसानों को बराबर का पैकेज दें। जब हम

आपके अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि यह 2003 का एग्रीमेंट था। आज ही तो आप लागू कर रहे हैं पिछली सरकार ने संशोधन कर दिया और आज आपने शुरू कर दिया तो उस एग्रीमेंट को रिवाइज कीजिए। आपका जो प्रिय उद्योगपति है, उस पर दबाव डालिये कि वह ताज एक्सप्रेस हाई-वे के किसानों को बढ़कर मुआवजा दें। आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं तमाम सेक्शनों के माध्यम से इस मामले को उठा चुका हूं पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने गम्भीर विषय को क्यों नहीं गम्भीरता से लिया जा रहा है। क्यों उन गरीब किसानों को दबाया जा रहा है। जब आप इतने ओपेन माइन्ड से इंडस्ट्री की बातें कर रहे हैं तब इतनी छोटी बातें मत कीजिए। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने 28 में से 23 इंडस्ट्री को मंजूरी दी और सिर्फ मुरादाबाद में एक ऐसी जगह पर है प्रापर्ली, बाकी सब ऐसे हवा में हैं। क्या आपने ऐसी कोई नीति बनायी है कि ऐसी नीति बनाने वाले लोगों पर अंकुश रखा जाय। क्या आपने ऐसी नीति बनायी है कि पूंजीपतियों ने जो जमीन ली है वह एक टाइमबाउंड समय में इंडस्ट्री बनायें नहीं। ऐसा न हो कि बड़े-बड़े उद्योगपति एक भू-माफिया के हाथ सौ एकड़, डेढ़ सौ एकड़ जमीन औने-पौने के दाम पर एक्वायर कर लें और बाद में उसे अरबों-खरबों रुपए की लागत से बेच दें। इस मामले में भी आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, इस तरीके की कोई भी बात नहीं कही गयी है। मान्यवर, जहां तक यू0पी0एस0आई0डी0सी0 का मामला है, घोटाले का एक बड़ा समूह है और उसमें आपने कार्यवाहियां करी, पर मेरी समझ में नहीं आता कि जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं, शुरूआती दौर में अखबारों में छपता है कि सस्पेंड फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वही भ्रष्ट अधिकारी बहाल हो गये, क्या कारण है किस बात की साजिश है, इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। इसमें भ्रष्टाचार की बू आये या यह किस तरह की बात है, यह बड़ा गम्भीर मामला है। जब आप अपनी पार्टी और सरकार का गुणगान करते हैं तो इस तरह से सस्पेंड और टर्मिनेट करने के बाद बहाल क्यों कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लग जाता है। यह जनता है, सब जानती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में जो प्लाट्स हैं तमाम इण्डिस्ट्रयल एरिया पास हो गये हैं, आप मथुरा को ही देख्यि, पूरा कार्मिशियल हो गया है, यहां के पार्क बेच दिये गये हैं, लोग बड़ी-बड़ी कोठियां बना रहे हैं। हालत यह है कि आपके जो यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के अधिकारी हैं वह पैसा बनाने में लगे रहते हैं, एक नागनाथ जायेगा तो सांपनाथ आयेगा इस तरह के लोग आते और चले जाते रहते हैं उनका सिर्फ एक सूत्रीय काम है कि पैसा कैसे कमाया जाए ? ट्रानिका सिटी की बात कर लीजिए, इण्डिस्ट्रयल एरिया की बात कर लीजिए, वहां पर अधिकारी इस तरह के बिठा दिये जाते हैं कि कितना फण्ड आप भेज रहे हैं कभी आपने यह जानने की कोशिश कि उस यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा बनायी गयी इण्डिस्ट्रयल एरिया में

आपकी कितनी इण्डस्ट्री सिक है, कितनी चल रही हैं, और उन इण्डस्ट्रीज को रिवाइव करने की क्या पालिसी है ? आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावै वाली कहावत है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, कहना चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने सारा ठेका ले रखा है, यही सब कुछ करते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि यह च्यवनप्राश और पौष्टिक चीजें खाते हैं जिससे इनमें ऊर्जा बनी रहती है बढ़िया-बढ़िया डिपार्टमेन्ट भी आपके पास हैं, इस तरह की चीजें खाया करें! तमाम विभागों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तभी जवाब भी गोलमाल आते हैं। माननीय मंत्री जी, क्या करें आपकी गलती नहीं है। मान्यवर, मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूंगा जहां तक नोयडा, ग्रेटर-नोयडा, जो सरकार आती है उस सरकार का डेन होता है। नोयडा, ग्रेटर-नोयडा में सारी सरकारें व्यवस्था के चक्कर में घूमती हैं। मजे की बात यह है कि वहां न कोई रूल्स न रेगूलेशन। इण्डिस्ट्रयल पालिसी जो आपका एक्ट बना हुआ है उससे नोयडा, ग्रेटर नोयडा संचालित है। माननीय अध्यक्ष जी आप पता कराईये यही यह कारण है जिससे सारे घपले होते हैं मैंने जाकर वहां खुद देखा, जब रूल्स रेगुलेशन की बात करी तो वहां के सारे अधिकारी हक्के-बक्के रह गये। नोयडा और ग्रेटर नोयडा बिना रूल्स रेगूलेशन के चल रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। आप देखिये वहां पर एक बहुत बड़ा घपला डी0 एण्ड डी0 फ्लाईओवर का है। टोल ब्रिज कम्पनी लिमि0 आई एल0एफ0एस0 से रिलेटेड कम्पनी है, जो आई0ए0एस0 रिटायर्ड अधिकारियों ने आई0एल0एफ0एस0 बना रखी है। रिटायरमेन्ट के बाद कंसलटेंसी लेते हैं और जितना पैसा कमाया उसे आई0एल0एफ0एस0 कंसलटेंसी में लगाया। उन्हीं की नोयडा टोल ब्रिज कम्पनी है और उन्होंने डी0 एण्ड डी0 फ्लाई ओवर का 400 करोड़ की रिकवरी करने के लिये ठेका लिया है। उन्होंने अब जाकर बताया, कुछ सालों बाद देखा कि एग्रीमेण्ट में यह तय था कि जो लॉस होगा रिकवरी में तो उसे कास्ट में एडजस्ट कर देंगे, डी0 एण्ड डी0 फ्लाई ओवर की कास्ट में 400 करोड़ रुपये का ब्रिज, और आप विश्वास मानिये आज की तारीख में नोयडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमि0 ने नोयडा अथॉरिटीज से यह कहा है कि हमें 11 एकड़ भूमि दो, हम 30 प्रतिशत लॉस में प्रति साल जा रहे हैं इसलिए यह 400 करोड़ रुपये का फलाई ओवर 11 सौ करोड़ का हो गया है। हम एग्रीमेण्ट को रिवाइज करना चाहते हैं और 70 साल में रिकवरी कर पायेंगे, यदि आप देखें तो इसकी कीमत आने वाले समय में लगभग 44 हजार करोड़ हो जायेगी। डी0 एण्ड डी0 की रिकवरी करने वाली कम्पनी, नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमि0 ईस्ट इण्डिया कम्पनी बनने जा रही है। सिर्फ रिटायर आई0ए0एस0 अफसरों और ठेकेदारों के हाथ में यह कम्पनी है और वह लोग पूंजीपति होते जा रहे हैं यह बहुत ही गम्भीर मामला है। यू0पी0एस0आई0डी0सी0, यू0पी0एफ0सी0, पिकप कितनी संस्थाएं हैं। नोयडा, ग्रेटर नोयडा में इण्डस्ट्रलिस्ट क्यों इण्ट्रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि वह उद्योग के बहाने सस्ती दरों पर काफी जमीन ले लेते हैं उनका उद्योग चलाने में कोई इण्ट्रेस्ट नहीं है प्लाट खरीदने और बेचने में ही उसका

इण्ट्रेस्ट है कितनी सिक इकाइयां हैं क्या आपको इसकी जानकारी है। वहां पर केवल इसीलिए पूंजीपतियों का इण्ट्रेस्ट है ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों में नोयडा और ग्रेटर नोयडा ऐसा लगेगा कि मकानों का कब्रिस्तान ही बनता जा रहा है। रहने वाले लोग नहीं हैं सिर्फ एक दिखावा है बड़ी-बडी कम्पनियां आती हैं वह नोयडा और ग्रेटर नोयडा को देखकर खुश हो जाती हैं कि कितनी बढ़िया जगह है यह तो स्वर्ग जैसा लग रहा है इसे विण्डो आफ यू0पी0 कहा जाता है। लेकिन हमें पूरे प्रदेश को देखना पड़ेगा। जहां तक इण्डस्ट्री में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की नियुक्तियों का मामला है, या प्लाट का मामला है मैं चाहता हूं कि इनका भी ध्यान दिया जाय। बहन कुमारी मायावती की सरकार है जब रिजर्वेशन की बात नौकरियों में करते हैं तो प्लाट के आवंटन में क्या नहीं रिजर्वेशन होगा। क्या ठेकेदारी सिर्फ रईसों की है क्या रईस ठेकेदार ही प्लाट खरीद सकते हैं। वहां पर प्लाट इतने मंहगे हैं कि बड़े-बड़े पूंजीपति ही प्लाट खरीद सकते हैं हम और आप नहीं खरीद सकते। यदि आप रिजर्वेशन के इतने बड़े हकदार हैं आप दलितों की बात करते हैं तो उनको नोयडा और ग्रेटर नोयडा में मकान कैसे मिले इस बारे में क्यों नहीं प्रयास करते हैं ? मान्यवर, एक और बात कहना चाहता हूं आपके यहां एक उपक्रम है यू0पी0 सिस्टम्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन उसमें इन्फोसिस, टी0सी0एस0 से ज्यादा टेक्नोक्रेट होंगे लेकिन यहां पर उनकी प्रतिभाओं का इस्तेमाल नहीं हो रहा है उनको आई0ए0एस0 अधिकारियों के अधीन काम करना पड़ता है। भारत सरकार की निक संस्था है वह किस तरह से बढ़ रही है मेरा कहना है कि यू0पी0 सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन को निदेशालय बना दिया जाय। इस सम्बन्ध में बजाज कमेटी और दो तीन कमेटियां हैं उन्होंने भी इसे निदेशालय बनाने को कहा है और इसको निदेशालय बना दिया जाय ताकि इण्डस्ट्रियल ग्रोथ हो और टेक्नोलाजी को बढ़ावा मिले। टेक्नोक्रेट के ऊपर आई0ए0एस0 लाबी हावी रहती है। उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। जे0पी0एसोसिएट्स ने उसे खरीद लिया 495 करोड़ में कारपोरेशन को दे दिया गया जबाके 9 हजार करोड़ की वहां पर जमीन वन भूमि की जे0पी0 एसोसिएट को मिली इस छतरी में वह जो चाहें करें वन विभाग के लोग आन्दोलित हैं वहां पर दलितों को कुचला जा रहा है, मजदूरों को कुचला जा रहा है, घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, दुकानें हटाई जा रही हैं।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी जैसे लोगों को मत बढ़ावा दीजिये। मान्यवर, इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की अनुमति के बगैर कोई भी वन विभाग की भूमि को नहीं जीत सकता, वो कैसे कब्जा किये हुये हैं इस पर भी आपको विचार करना होगा। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि बोलने दीजिये मुझे। इतना महत्वपूर्ण मामला है इण्डस्ट्रीज का। आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन कटौती का प्रस्ताव नहीं रखने दे रहे हैं। मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं कि आप यह कराइये। कहां-कहां घपले हैं, आपके यहां किसी की हिम्मत नहीं है बताने की, घपले के बारे में कोई बोल दिया तो मंत्री पद समाप्त हो जायेगा। मुझे बोलने दीजिये, क्यों

घपला करा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाना चाहते हैं तो आप साफ दिल से पूरे हिन्दुस्तान में उतरिये। अप्रवासी भारतीयों की अभी कान्फ्रेंस दिल्ली में हुई कितने अप्रवासी भारतीयों ने लेटर आफ इंटेन्ट के बारे में उत्तर प्रदेश में इण्डस्ट्री लगाने के लिये बात की। मैं पूछना चाहूंगा, आप जवाब दीजिये। नहीं किया किसी ने। हम खुद शर्मसार हो जाते हैं क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं हम खुद चाहते हैं कि उद्योग उत्तर प्रदेश में आयें। बड़े-बड़े पूंजीपति लोग आयें। दिक्कत क्या है कि हम लोगों का अधिकारियों का, पूंजीपतियों का, उद्यमियों का पार्टीवाइज बंटवारा हो चला है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनको इनवाइट करना चाहिए। आपको अपने आफिसर्स को दिल्ली भेजना चाहिए। बाम्बे भेजना चाहिए बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियल टाउन में भेजना चाहिए और कहना चाहिए कि आइये कि हम आपको उद्योग लगाने की सुविधा देते हैं। इंस्पेक्टर राज हालांकि खत्म हो गया लेकिन आपके अधिकारी इन्सपेक्टरों का काम करते हैं उनका शोषण करते हैं। जब बिजली का कनेक्शन लेने जाते हैं तो मंत्री जी तो बहुत कोशिश करते हैं खुद छापे मारते हैं परन्तु वह अधिकारी कहता है कि कितना नोट दे रहे हैं, मैं इसका कनेक्शन स्वीकृत कर दूंगा। यह प्रेक्टिकल बात बता रहा हूं और जब आप किसी बड़ी जगह लोन लेने के लिये जाते हैं तो वहां कमीशन की बात की जाती है। गुजरात से आया हुआ उद्यमी, महाराष्ट्र से आया हुआ उद्यमी, बम्बई से आया हुआ उद्यमी, दिल्ली से आया उद्यमी क्यों आये। अब वो लोग उत्तराखण्ड जाने लगे हैं। आपने एक साल में जो प्रयास किया मैं चाहूंगा कि यह सरकार पूरे पांच साल चलेगी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले चार सालों में जो आपने कहा वह करने का प्रयास करेंगे। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश हमारा एक औद्योगिक प्रदेश बने और उन प्रदेशों की तरह बने जैसा महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात है, कर्नाटक है, उत्तराखण्ड है, लोगों में विश्वास पैदा हो। सिर्फ गुण्डों, माफियाओं को बन्द करने से काम नहीं चलेगा। आपको भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना होगा। आपको यहां यह माहौल बनाना होगा। आपको उद्योगपतियों को रिझाना होगा क्योंकि वह आशा और विश्वास टूट चुका है। आशा और विश्वास जब टूट जाता है तो उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। यह हमारे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी भी बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि यह जो संसदीय कार्य मंत्री जी उद्योग मंत्री के रूप में हमारे सामने बैठे हैं आप कोसी, छाता, मथुरा, ताज ट्रिपोजियम जोन के अंदर, ताज ट्रिपोजियम जोन के बाहर आप उसे नोएडा ग्रेटर नोएडा के तर्ज पर डेवलप करायें। आप हाथरस को इन्डस्ट्रियल हाब की तरफ डेवलेप करें। आप बुन्देलखण्ड में फैक्ट्रियां लगवायें। आप कानपुर में रूग्ण पड़ी सूती मिलों को चालू करायें। आप बागपत में फैक्ट्रियां लगवायें। पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश की एस0एस0आई0 यूनिट्स की तरफ मत जायें। 90 प्रतिशत एस0एस0आई0 यूनिट्स सिक पड़ी हैं। बड़े उद्योगों को बुलायेंगे तब ही रोजगार मिलेगा और जब रोजगार मिलेगा तब ही जनता सुखी रहेगी। जनता को न आप रोजगार मुहैया

करा पा रहे हैं और उद्योग का इतना बढ़िया बजट लगा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी गौर फरमाइये कि अब जरूर लगता है हमें पंचम तल पर जाकर कि कारपोरेट आफिस खुल रहे हैं।

श्री घूरा राम-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कोई व्यवस्था नहीं होती। आप समाप्त करें माथुर साहब।

श्री घूरा राम-

मान्यवर, मेरी एक व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक लिखित पत्र मिला है, माननीय अध्यक्ष जी का आदेश मिला है कि मोबाइल लेकर हम लोग सदन में नहीं आयेंगे और माननीय सदस्य के हाथ में बार-बार मोबाइल है। ऐसा है तो हम लोग भी लेकर आयेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी यह व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था सही उठाया है। लाना मना है। लाये हैं तो यहां बोल नहीं सकता है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, दो मिनट का समय और लूंगा। मान्यवर, पंचम तल पर देखकर लगा कि वह कारपोरेट आफिस बन गया है। कारपोरेट आफिस, कांचों का आफिस जिनके घर कांच के होतें हैं वह दूसरों पर पत्थर नही फेंका करते हैं। पंचम तल आपने कांच का बना दिया है जाकर लगता है, बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं पंचम तल जब पहुंचते हैं, टाइल्स लगे होते हैं बढ़िया-बढ़िया, कांच के आफिस में जब हम बैठते हैं कांच के आफिस में उद्योगपतियों [illegible] ले जाकर हम प्रभावित कर सकते हैं लेकिन जब प्रदेश में उद्योगपति जाते हैं तो ऐसा [illegible] है आप जब कांच के आफिस सब जगह बनवायेंगे तब काम चलेगा, तब हम विश्वास [illegible] कर पायेंगे। जो टेनरीज रूग्ण पड़ी हैं, उद्योग रूग्ण पड़े हैं लोग हड़ताल पर बैठे हैं लाखों [illegible] मजदूर अगर उनके रोजगार की व्यवस्था आप करेंगे तो हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश करवट ले रहा है। सिर्फ छलावा देने से, फर्जी आंकड़े देने से, अखबारों में छापने से यह प्रदेश उद्योग शील नहीं बनेगा। हम कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हैं और यह चाहते हैं कि कटौती के प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष इस प्रदेश की बहबूदी और तरक्की के लिए हम सब काम करें। क्योंकि सरकारें आती जाती हैं लेकिन उद्योग बार-बार नहीं आते हैं। उद्योग जब एक बार रूग्ण हो जाता है तो दुबारा नहीं पनपता है। कितने किसानों की जमीन जाती है, कितने लोग बेघर बार होते हैं, कितने लोगों की नौकरी जाती है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप इसको गम्भीरता से लें।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

चाहे किसानों के मुआवजे का मामला हो चाहे गरीब मजदूरों का मामला हो, चाहे क्षेत्रों के विकास का मामला हो, भू-माफियाओं से बचें। उद्योगपतियों को और उद्यमियों को आने दीजिए, जिससे प्रदेश का भला हो और जो आपकी नेता सपना देखती हैं और सोचती हैं वह सपना पूरा हो जाए। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय माथुर जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने उद्योग विभाग के बजट पर अपने सुझाव रखे और इस दिशा में चिन्तित दिखे कि प्रदेश में उद्योगों का विकास, प्रदेश में पूंजी निवेश अपेक्षानुसार नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, माननीय माथुर जी ने विभिन्न कमियों का जिक्र किया। पिछले दिनों की कमियों का उन्होंने उल्लेख किया मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए उद्योगों के विकास हेतु सुनिश्चित नीति और कार्यक्रम संचालित करने की योजना है मान्यवर, हमारा यह मानना है जैसा कि माननीय माथुर जी ने भी इस बात की अपेक्षा की कि प्रदेश में उद्योगपतियों को यह विश्वास दिलाना होगा और उस विश्वास के बल पर ही हम उनको आकर्षित कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए। पूंजीनिवेश के लिए। मान्यवर, इस बात को हमारी सरकार ने प्राथमिकता देते हुए इस प्रदेश में औद्योगिक विकास हो, औद्योगिक विकास के लिए निवेश का वातावरण बने, इसके लिए सबसे पहले इस बात का निर्णय लेने का काम किया कि औद्योगिक वातावरण को दूषित करने वाले अवांछनीय तत्वों को एवं उनकी आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह से नियंत्रण लगाया जाए। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लेने का काम किया और बहन कुमारी मायावती जी जो प्रदेश की मुख्य मंत्री जी हैं जिनके पास उद्योग विभाग भी है। उन्होंने इस बात का संकल्प लिया है कि हम उत्तर प्रदेश को अपराध विहीन प्रदेश बनाने का काम करेंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास हो, इसलिए सरकार ने अवस्थापना विकास विभाग का सृजन करने का भी काम किया है। प्रदेश में विभिन्न जो औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए पिकप को मजबूत करने की दिशा में काम किया है। अभी उस पर रोक लगी है कि अभी वह ऋण न दे, जब तक उसकी दशा सुदृढ़ न हो जाए लेकिन इसके उपरान्त पिकप को हम नोडल एजेन्सी के रूप में औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका निभाने के लिए उसको अधिकृत किए हैं। प्रदेश में सार्वजनिक निजी सहभागिता से अवस्थापना का परियोजनाओं को विकसित किए जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पिकप को इसी लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। मान्यवर, अवस्थापना विकास विभाग का गठन किया गया है जिसकी प्राथमिकता है, अवस्थापना विकास के

लिए जो प्राथमिकता निर्धारित की गई है, कृषकों का सशक्तीकरण, ऊर्जा क्षेत्र का विकास, नगरीय पुनर्उत्थान, उत्कृष्ट परिवहन व्यवस्था और विश्व स्तरीय सड़क अवस्थापना। मान्यवर, बिना सुविधाओं के हम प्रदेश में औद्योगिक विकास नहीं कर सकते हैं। प्रदेश में ऊर्जा की एक समस्या रही है। विद्युत उत्पादन 60 वर्षों में हमारी मांग के अनुरूप नहीं हुआ है और विगत कई वर्षों में कोई भी उत्पादन इकाई संचालित नहीं हुई है इसलिए औद्योगिक विकास की दृष्टि में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए सरकार ने निर्णय लेने का काम किया है कि हम इस प्रदेश को 2011 तक ऊर्जा के क्षेत्र में केवल हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति तक ही नहीं बल्कि हम निर्यात करने लायक बिजली उत्पादन करने का काम करेंगे। 15300 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की दिशा में सराहनीय प्रयास शुरू किये गये हैं। मान्यवर, प्रदेश में निर्जा निवेशकों की अधिकाधिक सहायता लेकर परिसंरचना विकास हेतु स्पष्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीति पारित की गयी है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 8 लेन का ताज एक्सप्रेस-वे का बनाने का 2003 में निर्णय लिया गया था। अगस्त 29 से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही, 2003 में, उसके बाद तत्कालीन जो सरकार थी, उसने इस कार्य को रोक दिया था। मान्यवर, मैं माथुर जी को बताना चाहता हूं कि हमने आने पर नहीं शुरू किया है बल्कि जब उस सरकार को भी इस बात का अहसास हुआ कि हमने जो प्रतिबन्ध लगाया है, वह गलत लगाया है, राजनीतिक कारण से लग्या है और इस एक्सप्रेस-वे का बनना प्रदेश के हित में होगा। इसलिए उस समय ही इसको पुनः रमीशन देने का काम किया गया था और जो नई हमने व्यवस्था यह किया है कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, 8 लेन का जो आगरा का था उसके साथ-साथ गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना ग्रेटर नोएडा से बलिया तक राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है जो पश्चिमी से पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने का काम करेगा। जहां बलिया से पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचने में 24 से 30 घण्टे लगते हैं, इससे 8-10 घण्टे लगेंगे। मान्यवर, यह केवल एक रोड ही नहीं है बल्कि हम उसको इन्डस्ट्रियल कारीडोर के रूप में विकसित करना चाहते हैं और जिससे प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से सबसे बड़ी यह योजना है जिसमें राज्य सरकार का कोई धन खर्च नहीं होगा, लगभग 40 हजार करोड़ रुपये की यह परियोजना हमने स्वीकृत करने का काम किया है।

मान्यवर, माथुर जी की चिन्ता किसानों के प्रति थी। इस सरकार की चिन्ता भी किसानों के लिए है। इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पुनर्स्थापन से समुचित परिवारों को लाभ दिये जाने के लिए विस्थापित परिवारों को समुचित सहायता दिये जाने के लिए व्यापक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति तैयार की गयी है। इस नीति के द्वारा प्रभावित परिवारों के आवास सम्बन्धी सुविधाएं, रोजगार हेतु प्रशिक्षण, कौशन उन्नयन की सुविधाएं, रोजगार अथवा रोजगार की ओर से सुविधायें एवं अन्य वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। इस तरह से हमने प्रयास किया है कि जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास केवल कहने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में हो जो

उद्योगपति अभी तक उत्तर प्रदेश में आने के लिए डरते थे उनके लिए एक वातावरण तैयार करने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, हमारे साथी ने एस0ई0जेड0 के बारे में चिन्ता व्यक्त की कि यह उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र संशोधित नीति 2007 जारी करने का काम किया है जिसके तहत डेवलपर के चयन में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है जिससे अब किसानों की जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहण करने का काम नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अवस्थापना परियोजनाओं के त्वरित औद्योगिकीकरण की दृष्टि से मूलभूत सुविधाओं को प्रदान किये जाने, वृहद परियोजनाओं को बढ़ावा देने एवं उनके समुचित अनुश्रवण का कार्य किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है। राज्य सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ताज इण्टरनेशनल एयरपोर्ट एवं एवियेशन हब परियोजना। जो प्रस्तावित है जिससे पूरा विश्व उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा और हवाई यात्रा सुलभ होगी तथा विदेशी पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा। मान्यवर, इस परियोजना को हमने भारत सरकार में भेजा है। हम सारी शर्तों का पालन कर रहे हैं लेकिन अभी वहां पर पेंडिंग है। जिस दिन हमारी परियोजना का प्रोजेक्ट स्वीकार हो जाएगा प्रदेश में औद्योगिक वातावरण निश्चित रूप से अच्छा होगा और उससे औद्योगिक विकास भी अच्छा होगा। मान्यवर, निजी क्षेत्र की सहभागिता से गीडा में टैक्सटाइल पार्क की परियोजना का भी क्रियान्वयन करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा का गठन किया है जो लखनऊ, कानपुर राजमार्ग के किनारे इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित कर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा प्रदान कर लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। मान्यवर, इसके साथ ही साथ हमने ग्रेटर नोएडा में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना जिसका देश और पूरी दुनिया में उस विश्वविद्यालय का एक स्थान है। इस ढंग से विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। जिससे प्रदेश में निश्चित रूप से औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलने का काम होगा। सूचना प्रौद्योगिकी की दिशा में प्रदेश सरकार ने केन्द्र से सहायता लेकर भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से प्रदेश के एक महत्वाकांक्षी योजना जिससे 17 हजार 909 ग्राम पंचायतों में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कामन समन्वित सेंटर स्थापित किये जा रहे हैं जो प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से किसानों और तमाम अन्य लोगों को भी सुविधा उपलब्ध होगी जैसे कि खतौनी की नकल है या अन्य कोई सर्टिफिकेट है जिसको लेने के लिए उनको दौड़ना पड़ता है। उस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। माननीय माथुर जी ने अपने विचारों में इस बात का उल्लेख किया मैं उनकी चिन्ता से पूरी तरह सहमत हूं। हमारा यह प्रयास है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास हो, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले। आरक्षण के सम्बन्ध में चिन्ता जाहिर की, मैं इनके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन वहीं यह भी बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की यह पहली सरकार है, जिसने प्राइवेट और निजी क्षेत्र में

रिजर्वेशन के लिए व्यवस्था देने का काम किया है। इसमें अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग को, सर्व समाज के गरीब लोगों को रिजर्वेशन देने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार पहले रहा होगा, जैसे उद्योगपतियों को डराने का काम, उनका शोषण करने का काम किया जाता रहा होगा, लेकिन हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इन सारे कार्यों में प्रतिबन्ध लगेगा और औद्योगिक विकास का वातावरण बनेगा। प्रदेश को देश में नम्बर 1 पर लाने का प्रयास करेंगे जो आज कर्नाटक, गुजरात या महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम उनसे आगे निकलेंगे, यह हमारा सतत प्रयास है और निश्चित तौर से प्रदेश के औद्योगिक विकास में नम्बर 1 पर आयेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है प्रदेश सरकार चिन्तित है हम प्रयास कर रहे हैं, आप इसमें सहभागी बनिये और समर्थन करिये। हमने शुरुआत की है, उसमें समय लगेगा इसलिए कि जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसको सुधारने में समय लगता है, इसलिए अपेक्षा करूंगा कि सहयोग देने के लिए औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें और प्रदेश में अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 माथुर जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आप ही के द्वारा बनाया गया नियम है। कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं ले सकते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो कमिटमेंट दिखायी है कि वह प्रदेश में अच्छा वातावरण पैदा करने के लिए भ्रष्टाचार का दमन करने के लिए सोचेंगे, यह अच्छा है।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,88,94,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,97,14,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का नारा देने का काम किया है, हम इस दिशा में प्रदेश के बजट को प्रदेश की आम जनता के हितों के लिए खर्च करने के प्रयास में हैं। मान्यवर, जो समाज का सबसे कमजोर तबका है, प्रकृति के माध्यम से असहाय स्थिति में है, विशेष रूप से विकलांग समाज, उसके उत्थान के लिए हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश में पहली बार विकलांग कल्याण के लिए काफी प्रयास करने का काम किया। उन्होंने पहले भी विकलांग कल्याण विभाग का अलग स्थापना करने का काम किया था और आज जब हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने का काम किये हैं तो मान्यवर, विकलांग कल्याण विभाग के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने अनेकों योजनाओं की स्वीकृति करने का काम किया। जहां पिछली बार सरकार में आने के बाद विकलांग पेंशन जो डेढ़ सौ रुपया था उसको बढ़ाकर 300 रुपये करने का काम किया और उनकी जो पात्रता की आय थी वह एक हजार रुपये थी उसको बढ़ा करके गरीबी की रेखा के स्तर तक लाने का काम किया। पहले सभी पात्र व्यक्तियों को विकलांग पेंशन नहीं मिला करती थी, हमने निर्णय लेने का काम किया, बहन कुमारी मायावती जी ने निर्णय लेने का काम किया कि अब प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जो पात्रता की श्रेणी में आता है उसको विकलांग पेंशन देने का काम किया जायेगा। मान्यवर, इसी का परिणाम है कि जहां 2006-2007 में सम्पूर्ण बजट जो विकलांग कल्याण का था वह 14608.29 लाख था वहीं आज 2008-09 में वो बजट जो 14608 लाख था बढ़कर 34005.44 लाख प्रस्तावित किया गया है। मान्यवर, निश्चित तौर पर यह इसलिए हो पाया कि मान्यवर, बहन मायावती जी के मन में इस बात की चाहत है कि समाज का जो सबसे असहाय व्यक्ति है उसको हम समाज की मुख्य धारा में, उसको भी हम जीने लायक वातावरण बनाने का काम करें, इसके लिए यह निर्णय लेने का काम किया गया और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनकी योजनायें सभी जिलों तक संचालित हों, अभी तक हमारे पास 70 जिलों के लिए विकलांग कल्याण अधिकारी का पद सृजित नहीं था अभी हमने 24 फरवरी, 2008 को 23 अन्य जनपदों में भी जहां पर विकलांग कल्याण अधिकारी का पद सृजित नहीं था, उनको भी सृजित करने का काम किया गया। इसके साथ ही

साथ मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि निराश्रित विकलांगों को प्रतिमाह 300 रुपये की दर से भरण-पोषण अनुदान देने का निर्णय लिया गया। शारीरिक रूप से अक्षम्य व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, सर्वांगसहाय अंग क्रय करने हेतु अनुदान, दक्ष विकलांग कर्मचारियों के सेवायुकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार, विकलांग शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का संचालन मान्यवर, विकलांग शादी प्रोत्साहन पुरस्कार जो योजना थी इसमें मात्र 10 लाख रुपये पहले रहा करता था, इस बार बढ़ाकर दो करोड़ दस लाख रुपया करने का काम किया गया। मान्यवर, इसी तरह से उत्तर प्रदेश परिवहन सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा, विकलांग जन को पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण संचालन योजना, इसके साथ-साथ मान्यवर, विभिन्न श्रेणी के विकलांगों हेतु 12 राजकीय विद्यालय व छात्रावास संचालित हैं, जिसमें अध्ययनरत संवासियों को जो साढ़े पांच सौ रुपया प्रति संवासी प्रतिमाह की दर से अनुमन्य है, विभिन्न श्रेणी के विकलांगों हेतु 9 आश्रित कर्मशालाएं संचालित हैं जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे संवासियों को भरण पोषण हेतु रुपये 550 प्रति संवासी प्रति माह की दर से धनराशि अनुमन्य है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह निर्णय लेने का काम किया कि जो विकलांग बन्धुओं को बहुउद्देशीय परिचय पत्र बनाया जाता था जिसमें दो रुपया प्रति लाभार्थी फीस ली जाती थी उसको समाप्त करके उनको निःशुल्क परिचय पत्र बनाने का निर्णय लेने का काम किया गया। इसके साथ ही साथ मान्यवर, यह भी निर्णय लेने का काम किया गया कि संवासी विकलांग बंधुओं को दी जाने वाली 550 रुपये की मासिक धनराशि को बढ़ाकर इस वर्ष 850 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लेने का काम किया गया। मान्यवर, विकलांग कल्याण विभाग के विद्यालयों, कर्मशालाओं के लिए बसों को भी खरीदने का निर्णय लिया गया। विकलांग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभागीय विद्यालयों, कर्मशालाओं के रख-रखाव और मरम्मत आदि के लिए एक करोड़ रुपये का प्राविधान करने का काम किया गया। मान्यवर, इसके साथ ही साथ हमने इस बात का भी निर्णय लेने का काम किया, बहन कुमारी मायावती जी ने, श्री सतीश चन्द्र मिश्र जो अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद् हैं, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो इस बात को भी देखने का काम करेगा कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो सुविधायें देने का निर्णय लिया गया है। उसी आधार पर मान्यवर इन सुविधाओं को सही ढंग से मिल सके। इसके लिए एक नीति बनाने का निर्णय लेने का काम किया गया है। इसी के साथ-साथ पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर यूजीसी के मानकों के आधार पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लेने का काम किया गया है और इसके लिए बजट में 1 करोड़ रु0 की व्यवस्था करने का काम किया गया है। मान्यवर, लखनऊ की ही भांति गोरखपुर जिले में भी दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए इण्टर कालेज की स्थापना की जायेगी। इसी प्रकार से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्रों के लिए लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ तथा गोरखपुर में सौ-सौ कमरों का

एक-एक छात्रावास का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए लखनऊ एवं गोरखपुर में सौ-सौ कमरों के एक-एक छात्रावास का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, लखनऊ में मोहान रोड पर संचालित राजकीय दृष्टिबाधित इण्टर कालेज के पास एक आकस्मिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित किया जायेगा, जहां 24 घण्टे चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। इस अस्पताल के बन जाने पर विकलांग कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग के मोहान रोड पर संचालित अन्य संस्थाओं के छात्रों को भी चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा। इसी तरह से मान्यवर, विकलांग कल्याण विभाग में सेवारत राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार एवं राज्य स्तरीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को भी शिक्षा विभाग के अध्यापकों के समान अतिरिक्त वेतनवृद्धि एवं सेवा विस्तार किया जायेगा। मान्यवर, राजकीय सेवाओं में 1996 से लेकर अब तक विकलांगजन के चिन्हित रिक्त पदों के बैकलाग को विशेष अभियान चलाकर पूरा करने का निर्णय लेने का काम किया गया है। मान्यवर, इसके अलावा विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों को वर्ष 1996 से पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट का लाभ दिया जायेगा। इसमें से वेतन बढ़ोत्तरी का नकद लाभ जुलाई, 2001 से दिये जाने का निर्णय लेने का काम किया गया है। मान्यवर, इस तरह से गरीब विकलांगजनों को अनेकों सुविधायें देने का निर्णय लेने का काम किया गया है। मान्यवर, जो हमारी सरकार ने नई योजनायें शुरू करने का काम इस बजट में किया है उसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं।

मान्यवर, विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों के संचालन के लिए 175.56 लाख रु0 की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। इसी तरह से विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए आश्रित कर्मशालायें एवं प्रशिक्षण केन्द्र के लिये रु0 71.54 लाख रु0 की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।

मान्यवर, विकलांगजनों के हितों के लिए यह सरकार पूरी तरह से सचेत है और पहली बार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में गठित सरकार ने असहाय व्यक्तियों के लिए उनकी सहायता के लिए, उनके प्रति अपनी भावनायें व्यक्त करने का काम किया है।

मान्यवर, इसी तरह से यह पिछड़ा वर्ग कल्याण का अनुदान भी इसी बजट में शामिल है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में पिछड़े वर्गों की आबादी बहुत अच्छी संख्या में है और प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अति पिछड़ा वर्ग है। उस वर्ग की उपेक्षा पहले होती रही है। लेकिन बहन मायावती जी के नेतृत्व में गठित सरकार द्वारा उनके हितों के लिये निर्णय लेने का काम किया गया है। मान्यवर, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी समाज के अन्य वर्गों के साथ मुख्य धारा में लाने के लिये उनके हितों के लिये, उनके भी गरीब लोगों के हितों के लिए कई योजनायें संचालित करने का निर्णय लेने का काम किया गया है।

इसका परिणाम यह हुआ है कि जहां 2006-07 में उत्तर प्रदेश का जो बजट था जब पिछली सरकार थी उस समय 592 करोड़ 42 लाख 36 हजार रु0 का था। जिसे बढ़ाकर 2007-2008 में 888 करोड़ 68 लाख 13 हजार रु0 करने का काम किया गया। इस वर्ष मान्यवर, इसे बढ़ाकर 913 करोड़ रु0 करने का काम किया गया है यानि 2006-07 से लगभग दूने के करीब में बजट बढ़ाने का निर्णय लेने का काम किया गया है। पहली बार 2007-08 में हमारी सरकार ने जब बजट पारित करने का काम किया था तो भी बढ़ोत्तरी की थी। मान्यवर, इसमें पिछड़े वर्ग की छात्राओं की भी शुल्क की प्रतिपूर्ति करने के लिए 5 करोड़ रु0 की व्यवस्था पहली बार प्रदेश में करने का काम किया गया है।

इसके साथ ही साथ छात्रवृत्ति के लिए भी उसमें व्यवस्था करने का काम किया गया मान्यवर, आज हमने 878 करोड़ 33 लाख रुपये की व्यवस्था छात्रवृत्ति के लिए करने का काम किया गया है। इसके साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के छात्रों और छात्राओं के छात्रावास निर्माण के लिए 7 करोड़ 16 लाख रुपये की व्यवस्था करने का काम किया गया है। इसी तरह से कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए ओ लेबिल के कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए पहली बार 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए करने का काम किया गया है। जिससे उनको रोजगार मिल सके। इसी तरह से शादी अनुदान के लिए पिछली बार जो हमारी पिछड़े वर्ग की गरीब लड़कियां थीं उनकी शादी अनुदान के लिए 2007-08 में हमने 10 करोड़ की व्यवस्था की थी इस बार उसको दूना बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने का काम किया है। इस तरह से यह सरकार पिछड़े वर्ग के हितों के लिए पूरी तरह से सचेत है। उनके लिए इस बजट में वर्ष 2006-07 से दूना बढ़ाने का काम किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हमारी सरकार द्वारा शादी अनुदान की पहली बार व्यवस्था वर्ष 2007-08 में किया गया और दूसरी बार अबकी बार व्यवस्था की गयी। मैंने यह भी बताया कि आपके समय कितना बजट था और हमने बढ़ाकर कितना करने का काम किया। इस तरह से प्रदेश सरकार पिछड़े वर्गों के साथ-साथ हमारा जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उसके आधार पर हमने समाज के हर वर्ग के लिए व्यवस्था करने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकलांगजनों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पूरी तरह से बिना कटौती रखे हुए मैं यह अपेक्षा करूंगा हमारे साथी सदस्य हैं वह बिना कटौती के पिछड़े वर्गों के हितों के लिए इसको पास कराने की कृपा करेंगे।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, समाजवादी आन्दोलन के अग्रिम पंक्ति के नेता डा0 लोहिया ने एक सपना देखा था कि सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको दवा मिले और दवा के अभाव में मरीज न मरने पाये और पहली बार डा0 लोहिया ने ही नारा दिया था सोसलिस्ट पार्टी बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60।

मान्यवर, यह प्रदेश जो है दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं न्यूजीलैण्ड से तीन गुना बड़ा यह प्रदेश है और बेल्जियम से 10 गुना बड़ा यह प्रदेश है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने विकलांग और पिछड़ा वर्ग कल्याण का जो बजट प्रस्तुत किया है वह सारी बातें तो झूठ नहीं हैं, सारी बातें तो सही नहीं हैं लेकिन उसमें सारी बातें झूठी हैं। सन् 1977 में जब श्री राम नरेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिये 15 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की। सन् 1989 में जब जनता दल की सरकार बनी तो श्री मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हुये और उन्होंने 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में साढ़े 54 फीसदी लोग पिछड़ी जाति के हैं और पूरे प्रदेश की आबादी 17 करोड़ से ज्यादा है और उसमें साढ़े 8 करोड़ से लेकर 9 करोड़ के लगभग पिछड़े वर्ग की आबादी है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो कहा उसको तो आपने सुना। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने पिछड़े जाति के छात्र और छात्राओं के स्कालरशिप के लिये 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इसके पहले तीन बार सन् 1995 से लेकर 2002 तक तीन बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का बहुजन समाज पार्टी को मौका मिला लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया। सन् 2004-2005 में 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था हुई और इसके पहले क्या मिलता था कक्षा 3, 4 व 5 के लिये 3-3 लड़कों को स्कालरशिप मिलता था और कक्षा 6, 7, 8 में 6-6 लड़कों को यानि कुल 27 लड़कों को ही वजीफा मिलता था। लेकिन पहली बार यह सच्चाई है कि 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने की। हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने उसको समाप्त नहीं किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज के 9 माह पहले जितनी परियोजनायें चल रही थीं उसमें बहुत सारी परियोजनाओं को द्वेषवश आपने बंद करने का काम किया। लेकिन आपको लगा कि इतना बड़ा जो पिछड़ा वर्ग है, उसके स्कालरशिप की आपने जो बात कही, उसको आपने बंद नहीं किया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 16 ऐसी पिछड़ी जातियां थीं, चाहे वह राजभर, चौहान या अति पिछड़ी जातियां, जिनकी स्थिति अनुसूचित जाति से भी बदतर है, उन 16 जातियों को श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अनुसूचित जाति का दर्जा देकर इस सदन से पास कराकर दिल्ली की सरकार को भेजा। लेकिन जैसे ही यह अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखने के लिये दिल्ली गया, दिल्ली में उसको यू0पी0ए0 की सरकार ने ठंडे बस्ते में रख दिया।

हमारे देवरिया के सांसद श्री हरि केवल प्रसाद जी ने नियम-177 के अन्तर्गत संसद में इस मामले को उठाया और पूछा कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने जिन 16 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव भेजा है सरकार उस पर क्या कर रही है तो मीरा कुमार का जवाब आया कि आपने 4 जुलाई से दो महीने भी शपथ ग्रहण करने का इंतजार नहीं किया और 4 जुलाई, 2007 को इस सरकार ने निर्णय लेकर इन सभी 16 जातियों को जो पिछड़ी जाति में थे, उसको निरस्त कर दिया, विखंडित कर दिया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपने कोई ऐसा काम पिछड़ी जातियों के लिये नहीं किया। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के छात्र और छात्रा जो हैं, जब वह ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद कोचिंग चाहते हैं तो आपने उनके लिये एक भी कोचिंग सेंटर की व्यवस्था नहीं की है। आपके बजट के अन्दर इस तरह का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि इन पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रशिक्षण दें ताकि वह भी आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 और अन्य कॉम्पिटेटिव इक्जाम में सफल हो सकें। इससे पहले हमारी जब सरकार थी तो हमारी सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की थी और केवल पिछड़ी जातियों के लिए ही नहीं सामान्य जातियों के लिए उस समय व्यवस्था थी। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि वह कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करें और कम से कम हर जगह पर नहीं तो मुख्यालय स्तर पर तो व्यवस्था की ही जानी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग जिसकी आबादी हमने कहा कि 54.5 फीसदी है और पिछड़े वर्ग के लड़के और लड़कियों की सहायता के लिए आपने 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मान्यवर, यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है क्योंकि 20 करोड़ रुपये की धनराशि बीमारी और लड़कियों की शादी दोनों को मिलाकर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो विकलांगों के सन्दर्भ में पूरे प्रदेश में लगभग 35 लाख के आस-पास विकलांग हैं इसमें से 7 लाख विकलांग शहरी क्षेत्र में और 27 लाख विकलांग ग्रामीण क्षेत्र में हैं। मैं मा0 मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्र के जो विकलांग हैं वह अपना विकलांग प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए बड़ी आसानी से चले जाते हैं और उन्हें प्रमाण-पत्र मिल भी जाते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के विकलांग 30-40 किलोमीटर चलकर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि हर पी0एच0सी0 पर विकलांग प्रमाण-पत्र मुहैया करायें यदि यह न हो सके तो कम से कम तहसील मुख्यालय पर प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाय, जिससे उनको आने-जाने में सुविधा होगी। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह हमारे कुछ सुझाव हैं इन पर भी आप विचार कर लें।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, केवल एक सुझाव देना चाहूंगा। मैं मूलतः एन0टी0 सर्जन हूं और विकलांग प्रमाण-पत्र हमारे जनपद कुशीनगर में जो मूक बधिर हैं, उन लोगों को विकलांग प्रमाण-पत्र दिये

जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। गोरखपुर में आपका एक मूक बधिर विद्यालय है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने अधिकारियों को वहां भेज करके देख लें कि वह किस स्थिति में है। वह इतनी खराब हालत में है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसको आवासीय रूप देने की कृपा करें। मान्यवर, कुशीनगर के विकलांगों को विकलांगता का प्रमाण-पत्र नहीं मिल रहा है यही सुनिश्चित करा दें कि जो बिल्कुल निरीह हैं वही जा करके अपना ऑडियोग्राम करा लें और विकलांगता प्रमाण-पत्र उन्हें मिल जाए ताकि सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ उसको मिल सके। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जापानी इंसेफेलाइटिस पर काफी चर्चा हुई है और गोरखपुर में इस बीमारी से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और मरे भी हैं तथा उससे बहुत से बच्चे मानसिक रूप से विकलांग भी हुए हैं। सदन में इस पर चर्चा हुई थी और यह हुआ था कि उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था की जायेगी। आपके इस बजट साहित्य में भी मानसिक केन्द्र की बात कही गयी है और इसके लिए 9.25 लाख रुपये का इंतजाम किया गया है। चिकित्सक के रूप में और विधायक के रूप में भी मुझे पता है कि गोरखपुर में यह मानसिक केन्द्र कहीं कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है और कितने बच्चों को अब तक जो मानसिक रूप से विकृत हैं उन लोगों का मानसिक विकास का कार्य किया गया है ? तो मेरा आपसे निवेदन है कि मानवीय दृष्टिकोण अख्तियार करते हुए इन दोनों बिन्दुओं पर निश्चित रूप से गम्भीरता से और संवेदनशीलता से विचार करते हुए इस पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगें।

(श्री विशम्भर प्रसाद निषाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

निषाद जी, आप तो कई बजट पर बोल चुके हैं, अब नये सदस्यों को मौका दें। श्री सत्यपाल सिंह जी सामने खड़े हुये हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, केवल एक बात कहना चाहता हूं कि बांदा में विकलांग विद्यालय चल रहा था, उसको बंद कर दिया गया है उसके विरोध में वहां के विकलांग रोज धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, इसलिए अनुरोध है कि उसको देख लें। वैसे हम जानते हैं कि निषाद, कश्यप, बिंद समाज के प्रस्ताव को आपने खारिज कर दिया, आप पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं, इसलिए आपसे कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

चौ0 सत्यपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत आभारी हूं। समाज में समरसता को बढ़ाने में पिछड़े वर्ग का भी बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मंत्री जी ने इतना बजट बढ़ा दिया इसके बावजूद भी अलीगढ़ जनपद में बैकवर्ड को शादी अनुदान का पैसा वहां पर नहीं पहुंचा है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना सब कुछ होते

हुए बैकवर्ड के साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है ? दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी, विकलांगों के लिए 300 रुपये पेंशन की बात कही गयी है, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि विकलांग, बैकवर्ड और शिड्यूल्ड कास्ट में ज्यादा हैं और गांव के रहने वाले हैं। जो विकलांग सक्षम व्यक्तियों के होते हैं उन्हें वे अपने तरीके से इन्स्ट्रूमेण्ट दिलवाते हैं। इसलिए सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ विकलांगों को एक-एक ट्राईसाइकिल या बैसाखी जो जिसके मुताविक है, एक महीने के अन्दर दिलवा दी जाए। बहुत से विकलांग लोगों के हाथ भी नहीं हैं जिन विकलांगों के हाथ पैर दोनों नहीं हैं उनको मोटर से चलने वाली ट्राई साइकिल सरकार उपलब्ध कराये। मान्यवर, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्री जी से निवेदन है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमारे साथी कुशवाहा जी, मा0 निषाद जी, मा0 चौधरी साहब, मा0 डा0 पी0 के0 राय ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये इसके लिए मैं आभारी हूं। मान्यवर, जहां तक कुशवाहा जी ने एक बात की चर्चा की समाजवादी आन्दोलन की। 100 में 60 का यह नारा जरूर रहा लेकिन उस नारे को समाजवादियों ने कभी पूरा नहीं किया और उसका परिणाम यह भी है कि जब 1989 में 27 फीसदी आरक्षण लागू हो रहा था तो आरक्षण लागू करने वाले के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेता खड़े थे। मान्यवर, हमारे कुशवाहा जी ने इस बात की चर्चा की कि इसके पहले जो सरकार थी उसने पिछड़े वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति देने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले श्री मुलायम सिंह जी दो बार मुख्य मंत्री रहे और उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया था। बहन कुमारी मायावती जी ने इसका शुभारम्भ करने का काम किया। सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने छत्रपति शाहू जी महाराज भागीदारी भवन बनाकर पिछड़े वर्गों के छात्रों को भी कोचिंग की व्यवस्था करने का काम किया था। छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की है जिसमें उनका 50 प्रतिशत आरक्षण है। मान्यवर, राय साहब ने इस बात का जिक्र किया प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था पी0एच0सी0 पर है और गोरखपुर में जो मनोविकास केन्द्र संचालित है वह मेडिकल कालेज के परिसर में है। हम इसको दिखवा लेंगे कोई अव्यवस्था हो तो हम इसको ठीक करने की व्यवस्था करेंगे।

डा0 पी0 के0 राय-

शायद मेरी बात समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया। मूक बधिर के लिए जांच की जाती है जैसे हार्ट के लिए कार्डियो किया जाता है वैसे ही मूक बधिर के लिए आडियोग्राम होता है इसकी सुविधा चिकित्सालय में नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

कुशवाहा जी ने इस बात का उल्लेख किया कि जिलों पर जाने में उनको असुविधा होती है इसलिए प्रमाण-पत्र जो विकलांग प्रमाण-पत्र है इसको बनाने की व्यवस्था की जाय। पी0एच0सी0 पर इसको बनाने की व्यवस्था है। जहां तक मूक बधिर की व्यवस्था की बात है वह जरूर है कि वह बड़ा यन्त्र है उसको हम दिखवा लेंगे कि क्या सम्भव हो सकता है।

डा0 पी0 के0 राय-

कम से कम उसको रेफर कराने की व्यस्था की जाय।

श्री लाल जी वर्मा-

जहां तक हमारे चौधरी साहब ने शादी अनुदान की बात की है कि सरकार की ओर से जिलों में पैसा नहीं पहुंचा है हम इसको सुनिश्चित करेंगे और निश्चित रूप से शादी अनुदान मिलेगा और इसी वित्तीय वर्ष में मिलेगा। हमारे समाज कल्याण मंत्री जी ने बताया है कि सभी जगह भेजने का काम किया जा रहा है। इस तरह से मान्यवर, जो मुख्य बिन्दु थे हमने उनको रखने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने पिछड़े वर्गों और समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग, असहाय वर्ग विकलांग के बारे में नीति निर्धा त किया है उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। निषाद जी ने कहा कि हम पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं हम पिछड़े वर्ग के विरोधी नहीं हैं इसीलिए उनको पिछड़े वर्ग में शामिल करके उनके हितों को संरक्षित करने का काम किया था जो हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर पूरी तरह से रोक लग गया था। इसलिए हम आपके हितैषी हैं और इसी हितैषी होने का परिणाम है। आप इसे मन से मानते हैं। अति पिछड़े वर्गों को सामाजिक और राजनैतिक रूप से जागृत करने का काम अगर किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। बहुजन समाज पार्टी ने उनको राजनैतिक हिस्सेदारी देने का काम किया है। इसको आप अन्तरात्मा से स्वीकार करते होंगे। मुझे विश्वास है कि इस सरकार के सराहनीय कदम को स्वीकार करते हुए कुशवाहा जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करेंगे। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वह इसको वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

कुशवाहा जी, आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री दीना नाथ कुशवाहा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में जो बैक लॉग की भर्ती हो रही है, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कम से कम जो सरकारी भर्तियां हो रही हैं, जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना है। तो कम से कम पिछड़ा वर्ग आयोग से सरकारी नौकरियों के लिये संस्तुति करा लें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप वापस ले रहे हैं ?

श्री दीना नाथ कुशवाहा-

मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी ने सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया है इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप वापस नहीं ले रहे हैं, इसलिये अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,97,14,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,41,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,41,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,48,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,48,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

नगर विकास मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,03,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,03,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा उनको अतिरिक्त सुरक्षा दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की सूचना

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, कल मैंने कहा था कि कल तक अवगत करा दूंगा। सोलंकी जी के बारे में एक सूचना आई थी, आपने निर्देश दिया था तो मान्यवर, अगवत कराना है कि शासनादेश 25-4-2001 सपठित 30-2-07 में यह प्राविधान है कि माननीय विधायकों को जीवन भय का औचित्य पाये जाने पर 25 प्रतिशत निजी व्यय पर एक अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराया जाएगा। मान्यवर, श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी मा0 सदस्य, विधान सभा की सुरक्षा के सम्बन्ध में प्राप्त जीवन भय की जनपदीय आख्या पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 26-11-2007 में जनपदीय समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नहीं प्रदत्त कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 फरवरी, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 37 सूचनाएं प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मण्डी परिषद् द्वारा मनमाने ढंग से सैकड़ों निष्कासित कर्मचारियों की सेवा पुनः बहाल करने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेषकर पिलखुआ में हैण्डलूम कपड़े के उत्पादन को वैट से मुक्त करने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना डॉ0 अजय तोमर की जनपद बागपत में सभी विद्युत उपकेन्द्रों द्वारा क्षमता से कम विद्युत आपूर्ति करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा चौथी सूचना महंत कौशलेन्द्र नाथ योगी की जनपद गोण्डा व बलरामपुर सहकारी बैंक के बकाये की धनराशि की वापसी एवं बैंक शाखा को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली के तहसीलदार चकिया द्वारा श्रीमती प्यारी देवी से दुर्व्यवहार करने की जांच कराने एवं उनकी पैतृक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में, छठवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की प्रदेश के विभिन्न मदरसों में मिनी आई0 टी0 आई0 द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त छात्र/छात्राओं के प्रमाण-पत्र को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना डॉ0 अनिल चौधरी की जलकल संस्थान, हाथरस की भूमि पर बिना भूमि अधिग्रहीत किये जबरन विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड इटवा के नरेगा की

धनराशि के दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, नौवीं सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की लखीमपुर खीरी में नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में तथा दसवीं सूचना श्री राम बिशुन आजाद की गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को तहसील मनकापुर में समायोजित करने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री शम्भू चौधरी, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मिथिलेश कुमार, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री अनिल कुमार अहिरवार, श्री लालजी यादव, श्री लल्लू सिंह, कुंवर आर0 पी0 एन0 सिंह, श्री कृष्ण गोपाल पटेल, श्री निर्मल वर्मा, श्री उदयराज यादव, श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री जगन प्रसाद गर्ग, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री राम प्रकाश कुशवाहा, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री मदन चौहान, श्री कालीचरन राजभर, डा0 हरगोविन्द भार्गव, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, मोहम्मद जासमीर अन्सारी, श्री मुख्तार अन्सारी।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(तत्पश्चात् सदन की बैठक की कार्यवाही स्थगित हो गई।)

(इसके बाद सदन का उपवेशन 7 बजकर 28 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ :

दिनांक 28 फरवरी, 2008

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी (क)

(देखिये अता0 प्र0 सं0-46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59-60 पर)।

वर्ष 2005-06 का मदवार/छात्रावास व्यय विवरण

क्रमांक	कार्यालय मद	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि	छात्रावास का नाम जिस पर धनराशि व्यय की गयी	समर्पित धनराशि
1	कार्यालय व्यय	32900.00	12494.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) जेल रोड, गोण्डा	
			6000.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) बभनान, गोण्डा	
			14226.00	समाज कल्याण कार्यालय से शासकीय डाक टिकट, स्टेशनरी एवं सफाई कर्मी के मानदेय का भुगतान	
	योग :-	32900.00	32720.00		180.00
2	जलकर	25000.00	23217.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) जेल रोड, गोण्डा	1783.00
3	लेखन सामग्री	7000.00	1000.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) बभनान, गोण्डा	
4			6000.00	समाज कल्याण कार्यालय में स्टेशनरी पर भुगतान	
	योग :-	7000.00	7000.00		
5	कार्यालय फर्नीचर	27000.00	20000.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) जेल रोड, गोण्डा	
			7000.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) बभनान, गोण्डा	
	योग :-	27000.00	27000.00		0.00
6	साज सज्जा	18000.00	15000.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) जेल रोड, गोण्डा	
			3000.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) बभनान, गोण्डा	
	योग :-	18000.00	18000.00		0.00

क्रमांक	कार्यालय मद	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि	छात्रावास का नाम जिस पर धनराशि व्यय की गयी	समर्पित धनराशि
7	विद्युत देय	53000.00	10614.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) जेल रोड, गोण्डा	42386.00
8	अनुरक्षण	27000.00	25000.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) जेल रोड, गोण्डा	
			2000.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) बभनान, गोण्डा	
	योग :-	27000.00	27000.00		0.00
	कुल योग	189900.00	145551.00		44349
	वर्ष 2006-07 का मदवार/छात्रावास व्यय विवरण				
1	कार्यालय व्यय	33000.00	12349.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) जेल रोड, गोण्डा	
			10000.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) बभनान, गोण्डा	
			10000.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) बेलसर, गोण्डा	
			651.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालिका) गोण्डा में चौकीदार की वर्दी पर	
	योग :-	33000.00	33000.00		
2	जलकर	5000.00	2400.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) जेल रोड, गोण्डा	2600.00
3	लेखन सामग्री	8500.00	4500.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) जेल रोड, गोण्डा	
			2000.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) बभनान, गोण्डा	
			2000.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) बेलसर, गोण्डा	
	योग :-	8500.00	8500.00		0.00

क्रमांक	कार्यालय मद	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि	छात्रावास का नाम जिस पर धनराशि व्यय की गयी	समर्पित धनराशि
5	कार्यालय फर्नीचर	0.00	0.00		
	योग :-	0.00	0.00		0.00
6	साज सज्जा	0.00	0.00		
	योग :-	0.00	0.00		
7	विद्युत देय	25000.00	3270.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) जेल रोड, गोण्डा	21730.00
8	अनुरक्षण	0.00	0.00		0.00
	योग :-	0.00	0.00		0.00
	कुल योग	71500.00	47120.00		24380.00
	वर्ष 2007-08 का मदवार/छात्रावास व्यय विवरण				
1	कार्यालय व्यय	21000.00	20237.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) जेल रोड, गोण्डा	
	योग :-	21000.00	20237.00		763.00
2	जलकर	5000.00	0.00		5000.00
3	लेखन सामग्री	7000.00	0.00		
4	कार्यालय फर्नीचर	10000.00	9900.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) जेल रोड, गोण्डा	
	योग :-	10000.00	9900.00		
5	साज सज्जा	15000.00	9611.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) जेल रोड, गोण्डा	
	योग	15000.00	9611.00		5389.00
	विद्युत देय	28000.00	0.00		28000.00
	अनुरक्षण	30000.00	26400.00	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) जेल रोड, गोण्डा	
	योग :-	30000.00	26400.00		3600.00
	कुल योग	116000.00	66148.00		49852.00

नत्थी (ख)

(देखिये अता0 प्र0 सं0-69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 70 पर)

संलग्नक

उन ग्रामों की सूची जिसमें तत्कालीन उप जिलाधिकारी, पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा किये गये शीतकालीन भ्रमण का विवरण।

(वर्ष 2005-2006)

क्र0सं0	भ्रमण की तिथि	ग्राम का नाम	रात्रि में विश्राम का स्थान
1	13-12-05	मेहेदिया	--
2	13-12-05	रामकोला	--
3	14-12-05	चन्दौला	--
4	15-12-05	कठार	--
5	15-12-05	मरकरामन भावना	--
6	16-12-05	गंगेहटी	--
7	16-12-05	धरौली मुफरिद	धरौली मुफरिद
8	17-12-05	ठनेपुर गोपापुर	--
9	17-12-05	लवेदा	लबेदा
10	18-12-05	धनेपुर	--
11	18-12-05	बाहरपट्टी	बाहरपट्टी
12	20-12-05	पूरे बसन	--
13	20-12-05	बेदू पट्टी	--
14	22-12-05	दुगदिई	--
15	22-12-05	नेवादा	नेवादा
16	24-12-05	डेई डीह धैरहरा	--
17	24-12-05	मोलनापुर	मोलनापुर
18	25-12-05	पर्वतपुर सुलेमान	--
19	25-12-05	समोगरा	--
20	28-12-05	छतेड़ी	--

क्र0सं0	भ्रमण की तिथि	ग्राम का नाम	रात्रि में विश्राम का स्थान
21	30-12-05	जलालपुर किठौली	--
22	30-12-05	ईशनपुर	ईशनपुर
23	31-12-05	देवरखा	--
			(वर्ष 2006-2007)
24	16-12-06	बोझी	--
25	16-12-06	सराय मिखारी	--
26	18-12-06	पोष्डरा	--
27	18-12-06	चन्दु आडीह	चन्दु आडीह
28	19-12-06	धन्नीपुर	--
29	19-12-06	उमर	--
30	20-12-06	चौपई	--
31	20-12-06	विजहरा	--
32	21-12-06	तेलियानी	--
33	21-12-06	मढरामऊ	--
34	22-12-06	बरा सराय	--
35	22-12-06	सरसतपुर	--
36	23-12-06	रामपुर खागल	--
37	23-12-06	परसनी	--
38	25-12-06	सर्वजीतपुर	--
39	25-12-06	कुकुवार	--
40	26-12-06	भरोखन	--
41	26-12-06	सरसतपुर	--
42	27-12-06	सरमा	सरमा
43	27-12-06	गजरिया	--
44	28-12-06	बक्चीडीह	--
45	28-12-06	कोहराव	--

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	भ्रमण की तिथि	ग्राम का नाम	रात्रि में विश्राम का स्थान
46	29-12-06	दोनई	--
47	29-12-06	पूरे निहाली	--
48	30-12-06	कटार	--
49	30-12-06	अन्देवरी	अन्देवरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी-एल0 68 विधान सभा (115)-24-7-08-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।